दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

फरवरी भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- SARS-CoV-2 का नया रूप 7
- कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 9
- भारत पर्व 2021 10
- विदेशी अंशदान संबंधी नए दिशा-निर्देश 11
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: संसाधन आवंटन 13
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: वित्तीय समावेशन 15
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: क्षेत्र विशिष्ट 16
- अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण 17
- परिवार पहचान-पत्र और निजता संबंधी चिंताएँ 18
- निजता का अधिकार और वैध राजकीय हित 19
- रोहिणी आयोग और OBC उप-श्रेणीकरण 21
- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वृद्धि: एडीआर 23
- असम का जेरेंगा पोथर और ढेकियाजुली टाउन 24
- ओडिशा का सीमा विवाद 25
- न्यायिक निर्णयों का आर्थिक प्रभाव 26
- कुरुबा समुदाय: कर्नाटक 28
- राजद्रोह कानून 29
- UAPA अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की निम्न दर 32

नोट :

- धन्यवाद प्रस्ताव 33
- भारतीय कानून और इंटरनेट सामग्री का अवरोधन: केंद्र बनाम ट्विटर 34
- भारत में बंधुआ मज़दूरी 36
- दिव्यांगता और लिपिक की सुविधा: SC 38
- न्यायालय का निर्णय 38
- राष्ट्रीय कोयला सूचकांक 40
- प्रशासनिक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश 41
- कर विवादों को कम करने हेतु योजनाएँ 42

आर्थिक घटनाक्रम **44**

- फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम' का चौथा संस्करण 44
- दावोस संवाद: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 45
- राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी 47
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के मुख्य बिंदु 49
- बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: स्वास्थ्य और कल्याण 54
- बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: अवसंरचना 56
- बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: भौतिक और वित्तीय पूंजी 57
- बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय स्थिति 59
- बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: आकांक्षी भारत एवं मानव पूंजी के पुन: शक्तिवर्धन हेतु समावेशी विकास 60
- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी 62
- चौरी चौरा कांड के सौ साल 63
- खुदरा निवेशकों की सरकारी प्रतिभूति मार्केट में प्रत्यक्ष पहुँच: आरबीआई 65
- RBI की मौद्रिक नीति 2021 66
- बैंकों का निजीकरण 69

नोट :

- कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रभाव 71
- सक्षम पोर्टल और समुद्री शैवाल मिशन: TIFAC 73
- खाद्य प्रणाली और पोषण पर दिशा-निर्देश: CFS 75

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **77**

- पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन 77
- हॉन्गकॉन्ग के निवासियों को ब्रिटिश वीज़ा 79
- म्याँमार में सैन्य तख्तापलट 81
- श्रीलंका में चीन की नई परियोजना 83
- भारत - यूक्रेन 85
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 86
- दक्षिण चीन सागर विवाद 88
- भारत-पोलैंड संबंध 89

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **92**

- स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप 92
- क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन 93
- संयुक्त अरब अमीरात का 'होप' मिशन 95
- गगनयान मिशन 97

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **99**

- नीलगिरि हाथी कॉरिडोर का मामला 99
- लिटिल अंडमान आईलैंड' के लिये नीति आयोग की योजना 101
- आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र 103
- मिशन इनोवेशन 2.0 105

नोट :

- पोंग बाँध झील वन्यजीव अभयारण्य 107
- वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास इको-सेंसिटिव ज़ोन 108
- हिंदू-कुश और काराकोरम श्रृंखला पर जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 110
- स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन 111
- विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन 2021 113

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 116

- भारत के पुराने बाँध : पर्यावरण और लोगों के लिये खतरा 116
- उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड 118
- पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूंकप की संभावना 120
- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और संबंधित दिशा-निर्देश 122

सामाजिक न्याय 124

- जल जीवन मिशन (शहरी) 124
- विवाह के लिये समान न्यूनतम आयु 125
- हंटर सिंड्रोम: एमपीएस II 127
- मानसिक स्वास्थ्य और पुरुष 128
- श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा मनरेगा की प्रशंसा 130

कला एवं संस्कृति 132

- पंडित भीमसेन जोशी जयंती 132
- जगन्नाथ मंदिर पर विरासत उपविधि वापस 133

आंतरिक सुरक्षा 135

- सीमाओं के लिये स्मार्ट वॉल 135

नोट :

- सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज 136
- तीन नए युद्धक विमान 138

चर्चा में **140**

- स्टार्स परियोजना 140
- पेरियार टाइगर रिज़र्व 140
- वाघई-बिलिमोरा हेरिटेज लाइन 141
- फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस 142
- एयरो इंडिया 2021 143
- उपभोक्ता कल्याण कोष 143
- गोबर-धन का एकीकृत पोर्टल Unified Portal of Gobar-dhan 144
- रथ सप्तमी 145
- अर्क शुभ: गेंदे की नई किस्म 145
- ट्रोपेक्स 21 146
- थोलपावाकुथु: केरल 147

विविध **149**

The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

SARS-CoV-2 का नया रूप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कई देशों में SARS-CoV-2 का एक नया प्रतिरूप उभरकर सामने आया है। नवीनतम शोध से संकेत मिला है कि वायरस अपनी अवस्था में तेज़ी से उत्परिवर्तन (Mutatition) कर रहा है, जो COVID-19 के लिये वर्तमान में उपलब्ध टीकों को निष्प्रभावी कर सकता है।

- SARS-CoV-2 वह वायरस है जो COVID-19 नामक बीमारी के लिये उत्तरदायी है।

प्रमुख बिंदु

उत्परिवर्तन का अर्थ:

- उत्परिवर्तन एक जीव या किसी वायरस की कोशिका के जीनोम में एक परिवर्तन है जो कम या ज़्यादा स्थायी होता है और जिसे कोशिका या वायरस के वंशजों में संचारित किया जा सकता है।
- जीवों के जीनोम की सभी सरंचनाएँ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) से बनी होती हैं, जबकि वायरल जीनोम की सरंचनाएँ DNA या राइबो न्यूक्लिक एसिड (Ribo Nucleic Acid- RNA) की बनी हो सकती हैं।

  RNA उत्परिवर्तन बनाम DNA उत्परिवर्तन:
- जब कोशिकाएँ वृद्धि करती हैं तो उनके भीतर का DNA कोशिकाओं की नई प्रतियाँ बनाने के लिये प्रतिकृति भी बनाता है। प्रतिकृति निर्माण के दौरान यादृच्छिक त्रुटियों को नए DNA में प्रवेश किया जाता है।
- RNA वायरस में उत्परिवर्तन प्राय: तब होता है जब स्वयं की प्रतिकृति बनाते समय वायरस से कोई चूक हो जाती है।
  - यदि उत्परिवर्तन/म्यूटेशन के परिणामस्वरूप प्रोटीन संरचना में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो ही किसी बीमारी के प्रकार में बदलाव हो सकता है।

उत्परिवर्तन का महत्त्व:

- विकास:
  - अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के लिये हानिकारक होते हैं। परंतु अगर कोई वायरस इस स्थिति में लाभ प्राप्त करता है, तो वह बेहतर संक्रामकता और संचरण की स्थिति में आ जाता है तथा प्रतिरक्षा विकसित कर चुकी आबादी भी इससे प्रभावित हो सकती है।
  - उदाहरणार्थ: D614G नामक एक उत्परिवर्तन के कारण जनवरी 2020 में कोरोनोवायरस स्पाइक प्रोटीन के अमीनो अम्ल की स्थिति में परिवर्तन हुआ।
  - इस नए उत्परिवर्तित कोरोनावायरस की वजह से और अधिक संक्रामक वायरस सामने आया। वर्तमान में यह उत्परिवर्तित वायरस ही दुनिया भर में फैलने वाले कोरोनावायरस के 99% से अधिक मामलों के लिये ज़िम्मेदार है।
    - यह कोरोनोवायरस स्पाइक प्रोटीन है जो संक्रमण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिये मानव प्रोटीन का प्रयोग करता है।
    - इसमें होने वाले परिवर्तन संभवत: वायरस की संक्रामक क्षमता, गंभीर बीमारी का कारण बनने की क्षमता या टीकों द्वारा विकसित की गई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया संबंधी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

नोट :

कोरोनावायरस के RNA जीनोम की विशिष्ट विशेषताएँ:

- कोरोनावायरस में दो विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक RNA जीनोम होता है:
  - सबसे बड़ा जीनोम:

    RNA वायरस के 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स (न्यूक्लिक एसिड यूनिट) में सबसे बड़ा जीनोम होता है।
  - स्थिरता:

    कोरोनावायरस में स्थिर जीनोम होते हैं, ये इन्फ्लूएंज़ा वायरस की तुलना में लगभग एक हज़ार गुना धीमी गति से बदलते हैं, जो कि श्वसन रोग के लिये ज़िम्मेदार RNA वायरस भी हैं।

कोरोनोवायरस प्रतिरूप में हालिया RBD उत्परिवर्तन:

- कोरोनोवायरस के तीन प्रमुख 'रिसेप्टर-बाइंडिंग डोमेन' (RBD) उत्परिवर्तन रूप K417N /T, E484K और N501Y दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए गए हैं।
  - ब्रिटेन के प्रतिरूप में N501Y, P681H उत्परिवर्तन पाया गया है।
- स्पाइक प्रोटीन के 'रिसेप्टर-बाइंडिंग डोमेन' उत्परिवर्तन से बने वायरस में प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के परिणामस्वरूप विकसित होने वाले एंटीबॉडी से बचने की सर्वाधिक क्षमता है।
- 'रिसेप्टर-बाइंडिंग डोमेन' उत्परिवर्तन के माध्यम से 'सेलुलर रिसेप्टर' वायरस को कोशिकाओं को संक्रमित करने की अनुमति देता है और 'एंटी-आरबीडी एंटीबॉडी वायरस' को अप्रभावी करता है।

उभरते हुए प्रतिरूपों के खिलाफ वैक्सीन परीक्षण:

- प्रयोगशालाओं में अप्रत्यक्ष परीक्षण के माध्यम से यह आकलन किया जाता है कि क्या एक उभरता हुआ प्रतिरूप प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के बाद विकसित एंटीबॉडी से बच सकता है।
  - COVID-19 बीमारी से ठीक हुए रोगियों या टीकाकृत लोगों से सीरम (रक्त घटक जिसमें एंटीबॉडी होते हैं) प्राप्त कर मूल वायरस को अप्रभावी करने के लिये ज्ञात की गई एंटीबॉडी का परीक्षण करके यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि क्या ये वायरस प्रतिरूप विकसित एंटीबॉडीज़ से बच जाते हैं।
  - एक सीरम या एंटीबॉडी की प्रभावशीलता 'निरोधात्मक एकाग्रता' (आईसी) या 'प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलाइज़ेशन टाइटर' (PRNT) मूल्य के रूप में व्यक्त की जाती है।
  - IC50 या PRNT50 सीरम या एंटीबॉडी की आपसी सांद्रता का मान है जो नमूने में 50% वायरस को अप्रभावी करता है।

उभरते हुए प्रतिरूप के खिलाफ टीके की प्रभावकारिता:

- मॉडर्ना और फाइज़र/बायोटेक दोनों इस बात से सहमत हैं कि उनके टीकों ने दक्षिण अफ्रीकी प्रतिरूप के खिलाफ कम सुरक्षा प्रदान की है। कहा जा रहा है इन प्रतिरूपों को कवर करने के लिये दोनों कंपनियाँ नए टीके को विकसित करने पर काम कर रही हैं।
- दक्षिण अफ्रीका में मूल वायरस के खिलाफ विकसित प्रतिरक्षा के बाद भी नए प्रतिरूपों से संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं।

भारत के संदर्भ में:

- भारत में अब तक केवल यात्रियों में कोरोनावायरस के ब्रिटेन प्रतिरूप के मामले सामने आए हैं। इसके स्थानीय प्रसारण संबंधी मामले सामने नहीं आए हैं।
- साक्ष्य बताते हैं कि वर्तमान टीके अब भी कोरोनावायरस के ब्रिटेन प्रतिरूप के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेंगे, भले ही उनकी प्रभावकारिता कम हो।
  - आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने कोरोनावायरस के ब्रिटेन प्रतिरूप के खिलाफ अपने टीके कोवैक्सिन का परीक्षण किया।
  - इन परिणामों में यह बात सामने आई है कि वैक्सीन ब्रिटेन प्रतिरूप पर समान रूप से काम करेगी।

नोट :

- कम हो रहे COVID-19 मामलों के साथ-साथ भारत को मास्क पहनने संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिये और भीड़-भाड़ को कम करके सक्रियता से ब्रिटेन प्रतिरूप से संक्रमित लोगों की पहचान करनी चाहिये।
- भारत को अक्तूबर 2020 से दक्षिण अफ्रीका और दिसंबर 2020 से ब्राज़ील की यात्रा करने वाले लोगों की भी पहचान कर लेनी चाहिये।
- जीनोमिक निगरानी बढ़ाने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी समूह 'इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम' (INSACOG) की स्थापना इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
  - जीनोमिक निगरानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर रोगजनक संचरण और विकास पर नज़र रखने के लिये जानकारी का एक समृद्ध स्रोत उत्पन्न कर सकती है।

कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

98 देशों के 'कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक' (Covid-19 Performance Index) में भारत का 86वाँ स्थान है।

प्रमुख बिंदु:

सूचकांक के बारे में:

- शामिल संस्थान:
  - कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को सिडनी स्थित लोवी संस्थान (Sydney-based Lowy Institute) जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, द्वारा संकलित किया गया है। इस सूचकांक में महामारी के प्रति देशों की प्रतिक्रिया को मापा गया।
    - संस्थान द्वारा परिणामों के आकलन में भूगोल, राजनीतिक प्रणालियों और आर्थिक विकास के प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया।
- शामिल पैरामीटर:
  - छह संकेतक:

1. पुष्टिकृत मामलों की संख्या।
2. पुष्टिकृत मौतों की संख्या।
3. प्रति मिलियन आबादी पर मामलों की संख्या।
4. प्रति मिलियन आबादी पर मरने वाले लोगों की संख्या।
5. परीक्षणों के अनुपात में मामलों की संख्या।
6. प्रति हज़ार जनसंख्या पर किये गए परीक्षणों की संख्या।

  - कम मामलों और मौतों की संख्या, कुल और प्रति व्यक्ति दोनों अर्थों में वायरस की बेहतर प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हैं।
  - प्रति व्यक्ति आधार पर किये गए अधिक परीक्षणों से राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की सीमा की सटीक तस्वीर सामने आती है।
  - सकारात्मक परीक्षणों की निम्न दर कोविड-19 के संचरण (Transmission of Covid-19) पर अधिक-से-अधिक नियंत्रण का संकेत देती है।
- मूल्यांकन की विधि:
  - 36 हफ्तों में 98 देशों द्वारा अपने यहाँ 100 मामलों का आकलन किया गया।
    - चीन को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसकी सभी परीक्षण दर (Testing Rates) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
  - प्रत्येक अवधि में सूचकांक में शामिल सभी देशों के लिये अलग-अलग औसतन छह संकेतकों की गणना की गई और इसे 0 (सबसे खराब प्रदर्शन) से 100 (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन) तक के स्कोर में वर्गीकृत किया गया।

नोट :

परिणाम:

- सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश:
  - न्यूज़ीलैंड रैंकिंग में शीर्ष पर है इसके बाद वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस का स्थान है।
- सूचकांक में निम्न प्रदर्शन करने वाले देश:
  - ब्राज़ील सूचकांक में सबसे नीचे रहा। अमेरिका पाँचवाँ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश था जो 98 में से 94वें स्थान पर रहा।
- दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन:
  - दक्षिण एशिया में श्रीलंका का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, जो सूचकांक में 10वे स्थान पर रहा, जबकि सूचकांक में मालदीव 25वें स्थान पर, पाकिस्तान 69वें स्थान पर, नेपाल 70वें स्थान पर और बांग्लादेश 84वें स्थान पर रहा।
- भारत का प्रदर्शन:
  - कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत 98 देशों में 86वें स्थान पर रहा।
  - एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में भारत का औसत 24.3 है, जो इस क्षेत्र (एशिया-पैसिफिक) के औसत की तुलना में काफी कम है, क्योंकि क्षेत्रवार मूल्यांकन के मामले में एशिया-पैसिफिक का स्कोर 58.2 है, जो कि क्षेत्रवार मूल्यांकन में श्रेष्ठ प्रदर्शन है।

विश्लेषण:

- छोटे देशों का बेहतर प्रदर्शन: सामान्य तौर पर कम आबादी वाले देश, सुसंगठित समाज और सक्षम संस्थान इस वैश्विक महामारी के संकट से निपटने में तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है।
  - 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे देशों ने 2020 तक लगातार अपने बड़े समकक्षों (Larger Counterparts) को पीछे छोड़ दिया।
- नेतृत्व का महत्त्व: आर्थिक विकास के स्तर और राजनीतिक प्रणालियों में अंतर का कोरोनोवायरस प्रतिक्रिया पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है।
  - महामारी का उचित प्रबंधन शासन व्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर नहीं था, लेकिन फिर भी या तो नागरिक अपने नेताओं पर भरोसा करते हैं, या फिर नेता एक सक्षम और प्रभावी राज्य की अध्यक्षता करते हैं।
- वायरस के प्रसार को कम करने हेतु उपयोग किये जाने वाले अपेक्षाकृत 'निम्न-तकनीकी'
- स्वास्थ्य उपायों ने विकसित और विकासशील देशों के मध्य समान अवसर सुनिश्चित किया है।
  - हालाँकि महामारी के लिये अन्य देशों में टीकों का प्रसार अमीर देशों के हित में हो सकता है।

भारत पर्व 2021

चर्चा में क्यों ?

पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 26 से 31 जनवरी, 2021 तक वार्षिक कार्यक्रम 'भारत पर्व 2021' का आयोजन किया गया।

- इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीन आभासी मंडप समर्पित किये गए, जिनमें 'देखो अपना देश', 'स्टेचू ऑफ यूनिटी' और 'अतुल्य भारत' शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

भारत पर्व

- इस विशाल आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और देश की समृद्ध एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है।
- भारत पर्व का आयोजन वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष 26 से 31 जनवरी तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने किया जाता है।

नोट :

- भारत पर्व 2021 में केंद्रीय मंत्रालयों के मंडपों, राज्य विषय-वस्तु के मंडपों, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के फूड फेस्टिवल/स्टूडियो किचन मंडपों, हस्तशिल्प, हथकरघा, लोक प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सांस्कृतिक मंडलियों की प्रदर्शनी को भी दर्शाया गया है।

'देखो अपना देश' अभियान

- इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इस पहल के तहत नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने और उन्हें भारत की विशिष्ट संस्कृति को जानने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे देश में घरेलू पर्यटन और पर्यटन अवसंरचना का विकास संभव हो सके।
- मंत्रालय द्वारा विभिन्न शहरों, राज्यों, संस्कृतियों, विरासत और वन्यजीव आदि पर वेबिनार शृंखला भी आयोजित की जा रही है।

स्टेचू ऑफ यूनिटी

- यह गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल का स्मारक है।
- पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार राम वनजी सुतर द्वारा डिज़ाइन की गई 'स्टेचू ऑफ यूनिटी' 182 मीटर की ऊँचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति है।
- यह मंडप 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विचार को प्रदर्शित करता है:
  - विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ और विचार-विमर्श को बढ़ावा देना।
  - भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन तथा भोजन, खेल एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण आदि क्षेत्रों में निरंतर व संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना।

अतुल्य भारत मंडप

- इस मंडप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जानकारी शामिल थी।
- भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। इनमें शामिल नवीनतम विश्व धरोहर स्थल राजस्थान का जयपुर शहर है।

विदेशी अंशदान संबंधी नए दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत बैंकों के लिये नए विनियमन दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा किसी भी विदेशी स्रोत (संगठन) से भारतीय रुपए में प्राप्त दान (भले ही वह स्रोत ऐसे दान के समय भारत में स्थित हो) को विदेशी अंशदान ही माना जाएगा।

प्रमुख बिंदु

नए दिशा-निर्देश

- विदेशी योगदान के दायरे का विस्तार: नए नियमों के मुताबिक, किसी भी विदेशी/विदेशी स्रोत, जिसमें विदेशी मूल के भारतीय स्रोतों जैसे- ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (OCI) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्डधारक आदि द्वारा भारतीय रुपए में प्राप्त दान को विदेशी अंशदान माना जाएगा।
- FATF के मानकों को पूरा करना: दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा वैश्विक वित्तीय प्रहरी- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के मानकों के अनुसार प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिये।

नोट :

मौजूदा कानून

- बैंकों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग
  - सभी बैंकों के लिये 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को गैर-सरकारी संगठन, संघ या व्यक्ति द्वारा किसी भी विदेशी योगदान की प्राप्ति या उपयोग के संबंध में सूचित करना अनिवार्य है, चाहे वे पंजीकृत हों या नहीं अथवा उन्हें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत पूर्व अनुमति दी गई है या नहीं।
- निर्धारित बैंकिंग चैनल
  - संसद द्वारा सितंबर 2020 में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम (FCRA), 2020 पारित किया गया था।
  - इसके तहत एक नया प्रावधान शामिल किया गया था, जिसके मुताबिक सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के लिये भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में विदेशी अंशदान प्राप्त करना अनिवार्य है।
  - विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में एक निर्दिष्ट FCRA खाता खोलना होगा या अपने मौजूदा खाते को इससे जोड़ना होगा।

FCRA विनियमन का कारण

- वर्ष 2010 से 2019 के बीच विदेशी अंशदान का वार्षिक अंतर्वाह लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन कई विदेशी अंशदान प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा अंशदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उन्हें पंजीकृत किया गया था अथवा FCRA विनियमन के संशोधित प्रावधानों के तहत पूर्व अनुमति दी गई थी।
  - हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे छह गैर-सरकारी संगठनों का लाइसेंस निलंबित कर दिया था, जिन पर कथित रूप से धार्मिक रूपांतरण के लिये विदेशी योगदान का प्रयोग करने का आरोप था।
- अत: यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे अंशदान का देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इन्हें सही ढंग से विनियमित करना आवश्यक है।
  - हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) ने एक विदेशी समूह के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जो भारत में अलगाववादी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराती है।
- इसके माध्यम से विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।

FCRA से संबंधित विवाद

- अपरिभाषित दायरा: यह अधिनियम देश के 'राष्ट्रीय और आर्थिक हित' को ध्यान में रखते हुए हानिकारक गतिविधियों हेतु विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाता है।
  - हालाँकि यहाँ इस अधिनियम में 'राष्ट्रीय हित' आदि को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।
- मौलिक अधिकारों को सीमित करता है: FCRA द्वारा लागू प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और 19(1)(C) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित करता है।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

- भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- व्यक्ति गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना 25,000 रुपए तक के विदेशी योगदान स्वीकार कर सकते हैं।
- विदेशी अंशदान प्राप्तकर्त्ता को अपने उस उद्देश्य को बताना पड़ेगा जिसके लिये वह विदेशी योगदान ले रहा है।
- इस अधिनियम के तहत संगठनों का पंजीकरण पाँच वर्ष के लिये वैध होता है, लेकिन सभी मानदंडों का पालन करने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

- संशोधन के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (NGOs) या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिये आधार (Aadhaar) को एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज़ बना दिया गया था।

नोट :

- संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य संगठन को उस विदेशी अंशदान को ट्रांसफर नहीं कर सकती है।
- विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली की उस शाखा में ही प्राप्त किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी।
- अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) विदेशी अंशदान की 20 प्रतिशत से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च पर नहीं कर सकता है।
- ध्यातव्य है कि सरकार द्वारा किये गए इन संशोधनों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई थी।

आगे की राह

- विदेशी योगदान पर अत्यधिक नियमन गैर-सरकारी संगठनों के काम को प्रभावित कर सकता है हालाँकि ये सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में सहायक हैं तथा उस अंतराल को भरते हैं, जहाँ सरकार काम करने में विफल रहती है।
- आवश्यक है कि ये विनियमन वैश्विक समुदाय को अपने कामकाज को सुचारु रूप से करने के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधनों के आदान-प्रदान में बाधा उत्पन्न न करें और इस प्रक्रिया को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिये जब तक इस तथ्य के स्पष्ट सबूत न हों कि उस धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: संसाधन आवंटन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत तक बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

- 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई है।
- इसके अलावा सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिये एक अलग नॉन-लैप्सेबल फंड के निर्माण को भी मंज़ूरी दी है।

15वाँ वित्त आयोग

- वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये विधि और सूत्र निर्धारित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।

प्रमुख बिंदु

वर्टिकल हिस्सेदारी (केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी)

- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है, जो कि आयोग की वर्ष 2020-21 में दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है।
  - यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42 प्रतिशत के स्तर के समान ही है, जिसकी सिफारिश 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई थी।
- हालाँकि इसमें जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्रशासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) की स्थिति के मद्देनज़र 1 प्रतिशत का आवश्यक समायोजन भी किया गया है।

नोट :

हॉरिजेंटल हिस्सेदारी (राज्यों के बीच कर का विभाजन)

- राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिये आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है, उसके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5 प्रतिशत, आय के अंतर को 45 प्रतिशत, जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिये 15 प्रतिशत, वन और पारिस्थितिकी के लिये 10 प्रतिशत तथा कर एवं राजकोषीय प्रयासों के लिये 2.5 प्रतिशत भार दिया जाएगा।

राज्यों के लिये राजस्व घाटा अनुदान

- राजस्व घाटा अनुदानों की संकल्पना राज्यों के राजस्व खातों पर उन राजकोषीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये की गई है, जिसकी पूर्ति उनके स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व तथा संघ से उनको प्राप्त होने वाले कर राजस्व के बावजूद नहीं हो पाती है।
- सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये लगभग 3 ट्रिलियन रुपए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है।
  - राजस्व घाटे के अनुदान के लिये योग्य राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 2022 के 17 से घटकर वर्ष 2026 तक 6 रह जाएगी।

राज्यों के लिये प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

- ये अनुदान मुख्यत: चार विषयों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
- पहला विषय सामाजिक क्षेत्र है, जहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- दूसरा विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहाँ कृषि और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है।
  - ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें देश की दो-तिहाई आबादी, कुल कार्यबल का 70 प्रतिशत और राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
- तीसरा विषय शासन और प्रशासनिक सुधार है, जिसके तहत आयोग ने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी ज़िलों तथा ब्लॉकों के लिये अनुदान की सिफारिश की है।
- इस श्रेणी में बिजली क्षेत्र के लिये आयोग द्वारा विकसित एक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रणाली शामिल है, जो अनुदान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राज्यों को अतिरिक्त उधार प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण विंडो प्रदान करती है।

राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी

- 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को किया गया कुल हस्तांतरण (कर वितरण + अनुदान) केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 34 प्रतिशत है, जिससे केंद्र सरकार के पास अपनी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के दायित्त्वों को पूरा करने के लिये पर्याप्त राजस्व बचता है।

स्थानीय सरकारों को अनुदान

- आयोग ने अपनी सिफारिशों में नगरपालिकाओं और स्थानीय सरकारी निकायों के लिये अनुदान के साथ-साथ, नए शहरों के इन्क्यूबेशन हेतु प्रदर्शन-आधारित अनुदान तथा स्थानीय सरकारों के लिये स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया है।
- शहरी स्थानीय निकायों के लिये अनुदान की व्यवस्था के तहत मूल अनुदान केवल उन शहरों/कस्बों के लिये प्रस्तावित है, जिनकी आबादी दस लाख है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (MCF) के माध्यम से प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा।
  - दस लाख से अधिक आबादी के शहरों का प्रदर्शन उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार और शहरी पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि मापदंडों के आधार पर मापा जाएगा।

चुनौती

- प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन, स्वतंत्र निर्णय और नवाचार को प्रभावित करता है। राज्य की उधार लेने की क्षमता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से राज्य द्वारा किये जाने वाले खर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्य का विकास प्रभावित होगा, परिणामस्वरूप यह सहकारी वित्तीय संघवाद को कमज़ोर करेगा।
- आयोग द्वारा एक ओर राज्यों का आकलन उनके प्रदर्शन के आधार पर करने की बात की गई है, वहीं वह केंद्र सरकार के संबंध में राजकोषीय निर्णयों के लिये कोई भी उत्तरदायित्त्व निर्धारित नहीं किया गया है।

नोट :

हॉरिजेंटल वितरण मापदंड

जनसंख्या

- किसी राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की सरकार के लिये अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु अधिक व्यय करने की आवश्यकता को दर्शाती है, यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी राज्य सरकार को उतना ही अधिक व्यय करना होगा।
- यह एक सरल और पारदर्शी संकेतक भी है, जिसका महत्त्वपूर्ण समकारी प्रभाव है।

क्षेत्रफल

- क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, सरकार के लिये व्यय की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है।

वन और पारिस्थितिकी

- इसका आकलन सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के सघन वनों की सापेक्ष भागीदारी से किया जा सकता है।

आय-अंतर

- आय-अंतर अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वाले राज्य तथा किसी अन्य राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर-राज्यीय समानता बनाए रखने के लिये कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक हिस्सेदारी दी जाएगी।

जनसांख्यिकीय प्रदर्शन

- यह जनसंख्या को नियंत्रित करने के राज्यों के प्रयासों को पुरस्कृत करता है।
- इस मापदंड की गणना वर्ष 1971 की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात (TFR) के व्युत्क्रम (रेसिप्रोकल) के आधार पर की गई है।
  - वर्ष 1971 की जनगणना के बजाय वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग हस्तांतरण में भेदभाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की आशंकाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।
- कम प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मापदंड में अधिक अंक प्राप्त होंगे।
  - कुल प्रजनन दर (TFR): किसी एक विशिष्ट वर्ष में प्रजनन दर का अभिप्राय प्रजनन आयु (जो कि आमतौर पर 15 से 49 वर्ष के बीच मानी जाती है) के दौरान एक महिला से जन्म लेने वाले अनुमानित बच्चों की औसत संख्या को दर्शाता है।

कर संग्रह के प्रयास:

- इस मापदंड का उपयोग उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिये किया गया है।
- इसकी गणना प्रति व्यक्ति कर राजस्व एवं वर्ष 2016-17 और 2018-19 के बीच तीन-वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी अनुपात के रूप में की गई है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: वित्तीय समावेशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

राजकोषीय घाटा:

- केंद्र के लिये लक्ष्य: 15वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% से वर्ष 2025-26 में 4% तक ले आएगी।

नोट :

- राज्यों के लिये लक्ष्य: राज्यों के लिये 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4%, उसके अगले वर्ष में 3.5% और बाद के अगले तीन वर्षों के लिये 3% राजकोषीय घाटे की सिफारिश की।

राज्यों के लिये उधार सीमा

- ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारें, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उधार सीमा के अधीन कार्य करती हैं।
- आयोग ने शुद्ध उधार सीमा को वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 4 प्रतिशत, वर्ष 2022-23 में 3.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक 3 प्रतिशत पर बनाए रखने की सिफारिश की है।
- इसके अलावा यदि राज्य द्वारा ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के मानदंडों को पूरा कर लिया जाता है, तो उन्हें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी।

केंद्र प्रायोजित योजना की बेहतर निगरानी:

- वार्षिक विनियोग की सीमा संबंधी एक राशि तय की जानी चाहिये, जिससे नीचे केंद्र प्रायोजित योजना के लिये धन का आवंटन रोक दिया जाए।
  - निर्धारित सीमा से कम राशि की योजना को प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी रखे जाने की आवश्यकता को न्यायसंगत सिद्ध किया जाना चाहिये।
- मौजूदा योजनाओं के जीवन चक्र को वित्त आयोगों की कार्य अवधि के समान ही डिज़ाइन किया गया है, जिससे सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सकेगा।

नया FRBM फ्रेमवर्क:

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act), 2003 के पुनर्गठन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि ऋण स्थिरता को परिभाषित करने और उसे प्राप्त करने के लक्ष्य से संबंधित समय-सीमा की जाँच एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी समूह द्वारा की जा सकती है।
  - यह उच्च-संचालित समूह नए FRBM ढाँचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है।
- राज्य सरकारें स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठों का गठन कर सकती हैं, जो उनके उधार कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करेंगे।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें: क्षेत्र विशिष्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा तथा आपदा जोखिम प्रबंधन आदि के लिये की गई सिफारिशें शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

स्वास्थ्य:

- वर्ष 2022 तक राज्यों द्वारा स्वास्थ्य व्यय को अपने बजट के 8% से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिये।
- चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर-राज्यीय असमानता को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2 ए के तहत परिकल्पित है।
- 15वें वित्त आयोग में सभी स्तरों पर चिकित्सा सेवाओं की पूरी जाँच कर सुधार और संबद्ध स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये भी धन आवंटित किया गया।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा:

- केंद्र सरकार भारत की लोक लेखा निधि के अंतर्गत एक गैर-व्यपगत निधि तथा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा हेतु एक आधुनिकीकरण कोष (MFDIS) का गठन भी कर सकती है।

नोट :

आपदा जोखिम प्रबंधन

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर शमन निधियों का निर्माण करना।
  - फंड का उपयोग उन स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों के लिये किया जाना चाहिये जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण अनुकूल आवासों तथा आजीविका उपायों को बढ़ावा देते हैं।
- प्राथमिक क्षेत्रों को निधि प्रदान करना: 15वें वित्त आयोग ने कुछ प्राथमिक क्षेत्रों के लिये निधि का आवंटन भी निर्धारित किया है, जैसे:
  - अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को निधि का आवंटन करना।
  - 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों को उत्प्रेरक सहायता, 10 पहाड़ी राज्यों में भूकंपीय और भूस्खलन जोखिमों का प्रबंधन, 7 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने और कटाव को रोकने के उपायों के लिये राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (NDMF) को धनराशि प्रदान करना।

अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) को अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार (Unsolicited Commercial Communications- UCC) पर अंकुश लगाने हेतु न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी किये गए विनियमन के 'पूर्ण और सख्त' कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

- UCC का अर्थ ऐसे किसी भी वाणिज्यिक संचार से है, जिसका चयन स्वयं ग्राहक द्वारा नहीं किया जाता है, हालाँकि इसके दायरे में ट्रांज़ेकशन संदेश और केंद्र या राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत एजेंसियों के निर्देश पर प्रेषित कोई भी संदेश शामिल नहीं होता है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- एक कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी कि उसके लाखों ग्राहकों को मोबाइल नेटवर्क को लेकर फिशिंग गतिविधियों (Phishing Activities) और दूरसंचार कंपनियों की विफलता के कारण धोखा दिया गया है जिसे रोकने के लिये कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा प्रतिष्ठित को नुकसान हुआ है।
  - कंपनी द्वारा यह दावा किया गया कि नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहक को डेटा तक पहुँच प्रदान करने से पहले उनके साथ पंजीकरण (जिसे पंजीकृत टेलीकॉम या RTMs कहा जाता है) की आवश्यकता होती है।
  - फिशिंग एक साइबर अपराध (Cybercrime) है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से ईमेल, टेलीफोन या संदेश द्वारा पहचान योग्य जानकारी, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड विवरण तथा पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा प्रदान करने के लिये एक वैध संस्था के रूप में लक्षित से संपर्क किया जाता है।
  - याचिका में दलील दी गई कि टेलीकॉम कंपनियाँ अनचाही कमर्शियल कम्यूनिकेशन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिवेंशंस रेगुलेशन (Telecom Commercial Communications Customer Preferences Regulations- TCCCPR) 2018 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रही हैं।

उच्च न्यायालयों का निर्देशन:

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के लिये:
  - UCC पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये TRAI द्वारा वर्ष 2018 में जारी विनियमन का "पूर्ण और सख्त" कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

नोट :

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिये (TSPs):
  - TRAI द्वारा जारी TCCCPR 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिवेंशंस रेगुलेशन (TCCCPR) 2018

- TCCCPR द्वारा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2010 (Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 को विस्थापित किया गया है ।
- इसे TRAI द्वारा भारत में 'अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार' (UCC) को विनियमित करने के उद्देश्य से एक संशोधित नियामक ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।
- नए नियामक ढाँचे ने प्रदाताओं तक पहुँचने के लिये नियंत्रण और नियामक शक्तियों को विकसित किया है, जिन्हें अब UCC की समस्या से निपटने हेतु अपने स्वयं के कोड ऑफ प्रैक्टिस (Codes of Practice- CoPs) को स्थापित करने की आवश्यकता है।
- यह ग्राहकों की प्राथमिकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसे संचार को सुगम बनाने और प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सक्षम बनाने हेतु डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (Distributed Ledger Technology- DLT) का उपयोग कर उचित समय पर लागू किया जाना है।
- यह शिकायतों से निपटने के लिये क्लाउड-आधारित समाधानों का उपयोग, हेडर और प्रेफेरेंस के पंजीकरण तथा वाणिज्यिक संचार पारिस्थितिकी तंत्र में संस्थाओं के मध्य भूमिकाओं के स्वत:-आवंटन हेतु स्मार्ट अनुबंधों के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है।
  - TRAI की देख-रेख में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandboxes) में प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

परिवार पहचान-पत्र और निजता संबंधी चिंताएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान-पत्र (Parivar Pehchan Patra- PPP) योजना को लेकर निजता से संबंधित कुछ मुद्दे सामने आए हैं।

- यद्यपि योजना के तहत नामांकन कराना स्वैच्छिक है, लेकिन विभिन्न आवश्यक सेवाओं का लाभ पाने के लिये इस योजना से जुड़े होने की पूर्व शर्त के चलते योजना को लेकर इस प्रकार के मुद्दे सामने आए हैं।

प्रमुख बिंदु

वर्तमान मुद्दा:

- विवादास्पद स्थिति: भले ही इस योजना के तहत नामांकन कराना स्वैच्छिक है लेकिन यदि कोई नागरिक अथवा परिवार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही किसी सेवा का लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिये परिवार पहचान-पत्र की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की शर्त योजना में नामांकन कराने अथवा न कराने के संदर्भ में राज्य के निवासियों को न के बराबर विकल्प प्रदान करती है।
- डेटा का दुरुपयोग: भारत में गोपनीयता कानूनों की अनुपस्थिति या PPP को तैयार करने हेतु जिन मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जा रहा है उनमें डेटा सुरक्षा से संबंधित निर्देशों की अनुपस्थिति के चलते इस समग्र प्रक्रिया में एकत्रित डेटा के दुरुपयोग की संभावनाएँ प्रबल हो जाती हैं।
  - इसके अलावा इस योजना के लिये जितनी अधिक मात्रा में जानकारी/डेटा की मांग की जा रही है, वह एक विशेष सेवा की उपलब्धता हेतु आवश्यक डेटा से अधिक है।

परिवार पहचान-पत्र (Parivar Pehchan Patra- PPP) योजना:

- पृष्ठभूमि: राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, सेवाओं और लाभों की 'पेपरलेस' और 'फेसलेस' उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में PPP योजना की औपचारिक शुरुआत की थी।

नोट :

- इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई/यूनिट माना जाता है तथा उन्हें 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है जिसे पारिवारिक ID कहा जाता है।
- पारिवारिक ID छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी स्वतंत्र योजनाओं से भी जुड़ी होती है, ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- यह विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वचालित चयन को भी सक्षम बनाता है।

- उद्देश्य: परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।

PPP के लाभ:

- परिवार एक इकाई के रूप में: केंद्र सरकार के आधार कार्ड में व्यक्तिगत विवरण होता है और यह पूरे परिवार को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है।
  - हालाँकि राशन कार्ड प्रणाली भी प्रचलन में है लेकिन यह अद्यतन नहीं है और इसमें परिवार के बारे में पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध नहीं होती है।
- सेवाओं का बाधा रहित वितरण: हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड और जन्म, मृत्यु, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र आदि सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का वितरण PPP के माध्यम से किया जा रहा है।
- प्रवासी श्रमिकों के लिये उपयोगी: PPP योजना के तहत उन लोगों को भी पंजीकरण ID प्रदान की जाती है जो हरियाणा में रहते हैं लेकिन राज्य के निवासी के रूप में आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
  - यह प्रवासी श्रमिकों के लिये विभिन्न लाभों जैसे- उचित मूल्य की दुकानों से राशन, विभिन्न श्रमिक योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ, स्ट्रीट वेंडर के सहायतार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आदि प्रदान करने में राज्य सरकार को सक्षम बनाता है।

पीपीपी बनाम आधार

- आधार एक व्यक्ति को इकाई को रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि PPP एक परिवार को इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ PPP आधार से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकारों द्वारा चलाई जा रही अधिकाँश योजनाएँ परिवारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं, न कि व्यक्ति को।
  - उदाहरण के लिये राशन कार्ड एक परिवार हेतु उपलब्ध होता है लेकिन परिवार विभिन्न सदस्यों (18 वर्ष से अधिक आयु होने पर) में विभाजित हो सकता है और यह कहा जा सकता है कि वे अलग हैं तथा सभी व्यक्तियों के अधिकार भी अलग-अलग हैं।

आगे की राह

- PPP को धोखाधड़ी वाले लेन-देन पर रोक लगाने और स्वामित्व को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भूमि और संपत्तियों के सरकारी डेटाबेस रिकार्ड्स से भी जोड़ा जा सकता है।
- इसके अलावा योजना और इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये सरकार एक सामूहिक अभियान शुरू कर सकती है।
- सरकार को परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना के तहत एकत्र किये जा रहे डेटा की सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु भी उपाय करने चाहिये।

निजता का अधिकार और वैध राजकीय हित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि यद्यपि निजता के अधिकार को एक अक्षय मौलिक अधिकार माना जाता है, परंतु वैध राजकीय हितों के लिये लोगों को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

- केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया एक याचिका के जवाब के दौरान आई है जिसमें केंद्र की निगरानी परियोजनाओं- सेंट्रलाइज्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (CMS), नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस (NETRA) और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की गई थी।

नोट :

केंद्र की निगरानी परियोजनाएँ

- केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (Centralized Monitoring System):
  - सरकार द्वारा मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल फोन, लैंडलाइन और इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी के लिये एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (CMS) की स्थापना की गई है।
- नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस (Network Traffic Analysis):
  - नेत्र (Network Traffic Analysis- NETRA) एक ऐसा ही प्रयास है जो भारत सरकार द्वारा नेटवर्क में भेजे जा रहे संदेशों में से संदेहास्पद शब्दों को फिल्टर करने के लिये संचालित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (National Intelligence Grid):
  - नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 2009 में प्रस्तुत की गई थी।
  - इसका उद्देश्य किसी संदिग्ध के टेलीफोन विवरण, बैंकिंग एवं आव्रजन प्रवेश तथा निकास से संबंधित डेटाबेस तक पहुँचने हेतु सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों के लिये एकल बिंदु समाधान की स्थापना करना है।

प्रमुख बिंदु:

याचिकाकर्त्ता का तर्क:

- सरकार की निगरानी परियोजनाएँ सरकारी अधिकारियों को गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए टेलीफोन और इंटरनेट संचार डेटा को इंटरसेप्ट, स्टोर, विश्लेषण तथा अपने पास सुरक्षित रखे रहने हेतु सक्षम बनाती हैं।
- यह प्रणाली सरकार को सभी नागरिकों की व्यापक (360 डिग्री) निगरानी की अनुमति देती है, जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं।
- इस याचिका में टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और आईटी अधिनियम, 2000 के तहत जारी इंटरसेप्शन तथा निगरानी आदेशों या वारंटों को अधिकृत करने एवं उनकी समीक्षा हेतु एक स्थायी व स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकरण (न्यायिक या संसदीय) के गठन की मांग की गई है।

सरकार का तर्क:

- एक कंप्यूटर में संग्रहीत किसी भी संदेश या सूचना के वैध इंटरसेप्शन, निगरानी या डिक्रिप्शन को प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रत्येक मामले में सक्षम अधिकारी के उचित अनुमोदन के बाद संचालित किया जाता है।
  - इंटरसेप्शन, निगरानी या डिक्रिप्शन के लिये किसी भी एजेंसी को पूरी तरह से छूट नहीं है; और इसके लिये सक्षम अधिकारी (केंद्रीय गृह सचिव) से अनुमति लेना आवश्यक है।
- सरकार ने यह तर्क दिया गया कि केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति के रूप में निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है, जो यह जाँच करती है कि इंटरसेप्शन व निगरानी की स्वीकृति कानून के अनुसार दी गई है या नहीं।
  - यदि किसी मामले में समीक्षा समिति यह पाती है कि निर्देश निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं, तो यह निर्देश को रद्द करते हुए इंटरसेप्ट किये गए संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दे सकती है।
- सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आतंकवाद, कट्टरता, सीमा पार आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध, ड्रग तस्करों के समूह से देश को होने वाले गंभीर खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस सहित कार्रवाई के साथ आसूचना का समय पर एवं त्वरित संग्रह करने हेतु एक मज़बूत तंत्र का होना बहुत आवश्यक है।

निजता का अधिकार:

परिचय:

- आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता अकेला छोड़ दिये जाने के अधिकार (Right to Be Left Alone) का पर्याय है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय मंज गोपनीयता और उसके महत्त्व को वर्णित किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है और इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिये गए निर्णय शामिल हैं।

नोट :

- निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।

प्रतिबंध (निर्णय में वर्णित):

- इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जब वे निम्नलिखित तीन परीक्षणों को पास करते हों :
  - पहला, ऐसी राजकीय कार्रवाई के लिये एक विधायी जनादेश होना चाहिये;
  - दूसरा, इसे एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना चाहिये;
  - तीसरा, यह यथोचित होनी चाहिये, अर्थात् ऐसी राजकीय कार्रवाई- प्रकृति और सीमा में समानुपाती होनी चाहिये, एक लोकतांत्रिक समाज के लिये आवश्यक होनी चाहिये तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सबसे कम अंतर्वेधी होनी चाहिये।

निजता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019:

- विधेयक भारत और विदेश में सरकार तथा निजी एंटिटीज़ (डेटा फिड्यूशरीज़) द्वारा लोगों के निजी डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करता है। व्यक्ति की सहमति पर या आपात स्थिति में अथवा सरकार द्वारा लाभ वितरण हेतु प्रोसेसिंग की अनुमति है।

बी.एन. श्रीकृष्ण समिति:

- डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिये एक फ्रेमवर्क की सिफारिश किये जाने हेतु जुलाई 2017 में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिये होने वाले कुछ डेटा उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान करता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने से संबंधित प्रावधान हैं।

रोहिणी आयोग और OBC उप-श्रेणीकरण

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उप-श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया है।

- रोहिणी आयोग का गठन अक्तूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 12 सप्ताह का समय दिया गया था, हालाँकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान के लिये एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति/गठन कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

OBC के उप-श्रेणीकरण के लिये समिति की आवश्यकता:

- समानता सुनिश्चित करने के लिये:
  - इस आयोग का गठन केंद्रीय OBC सूची में मौजूद 5000 जातियों को उप-वर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था।
    - नियम के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।
    - उप-श्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उत्पन्न होती है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27 प्रतिशत आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है।

नोट :

- उप-श्रेणीकरण से केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NBFC) की सिफारिशें:
  - ध्यातव्य है कि सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) ने OBC को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों जैसी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने की सिफारिश की थी।
  - OBC आरक्षण के लाभ का अधिकांश हिस्सा प्राय: प्रभावशाली OBC समूहों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसलिये OBC के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिये उप-कोटे को मान्यता देना अति आवश्यक है।
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NBFC) के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और उनसे संबंधित कल्याणकारी उपायों के क्रियान्वयन की जाँच करने का अधिकार है।

आयोग के विचारार्थ विषय (ToR)

- असमानता की जाँच करना: केंद्रीय OBC सूची में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण तथा उनकी सीमा की जाँच करना।
- मापदंडों का निर्धारण: OBC के भीतर उप-वर्गीकरण के लिये वैज्ञानिक तरीके से एक आवश्यक तंत्र और मापदंडों का निर्धारण करना।
- वर्गीकरण: उप-वर्गीकरण के दायरे में आने वाली जातियों या समुदायों या उप-जातियों की पहचान करना और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करना।
- मौजूदा त्रुटियों को समाप्त करना: OBC की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगति तथा वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटी में सुधार करने के संदर्भ में सलाह देना।

समिति के समक्ष चुनौतियाँ

- आँकड़ों की कमी:
  - केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालय में प्रवेश में विभिन्न OBC समुदायों के प्रतिनिधित्व तथा उन समुदायों की आबादी की तुलना करने के लिये आवश्यक डेटा की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- सर्वेक्षण में देरी:
  - वर्ष 2021 की जनगणना OBC से संबंधित डेटा एकत्र करने को लेकर घोषणा की गई थी, हालाँकि इस संबंध में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

आयोग द्वारा अब तक की गई जाँच

- वर्ष 2018 में, आयोग ने पिछले पाँच वर्ष में OBC कोटा के तहत दी गई केंद्र सरकार की 1.3 लाख नौकरियों का विश्लेषण किया था।
- आयोग ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, IIM और AIIMS समेत विभिन्न केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में OBC प्रवेशों से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण किया था। आयोग के मुताबिक,
  - OBC के लिये आरक्षित सभी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97 प्रतिशत हिस्सा OBC के रूप में वर्गीकृत सभी उप-श्रेणियों के केवल 25 प्रतिशत हिस्से को प्राप्त हुआ।
  - उपरोक्त नौकरियों और सीटों का 24.95 प्रतिशत हिस्सा केवल 10 OBC समुदायों को प्राप्त हुआ।
  - नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 983 OBC समुदायों (कुल का 37%) का प्रतिनिधित्व शून्य है।
  - विभिन्न भर्तियों एवं प्रवेश में 994 OBC उप-जातियों का कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68% का प्रतिनिधित्व है।
- वर्ष 2019 के मध्य में आयोग ने यह सूचित किया कि उसकी मसौदा रिपोर्ट (उप-वर्गीकरण पर) तैयार है। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि इस रिपोर्ट के वृहद् राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं और इसे न्यायिक समीक्षा का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिये इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है।

नोट :

केंद्र सरकार में OBC भर्ती (वर्ष 2020 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा NCBC को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर):

- 42 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:
  - केंद्र सरकार की सेवाओं के तहत ग्रुप A में 16.51 %
  - केंद्र सरकार की सेवाओं के तहत ग्रुप B में 13.38 %
  - ग्रुप C में 21.25 % (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)
  - ग्रुप C 17.72 % (सफाई कर्मचारी)
- NFS के संबंध में:
  - NCBC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, OBC के लिये आरक्षित कई पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती की गई क्योंकि OBC उम्मीदवारों को "NFS" यानी None Found Suitable (कोई भी उपयुक्त नहीं मिला) घोषित किया गया था।
- क्रीमी लेयर में संशोधन:
  - OBC के लिये क्रीमी लेयर हेतु आय सीमा में संशोधन भी अभी तक विचाराधीन है।

नोट:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण पर भी इसी प्रकार की कानूनी बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है, जिसे आमतौर पर SC और ST के लिये "कोटा के अंतर्गत कोटा" (Quota within Quota) कहा जाता है।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वृद्धि: एडीआर

चर्चा में क्यों ?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms- ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2010 से वर्ष 2019 के बीच भारत में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है।

- ADR नई दिल्ली स्थित एक भारतीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल:

- नव पंजीकृत राजनीतिक दल या या ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिये विधानसभा या आम चुनावों में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं किये हैं, या जिसने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त दल माना जाता है।
  - ऐसी पार्टियों को मान्यता प्राप्त पार्टियों को दिये जाने वाले सभी लाभ नहीं प्राप्त होते हैं।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल:

- एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् राष्ट्रीय या राजकीय दल बन सकता है।
- राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी बनने के लिये एक राजनीतिक दल को पिछले/आखिरी चुनाव के दौरान मान्य वोटों का एक निश्चित न्यूनतम मतदान प्रतिशत या राज्य विधानसभा अथवा लोकसभा में कुछ सीटों की संख्या को सुरक्षित करना होता है।
- राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा दी गई मान्यता उन्हें प्रतीकों के आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिये समय का प्रावधान तथा मतदाता सूची तक पहुँच जैसे कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है।
- निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश:
  - भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 'पार्टी फंड एवं चुनाव व्यय में पारदर्शिता तथा जवाबदेही, गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण' पर दिशा-निर्देश जारी किये गए थे, जो 1 अक्तूबर, 2014 से सभी राजनीतिक दलों पर लागू होते हैं।

नोट :

- आवश्यक दिशा-निर्देश:
  - सभी गैर-मान्यता प्राप्त दलों को संबंधित राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में अपनी अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  - जनता द्वारा देखे जाने के लिये वार्षिक लेखा परीक्षण खातों, योगदान रिपोर्ट और चुनाव खर्च के विवरण की स्कैन की गई प्रतियाँ प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर संबंधित राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।

रिपोर्ट में शामिल प्रमुख तथ्य:

- राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि:
  - भारत के चुनाव आयोग में 2,360 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और उनमें से 97.50% गैर-मान्यता प्राप्त हैं।
  - वर्ष 2010 के 1,112 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों की संख्या बढ़कर वर्ष 2019 में 2,301 हो गई।
- राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ दान:
  - वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये कुल 2,301 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 78 या 3.39% की योगदान रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

ADR के सुझाव:

- वर्ष 2016 में 255 दलों को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि या तो उनका कोई अस्तित्व नहीं था या वे सक्रिय नहीं थे।
  - यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये, ताकि उन सभी राजनीतिक दलों को हटाया जा सके जो 5 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी चुनाव न शामिल हों, साथ ही इसका प्रयोग पंजीकरण प्रक्रिया को मज़बूत करने के एक माध्यम के रूप में किया जाना चाहिये।
- मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं और धन शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिये राजनीतिक दलों के पंजीकरण का विनियमन महत्त्वपूर्ण है।
  - अत: भारतीय निर्वाचन आयोग को ऐसे दलों (जो नियमों का पालन करने में विफल होते हैं) को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने हेतु कड़े कदम उठाने के अलावा एक राजनीतिक दल के रूप में व्यक्तियों के संघ के पंजीकरण हेतु सख्त मानदंड लागू किया जाना चाहिये।
- गैर-मान्यता प्राप्त दलों की आयकर की जाँच की जानी चाहिये, विशेषकर उन लोगों की जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, परंतु स्वैच्छिक योगदान की प्राप्ति की घोषणा करते हैं।

असम का जेरेंगा पोथर और ढेकियाजुली टाउन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में दो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया है।

- पहला ऐतिहासिक स्थान असम के शिवसागर का जेरेंगा पोथर है, जहाँ 17वीं शताब्दी में अहोम राजकुमारी जॉयमती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था।
- दूसरा ऐतिहासिक स्थान असम का ढेकियाजुली टाउन है, जो कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

जेरेंगा पोथर

- शिवसागर शहर का एक खुला मैदान जेरेंगा पोथर, 17वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जॉयमती की वीरता के लिये काफी लोकप्रिय है।
  - पूर्व में रंगपुर के नाम से प्रसिद्ध, शिवसागर शक्तिशाली अहोम वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने छह शताब्दियों (1228-1826) तक असम पर शासन किया था।
  - अहोम राज्य वंश की स्थापना छो लुंग सुकफा ने की थी।
- वर्ष 1671 से वर्ष 1681 तक अहोम साम्राज्य राजनैतिक उथल-पुथल के दौर से गुज़र रहा था, इसी समय अहोम साम्राज्य के राजकुमार गोदापानी (जॉयमती के पति) दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने से पूर्व ही नागा हिल्स भाग गए थे।

नोट :

- हालाँकि राजकुमार गोदापानी के दुश्मनों ने उनकी पत्नी राजकुमारी जॉयमती को इस उम्मीद में पकड़ लिया कि वह राजकुमार गोदापानी के ठिकाने का पता बता देगी, लेकिन कई दिनों तक एक खुले मैदान में कांटेदार पौधे से बाँधे जाने और यातना के बावजूद राजकुमारी जॉयमती ने दुश्मनों को किसी भी प्रकार की सूचना देने से इनकार कर दिया।
- अंतत: उन्होंने पति के लिये अपने जीवन का बलिदान कर दिया, राजकुमार गोदापानी असम के राजा बने और असम में स्थिरता और शांति के युग की शुरुआत हुई।
  - राजकुमारी जॉयमती की मृत्यु शिवसागर शहर के जेरेंगा पोथर मैदान में हुई थी।
- स्थान का महत्त्व
  - जेरेंगा पोथर स्वयं में एक संरक्षित पुरातात्त्विक स्थल नहीं है, हालाँकि इसके आसपास के क्षेत्र में कई संरक्षित स्थल हैं, इसके पूर्व में ना पुखुरी टैंक स्थित है, जबकि पश्चिम में पोहु गढ़ है, जिसे अहोम युग के दौरान बनाया गया एक प्राकृतिक चिड़ियाघर है।
  - इसके पास ही एक बड़ा जोयसागर तालाब है, जिसे वर्ष 1697 में अहोम राजा स्वर्गदेव रूद्र सिंहा ने बनवाया था, साथ ही यहाँ विष्णु डोल मंदिर भी है।
  - वर्ष 2017 में इस क्षेत्र का उपयोग शीर्ष और प्रभावशाली साहित्यिक निकाय, असम साहित्य सभा के शताब्दी समारोह के लिये भी किया गया था।

ढेकियाजुली टाउन

- कई जानकार मानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद संभवत: असम के ढेकियाजुली टाउन से ही थे।
- 20 सितंबर, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में असम के स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूसों ने असम के कई शहरों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों तक मार्च का आह्वान किया था।
- 'मृत्यु बाहिनी' के नाम से प्रसिद्ध इन समूहों में महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की व्यापक भागीदारी रही और ये लोग औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले पुलिस स्टेशनों पर तिरंगा फहराने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे।
- हालाँकि ब्रिटिश प्रशासन ने उन लोगों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया, जिसमें अकेले ढेकियाजुली टाउन में कम-से-कम 15 लोगों की गोली से मृत्यु हो गई, इनमें तीन महिलाएँ थीं, जिसमें 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ भी शामिल थीं।
  - तिलेश्वरी बरुआ को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक के रूप में जाना जाता है।
  - यही कारण है कि ढेकियाजुली टाउन में 20 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ओडिशा का सीमा विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य तब फिर से सीमा विवाद उत्पन्न हो गया जब आंध्र प्रदेश द्वारा ओडिशा के कोरापुट ज़िले में कोटिया पंचायत (Kotia Panchayat) के तीन गाँवों में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

ओडिशा के साथ सीमा विवाद:

- ओडिशा को 1 अप्रैल, 1936 को बंगाल-बिहार-ओडिशा प्रांत से अलग किया गया था, लेकिन दोनों के मध्य अंतर-राज्य सीमा विवाद आज भी जारी है।
- ओडिशा राज्य के 30 ज़िलों में से 8 ज़िलों की पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद की स्थिति बनी हुई है।
- 30 में से 14 ज़िले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमाएँ साझा करते हैं, हालाँकि आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे कोरापुट ज़िले के कोटिया पंचायत के गाँवों को लेकर उत्पन्न विवाद एकमात्र प्रमुख सीमा विवाद है।

नोट :

कोटिया विवाद के बारे में:

- वर्ष 1960 के बाद से कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रीय क्षेत्रीय गतिरोध बना हुआ है। विवाद में कोटिया ग्राम पंचायत के 21 से अधिक गाँव शामिल हैं।
- कोटिया पंचायत के निवासियों को ओडिशा के कोरापुट ज़िले के पोट्टंगी ब्लॉक और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले में सालुर ब्लॉक दोनों से लाभ प्राप्त होता है और वे अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिये दोनों ब्लॉकों पर निर्भर हैं।

आंध्र प्रदेश के साथ जल विवाद:

- वर्ष 2006 में ओडिशा ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी वंसधारा (Inter-State River Vamsadhara) से संबंधित आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे अपने जल विवादों के बारे में एक शिकायत दर्ज की।

अन्य राज्यों के साथ विवाद:

- पश्चिम बंगाल:
  - ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच बालासोर ज़िले में 27 भूखंडों और ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद है।
  - मयूरभंज ज़िला अपने लौह अयस्क भंडार और छऊ नृत्य (एक आदिवासी नृत्य जिसमें नर्तकियाँ रंगीन मुखौटे पहनती हैं) के लिये जाना जाता है।
- झारखंड:
  - ओडिशा और झारखंड के बीच सीमा विवाद बैतरणी नदी (Baitarani River) के मार्ग परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है।
    - बैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर ज़िले की पहाड़ी शृंखला से निकलती है।
    - यह प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
    - इस नदी के जलग्रहण क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओडिशा राज्य में तथा ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा झारखंड राज्य में आता है।
- छत्तीसगढ़:
  - छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा के नबरंगपुर और झारसुगुड़ा ज़िलों से संबंधित गाँवों का विवाद है।
  - वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (Mahanadi Water Disputes Tribunal) का गठन किया गया था।

आगे की राह:

- अंतर्राज्यीय संवाद (Inter State Dialogues) अंतर्राज्यीय परिषद (Inter State Councils) और अधिकरण में विचार-विमर्श तथा इस प्रकार के विवादों को सुलझाने हेतु सहकारी संघवाद की भावना को अपनाने की आवश्यकता है।

न्यायिक निर्णयों का आर्थिक प्रभाव

चर्चा में क्यों

हाल ही में नीति आयोग ने अनुसंधान संगठन 'उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसायटी (Consumer Unity and Trust Society-CUTS) अंतर्राष्ट्रीय' को न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों के 'आर्थिक प्रभाव' तथा 'न्यायालयों व न्यायाधिकरणों की 'न्यायिक सक्रियता' पर एक अध्ययन करने के लिये कहा है।

- न्यायिक सक्रियता: इसका तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिये बाध्य करने हेतु निभाई गई मुखर भूमिका से है। इसे "न्यायिक गतिशीलता" के रूप में भी जाना जाता है। यह "न्यायिक संयम" के बिल्कुल विपरीत है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा आत्म-नियंत्रण बनाए रखना।

नोट :

प्रमुख बिंदु

संगठन का संचालन:

- यह अध्ययन जयपुर-मुख्यालय CUTS (उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसायटी) सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन द्वारा किया जाना है, जिसकी उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
- यह एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त, गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण, गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो सामाजिक न्याय तथा आर्थिक इक्विटी की सीमा के भीतर और इसके अलावा भी उसका अनुसरण करता है।

उद्देश्य:

- अध्ययन का उद्देश्य "न्यायपालिका को उसके द्वारा दिये गए निर्णयों के आर्थिक प्रभाव के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु विवरण प्रदान करना है।"
- इसका एक उद्देश्य निर्णयों के आर्थिक प्रभाव का लागत-लाभ विश्लेषण करना भी है।

परियोजनाओं का अध्ययन:

- इसका प्रयोजन सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) के न्यायिक निर्णयों द्वारा "प्रभावित" पाँच प्रमुख परियोजनाओं का अध्ययन करना है।
  - विश्लेषण की जाने वाली परियोजनाओं में गोवा के मोपा में एक हवाई अड्डे का निर्माण, गोवा में लौह अयस्क खनन पर रोक और तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टारलाइट कॉपर प्लांट को बंद करना शामिल है।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेत खनन और निर्माण गतिविधियों से संबंधित NGT के अन्य फैसले हैं।

प्रक्रिया:

- यह परियोजना के बंद होने के कारण प्रभावित लोगों, पर्यावरणविद, विशेषज्ञों के साक्षात्कार साथ-साथ बंदी के व्यावसायिक आकलन की योजना बना रहा है।

महत्त्व:

- निर्णयों का उपयोग वाणिज्यिक न्यायालयों, NGT, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये एक प्रशिक्षण इनपुट के रूप में किया जाएगा।
- यह अपने निर्णयों में "न्यायपालिका द्वारा आर्थिक रूप से ज़िम्मेदार दृष्टिकोण" को बढ़ावा देने के लिये नीति निर्माताओं के बीच सार्वजनिक संवाद में योगदान देगा।
- यह अध्ययन नीति आयोग द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना का भी एक हिस्सा है जिसके तहत वह एक न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक स्थापित करना चाहता है, जो ज़िला न्यायालयों और अधीनस्थ स्तरों पर न्यायाधीशों के प्रदर्शन को मापेगा।

पूर्व अध्ययन:

- वर्ष 2017 में CUTS अंतर्राष्ट्रीय ने किसी भी राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आर्थिक प्रभाव पर एक मूल्यांकन अध्ययन भी किया था।
- अध्ययन से पता चलता है कि जिन मामलों में पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक आयाम शामिल हैं, उनका आकलन करने के लिये विस्तार से यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या वे पूर्व की तरह लागू करने के योग्य हैं और क्या अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की परिकल्पना की गई है।
- ऐसा तब किया जा सकता है जब न्यायालयों ने इन पहलुओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समितियों का गठन किया हो और जो निर्णय सुनाए जाने से पहले लागत/लाभों का विश्लेषण करने के लिये अर्थशास्त्रियों को संलग्न कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मामलों के लिये ऐसे विशेषज्ञ समूह समितियों की स्थापना की थी जैसे- वर्ष 2014 में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति और वर्ष 2015 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India- BCCI) के भीतर सुधारों हेतु जस्टिस लोढ़ा समिति का गठन।

नोट :

कुरुबा समुदाय: कर्नाटक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्नाटक में कुरुबा समुदाय द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में समुदाय के लोगों द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कि राज्य सरकार कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजे।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- देश की स्वतंत्रता के बाद से ही कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त था। परंतु वर्ष 1977 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एल.जी. हावनूर ने कुरुबा समुदाय को एसटी सूची से 'अति पिछड़ा वर्ग' की श्रेणी शामिल कर दिया।
- हालाँकि आयोग ने इसमें एक क्षेत्र विशेष की शर्त भी जोड़ दी और कहा कि बीदर, यादगीर, कालाबुरागी तथा मदिकेरी क्षेत्र में कुरुबा समानार्थी शब्द के साथ रहने वाले लोग एसटी श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं।

कुरुबा समुदाय का संक्षिप्त परिचय:

- कर्नाटक का कुरुबा समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है।
- वर्तमान में कुरुबा समुदाय की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 9.3% है और ये पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
- कुरुबा कर्नाटक में लिंगायत, वोक्कालिगा और मुसलमानों के बाद चौथी सबसे बड़ी जाति है।
- अन्य राज्यों में कुरुबा को अलग-अलग नामों से जाना जाता है - जैसे महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी या राईका, राजस्थान में देवासी और हरियाणा में गडरिया।

संबंधित मुद्दे:

- लिंगायत समुदाय की मांगें: तीन वर्ष पहले कर्नाटक में लिंगायत समुदाय ने एक अलग अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता दिये जाने की मांग की थी।
  - लिंगायत उप-पंथ पंचमासाली से जुड़े लोगों ने भी अपने समुदाय को पिछड़ा वर्ग की 2A श्रेणी में शामिल किये जाने की मांग की है, जिसके तहत पिछड़ी जातियों को वर्तमान में 15% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग:
  - न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग का गठन एससी समुदाय के लिये मौजूदा आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने और एसटी के लिये इसे 3% से 7% तक किये जाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिये किया गया था जिससे उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1992 के निर्णय के अनुसार, यह कुल 50% आरक्षण कोटे से अधिक न होने पाए।
    - अगर कुरुबा को उनकी मांग के अनुसार एसटी घोषित किया जाता है, तो एसटी कोटे को भी आनुपातिक रूप से बढ़ाना होगा।
- चुनौतियाँ:
  - सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कर्नाटक राज्य पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा तक पहुँच चुका है और इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि एक बड़ी चुनौती होगी।

कर्नाटक में वर्तमान आरक्षण कोटा:

- कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1992 के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया है, इसके तहत पिछड़े वर्गों के लिये 32% आरक्षण निर्धारित है, जिनमें मुस्लिम, ईसाई और जैन शामिल हैं, एससी के लिये 15% और एसटी के लिये 3% आरक्षण निर्धारित है।
- इस आरक्षण कोटे को आगे कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी 1 (4%), श्रेणी 2 ए (15%), श्रेणी 2 बी (4%), श्रेणी 3 ए (4%), श्रेणी 3 बी (5%), एससी (15%) और एसटी (3%)।

नोट :

अनुसूचित जनजाति:

परिचय:

- अनुच्छेद 366 (25): अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है, जिन्हें भारतीय संविधान के प्रयोजन के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।"
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया है।
- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित होती है, ऐसे में एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित एक समुदाय को दूसरे राज्य में भी यह दर्जा प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है।

मौलिक विशेषताएँ:

- किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किये जाने के मानदंडों के संदर्भ में संविधान में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। हालाँकि अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करने वाले कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं:
  - पिछड़ापन/आदिमता (Primitiveness)
  - भौगोलिक अलगाव (Geographical Isolation)
  - संकोची स्वभाव (Shyness)
  - सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups -PVTG)

- देश में कुछ ऐसी जनजातियाँ (कुल ज्ञात 75) हैं जिन्हें 'विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups -PVTG) के रूप में जाना जाता है, इन समूहों को (i) पूर्व-कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी, (ii) स्थिर या घटती जनसंख्या, (iii) बेहद कम साक्षरता और (iv) आर्थिक निर्वाह स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

राजद्रोह कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक राजनीतिक नेता और छह वरिष्ठ पत्रकारों को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलो में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु:

- राजद्रोह कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था, उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।
  - इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड सहिता (Indian Penal Code- IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामिल नहीं किया गया।
  - सर जेम्स स्टीफन को वर्ष 1870 में स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिये एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता महसूस हुई। अत: उन्होंने धारा 124A को भारतीय दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1870 के अंतर्गत IPC में शामिल किया।
  - यह उस समय उत्पन्न किसी भी प्रकार के असंतोष को दबाने हेतु लागू कई कठोर/सख्त कानूनों में से एक था।
  - वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

नोट :

राजद्रोह से जुड़े चर्चित मुद्दे

- महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक- 1897

शायद इतिहास में राजद्रोह के सबसे प्रसिद्ध मामले औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ही रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बाल गंगाधर तिलक पर दो बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1897 में जब उनके एक भाषण ने कथित तौर पर अन्य लोगों को हिंसक व्यवहार के लिये उकसाया और जिसके परिणामस्वरूप दो ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद वर्ष 1909 में जब उन्होंने अपने अखबार केसरी में एक सरकार विरोधी लेख लिखा।

- केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य- 1962

यह मामला स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला मुकदमा था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने देश और देश की सरकार के मध्य के अंतर को भी स्पष्ट किया। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदार नाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाएगा।

- असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य- 2012

विवादास्पद राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्त्ता, असीम त्रिवेदी जो अपने भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान (कार्टून्स अगेंस्ट करप्शन) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, को वर्ष 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके कई सहयोगियों का मानना था कि असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह का आरोप भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के कारण ही लगाया गया है।

- वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।
  - धारा 124A IPC:
    - भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार, राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। इस कानून में राजद्रोह के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को शामिल किया जाता है।
    - विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।
  - राजद्रोह के लिये दंड:
    - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
    - इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है।
    - आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होगा, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे अदालत में पेश होना ज़रूरी है।
- राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1950 में बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामलों में दिये गए अपने निर्णयों में देशद्रोह पर प्रकाश डाला गया था।
    - इस मामले में न्यायालय ने माना कि वे कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस आधार पर प्रतिबंधित करते हैं कि उनके कारण सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है, असंवैधानिक होंगे।
    - न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का अर्थ राज्य की नींव को खतरे में डालने या विधि द्वारा स्थापित सत्ता को चुनौती देना होगा।
    - इस प्रकार इन निर्णयों ने प्रथम संविधान संशोधन का आधार निर्मित किया, जहाँ अनुच्छेद 19(2) को 'सार्वजनिक व्यवस्था के हित में' प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से दोबारा संशोधित किया गया था।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना निर्णय दिया।
    - इसने देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिये उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया।

नोट :

- देशद्रोह की परिभाषा से सरकार की आलोचना करने वाले "प्रभावशाली भाषणों" (Very Strong Speech) या 'असरदार शब्दों' (Vigorous Words) को बाहर कर दिया गया।

◆ सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में उन नारेबाज़ी की घटनाओं को देशद्रोह की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिनके विरुद्ध सार्वजनिक प्रतिक्रिया न व्यक्त की गई हो।

- धारा 124A के समर्थन में तर्क:
  - ◆ IPC की धारा 124A राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से निपटने में उपयोगी है।
  - ◆ यह धारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाती है। विदित है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है।
  - ◆ यदि न्यायालय की अवमानना के लिये दंडात्मक कार्रवाई सही है तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिये।
  - ◆ आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, अत: इनसे निपटने के लिये यह कानून आवश्यक है।
  - ◆ ऐसे में धारा 124A का उपयोग केवल कुछ मामलों में गलत बताकर इसे समाप्त करना सही नहीं होगा।
- धारा 124A के विरुद्ध तर्क:
  - ◆ धारा 124A औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है जो एक लोकतांत्रिक देश में अनुपयुक्त है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी में बाधा डालता है।
  - ◆ एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार से असहमति और इसकी आलोचना परिपक्व सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्त्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
    - लोकतंत्र में प्रश्न करने, आलोचना करने और शासकों को बदलने का अधिकार इसका आधारभूत तत्त्व है।
  - ◆ अंग्रेज़ों ने स्वयं ही अपने देश में भारतीयों पर अत्याचार करने के लिये बनाए इस कानून को खत्म कर दिया है। अत: भारत में इस कानून को बनाए रखने का पर्याप्त कारण नहीं है।
  - ◆ धारा 124A के तहत इस्तेमाल किये जाने वाले शब्द जैसे कि 'असंतोष' (Disaffection) अस्पष्ट हैं, जाँच करने वाले अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार इनकी व्याख्या कर सकते हैं।
  - ◆ राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिये आईपीसी और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act), 2019 के अनुसार, "सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना या सरकार को हिंसा तथा अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने की कोशिश करना" पर्याप्त कारण हैं। इसके लिये धारा 124A की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - ◆ राजद्रोह कानून का दुरुपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। इस धारा के कार्यान्वयन में विस्तृत और केंद्रित निर्णय अंतर्निहित होता है, जिसके कारण इसका दुरुपयोग होता है।
  - ◆ भारत ने वर्ष 1979 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (ICCPR) की पुष्टि की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। अत: देशद्रोह का मनमाना आरोप भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध है।

आगे की राह

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। अत: उन अभिव्यक्तियों या विचारों जो कि सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, को देश विरोधी नहीं माना जाना चाहिये।
- धारा 124A का दुरुपयोग भाषण की स्वतंत्रता को रोकने के एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने केदार नाथ मामले में कहा कि इस कानून के तहत लगाए गए अभियोग के दुरुपयोग की जाँच की जा सकती है। अत: इस धारा की आवश्यकता को बदले हुए तथ्यों और परिस्थितियों में पुन: जाँचने की ज़रूरत है।
- सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने और पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिये करना चाहिये।

नोट :

- देशद्रोह की परिभाषा को सीमित किया जाना चाहिये, जिसमें भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हों।
- 'देशद्रोह' शब्द को परिभाषित करना बेहद जटिल कार्य है, अत: इसे सावधानी के साथ लागू करने की ज़रूरत है। यह एक तोप की तरह है जिसे चूहे को शूट करने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये, लेकिन तोपों को एक निवारक के रूप में शस्त्रागार में होना भी चाहिये।

UAPA अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की निम्न दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-2019 के मध्य गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत केवल 2.2% मामलों में ही न्यायालय में दोषसिद्ध हुए हैं।

मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा संकलित 'भारत में अपराध 2019' (Crime in India 2019) रिपोर्ट के आँकड़ों का उद्धरण प्रस्तुत किया है।

प्रमुख बिंदु:

- अधिनियम:
  - UAPA को मूलत: वर्ष 1967 में पारित किया गया था। यह आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून- टाडा (वर्ष 1995 में व्यपगत) और आतंकवाद निरोधक अधिनियम- पोटा (वर्ष 2004 में निरस्त) का विकसित या उन्नत रूप है।
- मुख्य प्रावधान:
  - वर्ष 2004 तक "गैर-कानूनी" गतिविधियों को क्षत्रीय अलगाव और अलगाव या विघटन से संबंधित कार्यों के लिये संदर्भित किया जाता था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद "आतंकवादी अधिनियम" को अपराधों की श्रेणी में शामिल किया गया।
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर-कानूनी घोषित करता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसकी घोषणा कर सकता है।
  - UAPA के तहत जाँच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधि को और बढ़ाया जा सकता है।
  - इसे भारतीय और विदेशी दोनों पर आरोपित किया जा सकता है। यह अधिनियम विदेशी और भारतीय दोनों ही अपराधियों पर समान रूप से लागू होता है।
  - इसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास को उच्चतम दंड माना गया है।
- वर्ष 2019 में संशोधन:
  - अगस्त 2019 में संसद ने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 (Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019) को स्पष्ट किया और कहा कि इस अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को
  - आतंकवादी के रूप में चिह्नित किया जाए जो या तो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में हिस्सा लेता है या आतंकवाद हेतु पृष्ठभूमि या आधार निर्मित करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अन्यथा आतंकवाद में शामिल होता है।
  - पहले से ही "आतंकवादी संगठन" के रूप में नामित संगठनों हेतु इस प्रकार के प्रावधान कानून के भाग 4 और 6 में मौजूद हैं।
  - यह अधिनियम, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जाँच करने के दौरान संपत्ति की ज़ब्ती या कुर्की का अधिकार देता है।
  - यह अधिनियम राज्य में DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जाने वाली जाँच के अलावा आतंकवाद के मामलों की जाँच करने के लिये NIA के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को अधिकार देता है।
- UAPA से संबंधित मुद्दे:
  - व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन: यह अधिनियम राज्य को उन व्यक्तियों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने के असीमित अधिकार प्रदान करता है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विपरीत यह अधिनयम राज्य को अधिक शक्ति प्रदान करता है।

नोट :

- असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध: असहमति का अधिकार स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, अत: अनुच्छेद 19 (2) के अलावा इसे किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- UAPA, 2019 आतंकवाद को रोकने के लिये असहमति के अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने हेतु सत्तारूढ़ सरकार को सशक्त बनाता है, जो एक विकासशील लोकतांत्रिक समाज के लिये हानिकारक है।
- संघवाद को समाप्त करना: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनयम संघीय ढाँचे की भावना के विपरीत है क्योंकि यह आतंकवाद के मामलों में राज्य पुलिस के अधिकार की उपेक्षा करता है, यह देखते हुए कि 'पुलिस' भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है।

आगे की राह:

- दुरुपयोग को रोकना: आतंकवाद निस्संदेह एक बड़ा खतरा है जिसे समाप्त करने के लिये कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों की आवश्यकता है लेकिन यह तभी संभव है जब UAPA के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।
- मौलिक स्वतंत्रता और राज्य के हित के बीच संतुलन बनाए रखना: सुरक्षा प्रदान करने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के दायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करना एक दुविधा का कार्य है। अत: व्यावसायिक ईमानदारी सुनिश्चित करना, निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना और किसी भी गलत कार्य से बचाव करना अधिकारियों पर निर्भर करता है।
- न्यायिक समीक्षा: कथित दुरुपयोग के मामलों की सावधानी पूर्वक जाँच करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से कानून के तहत मध्यस्थता और विषय की जाँच होनी चाहिये।

धन्यवाद प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा का जवाब दिया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति का संबोधन:
  - संवैधानिक प्रावधान:
    - अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिये विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसी दो स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा।
    - प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में।
    - प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में।
    - राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने के कारणों के बारे में संसद को सूचित करना होता है।
    - इस तरह के संबोधन को 'विशेष संबोधन' कहा जाता है और यह एक वार्षिक विशेषता भी है।
    - इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किये जाने तक अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
  - संयुक्त सत्र के बारे में:
    - इस संबोधन के लिये संसद के दोनों सदनों को एक साथ इकट्ठा होना आवश्यक है।
    - हालाँकि वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है या इसे भंग कर दिया गया है, तो भी राज्यसभा की बैठक होती है और राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना भी अपना सत्र आयोजित कर सकती है।
    - लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के मामले में सदस्यों के शपथ लेने तथा अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात् राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है।
  - राष्ट्रपति के संबोधन का विषय:
    - राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीति का विवरण होता है, इसलिये अभिभाषण का प्रारूप सरकार द्वारा तैयार किया जाता है।

नोट :

- यह संबोधन पिछले वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा होती है तथा उन नीतियों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें सरकार महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे बढ़ाने की इच्छा रखती है।

- धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा संबोधन पर चर्चा:
  - पृष्ठभूमि:
    - राष्ट्रपति का यह संबोधन 'ब्रिटेन के राजा के भाषण' के समान होता है, दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, इसे ही 'धन्यवाद प्रस्ताव' कहा जाता है।
  - संवैधानिक प्रावधान:
    - संविधान के अनुच्छेद 87 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिये लोकसभा और राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के तहत प्रावधान किया गया है।
    - राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य- संचालन विषयक नियमों के नियम 15 के तहत राष्ट्रपति के अभिभाषण में संदर्भित मामलों पर चर्चा एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गए धन्यवाद प्रस्ताव- जिस पर एक अन्य सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, के साथ शुरू होती है।
    - धन्यवाद प्रस्ताव को आगे बढाने तथा इस पर सहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और इस तरह के प्रस्ताव का नोटिस संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होता है।
  - प्रक्रिया:
    - यह संसद के सदस्यों को चर्चा और वाद-विवाद के मुद्दे उठाने तथा त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार एवं प्रशासन की आलोचना करने का अवसर उपलब्ध कराता है।
    - आमतौर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये तीन दिन का समय दिया जाता है।
    - यदि किसी भी संशोधन को आगे रखा जाता है और उसे स्वीकार किया जाता है, तो संशोधित रूप में धन्यवाद प्रस्ताव को अपनाया जाता है।
    - संशोधन, संबोधन में निहित मामलों के साथ-साथ उन मामलों को भी संदर्भित कर सकता है, जो सदस्य की राय में संबोधन का उल्लेख करने में विफल रहा है।
    - बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिये रखा जाता है।

- धन्यवाद प्रस्ताव का महत्त्व:
  - धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना चाहिये। अन्यथा यह सरकार की हार के समान है। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है:
    - धन विधेयक को अस्वीकार कर।
    - निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पारित कर।
    - आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हराकर।
    - कटौती प्रस्ताव पारित कर।

भारतीय कानून और इंटरनेट सामग्री का अवरोधन: केंद्र बनाम ट्विटर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कथित रूप से उत्तेजक सामग्री और गलत सूचना के प्रसार में शामिल एक हज़ार से अधिक खातों को अवरुद्ध/ब्लॉक करने के अपने आदेश का पालन न करने के लिये ट्विटर (माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट) को फटकार लगाई।

प्रमुख बिंदु:

वर्तमान मुद्दा:

- केंद्र सरकार ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस जारी किया है क्योंकि ट्विटर ने हाल ही में 250 से अधिक ऐसे खातों को बहाल किया है जिन्हें पूर्व में सरकार की 'कानूनी मांग' पर निलंबित कर दिया गया था।

नोट :

- सरकार की मांग है कि ट्विटर 31 जनवरी, 2021 को जारी किये गए आदेश का पालन करे, जिसमें ट्विटर को कुछ खातों और एक विवादास्पद हैशटैग को ब्लॉक करने के लिये कहा गया था, जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते थे। साथ ही इस हैशटैग में कथित रूप से विरोध प्रदर्शनों के बारे में गलत सूचना को बढ़ावा देने के लिये किसानों के आसन्न 'नरसंहार' की बात की गई थी।
- ट्विटर ने स्वयं ही इन खातों और ट्वीट्स को बहाल कर दिया और बाद में इस निर्णय को वापस लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये खाते और ट्वीट्स इसकी नीति का उल्लंघन नहीं करते।

इंटरनेट सेवाओं/सामग्री को ब्लॉक करने से संबंधित कानून:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
  - भारत में समय-समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
  - इसमें उन सभी बिचौलियों/मध्यस्थों को शामिल किया गया है जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
  - मध्यस्थों की भूमिका वर्ष 2011 में इस उद्देश्य के लिये बनाए गए अलग-अलग नियमों [सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश) नियम, 2011] में स्पष्ट की गई है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69:
  - यह केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत" किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनीटर या डिक्रिप्ट करने के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, वे हैं:
    - भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के लिये।
    - विदेशी राज्यों (देशों) के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
    - सार्वजनिक व्यवस्था या उपरोक्त में से किसी से संबंधित संज्ञेय अपराध किये जाने से जुड़े उकसावे को रोकने में।
    - किसी अपराध की जाँच के लिये।
- इंटरनेट वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया:
  - धारा 69A केंद्र सरकार को उपरोक्त लिखित समान कारणों और आधारों के लिये किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये सरकार की किसी भी एजेंसी या किसी मध्यस्थ को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करती है।
  - पहुँच को अवरुद्ध करने का कोई भी अनुरोध लिखित रूप में दिये गए कारणों पर आधारित होना चाहिये।

आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार मध्यस्थ:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 (1) (W) के तहत मध्यस्थ को परिभाषित किया गया है।
- 'मध्यस्थ' की परिभाषा के तहत सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइट, ऑनलाइन बाज़ार और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा तथा वेब होस्टिंग प्रदाताओं को शामिल किया गया है।
- इसमें उन व्यक्तियों/संस्थाओं को शामिल किया गया है, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिये (या उसके स्थान पर) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त, संग्रहीत या प्रसारित करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस परिभाषा के तहत आते हैं।

कानून के तहत मध्यस्थों का दायित्व:

- मध्यस्थों को एक निर्धारित अवधि के लिये केंद्र द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रारूप में निर्दिष्ट जानकारी को संरक्षित करना तथा बनाए रखना आवश्यक होता है।
  - इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने के अलावा तीन वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।
- जब निगरानी के लिये कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो मध्यस्थ और कंप्यूटर संसाधन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को संबंधित संसाधन तक पहुँच प्रदान करने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसी को तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी चाहिये।

नोट :

- इस तरह की सहायता न उपलब्ध कराने की स्थिति में जुर्माने के अलावा सात वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।
- सरकार के लिखित अनुरोध पर जनता तक पहुँच को अवरुद्ध/ब्लॉक करने के दिशा-निर्देश का पालन न करने की स्थिति में जुर्माने के अलावा सात वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।

मध्यस्थ की जवाबदेही:

- आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 यह स्पष्ट करती है कि "एक मध्यस्थ उसके द्वारा होस्ट या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या संचार लिंक के लिये उत्तरदायी नहीं होगा"।
  - तृतीय पक्ष की जानकारी से आशय एक नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थ के रूप में उसकी क्षमता से संबंधित किसी जानकारी से है।
- यह मध्यस्थों (जैसे इंटरनेट और डेटा सेवा प्रदाताओं और वेबसाइट होस्टिंग करने वालों) को उन सामग्री के लिये उत्तरदायी होने से बचाता है जो उपयोगकर्त्ता द्वारा पोस्ट या जेनरेट की जाती है।
- धारा 79 के माध्यम से "नोटिस और हटाए जाने" (Notice and Take Down) के प्रावधान की अवधारणा को लागू किया गया है।
  - इसके अनुसार, यदि कोई मध्यस्थ उसके द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में उपस्थित या उससे जुड़े किसी डेटा, सूचना या संचार लिंक का प्रयोग एक गैर-कानूनी कार्य किये जाने की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने या सूचित किये जाने के बाद भी ऐसे लिंक को शीघ्रता से अक्षम करने या उस सामग्री तक पहुँच हटाने में विफल होता है तो उस स्थिति में वह मध्यस्थ अपनी प्रतिरक्षा खो देगा।

आईटी अधिनियम 2000 में मध्यस्थों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख:

- श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा है कि मध्यस्थों को केवल इस तथ्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के बाद कार्य करना चाहिये कि किसी अदालत द्वारा उन्हें शीघ्रता से कुछ सामग्री हटाने या उसे अक्षम करने के लिये आदेश दिया गया है।

मध्यस्थों द्वारा अधिनियम का अनुपालन किये जाने का कारण:

- अंतर्राष्ट्रीय अनिवार्यताएँ:
  - अधिकांश देशों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य बिचौलियों द्वारा सहयोग को अनिवार्य बनाने वाले कानून बनाए गए हैं।
- साइबर अपराध से निपटने हेतु:
  - वर्तमान में साइबर अपराध और कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित अन्य कई अपराधों से लड़ने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - ऐसे अपराधों में हैकिंग, डिजिटल प्रतिरूपण और डेटा की चोरी शामिल होती है।
- इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने हेतु:
  - इंटरनेट के दुरुपयोग की संभावनाओं ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को इसके दुष्प्रभावों को रोकने हेतु इंटरनेट पर अधिक नियंत्रण के लिये प्रेरित किया है।

भारत में बंधुआ मज़दूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना ज़िला प्रशासन द्वारा पंद्रह बंधुआ मज़दूरों को रिहा कराया गया। इन मज़दूरों के साथ उनके नियोक्ता या मालिक द्वारा अमानवीय व्यवहार किये जाने और उन्हें यातनाएँ देने की शिकायतें मिल रही थीं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

बंधुआ मज़दूरी:

- यह एक प्रथा है जिसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उच्च-ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है तथा श्रमिक द्वारा लिये गए कर्ज़ का भुगतान करने हेतु उससे कम मज़दूरी पर कार्य कराया जाता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंधुआ मज़दूरी को प्रचलित बाज़ार मज़दूरी (Market Wages) और न्यूनतम कानूनी मज़दूरी (Legal Minimum Wages) से कम दर पर मज़दूरी का भुगतान करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ऐतिहासिक रूप से बंधुआ मज़दूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी जहाँ आर्थिक रूप से वंचित समुदाय, किसान ज़मींदारों के यहाँ कार्य करने के लिये बाध्य थे।
- असंगठित उद्योगों जैसे- ईंट के भट्टे, पत्थर खदान, कोयला खनन, कृषि श्रम, घरेलू नौकर, सर्कस और यौन दासता इत्यादि में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बंधुआ मज़दूरी विद्यमान है।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:

- भारत मज़दूर श्रम, मानव तस्करी और बाल श्रम को समाप्त करने के सतत् विकास लक्ष्य (लक्ष्य 8.7) के तहत वर्ष 2030 तक आधुनिक दासता को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- भारत द्वारा 'एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन'-1957 (नं. 105) की पुष्टि की गई है।
- भारत ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स (Global Slavery Index) में अपनी रैंक (वर्ष 2018 में 167 देशों में 53 वाँ) में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
- अनुच्छेद 23 ज़बरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोज़गार (चौदह वर्ष से कम आयु) को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 39 श्रमिक पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य को निर्देश देता है कि राज्य इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्चों की मासूम उम्र के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए और नागरिकों को उनकी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये आयु या क्षमता के विरुद्ध जाकर कार्य करने को मजबूर नहीं किया जाए।

संबंधित विधान:

- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976:
  - यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू है जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है।
  - यह ज़िला स्तर पर सतर्कता समितियों (Vigilance Committees) के रूप में एक संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism) का प्रावधान करता है।
    - इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू करने हेतु सतर्कता समितियाँ ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate- DM) को सलाह देती हैं ।
  - राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई हेतु कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं।
- बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना (2016):
  - इसके तहत बंधुआ मज़दूरी से बचाए गए लोगों को उनकी आजीविका के लिये गैर-वित्तीय सहायता के साथ 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बंधुआ मज़दूरी के कारण:

- श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य जागरूकता का अभाव।

नोट :

- सज़ा की दर कम होना ।
- बंधुआ मज़दूरी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह।
- बंधुआ श्रमिकों के मध्य प्रवासी प्रकृति।
- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 का कमज़ोर कार्यान्वयन।
- ज़बरन श्रम हेतु उचित सज़ा (IPC- गैरकानूनी अनिवार्य श्रम की धारा 374) के प्रावधान का अभाव।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के मध्य उचित समन्वय का अभाव।

बंधुआ मज़दूरी को समाप्त करने के लिये आवश्यक उपाय:

- बंधुआ मज़दूरों की सूचना देने और उनकी पहचान करने के लिये जनता को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया जाना चहिये।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंशिक रूप से समर्थित राष्ट्रीय बाल हॉटलाइन को लोकप्रिय बनाया जाना। तस्करी ड़ितों हेतु एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन मौजूद है, जो ऑपरेशन रेड अलर्ट के तहत संचालित है।
- बचाए गए पीड़ितों को फिर से बंधुआ मज़दूरी में शामिल होने से रोकने के लिये उनका उचित पुनर्वास करना।
  - उत्पादक और आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं को पहले से ही तैयार किया जाना चाहिये अन्यथा वे अपनी रिहाई के बाद फिर से बंधुआ श्रम प्रणाली में फँस जाएंगे।

दिव्यांगता और लिपिक की सुविधा: SC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार को लिखित परीक्षाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को लिपिक (Scribe) की सुविधा प्रदान करने से संबंधित विनियमन और दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है।

- इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि दिव्यांग व्यक्ति भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें सार्वजनिक रोज़गार एवं शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान लाभ दिया जाना चाहिये।
- लिपिक (Scribe) वह व्यक्ति होता है, जो लिखित परीक्षा के दौरान दिव्यांग छात्र द्वारा दिये जाने वाले जवाबों को लिखता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम 'राइटर्स कैंप' नामक बीमारी से पीड़ित एक छात्र ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, ज्ञात हो कि यह एक ऐसी पुरानी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसके कारण लिखने में अत्यधिक कठिनाई होती है।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा-2018 में उस छात्र को इस आधार पर 'लिपिक' की सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया था कि वह बेंचमार्क 'विकलांगता' की परिभाषा में नहीं आता।

न्यायालय का निर्णय

- लिपिक की सुविधा
  - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित 'बेंचमार्क विकलांगता' के अलावा अन्य तरह की विकलांगताओं से प्रभावित लोगों को भी 'लिपिक' की सुविधा दी जानी चाहिये।
    - बेंचमार्क विकलांगता का अर्थ है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की विकलांगता के कारण कम-से-कम 40 प्रतिशत प्रभावित होने से है।

नोट :

- सरकार को निर्देश
  - न्यायालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) को व्यापक दिशा-निर्देश जारी करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के तहत निर्धारित परिभाषा के अधीन यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित उम्मीदवार को 'लिपिक' की सुविधा प्रदान करने संबंधी नीतिगत ढाँचे को जल्द-से-जल्द विकसित किया जाए, ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े।
    - मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में प्रकिया निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त मानदंड निर्धारित किये जाएँ कि सभी उम्मीदवार सक्षम चिकित्सा प्राधिकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हों, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'लिपिक' सुविधा का लाभ केवल योग्य लाभार्थी ही प्राप्त कर सकें।
    - अधिनियम के धारा 2(s) के तहत 'दिव्यांग व्यक्तियों' को परिभाषित किया गया है। इसका आशय लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति से है, यह अक्षमता उसे समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी करने से रोकती हो।
- अधिनियम में सन्निहित 'तर्कसंगत भागीदारी' का सिद्धांत राज्य और निजी पक्षों को एक प्रकार का सकारात्मक दायित्व प्रदान करता है, ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त सहायता प्रदान करें।
- वर्ष 2016 के अधिनियम के तहत 'विकलांग व्यक्तियों' की एक अधिक समावेशी परिभाषा प्रस्तुत की गई है, जो कि विकलांगता के चिकित्सा मॉडल से विकलांगता के सामाजिक मॉडल की ओर परिवर्तन का प्रतीक है।

राइटर्स कैंप

- 'राइटर्स कैंप' एक विशिष्ट प्रकार का फोकल डिस्टोनिया है, जो किसी की उँगलियों, हाथ या बाँह की कलाई को प्रभावित करता है।
- फोकल डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसके तहत मस्तिष्क मांसपेशियों को गलत सूचना भेजता है, जिससे मांसपेशियों में अनैच्छिक और अत्यधिक संकुचन होता है। मस्तिष्क द्वारा भेजे जाने वाले ये सिग्नल हाथों को विषम मुद्राओं में मोड़ सकते हैं।
- राइटर्स कैंप को एक कार्य-विशिष्ट डिस्टोनिया के रूप में जाना जाता है। यह एक व्यक्ति को केवल तभी प्रभावित करता है, जब वह लेखन या टाइपिंग जैसी विशेष गतिविधि करता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

परिभाषा

- इस अधिनियम के तहत विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
- बेंचमार्क विकलांगता, अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की विकलांगता से कम-से-कम 40 प्रतिशत प्रभावित होने से है।

प्रकार

- अधिनियम के तहत विकलांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिये गए हैं।
- इस अधिनियम के दायरे में मानसिक बीमारी; ऑटिज़्म; स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर; सेरेब्रल पाल्सी; मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल विकार; भाषा संबंधी विकार; थैलेसीमिया; हीमोफिलिया; सिकल सेल डिज़ीज़; मल्टीपल डिसएबिलिटी जैसे- डेथ ब्लाइंडनेस; एसिड अटैक पीड़ित और पार्किंसन्स रोग आदि शामिल हैं। ये सभी पूर्व के अधिनियम में शामिल नहीं थे।
- इसके अलावा सरकार को किसी अन्य श्रेणी की विकलांगता को सूचित करने का अधिकार दिया गया है।

आरक्षण

- इसके तहत सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिये आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

शिक्षा

- बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।

नोट :

अभिगम्यता

- सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित समयसीमा में सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया है।

नियामक निकाय

- विकलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे, साथ ही वे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी पर भी ध्यान देंगे।

विशेष निधि

- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय कोयला सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (National Coal Index) का उपयोग करके राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी शुरू की है।

- NCI को जून 2020 में जारी किया गया था।

प्रमुख बिंदु

सूचकांक के विषय में:

- यह एक मूल्य सूचकांक है जो किसी विशेष माह में निर्धारित आधार वर्ष के सापेक्ष कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।
  - वित्तीय वर्ष 2017-18 NCI का आधार वर्ष है।

संकलन:

- NCI तैयार करने के लिये कोयले के सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतें, जिनमें आयात भी शामिल है, को ध्यान में रखा गया है।
- नीलाम किये गए कोयला ब्लॉकों से उत्पादित प्रति टन कोयले से प्राप्त राजस्व की मात्रा का निर्धारण NCI का उपयोग करके परिभाषित फार्मूला के माध्यम से किया जाएगा।

उप-सूचकांक: NCI पाँच उप-सूचकांकों के समूह से बना है:

- नॉन कोकिंग कोल के लिये तीन और कोकिंग कोल के लिये दो।
- इस सूचकांक में तीन उप-सूचकांकों को नॉन-कोकिंग कोयले से और दो उप-सूचकांकों को कोकिंग कोल से संयुक्त किया जाता है।
- इस प्रकार नॉन-कोकिंग और कोकिंग कोल के लिये सूचकांक अलग-अलग हैं।
  - उपर्युक्त उप-सूचकांक का खदान से संबंधित कोयले के ग्रेड के अनुसार उपयोग किया जाता है।

कोयला

- कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जो भारत की ऊर्जा ज़रूरत का 55% हिस्सा पूरा करता है।
- उपयोग के आधार पर कोयले को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:
- कोकिंग कोल:
  - इस कोयला को हवा की अनुपस्थिति में 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गरम करने पर जो संश्लेषित पदार्थ बनता है उसे कोक (Coke) कहा जाता है ।
    - कोक को स्टील के उत्पादन के लिये स्टील प्लांट्स में लौह अयस्क और चूना पत्थर के साथ आग की भट्टी में रखा जाता है।
  - कोकिंग कोल में राख का प्रतिशत कम होता है।

नोट :

- उपयोग:
  - इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील बनाने और धातुकर्म उद्योगों में किया जाता है।
  - इसे हार्ड कोक (Hard Coke) निर्माण में भी उपयोग किया जाता है।
- नॉन कोकिंग कोल:
  - इनमें कोकिंग कोल का गुण नहीं होता है।
  - उपयोग:
    - इस कोयले का उपयोग बिजली पैदा करने के लिये थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, इसलिये इसे स्टीम कोल या थर्मल कोल के नाम से भी जाना जाता है।
    - इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, ग्लास, चीनी मिट्टी, कागज़, रासायनिक पदार्थ और ईंट निर्माण तथा गर्मी उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिये भी किया जाता है ।
- कोयले को भी चार भागों में बाटा गया है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इनका वर्गीकरण इनमें मौजूद कार्बन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है।

प्रशासनिक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission- UPSC) द्वारा पार्श्व प्रवेश/लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन में संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर 30 व्यक्तियों की भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- लेटरल एंट्री के बारे में:
  - पार्श्व प्रवेश शब्द का संबंध मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से सरकारी संगठनों में विशेषज्ञों की नियुक्ति से है।
  - सरकार राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक मामलों, कृषि, सहयोग एवं किसानों का कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन व वाणिज्य में विशेषज्ञता के साथ उत्कृष्ट व्यक्तियों की तलाश कर रही है।
- लेटरल एंट्री के लाभ:
  - जटिलता को संबोधित करना:
    - वर्तमान समय की प्रशासनिक चुनौतियों को नेविगेट (Navigate) करने के उद्देश्य से सरकार को विशेषज्ञता और अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान वाले लोगों की आवश्यक है।
  - कार्मिक आवश्यकता की पूर्ति:
    - केंद्र में IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने में लेटरल एंट्री मददगार साबित होगी।
  - संगठनात्मक संस्कृति:
    - यह सरकारी क्षेत्र में आर्थिक, दक्षतापूर्ण और प्रभावी मूल्यों को स्थापित करने में मदद करेगी।
    - इससे सरकारी क्षेत्र में प्रदर्शनात्मक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा है।
  - सहभागी शासन:
    - वर्तमान समय में शासन में सहभागिता का विस्तार होने के साथ-साथ प्रशासनिक भूमिका भी विस्तारित हो रही है, इस प्रकार लेटरल एंट्री निजी क्षेत्र और गैर-लाभकारी क्षेत्र के हितधारकों को शासन प्रक्रिया में शामिल करती है।

नोट :

- संबंधित मुद्दे:
  - पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता:
    - इस योजना की सफलता की कुंजी सही लोगों को चुनने में पारदर्शी एवं स्पष्ट प्रक्रिया में निहित होगी।
  - संगठनात्मक मूल्यों में अंतर:
    - सरकार और निजी क्षेत्र के मूल्यों में काफी भिन्नता विद्यमान है।
    - इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो लोग इस प्रणाली के माध्यम से चुनकर आते हैं, वे पूर्ण रूप से कार्य प्रणाली को समायोजित करने में कुशल एवं सक्षम हों। ऐसा इसलिये है क्योंकि सरकार द्वारा अपनी सीमाओं का निर्धारण स्वयं किया जाता है।
  - लाभ का उद्देश्य बनाम सार्वजनिक सेवा:
    - निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण लाभोन्मुखी होता है। दूसरी ओर, सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा है। यह एक मौलिक या आधारभूत संक्रमण (Fundamental Transition) है जिसमें एक निजी क्षेत्र के व्यक्ति को सरकार के साथ कार्य करते समय संक्रमण से गुज़रना पड़ता है।
  - आंतरिक प्रतिरोध:
    - लेटरल एंट्री को सर्विस सिविल सर्वेंट्स (Service Civil Servants) और उनके संघों द्वारा प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह मौजूदा अधिकारों को समाप्त भी कर सकता है।
  - हितों के टकराव का मुद्दा:
    - निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल करने से हितों में संभावित टकराव के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार प्रवेशकों हेतु एक कठोर आचार संहिता की आवश्यकता है।
  - सीमित क्षेत्र:
    - लेटरल एंट्री की भूमिका शीर्ष स्तर पर क्षेत्रीय नीति बनाने में अधिक है जबकि ज़मीनी या निचले स्तर पर एक पद सोपान क्रम में इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखा जाता है।

आगे की राह

- शासन में उत्पन्न खामियों को दूर करने हेतु लेटरल एंट्री कोई अंतिम विकल्प नहीं है।
- हालाँकि यह व्यवस्था अमेरिकी और ब्रिटिश प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति हेतु एक छोटी शुरुआत को बढ़ावा देती है तथा सिस्टम में सुधार और बेहतर कार्य निष्पादन हेतु एक प्रकार का दबाव उत्पन्न करती है।
- समाज के सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्गों का विश्वास जीतने के उद्देश्य से लेटरल एंट्री को महत्त्वपूर्ण रूप से उचित, पारदर्शी और समतावादी होना चाहिये। यूपीएससी जैसी एजेंसियाँ संसद द्वारा अनुमोदित चयन प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

कर विवादों को कम करने हेतु योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त सचिव ने कहा है कि फेसलेस मूल्यांकन और अपील (faceless Assessment and Appeal) की नई प्रणाली से कर विवादों को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- कर विवाद (डेटा):
  - आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, कर विवादों से संबंधित कुल राशि वित्त वर्ष 2019 के अंत में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी, जो एक साल पहले 23% थी।
  - भारत में कर मुकदमों की संख्या, समाधान में लगने वाला समय और लागत बहुत अधिक है।

नोट :

- कर विवादों को कम करने हेतु पहलें:
  - विवाद समाधान समिति:
    - वित्त मंत्री ने बजट 2021 में करदाताओं को कर विवादों के मामले में त्वरित राहत प्रदान करने के लिये एक विवाद समाधान समिति (DRC) के गठन का प्रस्ताव किया है।
    - इस समिति का गठन आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के एक नए खंड 245MA के तहत किया जाएगा।
    - डीआरसी द्वारा छोटे करदाताओं के 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय का समाधान किया जाएगा।
    - इस समिति के पास आयकर अधिनियम के तहत किसी भी दंड को कम करने और माफ करने की शक्ति होगी।
    - डीआरसी के तहत उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक तंत्र द्वारा करदाताओं के नए विवादों को रोकने और इन मुद्दों को शुरुआती चरण में ही सुलझाने में मदद मिलेगी।
    - भारत को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराने के मामले में विश्व नियम कानून सूचकांक (World Rule of Law Index), 2020 में 88वें स्थान पर रखा गया है।
  - फेसलेस मूल्यांकन और अपील:
    - प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान (Transparent Taxation – Honoring the Honest) के तहत तीन महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक कर सुधारों (फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर) की घोषणा की।
    - अधिकारियों के समक्ष करदाताओं की भौतिक रूप में उपस्थिति की आवश्यकता को दूर करने के लिये फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली (faceless Assessment System) की शुरुआत की गई थी।
    - फेसलेस रैंडम मूल्यांकन की शुरुआत के बाद से अब तक 50,000 से अधिक विवादों का निपटारा किया जा चुका है।
    - फेसलेस अपील प्रणाली का उद्देश्य करदाता की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करना, भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाना और करदाताओं को अनुपालन में सहूलियत प्रदान करना है।
    - आयकर अपील को गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, जाँच मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर मुद्दों और काले धन से संबंधित अपीलों के अपवाद के साथ एक स्पष्ट तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा।
    - करदाताओं को आयकर संग्रहण की पूरी प्रक्रिया से परिचित कराने में मदद के लिये उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को लेकर कर चार्टर का विस्तार।
    - राष्ट्रीय फेसलेस इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र (National Faceless Income Tax Appellate Tribunal Centre) की स्थापना के लिये प्रयास जारी है, जो वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई करेगा।
  - विवाद से विश्वास योजना:
    - इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का निस्तारण किया जाता है, इसके तहत विवादित राशि के भुगतान पर 100% कर छूट और विवादित दंड, विवादित ब्याज या विवादित शुल्क के भुगतान पर 25% कर छूट प्राप्त होगी।
    - प्रत्यक्ष कर विवादों को विभिन्न अपीलीय मंचों में निपटाने के लिये प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम (Direct Tax Vivad se Vishwas Act) को मार्च 2020 में लागू किया गया था।
    - विवाद से विश्वास योजना का विकल्प प्रत्यक्ष विवादों के एक-चौथाई हिस्से के समाधान के लिये चुना गया, जिसमें 97,000 करोड़ रुपए के विवादों का निपटान किया गया।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम' का चौथा संस्करण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम' के चौथे संस्करण को संबोधित किया।

- रियाद (सऊदी अरब) में आयोजित किये जा रहे इस फोरम का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकार और उद्योग किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, नियामकीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम

- फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) को व्यापक रूप से 'डेज़र्ट इन दावोस' (Davos in the Desert) के रूप में वर्णित किया गया है। यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है।
  - इस फोरम का अनौपचारिक नाम यानी 'डेज़र्ट इन दावोस', वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक से लिया गया है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होती है, जहाँ विश्व के प्रमुख नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित अपना एजेंडा तय करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं।
- फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) की शुरुआत वर्ष 2017 में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई थी, जो कि सऊदी अरब का मुख्य संप्रभु धन कोष है।

प्रमुख बिंदु

- भारत ने कोरोनावायरस महामारी के कारण उभरे और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाले पाँच बड़े रुझानों को रेखांकित किया:
  - प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का प्रभाव
  - वैश्विक वृद्धि के लिये बुनियादी ढाँचे का महत्त्व
  - मानव संसाधन में हो रहे बदलाव और कार्य का भविष्य
  - पर्यावरण के लिये सहानुभूति
  - संपूर्ण समाज और सरकार के दृष्टिकोण पर केंद्रित व्यापार अनुकूल प्रशासन

भारत द्वारा रेखांकित पहलें

- स्वदेशी नवाचार के लिये
  - आरोग्य सेतु एप: इस एप्लीकेशन में कोरोना हॉटस्पॉट का विश्लेषण करने और संक्रमण का पता लगाने के लिये ब्लूटूथ ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह एप स्थानीय अधिकारियों को भी पहले से सचेत कर देता है।
- बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये
  - भारत सरकार ने हाल ही में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 10 प्रतिशत के बराबर यानी 2 मिलियन करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक पैकेज लॉन्च किया था।
- मानव संसाधन के लिये
  - भारत ने कुशल मानव संसाधन विकास हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया है। उदाहरण के लिये हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 3.0 लॉन्च की है।

नोट :

- पर्यावरण के लिये
  - जलवायु परिवर्तन को रोकने और स्वच्छ ईंधन की खपत बढ़ाने हेतु भारत द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- व्यापार-अनुकूल गवर्नेंस के लिये
  - भारत अनुसंधान और विकास (R&D) से लेकर तकनीकी-उद्यमिता तक एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल पर ज़ोर

- हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की दो वैक्सीन (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) के साथ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही सऊदी अरब को कोविशील्ड वैक्सीन की डिलीवरी करेगा।
- भारत द्वारा 'को-विन' डिजिटल प्लेटफॉर्म और 'आयुष्मान भारत' योजना (विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम) को संदर्भित किया गया, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदायों के एकीकरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बेहतर उदाहरण हैं।

दावोस संवाद: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के 'दावोस संवाद' को संबोधित किया।

- दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक में वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिये दुनिया के शीर्ष नेताओं द्वारा हिस्सा लिया जाता है।
- दावोस संवाद 2021 कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 'द ग्रेट रीसेट' पहल की शुरुआत को चिह्नित करता है।

WEF की 'द ग्रेट रीसेट' पहल

- परिचय
  - यह पहल इस आकलन पर आधारित है कि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है।
    - वैश्विक समाज पर महामारी के विनाशकारी प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के परिणामों जैसे विभिन्न कारकों से स्थिति बहुत खराब हो गई है।
- एजेंडा
  - विश्व के सभी देशों को हमारे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के सभी पहलुओं, जिसमें शिक्षा से लेकर सामाजिक अनुबंध और काम करने की स्थिति आदि शामिल हैं, में सुधार करने के लिये संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिये। इस प्रक्रिया में विश्व के सभी देशों को हिस्सा लेना चाहिये क्योंकि सभी उद्योगों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये जाने की आवश्यकता है।
  - संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह पूंजीवाद का 'रीसेट' है।

प्रमुख बिंदु

महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई

- भारत द्वारा महामारी से मुकाबले में सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया गया और एक कोविड-विशिष्ट स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने और महामारी से मुकाबले के लिये मानव संसाधन को प्रशिक्षित करने पर ज़ोर दिया गया।
- भारत, जहाँ विश्व की तकरीबन 18 प्रतिशत आबादी निवास करती है, ने न केवल अपने नागरिकों की ओर ध्यान दिया, बल्कि PPE किट और मास्क निर्यात करके अन्य देशों की मदद भी की है।
- भारत ने विश्व का भी मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार पारंपरिक चिकित्सा (आयुर्वेद) प्रतिरक्षा क्षमता में सुधार करने में मददगार हो सकती है।

नोट :

- भारत ने अब तक कोरोना वायरस के दो टीके विकसित किये हैं, जो अन्य देशों को भी प्रदान किये जा रहे हैं और आने वाले दिनों में दुनिया में कई अन्य 'मेड इन इंडिया' टीके दिखाई पड़ सकते हैं।

महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारत ने अरबों रुपए की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और रोज़गार के लिये विशेष योजनाओं को शुरू करके आर्थिक गतिविधि को बल प्रदान करने का प्रयास किया है जैसे:
  - गरीब कल्याण रोज़गार अभियान: इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्य वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।
- भारत का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान 'वैश्विकता' की अवधारणा को मज़बूत करेगा और औद्योगिक क्रांति 4.0 में भी सहायक होगा।
  - भारत औद्योगिक क्रांति 4.0 के सभी चार पहलुओं यथा- कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग और रियल-टाइम डेटा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

भारत की डिजिटल अवसंरचना

- भारत में तेज़ी से बढती डिजिटल अवसंरचना ने डिजिटल समाधान को हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बना दिया है।
  - इसने सार्वजनिक सेवा वितरण को कुशल एवं अधिक पारदर्शी बनाया है।
    - आँकड़ों की मानें तो भारत में तकरीबन 1.3 बिलियन लोगों के पास 'आधार' है, जो कि उनके खाते और फोन नंबर से जुड़ा हुआ है।
    - दिसंबर 2020 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भारत में 4 ट्रिलियन रुपए का वित्तीय लेन-देन हुआ था।
- भारत ने अपने नागरिकों को विशिष्ट हेल्थ आईडी प्रदान करके स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा को आसान बनाने के लिये 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' नाम से एक अभियान शुरू किया है।
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: यह एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य तौर पर चार कारकों यथा- हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ लॉन्च किया जाएगा।
- भारत का लक्ष्य उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए समावेशन और सशक्तीकरण के माध्यम से देश में बड़े बदलाव लाना है।

वैश्विक व्यापार समर्थन के लिये भारत की नीतियाँ

- 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रति प्रतिबद्ध है, क्योंकि भारत के पास वैश्विक प्रौद्योगिकी श्रृंखला को मज़बूत करने की क्षमता के साथ ही उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है।
  - भारत के विशाल उपभोक्ता आधार में आने वाले समय में काफी अधिक बढ़ोतरी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी लाभ मिलेगा।
  - भारत ने 26 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का लाभ उठाने के लिये वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित किया है।
- भारत व्यापार में सुगमता प्रदान करता है, क्योंकि देश में कर व्यवस्था से लेकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंड तक सभी के लिये अनुकूल वातावरण है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
  - विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) निवेशकों को FDI की सुविधा देने के लिये भारत सरकार का एक ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है। यह 'उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संवर्द्धन विभाग' द्वारा प्रशासित है।

भारत और जलवायु परिवर्तन:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कुछ भारतीय पहलें:
  - राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme- NCAP): यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यापक और समयबद्ध पाँच वर्षीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक पीएम10 और पीएम2.5 की सांद्रता में 20-30% की कमी का एक अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - इसके साथ ही भारत द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से उत्सर्जन मानदंड भारत स्टेज- IV (BS-IV) को भारत स्टेज-VI (BS-VI) से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसे पहले वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था।

नोट :

- इसने भारत सरकार की उजाला योजना (UJALA Scheme) के तहत 360 मिलियन से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 47 बिलियन यूनिट बिजली की बचत और CO_2 उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन की कमी हुई है।

- भारत द्वारा ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और जलवायु संवेदनशील विकास पर ज़ोर देते हुए स्थायी शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया का रहा है।

विश्व आर्थिक मंच:

- परिचय:
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
  - स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- लक्ष्य:
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
    - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
  - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

मुख्य रूप से कम राजस्व प्राप्ति के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) दिसंबर 2020 के अंत में बजट अनुमान (Budget Estimate- BE) से बढ़कर 11.58 लाख करोड़ या 145.5% (वर्ष 2020-21 के पहले नौ महीनों का लेखा-जोखा) हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित राजकोषीय घाटा: केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिये कुल 7.96 लाख करोड़ रुपए अथवा कुल सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के 3.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2019-2020 में राजकोषीय घाटा: लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में दिसंबर के अंत में राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान का 132.4% था।
- उच्च राजकोषीय घाटे का कारण:
  - निम्न राजस्व प्राप्ति:
    - कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद सामान्य व्यावसायिक गतिविधि में व्यवधान के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी देखी गई।

नोट :

- अधिक व्यय:
  - सरकार के महामारी राहत कार्यक्रमों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कारण राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- राजकोषीय घाटा
  - सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को 'एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) की तुलना में कुल अदायगी (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) की अधिकता' के रूप में वर्णित किया गया है।
  - सरल शब्दों में, यह सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है।
    - जिस सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक होता है, वह अपने साधनों से ज़्यादा खर्च करती है।
  - इसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है या आय के अतिरिक्त खर्च किये गए कुल धन के रूप में की जाती है।
    - किसी भी स्थिति में आय के आँकड़े में केवल कर और अन्य राजस्व को ही शामिल किया जाता है तथा राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये उधार ली गई धनराशि को शामिल नहीं किया जाता है।

- विधि:
  - राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूंजी और राजस्व व्यय) - सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्ति + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)।
    - व्यय के घटक: सरकार अपने बजट में कई कार्यों के लिये धन आवंटित करती है, जिसमें वेतन, पेंशन आदि के भुगतान (राजस्व व्यय) और बुनियादी ढाँचे, विकास आदि जैसे परिसंपत्तियों का निर्माण (पूंजीगत व्यय) शामिल है।
    - आय प्राप्ति के घटक: आय घटक दो चरों (Variables) से मिलकर बना है, पहला, केंद्र द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न राजस्व और दूसरा, गैर-कर स्रोतों से उत्पन्न आय।
    - कर योग्य आय में निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी तथा अन्य से प्राप्त धनराशि शामिल होती है।
    - गैर-कर योग्य आय में बाहरी अनुदान, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और मुनाफा, केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्तियाँ आदि को शामिल किया जाता है।

- राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे से भिन्न होता है जो केवल सरकार के राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) और राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) से संबंधित है।
- सरकार द्वारा पैसा उधार लेकर राजकोषीय घाटे की पूर्ति की जाती है । इस प्रकार एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधार आवश्यकता उस वर्ष के राजकोषीय घाटे के बराबर होती है।
- उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी हो सकता है यदि खर्च किये गए धन का उपयोग राजमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और जिनके परिणामस्वरूप रोज़गार सृज़न को बढ़ावा मिलता हो, में किया गया हो।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 यह प्रावधान करता है कि केंद्र को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने हेतु उचित उपाय करना चाहिये।
- वर्ष 2016 में गठित एनके सिंह समिति (NK Singh Committee) द्वारा सिफारिश की गई कि सरकार को 31 मार्च, 2020 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक लक्षित किया जाना चाहिये, जिसे वर्ष 2020-21 में 2.8% और वर्ष 2023 तक 2.5% तक कम करना चाहिये।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक:

- यह पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है।
- यह भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है और तकनीकी रूप से प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और लेखांकन हेतु ज़िम्मेदार है।

नोट :

- CGA के कार्यालय द्वारा संघ सरकार के लिये व्यय, राजस्व, उधार और विभिन्न राजकोषीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के मुख्य बिंदु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण प्रदान करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया।

- आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय "सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स" (Saving Lives and Livelihoods) है।

आर्थिक सर्वेक्षण:

- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है।
- इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और अद्यतन डेटा स्रोत को शामिल किया जाता है।
  - यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है।
- आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज़ मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के वाणिज्य प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
- यह आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।
  - भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

भारतीय अर्थव्यवस्था और COVID-19:

- महामारी का सामना करने की रणनीति:
  - मानवीय सिद्धांत द्वारा उपजी एक प्रतिक्रिया के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित स्थितियाँ विद्यमान हैं:
    - खोया हुआ मानव जीवन वापस नहीं लाया जा सकता है।
    - कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि अस्थायी आघात से उबर जाएगी।
  - भारत की नीतियों एवं प्रतिक्रियाओं को महामारी विज्ञान पर व्यापक शोध करके प्राप्त किया गया है, जो कि विशेष रूप से वर्ष 1918 के स्पैनिश फ्लू से प्रभावित हैं।
    - इस पर किये गए प्रमुख शोधों में से एक यह था कि महामारी उच्च और घनी आबादी में तेज़ी से फैलती है और इसकी शुरुआत में लॉकडाउन संबंधी निर्णय लेने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है।
- चार स्तंभों पर आधारित रणनीति:
  - भारत ने नियंत्रात्मक, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की अनूठी चार स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई।
  - वित्तीय स्थिति को देखते हुए समंजित राजकोषीय और मौद्रिक सहायता प्रदान की गई।
    - एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने मौद्रिक नीति संचरण को सुविधाजनक बनाते हुए अस्थायी सहायता के रूप में देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत प्रदान की।
  - राजकोषीय नतीजों तथा ऋण स्थिरता नीतियों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान संवेदनशील वर्ग की समस्याओं को पूरा करके खपत और निवेश को बढ़ावा दिया गया।

नोट :

- मांग और आपूर्ति प्रभावित :
  - भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने मध्यम अवधि में आपूर्ति का विस्तार करने और उत्पादक क्षमताओं को दीर्घकालिक नुकसान से बचाने के लिये संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की।
    - 1.46 लाख करोड़ रुपए की 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) योजना से भारत के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनने और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है
  - मांग आधारित कई उपायों की घोषणा की गई है।
    - 'नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन', मांग को बढ़ाने और रिकवरी में तेज़ी लाने के लिये एक सार्वजनिक निवेश केंद्रित कार्यक्रम है।

आर्थिक पुनर्बहाली:

- लॉकडाउन के बाद 'V-शेप्ड' आर्थिक सुधार
  - जुलाई 2020 से भारत लचीले 'V-शेप्ड' आर्थिक सुधारों को अपना रहा है।
  - 'V-शेप्ड' रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है जो चार्ट के "वी" आकार जैसी दिखती है।
  - 'V-शेप्ड' रिकवरी आर्थिक उपायों के एक विशेष प्रकार के चार्ट के आकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अर्थशास्त्री मंदी और आर्थिक सुधारों की जाँच करते समय बनाते हैं।
  - 'V-शेप्ड' रिकवरी को तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति में त्वरित और निरंतर पुनर्बहाली के लिये प्रयोग में लाया जाता है।
  - कारण:
    - यह सेवा क्षेत्र में मज़बूत सुधारों एवं उपभोग और निवेश में वृद्धि की संभावनाओं के साथ विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत से प्रेरित है।
    - 'V-शेप्ड' रिकवरी उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे- बिजली की मांग, रेल किराया, ई-वे बिल, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी) संग्रह, स्टील की खपत आदि के पुनरुत्थान के कारण होती है।
    - अर्थव्यवस्था के मूल तत्त्व मज़बूत बने हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन में कमी के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान ने अर्थव्यवस्था को मज़बूती के साथ पुनर्जीवित किया है।
  - महत्त्व
    - इस गति से अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी स्तर तक पहुँचने में दो वर्ष लगेंगे।
- सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमान:
  - वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11.0 प्रतिशत रहेगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास दर 15.4 प्रतिशत रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी।
    - ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुरूप हैं।
  - सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। ये क्षेत्र अब तेज़ी से सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखे गए हैं।
  - वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में चालू खाता अधिशेष जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहेगा।
- विदेशी निवेश:
  - अप्रैल-अक्तूबर 2020 के दौरान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले सात महीने की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक है।
  - नवंबर 2020 में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो कि किसी महीने में सर्वाधिक है।
- ऋण स्थिरता और विकास:
  - भारतीय संदर्भ में विकास संबंधी गतिविधियों से ऋण स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन ऋण स्थिरता से विकास को गति मिलना ज़रूरी नहीं है।
  - ऋण स्थिरता 'ब्याज दर एवं विकास दर के अंतर' (IRGD) पर निर्भर करती है।

नोट :

- भारत में नकारात्मक IRGD ब्याज दरों के कारण नहीं बल्कि काफी ज़्यादा विकास दर के कारण होती है।
- विकास को गति देने वाली राजकोषीय नीति से जीडीपी/ऋण अनुपात में कमी को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- भारत की विकास क्षमता को देखते हुए सबसे खराब परिदृश्य में भी ऋण स्थिरता जैसी समस्या की संभावना नहीं है।
- आर्थिक मंदी के दौरान वृद्धि हेतु प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का उपयोग वांछनीय है।
  - यह राजकोषीय उपायों के माध्यम से मंदी या उछाल का मुकाबला करने के लिये अपनाई जाने वाली रणनीति है। मंदी के दौरान प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का उद्देश्य करों को कम करना और व्यय में वृद्धि करना होता है। इसका उद्देश्य देश में मांग उत्पन्न करना है ताकि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाई जा सके।
  - दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में उछाल के दौरान प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का उद्देश्य करों को बढ़ाना और सार्वजनिक व्यय को कम करना होता है। उछाल को अधिक बढ़ावा देना विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और ऋण संकट बढ़ सकता है।

सेवा क्षेत्र:

- भारत के सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) के 54% से अधिक तथा कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का लगभग 4/5वाँ हिस्सा सेवा क्षेत्र से ही आता है।
- कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का 48% हिस्सा है।
- मुख्य संकेतक, जैसे कि सर्विसेज़-परचेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स, रेल फ्रेट ट्रैफिक और पोर्ट ट्रैफिक आदि सभी लॉकडाउन के दौरान तेज़ गिरावट के बाद 'V-शेप्ड' रिकवरी कर रहे हैं।
- स्टार्ट-अप: कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम अच्छी प्रगति कर रहा है, इस वर्ष 38 नए स्टार्ट-अप के साथ पिछले वर्ष इस सूची में 12 स्टार्ट-अप जुड़े।
- अंतरिक्ष क्षेत्र: भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पिछले छह दशकों में काफी तेज़ी से आगे बढ़ा है। निजी उद्यमियों को शामिल करने के लिये अंतरिक्ष इकोसिस्टम ने अनेक नीतिगत सुधार किये हैं और नवोन्मेष तथा निवेश को आकर्षित किया है।

कृषि:

- वृद्धि:
  - कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिये 3.4 प्रतिशत आँकी गई है।
  - देश के सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में कृषि और सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिये स्थिर मूल्यों पर 17.8 प्रतिशत रही (सीएसओ के राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान, 29 मई,2020)।
- निर्यात:
  - वर्ष 2019-20 में प्रमुख कृषि और संबद्ध उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्य यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश थे।
  - भारत से निर्यात किये जाने वाले शीर्ष कृषि और संबंधित उत्पाद-समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, तेल, भोज्य पदार्थ, चीनी, अरंडी का तेल और चाय आदि थे।
- पशुधन:
  - कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र (स्थिर कीमतों पर) में पशुधन का योगदान 24.32% (2014-15) से बढ़कर 28.63% (2018-19) हो गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग:
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) क्षेत्र करीब 9.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष 2011-12 के आधार पर कृषि में करीब 3.12 प्रतिशत और विनिर्माण में 8.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नोट :

भारत और नवाचार:

- भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स (Global Innovation Index) की वर्ष 2007 में शुरुआत के बाद पहली बार वर्ष 2020 में शीर्ष-50 नवोन्मेषी देशों के समूह में प्रवेश किया। इस संदर्भ में वह मध्य और दक्षिण एशिया में पहले नंबर पर है तथा निम्न-मध्य आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर है।
- भारत का अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (Gross Domestic Expenditure) शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है।
- भारत की महत्वाकांक्षा नवोन्मेष (Innovation) के मामले में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्द्धा करने की होनी चाहिये।

प्रक्रियागत सुधार:

- इस सर्वेक्षण में भारत में किये जाने वाले अत्यधिक विनियमन पर प्रकाश डाला गया है।
- भारत में अर्थव्यवस्था के ज़्यादा विनियमन के चलते तुलनात्मक रूप से प्रक्रिया के साथ बेहतर अनुपालन के बावजूद नियम निष्प्रभावी हो जाते हैं।
- अत्यधिक विनियमन की मुख्य वजह वह दृष्टिकोण है जिसके तहत हर समस्या के संभावित समाधान के लिये प्रयास किया जाता है। विवेकाधिकार घटाने से नियमों की जटिलता बढ़ने के कारण गैर-पारदर्शी विवेकाधिकार में वृद्धि होती है।
- नियमों को सरल बनाया जाना चाहिये और निरीक्षण पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिये।

भारत और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग:

- भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Rating) अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों को प्रतिबिंबित नहीं करती है , अत: वैश्विक एजेंसियों को अपनी रेटिंग में अधिक पारदर्शी और कम व्यक्तिपरक बनना चाहिये।

रक्षा क्षेत्र:

- वर्ष 2016-17 के बाद से बजट में रक्षा के लिये आवंटित पूंजी का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था।

स्वास्थ्य सेवा:

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):
  - जिन राज्यों ने PM-JAY योजना को लागू किया था उन राज्यों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन:
  - इस मिशन ने असमानता को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर देखभाल और संस्थागत डिलिवरी में गरीबों की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) के तहत इस योजना को प्रमुखता दी जानी चाहिये।
- सरकारी खर्च:
  - सरकारी खर्च में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र पर वृद्धि (जीडीपी के 1 प्रतिशत से बढ़कर 2.5-3 प्रतिशत) से लोगों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किये जाने वाला खर्च 65 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो सकता है।

शिक्षा:

- साक्षरता:
  - भारत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुका है।
  - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर 77.7% है, लेकिन सामाजिक-धार्मिक समूहों के साथ-साथ लिंग आधारित (महिला-पुरुष) साक्षरता दर में अंतर अभी भी बना हुआ है।

नोट :

- हिंदू और इस्लाम धार्मिक समूहों सहित SC, ST और OBC के सामाजिक समूहों के बीच महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है।

- ग्रामीण बच्चों का नामांकन:
  - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामाँकित ऐसे बच्चों की संख्या, जिनके पास स्मार्ट फोन है, वर्ष 2018 में 36.5% थी जिसकी तुलना में वर्ष 2020 में यह भारी बढ़ोतरी के साथ 61.8% हो गई है।
- प्रधानमंत्री ई-विद्या:
  - प्रधानमंत्री ई-विद्या (PM eVIDYA) पहल की घोषणा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिये की गई थी। यह छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा को बहु-पद्धति तथा न्यायसंगत रूप से सुगमता से पहुँचाने के लिये डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल है।
  - इसके अंतर्गत लगभग 92 पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं और 1.5 करोड़ छात्रों का मैसिव ओपन ऑन लाइन कोर्स (Swayam Massive Open Online Course) के तहत नामांकित किया गया है जो कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं।
- प्रज्ञाता:
  - 'प्रज्ञाता' (PRAGYATA) दिशा-निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को आधार बनाकर विकसित किये गए हैं जो COVID-19 के मद्देनज़र जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिये ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित हैं।
- मनोदर्पण:
  - इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0) के तहत विद्यालयों में छात्रों को कौशल ज्ञान देने के लिये कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की चरण-वार शुरुआत की जाएगी।
  - भारत में 15-59 वर्ष आयु समूह के केवल 2.4% कर्मचारियों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि अन्य 8.9% ने अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
  - गैर-औपचारिक रूप से प्रशिक्षित 8.9% कार्यबल में से ऑन-द-जॉब 3.3%, सेल्फ-लर्निंग 2.5%, वंशानुगत स्रोत से 2.1% और अन्य स्रोतों से 1% ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।
  - सबसे अधिक औपचारिक प्रशिक्षण IT-ITeS (Information Technology Enabled Services) पाठ्यक्रम में लिया गया है।
  - एकीकृत कौशल नियामक- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Education and Training) को हाल ही में शुरू किया गया था।

जरूरी आवश्यकताएँ:

- बुनियादी आवश्यकता सूचकांक:
  - बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (Bare Necessities Index), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आँकड़ों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास तक पहुँच की रूपरेखा तैयार करने का एक प्रयास है।
    - यह सूचकांक पाँच संकेतकों अर्थात् पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं पर 26 संकेतक प्रस्तुत करता है।
- बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार:
  - देश के सभी राज्यों में वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2018 में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है।

नोट :

- समानता में वृद्धि उल्लेखनीय है क्योंकि अमीर सार्वजनिक वस्तुओं के लिये निजी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन

- भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करने के लिये कई सक्रिय कदम उठाए हैं।
  - सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को लेकर भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review-VNR)।
  - वर्ष 2030 एजेंडा के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण किसी भी रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - कोरोना वायरस महामारी संकट के बावजूद सतत् विकास भारत की विकास संबंधी रणनीति में महत्त्वपूर्ण बना हुआ है।
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई, जिनका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के संकटों से निपटना और संबद्ध तैयारी करना है।
  - भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में स्पष्ट किया गया है कि जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिये वित्त की भूमिका अहम है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने दो नई पहलें शुरू की है, जिसमें 'विश्व सौर बैंक' और 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' शामिल हैं, इनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना है।

सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार और मानव विकास:

- कुल GDP के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का संयुक्त (केंद्र और राज्यों) व्यय पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में बढ़ा है।
- मानव विकास सूचकांक 2019 में कुल 189 देशों में भारत को 131वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' के माध्यम से रोज़गार को बढ़ावा देने का प्रयास और श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में युक्तिसंगत और सरल बनाना।
- भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) का निम्न स्तर:
  - भारत में महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में परिवार के सदस्यों की देखरेख और अवैतनिक घरेलू सेवाओं में अधिक समय खर्च कर रही हैं (टाइम यूज़ सर्वे, 2019)
  - महिला कर्मचारियों के लिये कार्यस्थलों पर गैर-भेदभावपूर्ण कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जैसे कि चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित वेतन और कॅरियर में प्रगति, कार्य प्रोत्साहन में सुधार आदि।

असमानता और विकास

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में असमानता और प्रति व्यक्ति आय (विकास) का सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ समान संबंध है।
- आर्थिक विकास का ज़्यादा प्रभाव असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर पड़ता है।
- नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने के लिये भारत को आर्थिक विकास पर ज़ोर देना चाहिये। विकासशील अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरण सिर्फ तभी व्यवहार्य है, जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता रहे।

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: स्वास्थ्य और कल्याण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया, जो देश का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट है।

- बजट छ: प्रमुख स्तंभों पर आधारित है जो इस प्रकार हैं:
  1. स्वास्थ्य और कल्याण।
  2. वास्तविक और वितीय पूंजी तथा बुनियादी ढाँचा।

नोट :

3. आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास।
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार।
5. नवोन्मेष और अनुसंधान तथा विकास।
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

- बजट का यह खंड स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के प्रस्तावों से संबंधित है।

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
  - राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
  - राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
  - व्यय अनुमान।
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण।
  - आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत।
- संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:
  - बजट की प्रस्तुति।
  - आम चर्चा।
  - विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
  - अनुदान मांगों पर मतदान।
  - विनियोग विधेयक पारित करना।
  - वित्त विधेयक पारित करना।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीज़न बजट तैयार करने हेतु ज़िम्मेदार केंद्रीय निकाय है।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- बजट परिव्यय: स्वास्थ्य और कल्याण परिव्यय में वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में 137% की वृद्धि की गई है।
- प्रमुख कदम: स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

टीके:

- वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके (Covid-19 Vaccine) के लिये 35,000 करोड़ रुपए।
- मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन (Pneumococcal Vaccine) वर्तमान में पाँच राज्यों के साथ देश भर में वितरित की जाएगी, इससे प्रत्येक वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा।

स्वास्थ्य प्रणाली

- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के अतिरिक्त एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत की जाएगी।

नोट :

पोषण:

- 112 आकांक्षी ज़िलों में पोषण परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से मिशन पोषण 2.0 (Mission Poshan 2.0) शुरू किया जाना है।

व्यापक जल आपूर्ति कवरेज:

- जल जीवन मिशन (शहरी)- इसमें नल कनेक्शन के माध्यम से 2.86 करोड़ घरों में सुरक्षित पानी की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत:

- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (Swachh Bharat Mission 2.0) के लिये पाँच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन।

शुद्ध हवा:

- वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराना।

स्क्रैपिंग पॉलिसी:

- पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिये एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति (Voluntary Vehicle Scrapping Policy) को लागू करना।

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: अवसंरचना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। यह भारत का पहला डिजिटल बजट है।

- केंद्रीय बजट का यह खंड अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु:

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI):

- आत्मनिर्भर भारत के लिये विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों की स्थापना और उन्हें समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से अगले पाँच वर्षों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए जारी किये जाने की प्रतिबद्धता।

वस्त्र उद्योग:

- मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क (Mega Investment Textiles Parks- MITRA) योजना की घोषणा।

अवसंरचना:

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) का विस्तार करते हुए इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
- एनआईपी के लिये वित्तपोषण बढ़ाने हेतु तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष प्रयास NIP:
  - संस्थागत ढाँचे का निर्माण:
    - विकास वित्तीय संस्थान (DFI) की स्थापना और उसका पूंजीकरण करना।
  - आस्तियों के मुद्रीकरण पर विशेष ज़ोर।
  - पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी।

सड़कें और राजमार्ग अवसंरचना:

- केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटन।

नोट :

- नए आर्थिक गलियारों और एक्सप्रेस-वे बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
- चार लेन और छह लेन के सभी नए राजमार्गों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी।

रेलवे अवसंरचना:

- राष्ट्रीय रेल योजना (2030): वर्ष 2030 तक 'फ्यूचर रेडी' (Future Ready) रेलवे प्रणाली की स्थापना हेतु।
- दिसंबर 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना।
- पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) और पूर्वी DFC को जून 2022 तक चालू करना।
- यात्रियों की सुगमता और सुरक्षा के लिये उपाय:
  - यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिये पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किये गए 'बिस्टाडोम एलएचवी कोच' (Vista Dome LHB coach) का संचालन आरंभ।
  - भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और सर्वाधिक उपयोग किये जाने वाले रेलवे रूट पर स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली की स्थापना, जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेनों के टकराने जैसी दुर्घटनाओं को समाप्त करेगी।

शहरी अवसंरचना:

- मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार और सिटी बस सेवा का संवर्द्धन।
- समान अनुभव के साथ बहुत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली प्रदान करने हेतु 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो' प्रौद्योगिकियों का उपयोग ।

विद्युत अवसंरचना

- एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22 को लॉन्च करने का प्रस्ताव।
- आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना शुरू की जाएगी।

पत्तन, नौवहन, जलमार्ग:

- प्रमुख बंदरगाहों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं की शुरुआत का प्रस्ताव।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस:

- उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर में एक नई गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
- बगैर किसी भेदभाव के खुली पहुँच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: भौतिक और वित्तीय पूंजी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। यह भारत का पहला डिजिटल बजट है।

- यह खंड भौतिक और वित्तीय पूंजी से संबंधित प्रस्तावों से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु

वित्तीय पूंजी:

- एक युक्तिसंगत एकल प्रतिभूति बाज़ार कोड (Securities Markets Code) विकसित किया जाएगा।
- सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिये एक इन्वेस्टर चार्टर लागू किया जाएगा।

नोट :

- बॉण्ड बाज़ार के विकास में मदद के लिये एक नया स्थायी संस्थागत ढाँचा विकसित किया जाएगा।
- सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिये एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
  - इस उद्देश्य के लिये सेबी (Securities and Exchange Board of India) को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (Warehousing Development and Regulatory Authority) को मज़बूत बनाया जाएगा।
- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये संकल्प:
  - परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (बैड बैंक) का गठन किया जाएगा।
- बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाना:
  - बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना और विदेशी स्वामित्व तथा नियंत्रण संबंधी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा।
- जमा बीमा:
  - जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम कानून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act), 1961 में संशोधन जमाकर्त्ताओं को उनके डिपॉज़िट तक आसान और समयबद्ध पहुँच दिलाने में मदद करता है।
    - बैंक जमाकर्त्ताओं के लिये जमा बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
  - सरफेसी अधिनियम (Sarfaesi Act), 2002 के तहत ऋण वसूली के लिये न्यूनतम ऋण सीमा को 50 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से कम करके 20 लाख रुपए किया जाएगा।

कंपनी और फर्मों के लिये प्रावधान:

- सीमित देयता भागीदारी कानून (Limited Liability Partnership Act), 2008 को अपराध मुक्त बनाया जाएगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा, इससे इनकी आवश्यक अनुपालन शर्तें आसान हो जाएंगी।
- एक व्यक्ति कंपनियों (One Person Companies) के समावेश को प्रोत्साहित करके स्टार्ट-अप्स और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- निम्नलिखित माध्यम से मामलों (Case) का तेज़ी से समाधान सुनिश्चित करना:
  - राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) के ढाँचे को मज़बूत करना।
  - ई-कोर्ट (e-Court) प्रणाली को लागू करना।
  - ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करना तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) के लिये विशेष ढाँचा विकसित करना।

विनिवेश और रणनीतिक बिक्री:

- रणनीतिक विनिवेश के लिये नई नीति की मंजूरी; केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) को छोड़कर चार रणनीतिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जाएगा।
- आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा।
- बेकार पड़ी ज़मीन के मौद्रिकरण के लिये कंपनी के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) का गठन।
- बीमार और नुकसान में चल रही सीपीएसई को समय पर बंद करने के लिये संशोधित कार्यविधि की शुरुआत होगी।

सरकारी वित्तीय सुधार:

- वैश्विक आवेदन के लिये स्वायत्तशासी निकायों हेतु ट्रेज़री सिंगल अकाउंट (Treasury Single Account) को बढ़ाया जाना चाहिये।

नोट :

- सहकारिता के लिये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) को सहज बनाने हेतु अलग प्रशासनिक ढाँछे का निर्माण।

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया जो देश का पहला डिजिटल बजट है।

- बजट का यह खंड 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) तथा सरकार की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Position of the Government) से संबंधित है।

प्रमुख बिंदु:

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन:

- राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग का पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है ताकि 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों की पारदर्शिता, दक्षता और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल (National Nursing and Midwifery Commission Bill) को नर्सिंग पेशे हेतु पेश किया गया।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises- CPSEs) के बीच विवादों के त्वरित समाधान हेतु जनादेश के साथ प्रस्तावित सुलह तंत्र स्थापित करना।
- भारतीय इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हेतु 3,768 करोड़ रुपए आवंटित।
- गोवा राज्य की स्वतंत्रता की हीरक जयंती समारोह मनाने हेतु गोवा सरकार को पुर्तगाल से 300 करोड़ रुपए का अनुदान।
- असम और पश्चिम बंगाल में चाय बगान कामगारों विशेष रूप से महिला और उनके बच्चों के कल्याण के लिये विशेष योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन।

राजकोषीय स्थिति:

- 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत तक करने के लिये राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) हेतु योजना है।
  - लक्षित राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
- वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए किया गया है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें:

- वर्ष 2021-26 के लिये अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, राज्यों के शेयर 41 प्रतिशत पर रखे गए।
- केंद्र से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- आयोग की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को राजस्व हानि अनुदान के रूप में 74340 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 118452 करोड़ रुपए दिये गए।

कर प्रस्ताव:

- यदि भविष्य निधि (PF) का योगदान 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो ब्याज पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट, हालाँकि यह छूट केवल पेंशन और ब्याज से प्राप्त आय पर दी जाएगी।

नोट :

- आयकर निपटान आयोग को समाप्त कर दिया गया है।
- रिटर्न दाखिल न करने वाले लोगों को अधिक TDS देना होगा।
- विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय में कटौती की गई है।
- कई उत्पादों पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर अधिरोपित किया गया है।
- करदाताओं के लिये 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय हेतु विवाद समाधान समिति का गठन किया जाएगा।
- नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी।

बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: आकांक्षी भारत एवं मानव पूंजी के पुन: शक्तिवर्धन हेतु समावेशी विकास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। यह पहला डिजिटल बजट था।

- यह खंड 'आकांक्षी भारत एवं समृद्ध मानव पूंजी के पुन: शक्तिवर्धन हेतु समावेशी विकास' नामक विषय पर आधारित है।

प्रमुख बिंदु:

आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास:

- कृषि:
  - सभी जिंसों के लिये उनकी उत्पादन लागत का कम-से-कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना।
  - स्वामित्व योजना का प्रसार सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों तक किया जाएगा।
  - ऑपरेशन 'ग्रीन' योजना जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित होगी ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिले।
  - प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई- नाम) के साथ एकीकृत किया जाएगा।
  - APMC की बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाने के लिये कृषि बुनियादी ढाँचा निधियों तक पहुँच स्थापित करना।
- मत्स्यन
  - मछली पकड़ने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पाँच प्रमुख बंदरगाहों जैसे- कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
  - सीवीड (Seaweed) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क (Seaweed Park) की स्थापना।
- प्रवासी कामगार और मज़दूर:
  - देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने हेतु वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का प्रवासी कामगारों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है।
  - विशेष रूप से गैर-संगठित मज़दूरों, प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये पोर्टल।
  - निम्नलिखित 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी है-
    - 'गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स' के लिये सामाजिक सुरक्षा लाभ।
    - सभी श्रेणी के मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़दूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा।
    - महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाज़त होगी, जिसमें वह रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

नोट :

- नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा, जिससे वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे।

- वित्तीय समावेशन:
  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिये चलाई गई स्टैंडअप इंडिया स्कीम-
    - मार्जिन मनी को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
    - इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिये दिये जाने वाले ऋणों को शामिल किया जाएगा।

मानव पूंजी का पुन: शक्तिवर्धन

- विद्यालयी शिक्षा:
  - 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। इससे वे अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरण के रुप में उभर कर सामने आएंगे जिससे अन्य विद्यालयों के विकास में भी सहायता मिलेगी।
  - गैर-सरकारी संगठनों/निजी विद्यालयों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
- उच्चतर शिक्षा:
  - भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा। यह एक अम्ब्रेला निकाय होगा, जिसमें मापदंड-निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और वित्तपोषण के लिये चार अलग-अलग घटक होंगे।
  - सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में अम्ब्रेला संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
  - लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिये लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण:
  - जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य।
  - अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुन: प्रारंभ की गई
- कौशल विकास:
  - युवाओं के लिये अवसरों को बढ़ाने हेतु अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया।
  - इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिये शिक्षा-उपरांत अप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षण हेतु मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) के पुनर्निर्माण के लिये 3,000 करोड़ रुपए।
  - कौशल को लेकर अन्य देशों के साथ साझेदारी को उसी तरह बढ़ाया जाएगा, जिस तरह निम्नलिखित देशों के साथ साझेदारी की गई है:
    - संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौशल योग्यता, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और प्रमाणित श्रमिकों के बेंचमार्क को लेकर साझेदारी
    - जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिये सहयोगपूर्ण अंतर-प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी)।
- नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास
  - प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NTLM) की शुरुआत।
  - न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पीएसएलवी-सीएस51 (PSLV-CS51) को लॉन्च किया जाएगा, जो अपने साथ ब्राज़ील के अमेज़ोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा।
  - गगनयान मिशन की गतिविधियों के तहत-
    - चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जैनरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
    - पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा।
    - गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिये पाँच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

नोट :

परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी

चर्चा में क्यों ?

बजट 2021-22 में परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) को राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है तथा कहा गया है कि सरकार इसमें कोई इक्विटी योगदान नहीं देगी।

- ARC जो कि खराब परिसंपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिये परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी होगी, 70 बड़े खातों में 2-2.5 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगी।
- इसे सरकार द्वारा स्थापित 'बैड बैंक' का संस्करण माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी:

- उद्देश्य:
  - यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (Non Performing Assets-NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें।
  - यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।
- विधिक आधार:
  - सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
  - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पदनकारी संपत्ति के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया, जिसे ARCs को विनियमित करने की शक्ति मिली है।
- ARCs के लिये पूंजी आवश्यकताएँ:
  - वर्ष 2016 में सरफेसी अधिनियम में किये गए संशोधनों के अनुसार, एक ARC के पास न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की स्वामित्व निधि होनी चाहिये।
  - RBI ने वर्ष 2017 में यह राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी थी। ARC को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होगा।
    - जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का उपयोग पूंजी की न्यूनतम राशि निर्धारित करने हेतु किया जाता है जिसे दिवालिया होने के जोखिम को कम करने के लिये बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाए रखा जाना चाहिये।

नवीन ARC:

- आवश्यकता:
  - मौजूदा ARCs में से केवल 3-4 पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं, जबकि शेष एक दर्जन से अधिक अल्प पूंजीकृत हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का तत्काल समाधान करने के लिये एक नई संरचना स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सितंबर 2020 में बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5% हो सकती हैं, जो कि सितंबर 2020 में 7.5% थी।
- कार्यशैली:
  - ARC को 'स्ट्रेस्ड एसेट्स' का स्थानांतरण 'नेट बुक वैल्यू' पर होगा, जो कि इन एसेट्स के खिलाफ बैंकों द्वारा की गई 'एसेट माइनस प्रोविज़निंग' के मान के बराबर है। यह बैंकों को NPA के माध्यम से होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम बनाता है।
  - ARC को बेचे जाने वाली गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिये बैंकों को 15% नकद और 85% प्रतिभूति 'रिसीप्ट्स' प्राप्त होंगी।

नोट :

- जब वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित संपत्तियों को वसूली के उद्देश्य से ARC द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है तब ARCs द्वारा प्रतिभूति 'रिसीप्ट्स' जारी की जाती है।
- मौजूदा निर्देशों के अनुसार, SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत ' 'क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स' (Qualified Institutional Buyers-QIBs) द्वारा प्रतिभूति 'रिसीप्ट्स' में निवेश किया जाना प्रतिबंधित है।

- केंद्र सरकार द्वारा सहायता:
  - हालाँकि सरकार ARC को कोई प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता प्रदान नहीं करेगी, लेकिन यह संप्रभु गारंटी प्रदान कर सकती है जो नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक हो सकती है।

संभावित लाभ:

- ये संस्थाएँ बैंक बैलेंसशीट में गैर-निष्पादनकारी सपत्तियों के भार को कम करेंगी और बाज़ार आधारित तरीकों से इन 'बैड लोन्स' का प्रबंधन करेंगी।

अन्य प्रस्तावित सुधार:

- विकास वित्तीय संस्थान:
  - सरकार द्वारा प्रस्तावित विकास वित्तीय संस्थान (DFI) में 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' (IIFCL) का विलय किया जा सकता है, जो कि 3 वर्ष की लंबी अवधि में 5 लाख करोड़ रुपए. की 'इन्फ्रा फंडिंग' के लिये स्थापित की जा रही है। ।
  - नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID), प्रस्तावित DFI, नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) को सफल बनाने में सहायता प्रदान करेंगे।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तावित DFI को विनियमित करेगा, जो अपने प्रारंभिक वर्षों में सरकार के पूर्ण स्वामित्व में रहेगा।
- निजीकरण:
  - दो राज्य स्वामित्व वाले बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण के संबंध में कंपनियों को सरकार द्वारा परिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से पहचाना जाएगा।
  - पहले दौर में नीति आयोग द्वारा इसका चयन किया जाएगा, उसके बाद इसे सचिवों के मुख्य समूह के पास भेजा जाएगा और अंततः वैकल्पिक तंत्र द्वारा इसकी जाँच की जाएगी।

चौरी चौरा कांड के सौ साल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चौरी चौरा (Chauri Chaura) कांड के सौ साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है।

- चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित एक कस्बा है।
- इस कस्बे में 4 फरवरी, 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) ने असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement- 1920-22) को वापस ले लिया।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि (असहयोग आंदोलन की शुरुआत):

- गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त, 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
  - इस आंदोलन के तहत गांधीजी ने उन सभी वस्तुओं (विशेष रूप से मशीन से बने कपड़े), संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया था जिसके तहत अंग्रेज़ भारतीयों पर शासन कर रहे थे।

नोट :

- वर्ष 1921-22 की सर्दियों में कॉन्ग्रेस के स्वयंसेवकों और खिलाफत आंदोलन (Khilafat Movement) के कार्यकर्त्ताओं को एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाहिनी के रूप में संगठित किया गया।
  - प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने तथा प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था कर खलीफा को अधिक भू-क्षेत्र प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने खिलाफत कमेटी (1919 ई.) का गठन कर देशव्यापी आंदोलन की नींव रखी।
  - कॉन्ग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और महात्मा गांधी के प्रयास से इसे असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया।

चौरी चौरा कांड का विवरण:

- चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी को स्वयंसेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिये पास के मुंडेरा बाज़ार को चुना गया।
  - पुलिसकर्मियों ने उन्हें जुलूस निकालने से रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे और कई घायल हो गए।
  - गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए।
  - कुछ भागने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को पीट-पीटकर मार डाला गया। हथियारों सहित पुलिस की काफी सारी संपत्ति नष्ट कर दी गई।

अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया:

- ब्रिटिश राज ने अभियुक्तों पर आक्रामक तरीके से मुकदमा चलाया। सत्र अदालत ने 225 अभियुक्तों में से 172 को मौत की सज़ा सुनाई। हालाँकि अंततः दोषी ठहराए गए लोगों में से केवल 19 को फाँसी दी गई थी।

महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया:

- गांधीजी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की और आस-पास के गाँवों में स्वयंसेवक समूहों को भंग कर दिया गया। इस घटना पर सहानुभूति जताने तथा प्रायश्चित करने के लिये एक 'चौरी चौरा सहायता कोष' स्थापित किया गया था।
- गांधीजी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रवेश देख इसे रोकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी इच्छा 'कॉन्ग्रेस वर्किंग कमेटी' को बताई और 12 फरवरी, 1922 को यह आंदोलन औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया।

अन्य राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया:

- असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे कि गांधीजी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली थी।
- मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जैसे अन्य नेताओं ने गांधीजी के फैसले पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना का फैसला किया।

आंदोलन को वापस लेने का औचित्य:

- गांधीजी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार आंदोलन को वापस लिया जाना उचित ठहराया।
- बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि अहिंसा की गांधीवादी रणनीति का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी बल का उपयोग औपनिवेशिक राज्य के वास्तविक चरित्र को उजागर करेगा और अंततः उन पर नैतिक दबाव पड़ेगा, लेकिन चौरी चौरा जैसी घटनाएँ इस रणनीति के विपरीत थीं।
- इसके अलावा बिपिन चंद्रा ने स्वीकार किया कि गांधीजी द्वारा आंदोलन को वापस लेना उनके "संघर्ष विराम संघर्ष" रणनीति का हिस्सा था।

तत्काल परिणाम:

- असहयोग आंदोलन की वापसी ने कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि भारत अहिंसा के माध्यम से औपनिवेशिक शासन से मुक्त नहीं हो पाएगा।
- इन क्रांतिकारियों में जोगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, मास्टर सूर्य सेन आदि शामिल थे।

नोट :

- असहयोग आंदोलन की अचानक समाप्ति से खिलाफत आंदोलन के नेताओं का कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों से मोहभंग हो गया, फलत: कॉन्ग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई।

खुदरा निवेशकों की सरकारी प्रतिभूति मार्केट में प्रत्यक्ष पहुँच: आरबीआई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने खुदरा निवेशकों को बिचौलियों की मदद के बिना सीधे सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securit) में निवेश करने के लिये अपने यहाँ खाते खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।

- खुदरा निवेशक गैर-पेशेवर निवेशक होते हैं जो प्रतिभूतियों या फंडों को खरीदते और बेचते है, इसमें म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund) जैसी प्रतिभूतियों की एक बास्केट होती है।

सरकारी प्रतिभूति

- सरकारी प्रतिभूतियाँ वे सर्वोच्च प्रतिभूतियाँ हैं जो भारत सरकार की ओर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र/राज्य सरकार के बाज़ार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में नीलाम की जाती हैं।
- सरकारी प्रतिभूतियों की एक निश्चित या अस्थायी कूपन दर हो सकती है। इन प्रतिभूतियों की गणना बैंकों द्वारा SLR बनाए रखने के लिये की जाती है।
- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- सरकारी प्रतिभूतियों में संस्थागत निवेशकों जैसे- बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों का वर्चस्व है। ये इकाइयाँ 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक का व्यापार करती हैं।
- इसलिये छोटे निवेशकों, जो छोटे आकार में व्यापार करना चाहते हैं, के लिये द्वितीयक बाज़ार में कोई जगह नहीं है ।

प्रस्ताव के विषय में:

- रिज़र्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही बाज़ारों में ऑनलाइन माध्यम से सीधे पहुँच प्रदान की जाएगी।
  - प्राथमिक बाज़ार व्यवस्था पहली बार जारी की जा रही नई प्रतिभूतियों से संबंधित है।
  - द्वितीयक बाज़ार में मौजूदा प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। इसे स्टॉक बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी जाना जाता है।
- खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ सीधे गिल्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट (Gilt Investment Account) खोलने की अनुमति होगी। इस खाते को RBI रिटेल डायरेक्ट (RBI Retail Direct) कहा जाएगा।
  - गिल्ट अकाउंट की तुलना बैंक खाते से की जा सकती है, लेकिन इस खाते में पैसे के बजाय ट्रेज़री बिल या सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाता है।
- खुदरा निवेशकों की बोली प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य बैंकिंग समाधान माध्यम ई-कुबेर (E-kuber) द्वारा सक्षम किया जाएगा।

नोट :

महत्त्व:

- निवेशकों का विस्तार:
  - सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष खुदरा निवेश की अनुमति निवेशकों के आधार को बढ़ाएगी और इससे खुदरा निवेशकों की सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पहुँच सुनिश्चित होगी।
- एशिया में अग्रणी:
  - यह संरचनात्मक सुधार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों की श्रेणी में ला देगा, जिनके पास ऐसी सुविधाएँ पहले से मौजूद हैं।
  - भारत संभवत: एशिया में सरकारी प्रतिभूति में प्रत्यक्ष खुदरा निवेश की अनुमति देने वाला पहला देश होगा।
- सरकारी उधार की सुविधा:
  - परिपक्व प्रतिभूतियों (परिपक्वता तक खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियाँ) में अनिवार्य छूट वर्ष 2021-22 में सरकार के उधार कार्यक्रम (Government Borrowing Programme) को पूरा करने में सहायक होंगी।
- घरेलू वित्तीय बचत:
  - सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी की अनुमति से घरेलू बचत को बढ़ावा मिलेगा जो भारत के निवेश बाज़ार में एक गेम-चेंजर की भूमिका निभा सकता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश बढ़ाने को किये गए अन्य उपाय:

- प्राथमिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्द्धी (Non-Competitive) नीलामी।
  - एक व्यक्ति दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (Dated Government Security) की गैर-प्रतिस्पर्द्धी नीलामी में मूल्य उद्धृत किये बिना भाग ले सकता है।
- शेयर बाज़ार खुदरा बोलियों के लिये सेवा समूह (Aggregator) और सहायक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- द्वितीयक बाज़ार में एक विशिष्ट खुदरा क्षेत्र की अनुमति।

RBI की मौद्रिक नीति 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है।

- आरबीआई ने पहले ही अपनी मौद्रिक नीति (Monetary Policy Report) रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिये कई उपाय पेश किये थे।

प्रमुख बिंदु

जीडीपी का पूर्वानुमान:

- केंद्रीय बैंक के अनुसार, वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 10.5 प्रतिशत (पहली छमाही में 26.2 से 8.3 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।
  - सकल घरेलू उत्पाद में लॉकडाउन और उद्योगों के बंद होने के कारण वर्ष 2020-21 की जून तिमाही में 23.9% की गिरावट और सितंबर तिमाही में 7.5% की गिरावट आई थी।
  - रियल जीडीपी आर्थिक उत्पादन का एक पैमाना है जो मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभावों का लेखा-जोखा रखता है।
    - नॉमिनल जीडीपी: यह चालू कीमतों (वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमत) में व्यक्त सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है।

नोट :

- वास्तविक जीडीपी: नॉमिनल GDP के विपरीत यह किसी आधार वर्ष की कीमतों पर व्यक्त की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण का कारण:

- कृषि क्षेत्र की अच्छी संभावनाओं पर ग्रामीण मांग के निर्भर रहने की संभावना है।
- कोविड-19 के मामलों में गिरावट तथा टीकाकरण के प्रसार से संपर्क-गहन (Contact-Intensive) सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
- उपभोक्ता के प्रति पुन: विश्वास देखा जा रहा है और विनिर्माण क्षेत्र में सेवाओं तथा बुनियादी ढाँचे को लेकर उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं।
- सार्वजनिक निवेश में आत्मनिर्भर 2.0 और सरकार की 3.0 योजनाओं के तहत राजकोषीय प्रोत्साहन में तेज़ी आएगी।
- केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढाँचा, नवाचार तथा अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों पर ज़ोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज़ करना है।

अपरिवर्तित नीति दरें:

- RBI ने रेपो दर (Repo Rate) में चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility- LAF) के तहत कोई बदलाव नहीं किया है, यह 4% पर बरकरार है।
- रिवर्स रेपो दर, एलएएफ के तहत 3.35% और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF) दर तथा बैंक दर (Bank Rate) 4.25% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

अन्य निर्णय:

- नकद आरक्षित अनुपात (CRR):
  - RBI ने मई 2021 तक CRR को गैर-विघटनकारी तरीके से दो चरणों में 3% से 4% तक बहाल करने का निर्णय लिया है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष खुदरा निवेश:
  - आरबीआई ने छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति प्लेटफॉर्म पर सीधे पहुँच प्रदान करने हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव पेश किया है।
    - सरकारी प्रतिभूति, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारंपरिक साधन है और इसे निवेश का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है।

उदार रुख:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने भी विकास को पुनर्जीवित और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिये जब तक आवश्यक हो, उदार रुख अपनाने का फैसला लिया है।
- यह फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) मुद्रास्फीति के 4% के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।
  - सीपीआई खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता अपने उपयोग के लिये खरीदते हैं।
  - सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन तथा प्रकाश, आवास एवं कपड़े, बिस्तर व जूते सहित कई उप-समूह हैं।

मौद्रिक नीति समिति

समिति के विषय में:

- RBI की 'मौद्रिक नीति समिति' 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है।

नोट :

संरचना:

- मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 27 जून, 2016 को किया गया था।

अध्यक्ष:

- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

सदस्य:

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है।

निर्णय:

इस समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं और समान मतों की स्थिति में रिज़र्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।

कार्य-प्रणाली:

- यह महँगाई दर (4%) को प्राप्त करने के लिये रेपो रेट के निर्धारण का कार्य करती है।

प्रमुख शब्द

रेपो और रिवर्स रेपो दर:

- रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेते हैं। रेपो दर में कटौती कर RBI बैंकों को यह संदेश देता है कि उन्हें आम लोगों और कंपनियों के लिये ऋण की दरों को आसान करना चाहिये।
- रिवर्स रेपो दर रेपो रेट के ठीक विपरीत होती है अर्थात् बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिज़र्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिज़र्व बैंक उन्हें ब्याज देता है। रिज़र्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।

तरलता समायोजन सुविधा:

- तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility- LAF) भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों, रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।

बैंक दर:

- जिस सामान्य ब्याज दर पर रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। इसके द्वारा रिज़र्व बैंक साख नियंत्रण (Credit Control) का काम करता है।

सीमांत स्थायी सुविधा:

- सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility- MSF) के तहत बैंक अंतर-बैंक तरलता (Inter-Bank Liquidity) की कमी को पूरा करने के लिये आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार लेते हैं।
  - बैंक इंटरबैंक उधार के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिये एक-दूसरे को धन उधार देते हैं।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR):

- प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिज़र्व का एक निश्चित हिस्सा रिज़र्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्त्ताओं को यदि रकम निकालने की ज़रूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में दिक्कत न आए।

नोट :

बैंकों का निजीकरण

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट 2021 के तहत आगामी वित्तीय 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की गई है।

- वर्ष 1969 में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 51 वर्ष बाद उठाया जा रहा कदम, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना देगा।
- वर्तमान में भारत में 22 निजी बैंक और 10 छोटे वित्त बैंक हैं।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 1969 में देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था, इस निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को तत्कालीन सरकार के समाजवादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना था।
    - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का वर्ष 1955 में और देश के बीमा क्षेत्र का वर्ष 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।
  - पिछले 20 वर्षों में विभिन्न सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध रही हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने निजीकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था, हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तत्कालीन गवर्नर इस विचार के पक्ष में नहीं थे।
  - बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (बैड बैंक) की स्थापना के साथ निजीकरण के वर्तमान प्रयास वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिये बाज़ार आधारित समाधान खोजने के दृष्टिकोण का नेतृत्त्व करते हैं।
- निजीकरण का कारण
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति:
    - केंद्र सरकार द्वारा वर्षों तक पूंजीगत निवेश और शासन व्यवस्था में सुधार किये जाने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है।
    - इनमें से कई सार्वजानिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियाँ निजी बैंकों की तुलना में काफी अधिक हैं और साथ ही उनकी लाभप्रदता, बाज़ार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है।
  - दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा
    - दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से एक दीर्घकालिक परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों की परिकल्पना की गई है। यह कार्य या तो मज़बूत बैंकों को समेकित करके या फिर बैंकों का निजीकरण कर किया जाएगा।
    - सरकार की प्रारंभिक योजना चार बैंकों के निजीकरण की थी। पहले दो बैंकों के सफल निजीकरण के बाद सरकार आने वाले वित्तीय वर्षों में अन्य दो या तीन बैंकों के विनिवेश पर ज़ोर दे सकती है।
    - यह निर्णय सरकार, जो कि बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, को बैंकों को वर्ष-प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के दायित्व से मुक्त करेगा।
    - बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अब सरकार के पास केवल 12 सार्वजनिक बैंक मौजूद हैं, जिनकी संख्या पूर्व में कुल 28 थी।
  - बैंकों को मज़बूती प्रदान करना
    - सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा साथ ही निजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है।
  - अलग-अलग समितियों की सिफारिशें
    - कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है:
    - नरसिम्हन समिति ने हिस्सेदारी को 33 प्रतिशत तक सीमित करने की बात की थी।

नोट :

- पी.जे. नायक समिति ने हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से कम करने का सुझाव दिया था।
- RBI के एक कार्यकारी समूह ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है।

- बैंकों का चुनाव
  - जिन दो बैंकों का निजीकरण किया जाना है, उनका चयन एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जिसमें नीति आयोग द्वारा बैंकों की सिफारिश की जाएगी और विनिवेश पर सचिवों के एक समूह और फिर वैकल्पिक तंत्र (मंत्रियों के समूह) द्वारा विचार जाएगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित समस्याएँ
  - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की उच्च मात्रा
    - सरकार द्वारा विलय और इक्विटी इंजेक्शन के कई प्रयासों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में पिछले कुछ वर्षों में सुधार देखा गया है। हालाँकि निजी बैंकों की तुलना में सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की मात्रा काफी अधिक है, किंतु बीते कुछ समय से इस मात्रा में गिरावट आनी शुरू हो गई है।
  - कोरोना महामारी का प्रभाव
    - कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विनियामक छूट हटाए जाने के बाद बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है।
    - RBI की हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5 प्रतिशत हो सकता है।
    - इसका अर्थ होगा कि सरकार को फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के कमज़ोर बैंकों में इक्विटी को इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी।
- निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन
  - बाज़ार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी
    - बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में निजी बैंकों की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 21.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में 36 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 74.28 प्रतिशत से गिरकर 59.8 प्रतिशत पर पहुँच गई है।
  - बेहतर उत्पाद और सेवा
    - रिज़र्व बैंक ने वर्ष 1990 के दशक में निजी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी थी, तब से बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्द्धा काफी तेज़ हो गई है। निजी बैंकों ने नए उत्पादों, प्रौद्योगिकी और बेहतर सेवाओं के माध्यम से बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी का विस्तार किया है तथा शेयर बाज़ार में भी बेहतर स्थान हासिल किया है।
    - HDFC बैंक (1994 में स्थापित) का बाज़ार पूंजीकरण तकरीबन 8.80 लाख करोड़ रुपए है, जबकि SBI का 3.50 लाख करोड़ रुपए है।
- निजी क्षेत्रों से संबंधित समस्याएँ
  - औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (ICICI) बैंक के प्रबंध संचालक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को कथित रूप से संदिग्ध ऋण देने के लिये बर्खास्त कर दिया गया।
  - 'यस बैंक' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को रिज़र्व बैंक द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया गया था और अब उन्हें विभिन्न एजेंसियों की जाँच का सामना करना पड़ रहा है।
  - 'लक्ष्मी विलास बैंक' को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हाल ही में उसका DBS बैंक ऑफ सिंगापुर में विलय हो गया।
- NPA रिकॉर्डिंग में कमी
  - रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2015 में जब बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा का आदेश दिया था, तो 'यस बैंक' सहित निजी क्षेत्र के कई अन्य बैंकों के NPA की रिपोर्टिंग में कमी देखने को मिली थी।

आगे की राह

- सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों के शासन और प्रबंधन में सुधार के लिये पी.जे. नायक समिति की सिफारिशों को लागू किये जाने की आवश्यकता है।

नोट :

- बिना सही ढंग से विचार किये निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जीवन बीमा निगम (LIC) जैसा निगम का स्वरूप दिया जा सकता है। सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रेंट क्रूड आयल की कीमत एक साल के बाद 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है। ब्रेंट क्रूड आयल की कीमत में वृद्धि तेल उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और कोविड-19 का टीका आने के बाद वैश्विक मांग में सुधार की उम्मीद के कारण देखी गई है।

- इतिहास में पहली बार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (West Texas Intermediate- WTE) क्रूड आयल की कीमत अप्रैल 2020 में 40.32 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पहुँच गई थी।
- WTI और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव से अन्य प्रकार के कच्चे तेलों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं।

प्रमुख बिंदु

तेल का मूल्य निर्धारण:

- सामान्यत: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक तेल उत्पादक संघ के रूप में कच्चे तेल का मूल्य निर्धारित करता है।
  - सऊदी अरब के हाथ में OPEC का नेतृत्व है जो विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक (वैश्विक मांग का 10% निर्यात करता है) है।
  - OPEC के 13 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेज़ुएला) सदस्य हैं।
- OPEC तेल उत्पादन में वृद्धि करके कीमतों में कमी और उत्पादन में कटौती करके कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है।
- तेल का मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रतियोगिता के बजाय तेल निर्यातक देशों के बीच साझेदारी पर निर्भर करता है।
- तेल उत्पादन में कटौती या तेल के कुएँ पूरी तरह से बंद करना एक कठिन निर्णय है, क्योंकि इसे फिर से शुरू करना बेहद महँगा और जटिल है।
  - यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है और दूसरा देश इस प्रकार की कटौती नहीं करता है तो उसे बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी खोनी पड़ सकती है।
- OPEC तेल की वैश्विक कीमत और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये OPEC+ के रूप में रूस के साथ काम कर रहा है।
  - OPEC और अन्य देश जो शीर्ष तेल-निर्यातक हैं, के गठबंधन को OPEC+ के नाम से जाना जाता है।

वर्तमान में मूल्य वृद्धि का कारण:

- सीमित आपूर्ति:
  - प्रमुख तेल उत्पादक देशों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण मांग में भारी गिरावट के चलते तेल उत्पादन में कटौती कर दी गई थी।
    - फरवरी और मार्च 2020 में तेल आपूर्ति में OPEC और इसके सहयोगी देशों द्वारा कटौती के बाद सऊदी अरब ने कटौती करने का वादा किया था।
  - तेल की कीमत में बढ़ोतरी करने के लिये OPEC और रूस (OPEC+) ने जनवरी 2021 की शुरुआत में तेल उत्पादन में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की।
- मांग में बढ़ोतरी:
  - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कोविड-19 के टीके का निर्माण और लॉकडाउन के बाद उपभोग में बढ़ोतरी के चलते सुधार हुआ है।

नोट :

भारत पर प्रभाव:

- चालू खाता घाटा: देश के आयात बिल में तेल की कीमतों में वृद्धि से बढ़ोतरी होगी, जिससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और बढ़ जाएगा।
  - तेल बिल में प्रतिवर्ष कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी से लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होती है।
  - भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 80% हिस्सा आयात करता है और भारत में जनवरी 2021 से कच्चे तेल की कीमत 54.8 डॉलर प्रति बैरल हो गई है।
- मुद्रास्फीति: कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि (जो पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है) मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है।
  - इस मुद्रास्फीति के कारण मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) को नीतिगत दरों का निर्धारण करने में कठिनाई होगी।
  - भारत सरकार ने वर्ष 2020 में कमज़ोर आर्थिक गतिविधियों के बीच अपने राजस्व को बढ़ाने के लिये पेट्रोल और डीज़ल पर क्रमश: 13 और 11 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) लगा दिया था।
- राजकोषीय स्थिति: तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो सरकार को पेट्रोलियम और डीज़ल पर करों में कटौती करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा, जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। अत: राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) बिगड़ सकता है।
  - भारत पिछले दो वर्षों में कम आर्थिक वृद्धि के कारण कर राजस्व की कमी के चलते अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है।
  - राजस्व में कमी से केंद्र के विभाजन योग्य कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा और राज्य सरकारों को माल तथा सेवा कर (GST) ढाँचे के तहत राजस्व कमी के लिये दिया जाने वाला मुआवज़ा प्रभावित होगा।
- सकारात्मक परिणाम: भारत को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से लाभ भी हो सकता है।
  - भारतीय तेल और गैस कंपनियों के मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में विनिवेश (Disinvestment) से अधिक राशि प्राप्त हो सकती है।
  - भारतीयों द्वारा फारस की खाड़ी से भेजी जाने वाली धनराशि बढ़ सकती है।

ब्रेंट और WTI के बीच अंतर

उत्पत्ति:

- ब्रेंट क्रूड आयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शेटलैंड द्वीप (Shetland Islands) और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों में होता है।
- वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट (WTI) ऑयल क्षेत्र मुख्यत: अमेरिका (टेक्सास, लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा) में अवस्थित है।

लाइट एंड स्वीट:

- ब्रेंट क्रूड आयल और WTI दोनों ही हल्के और स्वीट (Light and Sweet) होते हैं, लेकिन ब्रेंट में API भार थोड़ा अधिक होता है।
  - अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान (API) कच्चे तेल या परिष्कृत उत्पादों के घनत्व का एक संकेतक है।
- ब्रेंट (0.37%) की तुलना में डब्ल्यूटीआई में कम सल्फर सामग्री (0.24%) होने के कारण इसे तुलनात्मक रूप में "मीठा" कहा जाता है।

बेंचमार्क मूल्य:

- OPEC द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रेंट क्रूड आयल मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य (Benchmark Price) है, जबकि अमेरिकी तेल कीमतों के लिये WTI क्रूड आयल मूल्य एक बेंचमार्क है।
- भारत मुख्य रूप से क्रूड आयल OPEC देशों से आयात करता है, अत: भारत में तेल की कीमतों के लिये ब्रेंट बेंचमार्क है।

शिपिंग लागत:

- शिपिंग की लागत आमतौर पर ब्रेंट क्रूड आयल के लिये कम होती है, क्योंकि इसका उत्पादन समुद्र के पास होता है, जिससे इसे कार्गो जहाज़ों में तुरंत लादा जा सकता है।

नोट :

- WTI कच्चे तेल का शिपिंग का मूल्य अधिक होता है क्योंकि इसका उत्पादन भूमि वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ भंडारण की सुविधा सीमित है।

सक्षम पोर्टल और समुद्री शैवाल मिशन: TIFAC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (Technology Information, Forecasting and Assessment Council- TIFAC) ने दो नई प्रौद्योगिकी पहलों- सक्षम (Saksham) नाम से एक जॉब पोर्टल तथा समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती एवं इसके प्रसंस्करण के लिये समुद्री शैवाल मिशन (Seaweed Mission) का शुभारंभ किया है।

- TIFAC का गठन फरवरी 1988 में 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। यह भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का आकलन करने और महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में भविष्य के तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित करने का कार्य करता है।

प्रमुख बिंदु

सक्षम पोर्टल:

- पोर्टल के विषय में:
  - सक्षम (श्रमिक शक्ति मंच) पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) तथा अन्य उद्योगों की ज़रूरतों एवं श्रमिकों के कौशल को एक साझा मंच प्रदान करता है। यह एक अखिल भारतीय पोर्टल है।
  - इस पोर्टल के माध्यम से 10 लाख ब्लू कॉलर नौकरियों का सृजन किया जाएगा।
- विशेषताएँ:
  - उच्च प्रौद्योगिकी: यह अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में श्रमिकों को उनके कौशल के हिसाब से उद्योगों में संभावित रोज़गार के अवसरों की जानकारी देता है। इसके लिये एलगारिथम (कलन विधि) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल किया गया है। इसमें श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण का विश्लेषण करने की सुविधा भी है।
  - ऑटोमेटिक अपडेट: विभिन्न व्हाट्सएप और अन्य लिंक के माध्यम से श्रमिक और उद्योगों (विशेषकर एमएसएमई) से संबंधित डेटा/जानकारी को ऑटोमेटिक रूप से अपडेट (Automatic Updation) किया जा रहा है।
- लाभ:
  - यह पोर्टल श्रमिकों और उनके कौशल के बारे में सीधे MSME एवं अन्य नियोक्ताओं को जानकारी देने में भी मदद करेगा।
    - यह पोर्टल श्रमिकों को समीपवर्ती MSME में नौकरी का अवसर प्रदान कर उनके प्रवासन को कम करेगा।
  - यह उद्योगों में श्रमिकों की ज़रूरतों के लिये बिचौलियों और ठेकेदारों पर निर्भरता को खत्म करेगा।

अन्य संबंधित पहलें:

- श्रमशक्ति पोर्टल (जनजातीय मामलों का मंत्रालय)।
- असीम पोर्टल (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय)।
- NMIS डैशबोर्ड (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)।

समुद्री शैवाल मिशन:

- पृष्ठभूमि:
  - समुद्री शैवाल का वैश्विक उत्पादन 32 मिलियन टन है जिसका मूल्य लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर है। कुल वैश्विक उत्पादन का 57 प्रतिशत हिस्सा चीन, 28 प्रतिशत इंडोनेशिया इसके बाद दक्षिण कोरिया और भारत द्वारा 0.01-0.02 प्रतिशत का उत्पादन किया जाता है।

नोट :

- समुद्री शैवालों की खेती के अनेक लाभों के बावजूद भारत में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के समान व्यावसायिक खेती उपयुक्त पैमाने पर नहीं की जाती है।

- मिशन के बारे में:
  - इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में समुद्री शैवाल की व्यावसायिक खेती और मूल्य संवर्द्धन के लिये शुरू किया गया है।
  - इस मिशन में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं:
    - आर्थिक रूप से फायदेमंद समुद्री शैवाल की खेती के लिये भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मॉडल फार्म की स्थापना करना।
    - देश में आर्थिक रूप से फायदेमंद समुद्री शैवाल की बड़े पैमाने पर खेती के लिये बीज की आपूर्ति हेतु समुद्री शैवाल नर्सरी की स्थापना करना।
    - उपभोक्ता के खान पान की आदतों के अनुरूप खाद्य समुद्री शैवाल के लिये प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों की स्थापना करना।
    - समुद्री शैवाल के विकास से जुड़ी मूल्य श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला विकास, देश में समुद्री परियोजनाओं के पर्यावणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों जैसी गतिविधियों से संबधित आँकड़ों का संग्रह करना।
- लाभ: समुद्री शैवाल की खेती भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के 5% हिस्से में की जाए तो:
  - पाँच करोड़ लोगों को रोज़गार मिल सकता है।
  - एक नया समुद्री शैवाल उद्योग स्थापित हो सकता है।
  - यह राष्ट्रीय जीडीपी में बड़ा योगदान कर सकता है।
  - समुद्री उत्पादों में वृद्धि कर सकता है।
  - शैवालों की जल क्षेत्रों में अनावश्यक भरमार को कम कर सकता है।
  - लाखों टन कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) को अवशोषित कर सकता है।
  - जैव ईंधन का 6.6 अरब टन उत्पादन कर सकता है।

समुद्री शैवाल

समुद्री शैवाल के विषय में:

- ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- समुद्री शैवाल पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फारेस्ट (Kelp Forest) कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिये नर्सरी का कार्य करते हैं।
- समुद्री शैवाल की अनेक प्रजातियाँ हैं जैसे- ग्रेसिलिरिया एडुलिस, ग्रेसिलिरिया क्रैसा, ग्रेसिलिरिया वेरुकोसा, सरगस्सुम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि।

अवस्थिति:

- समुद्री शैवाल ज़्यादातर अंतर-ज्वारीय क्षेत्र (Intertidal Zone) और उथले तथा गहरे समुद्री पानी में पाए जाते हैं, इसके अलावा ये ज्वारनदमुख (Estuary) एवं बैकवाटर (Backwater) में भी पाए जाते हैं।
- दक्षिण मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) में चट्टानी अंतर-ज्वारीय क्षेत्र और निचले अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में कई समुद्री प्रजातियों की समृद्ध आबादी है।

पारिस्थितिक महत्त्व:

- जैव संकेतक: समुद्र में कृषि, उद्योग, मत्स्य पालन और घरों से जाने वाला कचरा असंतुलन शैवाल प्रस्फुटन, समुद्री रासायनिक क्षति आदि का कारण बनता है। समुद्री शैवाल अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं।

नोट :

- आयरन सीक्वेस्टर: जलीय जीव आयरन पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो समुद्री शैवाल इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं। समुद्री शैवालों द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है।
- ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों का पूर्तिकर्त्ता: समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्त्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपने शरीर के हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अन्य समुद्री जीवों को भी जैविक पोषक तत्त्वों की आपूर्ति करते हैं।

जलवायु परिवर्तन के शमन में भूमिका:

- समुद्री शैवालों की जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल समुद्र के सिर्फ 9% हिस्से में मौजूद शैवाल से प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकता है। इसलिये समुद्री शैवाल की खेती कार्बन के अवशोषण के लिये 'समुद्री वनीकरण' के रूप में की जा सकती है।

अन्य उपयोगिताएँ:

- इनका उपयोग उर्वरकों के रूप में और जलीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।
- समुद्री शैवाल को मवेशियों को खिलाकर इनसे होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
- इन्हें तट बाँधों के रूप में समुद्र तट के कटाव से निपटने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इनका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट आदि तैयार करने में एक घटक के रूप में किया जाता है।

खाद्य प्रणाली और पोषण पर दिशा-निर्देश: CFS

चर्चा में क्यों ?

विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) ने खाद्य प्रणालियों और पोषण पर स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों (VGFSyN) का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण का उपयोग कर भूख और कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिये देशों की सहायता करना है।

- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) द्वारा यह समर्थन उसके 47वें सत्र के दौरान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- दिशा-निर्देशों के बारे में
  - खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण
    - ये दिशा-निर्देश स्थायी खाद्य प्रणालियों और स्वस्थ आहारों के बीच जटिल एवं बहुआयामी अंतर-संबद्धता को दर्शाते हैं।
    - खाद्य प्रणाली उत्पादन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, भंडारण, वितरण, विपणन, खरीद, खपत, खाद्य हानि और अपशिष्ट के साथ-साथ इन गतिविधियों के आउटपुट, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम शामिल हैं, का एक जटिल तंत्र होती है।
  - सात नीतिगत क्षेत्र
    - पारदर्शी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह शासन।
    - स्वस्थ आहार और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सतत् खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएँ।
    - स्वस्थ आहार तक समान और न्यायोचित पहुँच।
    - खाद्य सुरक्षा।
    - व्यक्ति-केंद्रित पोषण ज्ञान, शिक्षा और सूचना।
    - खाद्य प्रणाली में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण।
    - मानवीय संदर्भ में लचीली खाद्य प्रणाली।
  - महत्त्व
    - इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के कार्य और जनादेश जैसे- 'यूएन डिकोड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन' (2016-2025) और 'ज़ीरो हंगर' सतत् विकास लक्ष्य- 2 आदि को आगे बढ़ाना और उनके पूरक के रूप में कार्य करना है।

नोट :

- ये दिशा-निर्देश सभी के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में पर्याप्त भोजन के अधिकार की वकालत करते हैं, विशेष तौर पर कमज़ोर और संवेदनशील समूहों के लिये।
- ये निर्देश नीति नियोजन और शासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि खाद्य प्रणालियों को अधिक लचीला और उत्तरदायी बनाया जा सके एवं वे उपभोक्ताओं और उत्पादकों की ज़रूरतों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की ज़रूरतों के अनुसार हों।

विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS)

- सभी हितधारकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने हेतु एक साथ काम करने के लिये यह सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-सरकारी मंच है।
- यह समिति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा को और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सम्मेलन को रिपोर्ट करती है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) द्वारा 'खाद्य और कृषि संगठन' के रोम स्थित मुख्यालय में प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह में एक वार्षिक सत्र का आयोजन किया जाता है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति को 'खाद्य और कृषि संगठन', 'इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट' (IFAD) और 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' (WFP) द्वारा समान रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
- भारतीय परिदृश्य
  - भारत में भूख और कुपोषण की स्थिति
    - खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी 'विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति, 2020' नामक रिपोर्ट के मुताबिक,
    - भारत में 189.2 मिलियन लोग कुपोषित हैं यानी तकरीबन 14 प्रतिशत आबादी कुपोषण का सामना कर रही है।
    - 15 से 49 वर्ष की प्रजनन आयु की 51.4 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।
    - पाँच वर्ष से कम आयु के 34.7 प्रतिशत बच्चे 'स्टंटिंग' (उम्र की तुलना में कम वज़न) से, जबकि 20 प्रतिशत बच्चे 'वेस्टिंग' (ऊँचाई की तुलना में कम वज़न) से पीड़ित हैं।
    - इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है।
  - इस संबंध में किये गए प्रयास
    - वर्ष 2017-18 में शुरू किये गए 'पोषण अभियान' का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के बीच तालमेल, बेहतर निगरानी और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से स्टंटिंग, अल्प-पोषण, और एनीमिया से संबंधित मामलों में कमी लाना है।
    - अंत्योदय अन्न योजना (AAY) का उद्देश्य गरीब परिवारों को रियायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना है।
    - वर्ष 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास (स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा) करना, साथ ही शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करना है।
    - 'मिड-डे मील' (MDM) योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, साथ ही इस योजना का स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति के स्तर पर भी प्रत्यक्ष और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
    - 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद 6000 रुपए प्रदान किये जाते हैं, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके।
    - 'नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी' किसानों के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उन्नत कृषि प्रथाओं के वितरण को सक्षम बनाती है।
    - 'नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर' का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) का उद्देश्य जल-उपयोग दक्षता में सुधार करना है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस ने पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन (West Asia Peace Conference) के लिये फिलिस्तीनी प्रस्ताव का समर्थन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दो-राज्य समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसके तहत इज़राइल के साथ-साथ फिलिस्तीन राज्य भी अस्तित्व में होगा।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने इज़राइल का पक्ष लिया, परंतु अब संयुक्त राज्य अमेरिका का इरादा " इज़राइलियों के साथ-साथ फिलीस्तीनियों से भी विश्वसनीय संबंधो को बहाल करना है।"
- सम्मेलन में भागीदार:
  - 10 प्रतिभागियों में इज़राइल, फिलीस्तीन, पश्चिम एशिया राजनयिक चौकड़ी के चार सदस्य (रूस, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ) शामिल होंगे, साथ ही चार अरब राज्य- बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल होंगे।

रूस का सुझाव:

- रूस ने सुझाव दिया कि पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन मंत्री स्तर पर आयोजित किया जा सकता है।

अन्य संबंधित पहल:

- इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच अब्राहम समझौते की मध्यस्थता अमेरिका द्वारा की जाती है। यह 26 वर्षों में पहला अरब-इज़राइल शांति समझौता था।
- फिलिस्तीन इस समझौते से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंतित हैं।

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष

पृष्ठभूमि:

ब्रिटिश चरण:

- प्रथम विश्व युद्ध में मध्य-पूर्व के ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया।
- यह क्षेत्र यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक आबादी का निवास स्थान रहा है।
- इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1917 में उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बल्फौर ने 'बल्फौर घोषणा' (Balfour Declaration) के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी 'राष्ट्रीय घर' (National Home) के निर्माण के लिये ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया।
  - यहूदियों के लिये यह उनका पैतृक निवास स्थान था, लेकिन फिलिस्तीनी अरबों ने भी इस ज़मीन पर दावा किया जिसका विरोध किया गया।
- अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावों का समाधान करने के लिये इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) के विचारार्थ प्रस्तुत किया।

नोट :

- वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इज़राइल की घोषणा कर दी और इज़राइल एक देश बन गया, इसके परिणामस्वरूप आस-पास के अरब राज्यों (इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया) ने इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।

ब्रिटिश के बाद का चरण:

- वर्ष 1967 में प्रसिद्ध 'सिक्स डे वार' (Six-Day War) हुआ, जिसमें इज़राइली सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरूशलम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया।
- अधिकांश फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गाजा तथा वेस्ट बैंक, साथ ही पड़ोसी जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान में भी रहते हैं।
  - न तो फिलिस्तीनी शरणार्थी और न ही उनके वंशजों को इज़राइल ने उनके घरों में लौटने की अनुमति दी है, इज़राइल का कहना है कि इससे देश का विकास अवरुद्ध होगा और यहूदी राज्य के रूप में देश के अस्तित्व को खतरा होगा।
- वेस्ट बैंक पर अभी भी इज़राइल का कब्ज़ा है, हालाँकि यह गाजा से बाहर हो गया है, संयुक्त राष्ट्र (UN) अभी भी इस क्षेत्र को कब्ज़े वाले क्षेत्र के हिस्से के रूप में मानता है।
- इज़राइल पूरे यरुशलम पर अपनी राजधानी के रूप में दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में दावा करते हैं।
- पिछले 50 वर्षों में इज़राइल ने इन क्षेत्रों में बस्तियाँ स्थापित की हैं, जहाँ वर्तमान में 6,00,000 से अधिक यहूदी रहते हैं।
- फिलिस्तीनियों का कहना है कि ये बस्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और शांति के मार्ग में बाधा हैं, लेकिन इज़राइल इससे इनकार करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के रुख में बदलाव:

- अमेरिका ने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने हितों के अनुसार, वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को अलग करने के समर्थन में इज़राइली योजनाओं का समर्थन करके ओस्लो समझौते में एक स्पष्ट बदलाव को चिह्नित किया है।
  - USA की शांति योजना की ज़िम्मेदारी होगी कि इज़राइल एक एकीकृत यरूशलम को अपनी राजधानी के रूप में नियंत्रित करेगा और वेस्ट बैंक में किसी भी बस्ती को हटाने के लिये इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
    - यह योजना बिना किसी सार्थक फिलिस्तीनी भागीदारी के तैयार की गई थी और इसे इज़राइल के पक्ष में बनाया गया था।
  - वर्ष 1993 में ओस्लो समझौते के तहत इज़राइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (PLO) एक-दूसरे को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और हिंसा को त्यागने के लिये सहमत हुए।
  - ओस्लो समझौते ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की, जिसे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता मिली।
- हालाँकि हाल ही में प्रशासन में बदलाव के बाद USA ने कहा कि वह फिलिस्तीनियों के साथ संबंधों को नवीनीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

भारत का रुख:

- भारत ने आज़ादी के पश्चात् लंबे समय तक इज़राइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, जिससे यह स्पष्ट था कि भारत, फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है, किंतु वर्ष 1992 में इज़राइल के साथ भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और अब ये रणनीतिक संबंधों में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर हैं।
- भारत पहला गैर-अरब देश था, जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी।
  - साथ ही भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था।

नोट :

- वर्ष 2014 में भारत ने गाजा में इज़राइल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच के लिये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के प्रस्ताव का समर्थन किया। जाँच का समर्थन करने के बावजूद भारत ने वर्ष 2015 में UNHRC में इज़राइल के खिलाफ मतदान करने से खुद को अलग रखा।
- भारत ने वर्ष 2018 में लिंक वेस्ट पॉलिसी के एक हिस्से के रूप में इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के साथ पारस्परिक रूप से स्वतंत्र और विशेष संबंध स्थापित किये।
- जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में इज़राइल द्वारा पेश किये गए एक फैसले के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फिलिस्तीनी गैर-सरकारी संगठन को परामर्शात्मक दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी।
- अब तक भारत ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के संबंध में अपने ऐतिहासिक नैतिक समर्थक की छवि को बनाए रखने की कोशिश की है और साथ ही वह इज़राइल के साथ सैन्य, आर्थिक और अन्य रणनीतिक संबंधों में भी संलग्न है।

आगे की राह:

- इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान के लिये विश्व को एक साथ आने की ज़रूरत है परंतु इज़राइल की सरकार और अन्य शामिल दलों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक बढ़ा दिया है। इस प्रकार इज़राइल-फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों के साथ-साथ इज़राइल से अनुकूल संबंध बनाए रखने में मदद करेगा।

हॉन्गकॉन्ग के निवासियों को ब्रिटिश वीज़ा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिटेन ने हॉन्गकॉन्ग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिये एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है।

- यह कदम चीन द्वारा हॉन्गकॉन्ग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हॉन्गकॉन्ग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हॉन्गकॉन्ग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है।
- ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन (European Union- EU) का सदस्य रहते हुए वर्ष 2004 में विदेशी श्रमिकों को नागरिकता देने के निर्णय को स्वीकार किया था। इस निर्णय के बाद ब्रिटेन द्वारा विदेशी नागरिकों को स्वीकार करने हेतु यह पहला प्रमुख कदम है, जबकि ब्रिटेन इस समय यूरोपीय यूनियन का सदस्य भी नहीं है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- ब्रिटिश सरकार ने हॉन्गकॉन्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के पूर्व ही जुलाई 2020 से हॉन्गकॉन्ग के लगभग 7,000 लोगों को अपने देश में आने की अनुमति दी थी।
- इन्हें वीज़ा योजना के माध्यम से नहीं बल्कि सरकार की इजाज़त पर प्रवास करने की अनुमति दी गई थी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जवाब में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा ने हॉन्गकॉन्ग के साथ अपने प्रत्यर्पण संधियों को निलंबित कर दिया है।

विशेष वीज़ा योजना की शर्तें:

- ब्रिटेन में हॉन्गकॉन्ग के लोगों और उनके आश्रितों को रखने के लिये एक ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ वीज़ा (British National Overseas Passport) जारी किया जाएगा।
- वीज़ा धारक ब्रिटेन में 5 वर्ष तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। वे ब्रिटेन की नागरिकता के लिये 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकते हैं।

नोट :

इस वीज़ा योजना का कारण (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून):

- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से खतरा: चीन ने हॉन्गकॉन्ग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चीन की मनमानी और आपराधिक गतिविधियों को छुपाना है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मूल कानून के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है जो हॉन्गकॉन्ग और बीजिंग के बीच संबंधों को परिभाषित करता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रावधान:
  - इसमें तोड़फोड़, आतंकवाद और विदेशी ताकतों से मिलीभगत को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिये अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास है।
  - सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को नुकसान पहुँचाने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
  - इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले लोगों को सार्वजनिक पदों के लिये अयोग्य करार दिया गया है।
  - चीन, हॉन्गकॉन्ग में एक नए सुरक्षा कार्यालय की स्थापना करेगा। इस कार्यालय का कोई भी कर्मचारी हॉन्गकॉन्ग के स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा।
  - हॉन्गकॉन्ग को चीन द्वारा नियुक्त सलाहकार के साथ कानूनों को लागू करने के लिये अपना राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग स्थापित करना होगा।
    - यह कार्यालय कुछ मामलों पर फैसले हेतु उन्हें चीन भेज सकता है।
  - हॉन्गकॉन्ग के मुख्य कार्यकारी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की सुनवाई के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी, जिससे हॉन्गकॉन्ग की न्यायिक स्वायत्तता पर खतरा बढ़ेगा।
  - चीन को कानून की व्याख्या करने का भी अधिकार होगा।

ब्रिटेन का पक्ष:

- यह सुरक्षा कानून चीन-ब्रिटेन के बीच वर्ष 1984 में हुई संधि का गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन है।
  - चीन ने इस संधि के तहत वर्ष 1997 से 50 साल की अवधि तक हॉन्गकॉन्ग की नीति, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने का वादा किया था।

चीन का पक्ष:

- चीन द्वारा ब्रिटेन के इस कदम की आलोचना की गई और कहा गया कि हॉन्गकॉन्ग 24 वर्ष पहले चीन को सौंप दिया गया था।
- चीन ने कहा कि BN(O) पासपोर्ट उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है, अत: वह इसे मान्यता नहीं देगा।

ब्रिटेन द्वारा चीन को हॉन्गकॉन्ग के प्रशासन का हस्तांतरण

- हॉन्गकॉन्ग लगभग एक शताब्दी तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, जिसे एक लंबी वार्ता द्वारा वर्ष 1997 में चीन को सौंप दिया गया। इसके बाद हॉन्गकॉन्ग, चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों (SAR) में से एक बन गया।
- इसे 'बेसिक लॉ' नामक एक मिनी-संविधान द्वारा शासित किया जाता है, जो कि 'एक देश, दो प्रणाली' के सिद्धांत की पुष्टि करता है।
- 'बेसिक लॉ' नाम का यह संवैधानिक दस्तावेज़ 1984 की चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का ही परिणाम है, जिसके तहत चीन ने 50 वर्ष की अवधि के लिये हॉन्गकॉन्ग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यवस्था को बनाए रखने का वादा किया था।

आगे की राह

- वर्तमान वीज़ा प्रणाली हॉन्गकॉन्ग के लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत चीन के गुप्त, तानाशाही और बलपूर्वक किये जाने वाले कार्यों से बचने में सक्षम बनाएगा, हालाँकि हॉन्गकॉन्ग के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि सभी हितधारकों के साथ मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान खोजा जाए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण एक पूर्व एशियाई व्यापारिक केंद्र के रूप में हॉन्गकॉन्ग की स्थिति पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, चीन इस कानून के कारण पहले से ही वैश्विक आलोचना का सामना कर रहा है, जिसमें ब्रिटेन द्वारा की गई हालिया कार्यवाही भी शामिल है, इसके अलावा चीन पर कोरोना वायरस से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है।

नोट :

म्याँमार में सैन्य तख्तापलट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली, ज्ञात हो कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह म्याँमार में तीसरा तख्तापलट है।

- म्याँमार में एक वर्ष की अवधि के लिये आपातकाल लागू कर दिया गया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया है।
- प्राय: 'तख्तापलट' का अर्थ हिंसक और अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथियाने से है।

म्याँमार

- अवस्थिति
  - म्याँमार जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है, जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
- जनसांख्यिकी
  - म्याँमार की आबादी लगभग 54 मिलियन है, जिनमें से अधिकांश बर्मी भाषी हैं, हालाँकि यहाँ कई अन्य भाषाएँ बोलने वाले लोग भी रहते हैं।
- धर्म
  - यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसके अलावा देश में कई जातीय समूह भी हैं, जिनमें रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हैं।
- राजव्यवस्था
  - म्याँमार को वर्ष 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसे वर्ष 1962 से वर्ष 2011 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित किया जाता रहा, वर्ष 2011 में नई सरकार के साथ नागरिक शासन की वापसी की शुरुआत हुई।
  - 2010 के दशक में सैन्य शासन ने देश को लोकतंत्र की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। हालाँकि नई व्यवस्था के तहत सशस्त्र बल के अधिकारी सत्ता में बने रहे, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को मुक्त कर दिया गया और चुनाव आयोजित करने की अनुमति दे दी गई।
  - वर्ष 2015 के चुनावों में आंग सान सू की के दल राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) को जीत हासिल हुई, यह देश के पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था, जिसमें कई दलों ने हिस्सा लिया था, इन चुनावों के बाद यह उम्मीद जगी थी कि म्याँमार लोकतांत्रिक व्यवस्था की और बढ़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

सैन्य तख्तापलट के बारे में

- नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) को अधिकांश सीटें हासिल हुईं।
- वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किये गए संविधान के मुताबिक, म्याँमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिये आरक्षित हैं।
- वर्ष 2021 की शुरुआत में जब नव निर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनावों में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए एक वर्ष की अवधि के लिये आपातकाल लागू कर दिया गया।

वैश्विक प्रतिक्रिया

- चीन: चीन ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि म्याँमार में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिये संविधान और कानूनी ढाँचे के तहत अपने मतभेदों को जल्द ही समाप्त कर लेंगे।

नोट :

- अमेरिका: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने देश के सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा तख्तापलट किये जाने के बाद म्याँमार पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की धमकी दी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर एकजुटता की मांग की है।
- आसियान देश: आसियान की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई ने म्याँमार में सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य का आह्वान किया है तथा उनसे पुन: सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है।
- भारत की प्रतिक्रिया
  - भारत भी म्याँमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन करता है।
  - यद्यपि भारत ने म्याँमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, किंतु म्याँमार की सेना से अपने संबंध खराब करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा , क्योंकि म्याँमार के साथ भारत के कई महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हैं।

म्याँमार में भारत के सामरिक हित

- म्याँमार की सेना के साथ भारत के संबंध
  - म्याँमार के साथ भारत के सैन्य-राजनयिक संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - वर्ष 2020 में म्याँमार में सेनाध्यक्ष और विदेश सचिव के हालिया दौरे की पूर्व संध्या पर म्याँमार ने सीमा पार से आने वाले 22 भारतीय विद्रोहियों को वापस भारत को सौंपा था, साथ ही भारत की ओर से म्याँमार को सैन्य हार्डवेयर, जिसमें 105 mm लाइट आर्टिलरी गन, नौसेनिक गनबोट और हल्के टॉरपीडो आदि की बिक्री बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था।
  - दोनों देशों के बीच सहयोग का हालिया उदाहरण देखें तो म्याँमार द्वारा अपने टीकाकरण अभियान में भारत से भेजे गए कोरोना वायरस के टीके की 1.5 मिलियन खुराक का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वहाँ चीन की 3,00,000 खुराक पर फिलहाल के लिये रोक लगा दी गई है।
- म्याँमार में भारत के हित
  - अवसंरचना और कनेक्टिविटी: भारत ने म्याँमार के साथ कई अवसंरचना और विकास संबंधी परियोजनाओं की शुरुआत की है, क्योंकि भारत म्याँमार को पूर्वी एशिया और आसियान देशों में प्रवेश के द्वार के रूप में देखता है।
    - म्याँमार के राखीन प्रांत में वर्ष 2021 तक महत्त्वपूर्ण सित्वे बंदरगाह का परिचालन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
    - भारत द्वारा त्रिपक्षीय राजमार्ग (भारत-म्याँमार-थाईलैंड) और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सहायता की जा रही है।
    - कलादान परियोजना कोलकाता को म्याँमार के सित्वे और फिर म्याँमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर-पूर्व को जोड़ेगी।
    - दोनों देशों ने वर्ष 2018 में भूमि सीमा पार समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके माध्यम से भारत-म्याँमार सीमा पर प्रवेश/निकास के दो अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर सीमा पार करने के लिये वैध दस्तावेज़ों वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी गई थी।
- सुरक्षा: भारत, म्याँमार में शरण ले रहे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के कुछ उग्रवादी समूहों को लेकर चिंतित है।
  - भारत को उत्तर-पूर्व सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिये म्याँमार के समर्थन और उसके साथ समन्वय करने की आवश्यकता है।
- रोहिंग्या मुद्दा: भारत और बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्थायी और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिये भारत ने अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।
  - 'रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम' (RSDP) के तहत की गई प्रगति के आधार पर भारत ने हाल ही में कार्यक्रम के चरण-III के तहत परियोजनाओं को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और कृषि तकनीक का उन्नयन शामिल है।
- निवेश: 1.2 बिलियन डॉलर के निवेश संबंधी आँकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि म्याँमार दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत के लिये काफी अधिक महत्त्व रखता है।

नोट :

- ऊर्जा: दोनों देश ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं।
  - हाल ही में भारत ने म्याँमार की श्वे तेल और गैस परियोजना में 120 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश को मंज़ूरी दी है।

आगे की राह

भारत को दोनों देशों (भारत और म्याँमार) के लोगों के पारस्परिक विकास को सुनिश्चित करने लिये म्याँमार की वर्तमान सत्ता के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिये, साथ ही यह भी आवश्यक है कि भारत, म्याँमार के मौजूदा प्रचलित गतिरोध को समाप्त करने में सहायता करने के लिये संवैधानिकता और संघवाद से संबंधित अपने अनुभव साझा करे, जिससे इस समस्या को जल्द-से-जल्द हल किया जा सके।

श्रीलंका में चीन की नई परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक चीनी कंपनी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से 45 किमी. दूर उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के तीन श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये एक अनुबंध प्राप्त कर लिया है।

- पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) में तीन द्वीपों डेल्फ्ट, नैनातिवु और अनलातिवु में स्थित इस परियोजना का वित्तपोषण एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

द्वीपों के बारे में

- डेल्फ्ट, तीन द्वीपों में से सबसे बड़ा है और रामेश्वरम, तमिलनाडु के सबसे करीब है, यह श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
  - यहाँ दोनों के बीच कच्छतिवु नाम का एक छोटा द्वीप भी स्थित है, जिसे भारत ने वर्ष 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था।
  - इन द्वीपों के आसपास का जलीय क्षेत्र तमिलनाडु और जाफना के मछुआरों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - यह विषय दशकों से दोनों देशों के द्विपक्षीय एजेंडे में शामिल है।
  - भारत और श्रीलंका ने वर्ष 2016 में मछुआरों के मुद्दों को हल करने के लिये एक स्थायी तंत्र के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और श्रीलंका के मत्स्य एवं जलीय संसाधन विकास मंत्रालय के बीच मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह (JWG) की स्थापना की थी।

श्रीलंका का पक्ष

- श्रीलंका के मुताबिक, इस निर्णय के लिये श्रीलंका को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा समर्थित है, जिसने स्वयं के दिशा-निर्देश स्थापित किये हैं, उधारकर्त्ता के लिये इनका पालन करना अनिवार्य है।

भारत की चिंताएँ

- भारतीय तट रेखा से परियोजना की निकटता
  - भारतीय जलीय क्षेत्र में चीन की उपस्थिति भारत के लिये चिंता का विषय मानी जा सकती है, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारत-चीन सीमा पर पहले से गतिरोध और तनाव जारी है।
  - यह समझौता ऐसे समय में किया जा रहा है जब लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर जारी गतिरोध का स्थायी समाधान प्राप्त होना शेष है।
- ज्ञात हो कि हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (ECT) के लिये भारत और जापान के साथ किये गए अनुबंध को रद्द कर दिया है।
  - भारत, श्रीलंका और जापान द्वारा हस्ताक्षरित इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (ECT) को विकसित करने की बात की गई थी, जो कि कोलंबो बंदरगाह के नव विस्तारित दक्षिणी भाग में स्थित है।
  - भारत के लिये पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (ECT) सौदा इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण था कि इसके माध्यम से होने वाले लगभग 70 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट भारत से जुड़े हुए थे। कोलंबो पोर्ट में किसी भी अन्य टर्मिनल की तुलना में पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को रणनीतिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

नोट :

भारत का पक्ष

- भारत सरकार ने चीन की कंपनी को अनुबंध दिये जाने पर श्रीलंका की सरकार के समक्ष मज़बूती के साथ विरोध दर्ज किया है।
  - वर्ष 2018 में भारत ने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के लिये चीन की 300 मिलियन डॉलर की आवासीय परियोजना पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें श्रीलंका की पूर्व सरकार ने पुनर्वास मंत्रालय पर 'अपारदर्शी' तरीके से बोली प्रक्रिया को संपन्न करने का आरोप लगाया था।
    - इस परियोजना को अंततः बंद कर दिया गया था।

दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव

हाल के प्रयास

- जनवरी 2021 में चीन ने कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने और अपने आर्थिक एजेंडे के समन्वयन के लिये दक्षिण एशिया के देशों के साथ मिलकर वर्चुअल माध्यम से तीसरा बहुपक्षीय संवाद आयोजन किया था।

अन्य पहलें

- 'अमेरिकन इंटरप्राइज़ इंस्टीट्यूट' के चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर' के मुताबिक, चीन ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया है।
- चीन अब मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।

भारत के लिये चिंताएँ

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
  - पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ता सहयोग।
  - नेपाल और चीन के बीच बढ़ता संपर्क।
  - दक्षिण एशियाई देशों द्वारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को स्वीकृति।
- दक्षिण एशिया में नेतृत्त्वकारी भूमिका
  - दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन की स्थिति में लगातार वृद्धि होती जा रही है और दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों द्वारा चीन को एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
- आर्थिक चिंताएँ
  - बीते एक दशक में चीन ने भारत को कई दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित किया है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2008 में मालदीव के साथ भारत का व्यापार चीन की तुलना में 3.4 गुना अधिक था, किंतु 2018 तक मालदीव के साथ चीन का कुल व्यापार भारत से थोड़ा अधिक था।
- बांग्लादेश के साथ चीन का व्यापार अब भारत की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है। यद्यपि नेपाल और श्रीलंका के साथ चीन का व्यापार अभी भी भारत की तुलना में कम है, किंतु व्यापार का अंतर फिलहाल काफी कम हो गया है।

आगे की राह

- भारत के पास चीन के समान आर्थिक क्षमता मौजूद नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि भारत इन देशों के विकास के लिये चीन के साथ सहयोग करे, ताकि विकास का लाभ सामूहिक रूप से दक्षिण एशिया तक पहुँचे। इसके अलावा भारत को उन देशों में निवेश करना चाहिये, जहाँ अभी तक चीन का हस्तक्षेप काफी कम है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विस्तार योजनाओं की कड़ी निंदा करने के साथ-साथ, भारत को पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिये अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

नोट :

भारत - यूक्रेन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूक्रेन ने भारतीय रक्षा बाज़ार में अपनी उपस्थिति को मज़बूती प्रदान करने के प्रयासों के अलावा भारत से कुछ सैन्य हार्डवेयर खरीदने में रुचि दिखाई है।

- यह भारतीय रक्षा क्षेत्र में सुधारों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ तालमेल स्थापित करता है जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रमुख बिंदु

- यूक्रेन ने 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिये नए हथियारों की बिक्री उनके रखरखाव तथा उन्नयन (आर -27 एयर-टू-एयर मिसाइल) शामिल है।
- यूक्रेन ने भारत को अपने AN-178 मध्यम परिवहन विमान को बेचने का भी संकेत दिया है।
  - वर्ष 2009 में हुए एक समझौते के तहत यूक्रेन वर्तमान में भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) के AN-32 परिवहन बेड़े को अद्यतन कर रहा है
  - यूक्रेन की टीम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) के साथ भी विचार-विमर्श किया और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावना जताई।

भारत-यूक्रेन संबंध:

राजनयिक संबंध:

- सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1991 में यूक्रेन गणराज्य को एक संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी।
- कीव (Kyiv) में भारत का दूतावास मई 1992 में स्थापित किया गया था और यूक्रेन ने फरवरी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया।
- भारत और यूक्रेन के बीच सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा दोनों शिक्षा, पारस्परिक कानूनी सहायता व बाह्य अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।

रक्षा संबंध:

- यूक्रेन अपनी आज़ादी के बाद से भारत के लिये सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का एक स्रोत रहा है।
  - यूक्रेन R-27 एयर-टू-एयर मिसाइलों का भी निर्माण करता है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा अपने SU-30MKI लड़ाकू विमानों में किया जाता है।
- अब भारत दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिये यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है।

व्यापार:

- भारत, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और पाँचवाँ सबसे बड़ा समग्र निर्यात गंतव्य है।
- भारत द्वारा यूक्रेन को किया जाने वाला अधिकांश निर्यात फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित है।

संस्कृति:

- वहाँ देश भर में फैले 30 से अधिक यूक्रेनी सांस्कृतिक संघ/समूह भारतीय नृत्य को बढ़ावा देने के कार्य में लगे हुए हैं।
- यूक्रेन में लगभग 18,000 भारतीय छात्र मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय व्यावसायिक पेशेवर मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा आदि के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

नोट :

चुनौतियाँ:

- वर्ष 2014 में मास्को ने क्रीमियाई प्रायद्वीप (Crimean Peninsula) पर कब्ज़ा कर लिया जिसके कारण रूस और यूक्रेन के बीच संबंध खराब हो गए, इससे भारत के लिये एक संभावित दुविधा उत्पन्न हो गई।
- हाल ही में एक रूसी प्रेस विज्ञप्ति में रूस द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले सैन्य उपकरणों को यूक्रेन में पुनर्व्यवस्थित किये जाने पर आपत्ति जताई गई है।
- यूक्रेन के साथ व्यापार करने वालों पर रूस ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया है।
- रूस से विवाद की संभावना इसलिये भी है क्योंकि वर्तमान में भारतीय वायु सेना (IAF) AN-32 के अपने बेड़े को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये यूक्रेन के साथ सहयोग कर रही है।

यूक्रेन

स्थान:

- यूक्रेन, पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कीव है, जो उत्तर-मध्य यूक्रेन में नीपर नदी (Dnieper River) के तट पर स्थित है।

आसपास के देश और समुद्र:

- यूक्रेन की सीमा उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, आज़ोव का सागर और दक्षिण में काला सागर, दक्षिण-पश्चिम में मोल्दोवा व रोमानिया तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया एवं पोलैंड से लगती है।
- सुदूर दक्षिण-पूर्व में यूक्रेन को केर्च जलडमरूमध्य (Kerch Strait) द्वारा रूस से अलग किया गया है, जो आज़ोव सागर को काला सागर से जोड़ता है।

इतिहास:

- दिसंबर 1991 में U.S.S.R (सोवियत संघ) के विघटन के साथ यूक्रेन को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- देश ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर यूक्रेन कर लिया और इसने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (CIS) को उन देशों का एक संघ बनाने में मदद की जो पूर्व में सोवियत संघ के गणराज्य थे।

हाल के मुद्दे:

- हाल ही में रूस द्वारा क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्ज़े के बाद रूस तथा यूक्रेन के बीच शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- जून 2020 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization- NATO) की अंतर-पहल भागीदारी के तहत यूक्रेन 'इन्हेन्स्ड ऑपर्च्युनिटी पार्टनर (EOP)' बना।
- यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन और नाटो की सदस्यता भी चाहता है, यह एक ऐसा कदम है जो रूस के साथ अन्य तनावों को हल करने के प्रयासों को बाधित कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुन: शामिल होगा, उसने वर्ष 2018 में इसे छोड़ दिया था।

- परिषद में एक पूर्ण सदस्य के रूप में चुने जाने के उद्देश्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण को मज़बूटी प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है।

गठन:

- इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

सदस्य:

- इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ-साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखता है।
- परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। इसकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:
  - अफ्रीकी देश: 13 सीटें
  - एशिया-प्रशांत देश: 13 सीटें
  - लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश: 8 सीटें
  - पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश: 7 सीटें
  - पूर्वी यूरोपीय देश: 6 सीटें
- परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और लगातार दो कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के लिये पात्र नहीं होता है।

प्रक्रिया और तंत्र:

- सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा: सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review- UPR) यूपीआर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों का आकलन का कार्य करता है।
- सलाहकार समिति: यह परिषद के "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करता है जो इसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करता है।
- शिकायत प्रक्रिया: यह लोगों और संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है।
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया: ये विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानव अधिकारों की स्थितियों की निगरानी, जाँच करने, सलाह देने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं।

संबंधित मुद्दे

- सदस्यता से संबंधित: कुछ आलोचकों के लिये परिषद की सदस्यता की संरचना एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय रही है, जिसमें कभी-कभी ऐसे देश भी शामिल होते है जिन्हें व्यापक मानवाधिकार हनन करने वाले देश के रूप में देखा जाता है।
  - चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस और वेनेजुएला जैसे देश मानवाधिकारों के हनन के आरोप के बावजूद इस परिषद में शामिल रहे हैं।
- असंतुलित फोकस: परिषद द्वारा असंगत रूप से इज़राइल पर ध्यान केंद्रित किये जाने के कारण अमेरिका वर्ष 2018 में इससे बाहर हो गया, गौरतलब है कि किसी भी देश की तुलना में परिषद को इज़राइल के संबंध में सबसे अधिक आलोचनात्मक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

नोट :

भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के विशेष प्रतिवेदकों के एक समूह ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2020 के मसौदे के संदर्भ में भारत सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया था।
- वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) प्रक्रिया के तीसरे दौर के एक भाग के रूप में परिषद के समक्ष अपनी मध्यावधि रिपोर्ट को प्रस्तुत किया।
- भारत को 1 जनवरी, 2019 को तीन वर्षों की अवधि के लिये परिषद में चुना गया था।

दक्षिण चीन सागर विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने USA को दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में पार्सल द्वीप समूह (Paracel Islands) के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है।

प्रमुख बिंदु

दक्षिण चीन सागर विवाद के विषय में:

- चीन का दावा:
  - चीन, पार्सल द्वीप समूह सहित लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है।
    - ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार होने का अनुमान है।
  - चीन के अनुसार, अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है। अत: चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया है।
- अमेरिका का पक्ष:
  - अमेरिका के अनुसार, उसके युद्धपोत की अवस्थिति दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और वह इस क्षेत्र में नौपरिवहन मार्ग की सुरक्षा में मदद कर रहा है।
  - वह दक्षिण चीन सागर पर चीन का मुकाबला करने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ तालमेल बैठा रहा है। इसके तहत हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने एक विमान वाहक पोत को दक्षिण चीन सागर में भेजा है।
- दक्षिण चीन सागर:
  - अवस्थिति: दक्षिण चीन सागर, दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन के दक्षिण और पूर्व में तथा वियतनाम के दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है।
    - यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जलसंधि द्वारा और फिलीपीन सागर से लूजॉन (Luzon) जलसंधि से जुड़ा हुआ है।
  - सीमावर्ती देश (उत्तर से दक्षिण): चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।
  - सामरिक महत्त्व: इस सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर (मलक्का जलडमरूमध्य) के बीच संपर्क लिंक होने के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व है।
    - व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade And Development- UNCTAD) के अनुसार, वैश्विक नौपरिवहन का एक-तिहाई हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इस सागर के माध्यम से होने वाला अरबों डॉलर का व्यापार इसे एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक जल निकाय बनाता है।

दक्षिण चीन सागर में विवाद का कारण:

- यहाँ के द्वीपों पर दावा:
  - पार्सल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है।

नोट :

- स्प्रैटली द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है।
- स्कारबोरो सोल (Scarborough Shoal) द्वीप पर फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है।

- चीन का दावा:
  - चीन वर्ष 2010 से निर्जन छोटे-छोटे द्वीपों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) के तहत लाने के लिये कृत्रिम द्वीपों में परिवर्तित कर रहा है ।
  - चीन इन द्वीपों के आकार और संरचना को कृत्रिम तरीके से बदल रहा है। इसने पार्सल और स्प्रैटली पर अपनी हवाई पट्टी भी स्थापित की है।
  - चीन के मछली पकड़ने वाले बेड़े मछली पकड़ने के वाणिज्यिक उद्यम के बजाय राज्य की ओर से अर्द्धसैनिक काम में लगाए गए हैं।
  - अमेरिका इन कृत्रिम द्वीपों के निर्माण की आलोचना करता है और इसे चीन द्वारा बनाई गई 'रेत की एक महान दीवार' के रूप में प्रस्तुत करता है।
- अन्य मुद्दे:
  - दक्षिण चीन सागर का अनिश्चित भौगोलिक दायरा।
  - विवाद निपटान तंत्र पर असहमति।
  - आचार संहिता (Code of Conduct) का कानूनी रूप से अपरिभाषित होना।
  - इस मामले को दक्षिण चीन सागर को लेकर देशों का अलग-अलग इतिहास वृतांत तथा समुद्र में बड़े पैमाने पर फैले निर्जन द्वीप समूह और अधिक जटिल एवं बहुआयामी बनाते हैं।
- भारत का पक्ष:
  - भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि वह दक्षिण चीन सागर विवाद में किसी भी पक्ष में शामिल नहीं है और यहाँ इसकी उपस्थिति चीन को नियंत्रित करने के लिये नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के आर्थिक हितों विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरतों को सुरक्षित करने के लिये है।
  - दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती क्षमता ने भारत को इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये मजबूर कर दिया है।
  - भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के एक प्रमुख घटक के रूप में दक्षिण चीन सागर में चीन की धमकी की रणनीति का विरोध करने के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण का कार्य शुरू कर दिया है।
  - भारत अपनी बौद्ध विरासत का उपयोग दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ एक मज़बूत बंधन बनाने के लिये कर रहा है।
  - भारत ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिये वियतनाम के साथ अपनी नौसेना को तैनात किया है, जो चीन को विरोध करने का कोई अवसर नहीं देता है।
  - भारत, क्वाड पहल (Quad- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा है। इन पहलों को चीन द्वारा एक नियंत्रण रणनीति के रूप में देखा जाता है।

भारत-पोलैंड संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पोलैंड ने भारतीय प्रधानमंत्री को यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन (मई 2021) और G7 समूह की बैठक के दौरान अपने देश आने हेतु आमंत्रित किया है।

- गौरतलब है कि इस प्रस्तावित यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन (मई 2021) में हिस्सा लेने के लिये पुर्तगाल और G7 समूह की बैठक में भाग लेने हेतु कॉर्नवाल, यूनाइटेड किंगडम का (जून 2021) का दौरा करेंगे।

नोट :

- पोलैंड, भारत के साथ COVID-19 महामारी के कारण निलंबित सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिये एक ट्रैवल बबल व्यवस्था (Travel Bubble Arrangement) पर बातचीत कर रहा है।
  - ट्रैवल बबल व्यवस्था के अंतर्गत उन देशों या राज्यों को फिर से जोड़ना शामिल है, जिन्होंने घरेलू स्तर पर COVID-19 महामारी से लड़ने में अच्छा प्रदर्शन किया है।
  - ट्रैवल बबल की व्यवस्था से ऐसे समूह में देशों को आपसी व्यापार, यात्रा और पर्यटन को पुन: खोलने की सुविधा मिलती है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- भारत और पोलैंड के बीच वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किये गए जिसके बाद वर्ष 1957 में वारसा में भारतीय दूतावास खोला गया।
- दोनों देशों की वैचारिक धारणाओं में समानता है जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध पर आधारित है।
- पोलैंड के कम्युनिस्ट युग (1944-1989) के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर नियमित यात्राओं और राज्य व्यापार संगठनों द्वारा नियोजित व्यापार तथा आर्थिक वार्ताओं के साथ द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण थे।
- वर्ष 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चुनने के बाद भी दोनों देशों की घनिष्ठता बनी हुई है।
- वर्तमान सदी में भारत और पोलैंड के बीच एक सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध का उदय देखने को मिला है, विशेष रूप से वर्ष 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से, जब यह मध्य यूरोप में भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन गया।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - निर्यात:
    - पोलैंड, मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ इस क्षेत्र में भारतीय निर्यात के लिये सबसे बड़ा बाज़ार रहा है। ग़ौरतलब है कि पिछले 10 वर्षों में भारत और पोलैंड के द्विपक्षीय व्यापार में लगभग सात गुना वृद्धि देखने को मिली है।
    - भारतीय आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार का समग्र मूल्य 2.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
    - वर्ष 2019 में भारत से पोलैंड को किया गया निर्यात भारत के कुल निर्यात का मात्र 0.48% था और जबकि इससे दौरान भारत के कुल आयात में मात्र 0.15% पोलैंड से संबंधित था।
    - आँकड़ों के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 में 2.5% की वृद्धि देखी गई है।
  - निवेश:
    - पोलैंड में भारतीय निवेश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
    - भारत में कुल पोलिश निवेश लगभग 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):
    - अप्रैल 2000 से मार्च 2019 के बीच भारत को पोलैंड से 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ, जो इस अवधि में भारत में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 0.16% था।
- क्षेत्रीय सहयोग:
  - कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र:
    - पोलैंड के पास संरक्षण/भंडारण प्रौद्योगिकियों सहित विश्व स्तर के खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का स्वामित्व है, जबकि भारत कई फलों, डेयरी और कृषि उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
    - अप्रैल 2017 में दोनों देशों के बीच तकनीकी और संस्थागत सहयोग के लिये कृषि क्षेत्र से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
  - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र:
    - वर्तमान में लगभग 13 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ पोलैंड में सक्रिय हैं, जो 10,000 से अधिक पेशेवरों को नियुक्त करती हैं और वे भारत से भी अपना यूरोपीय ऑपरेशन चला रही हैं।

नोट :

- कपड़ा क्षेत्र:
  - वर्तमान में कपड़ा क्षेत्र के कुल भारतीय आयात में पोलिश वस्त्रों और परिधानों की हिस्सेदारी मात्र 3.73% (400 मिलियन अमरीकी डॉलर) है।
  - अत: भारतीय निर्यातकों के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करते हुए इस क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि की जा सकती है।
  - वर्तमान में भारत द्वारा पोलैंड को निर्यात किया जाने वाला लगभग 30-40% माल इसके द्वारा पुन: अन्य यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात किया जाता है।
- खनन/ऊर्जा क्षेत्र:
  - पोलैंड के पास प्रतिष्ठित स्वच्छ कोयला तकनीकी ज्ञान है और पोलिश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भारत में खनन तथा बिजली क्षेत्रों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।
  - भारत और पोलैंड द्वारा कोयला तथा खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिये वर्ष 2019 में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।
- दवा और रसायन क्षेत्र:
  - पोलैंड की रणनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी तथा पिछले 5 वर्षों में फार्मा बाज़ार में 25% वृद्धि के कारण भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिये पोलैंड में अच्छे अवसर हैं।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध:
  - पोलैंड में इंडोलॉजी (Indology) के अध्ययन की एक मज़बूत परंपरा है। पोलिश विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में ही संस्कृत के ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद कर लिया था।
  - पोलिश मिशन द्वारा वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन किया।
    - महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पोलिश पोस्ट (Poczta Polska) ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
  - पोलैंड के गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पोलिश मिशन और पोलैंड के गुरुद्वारा साहिब ने संयुक्त रूप से समारोह आयोजित किया था।
  - 21 जून, 2015 को पोलैंड के 21 शहरों में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में लगभग 11000 लोगों ने भाग लिया था।
- भारतीय समुदाय:
  - पोलैंड में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग लगभग 10,000 हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों (वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) से जुड़े व्यापारी (जो साम्यवाद के पतन के बाद आए) और बहुराष्ट्रीय या भारतीय कंपनियों में काम करने वाले पेशेवर तथा सॉफ्टवेयर/आईटी विशेषज्ञ और भारतीय छात्र (जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है) शामिल हैं।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप

चर्चा में क्यों ?

स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्ज़र्वेटरी (Square Kilometre Array Observatory- SKAO) परिषद ने अपनी हालिया बैठक के दौरान विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप/दूरबीन (Radio Telescope) की स्थापना के लिये मंज़ूरी दी।

- पिछले वर्ष दिसंबर में प्यूर्टो रिको में स्थित विश्व की सर्वाधिक प्रचलित रेडियो दूरबीन अरेसिबो (Arecibo) के नष्ट होने या गिरने के बाद इस नए उद्यम/कार्य को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।
- SKAO एक नया अंतर-सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान (Radio Astronomy) को समर्पित है, इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है।
  - वर्तमान में SKAO में दस देशों के संगठन शामिल हैं।
  - इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यू.के. शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

रेडियो टेलीस्कोप:

- रेडियो टेलीस्कोप एक खगोलीय उपकरण है जिसमें एक रेडियो रिसीवर और एंटीना प्रणाली शामिल होती है जिसका उपयोग लगभग 10 मीटर (30 मेगाहर्ट्ज़) के तरंगदैर्ध्य और 1 मिमी. (300 गीगाहर्ट्ज़ के मध्य रेडियो-आवृत्ति विकिरण का पता लगाने हेतु किया जाता है। जैसे-तारे (Stars), आकाशगंगा (Galaxies) और क्वासर (Quasars)।
- ऑप्टिकल टेलीस्कोप (Optical Telescopes) के विपरीत रेडियो टेलीस्कोप अदृश्य गैस का पता लगाने में भी सक्षम है, इसलिये यह अंतरिक्ष के उन क्षेत्रों को भी दिखा सकता है जो ब्रह्मांडीय धूल (Cosmic Dust) के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं।
  - ब्रह्मांडीय धूल तारों के बीच की जगह में चारों ओर तैरने वाले ठोस पदार्थ के छोटे कण होते हैं।
- चूँकि 1930 के दशक में पहले रेडियो संकेतों का पता चला था, इसलिये खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में विभिन्न वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिये रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है।
- राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र का विकास हुआ जो खगोलीय अवलोकन हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरणों में से एक बन गया।

अरेसिबो टेलीस्कोप:

- प्यूर्टो रिको में स्थित अरेसिबो टेलीस्कोप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल-डिश रेडियो टेलीस्कोप (Single-Dish Radio Telescope) था जो दिसंबर 2020 में गिर गया।
  - चीन की स्काई आई (Sky Eye) में विश्व की सबसे बड़ी सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप स्थित है।
- इसका निर्माण वर्ष 1963 में हुआ था।
- अपने शक्तिशाली रडार प्रणाली की वजह से इस टेलीस्कोप को वैज्ञानिकों ने ग्रहों, क्षुद्रग्रहों और आयनमंडल के निरीक्षण के लिये स्थापित किया जिसने कई दशकों तक महत्त्वपूर्ण खोज की है, इसमें दूर स्थित आकाशगंगाओं में प्रीबायोटिक अणु, पहला एक्सोप्लैनेट और पहला-मिलीसेकंड पल्सर से संबंधित खोज शामिल है।

नोट :

स्क्वायर किलोमीटर एरे (SKA) टेलीस्कोप:

- स्थिति:
  - यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का प्रस्ताव है, जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा।
- विकास:
  - SKA का विकास 'ऑस्ट्रेलियाई स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर' (Australian Square Kilometre Array Pathfinder- ASKAP) नामक शक्तिशाली दूरबीन द्वारा किये गए विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त परिणामों का उपयोग कर किया जाना है।
  - ASKAP, ऑस्ट्रेलिया की विज्ञान एजेंसी 'राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन' (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation- CSIRO) द्वारा विकसित और संचालित है।
    - ASKAP टेलीस्कोप, फरवरी 2019 से पूरी तरह से चालू हो गया है।
    - जिसने पिछले साल के अंत में किये गए अपने पहले आकाशीय सर्वेक्षण के दौरान 300 घंटे में रिकॉर्ड तीन मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं का मानचित्रण का कार्य किया था।
    - ASKAP सर्वेक्षण को ब्रह्मांडीय संरचना और उसके विकास के मानचित्रण के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो कि आकाशगंगाओं और उनमें विद्यमान हाइड्रोजन गैस का निरीक्षण करता है ।
- रखरखाव:
  - इसके संचालन, रखरखाव और निर्माण कार्य की देख-रेख SKAO द्वारा की जाएगी।
- लागत और पूर्णता:
  - इसको पूरा करने में लगभग 1.8 बिलियन पाउंड की लागत तथा एक दशक का समय लगने की संभावना है।
- महत्त्व:
  - कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान वैज्ञानिकों द्वारा इस दूरबीन के उपयोग से किये जाने की उम्मीद है।
    - ब्रह्मांड की शुरुआत।
    - पहले तारे का जन्म कैसे और कब हुआ।
    - आकाशगंगा का जीवन-चक्र।
    - हमारी आकाशगंगा में तकनीकी रूप से सक्रिय अन्य सभ्यताओं का पता लगाने की संभावना तलाशना।
    - यह समझना कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें (Gravitational Waves) कहाँ से आती हैं।
- कार्य:
  - नासा के अनुसार, यह टेलीस्कोप ब्रह्मांडीय समय के अनुसार हाइड्रोजन की तटस्थता को माप कर आकाशगंगा में पल्सर से प्राप्त संकेतों की समय पर माप और लाखों आकाशगंगाओं का पता लगाकर उच्च रेडशिफ्ट्स द्वारा अपने वैज्ञानिक लक्ष्यों को पूरा करेगा।

क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-D) के शोधकर्त्ताओं द्वारा कम लागत पर जल से स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक तकनीक विकसित की गई है।

- यह दुनिया भर में क्लीनर और ग्रीनर ऊर्जा स्रोतों की तलाश के लिये किये जा रहे प्रयासों के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- हाइड्रोजन गैस जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय विकल्प के रूप में एक व्यवहार्य विकल्प है और प्रदूषण को कम करने के लिये उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन के बारे में:

- आईआईटी-दिल्ली के शोधकर्त्ताओं ने औद्योगिक खपत के लिये कम लागत, स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करने हेतु सल्फर-आयोडीन (Sulphur-Iodine- SI) थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन चक्र (SI Cycle) के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया द्वारा जल को सफलतापूर्वक विभाजित किया है।
- सामान्यत: SI Cycle में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पृथक्करण के लिये गैर-नवीकरणीय स्रोतों जैसे- कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की तुलना में उच्च मात्रा में ताप की आवश्यकता होती है। यह हाइड्रोजन गैस के बड़े पैमाने पर उत्पादन को आर्थिक रूप से गैर-व्यवहार्य और पर्यावरण के प्रतिकूल बनाता है।
- गहन ऊर्जा, सल्फर-डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिये सल्फ्यूरिक अम्ल का रुपांतरण संक्षारक कदम के रूप में उपयुक्त उत्प्रेरक डिज़ाइन का विकास किया जाना मुख्य उपलब्धि रही।

सल्फर-आयोडीन चक्र

प्रक्रिया:

- सल्फर-आयोडीन चक्र (SI चक्र) एक त्रि-चरणीय थर्मोकेमिकल चक्र है जिसका उपयोग हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। इस चक्र में सभी रसायनों का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। सल्फर-आयोडीन चक्र की प्रक्रिया को पर्याप्त ताप की आवश्यकता होती है।
- ताप, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के प्रारंभिक चरण में उच्च-तापमान एंडोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं (High Temperature Endothermic Chemical Reactions) के चक्र में प्रवेश करता है और अंतिम चरण में सीमित तापमान एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया (Low-Temperature Exothermic Reaction) चक्र से बाहर निकलता है।

त्रि-चरणीय थर्मोकेमिकल चक्र

- प्रथम चरण-
  - सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के साथ आयोडाइड (I_2) की प्रतिक्रिया के बाद हाइड्रोडिक एसिड (Hydriodic acid- HI) और सल्फ्यूरिक एसिड (H_2SO_4) का उत्पादन होता है।
    - $I_2 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow 2HI + H_2SO_4$
- द्वितीय चरण
  - जल, SO_2 और अवशिष्ट H_2SO_4 को हाइड्रोडिक एसिड (HI) प्राप्त करने के लिये संक्षेपण द्वारा ऑक्सीजन के अपघटन से अलग किया जाता है।
    - $2H_2SO_4 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O + O_2$
- तृतीय चरण
  - हाइड्रोडिक एसिड (HI) से हाइड्रोजन गैस (H_2) प्राप्त की जाती है।
    - $2HI \rightarrow I_2 + H_2$
  - चक्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले ताप के मध्य का अंतर, उत्पादित हाइड्रोजन के दहन के ताप के रूप में चक्र से बाहर निकलता है।
- सल्फर-आयोडीन चक्र की प्रमुख चुनौतियाँ जल और आयोडीन के अधिशेष को कम करना और पृथक्करण प्रक्रियाएँ हैं जो आसवन की तुलना में कम ऊर्जा का उपभोग करती हैं।
- परंपरागत रूप से सल्फर-आयोडीन चक्र का विकास कई देशों द्वारा चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टरों के साथ हाइड्रोजन के उत्पादन के लिये किया गया है।

नोट :

खोज का महत्त्व:

- हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:
  - इस खोज के माध्यम से कम लागत वाले हाइड्रोजन की उपलब्धता के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में वृद्धि और सुधार होगा जो विद्युत चालित वाहन, प्राथमिक और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक व्यवस्था के लिये बैकअप पॉवर, औद्योगिक एवं आवासीय भवन और एयर टैक्सी जैसे फ्यूचरिस्टिक-साउंडिंग एप्लीकेशन के क्षेत्र में एक स्वच्छ तथा विश्वसनीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का लाभ प्रदान करेगा।
    - हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक जेनरेटर है जो उप-उत्पादों के रूप में ताप और जल का प्रयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से विद्युत उत्पादन करता है।
- उत्सर्जन लक्ष्य का पालन करने में सहायक
  - यह भारत को पेरिस जलवायु समझौते में अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी) लक्ष्य का पालन करने में मदद कर सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- FAME इंडिया योजना का अनुपूरक:
  - यह हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के बाज़ार के विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई FAME इंडिया योजना के कुशल कार्यान्वयन के पूरक का कार्य करेगा।

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ:

- पर्यावरण के अनुकूल:
  - हाइड्रोजन को एक ऊर्जा वाहक के रूप में उपयोग करने का लाभ यह है कि जब यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो केवल जल और ऊष्मा ही उपोत्पाद होते हैं।
  - हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के उपयोग से ग्रीनहाउस गैस या अन्य पार्टिकुलेट उत्पन्न नहीं होते हैं।
- नॉन टॉक्सिक
  - हाइड्रोजन एक गैर-विषाक्त पदार्थ है जो ईंधन स्रोत के लिये दुर्लभ है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और इससे मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है।
- अत्यधिक कुशल:
  - हाइड्रोजन एक कुशल ऊर्जा रूप है क्योंकि इसमें डीज़ल या गैस की तुलना में प्रत्येक पाउंड ईंधन बहुत अधिक ऊर्जा क्षमता होती है।
- आदर्श अंतरिक्षयान ईंधन:
  - हाइड्रोजन ऊर्जा की दक्षता और शक्ति इसे अंतरिक्षयान के लिये एक आदर्श ईंधन स्रोत बनाती है जो अन्वेषण मिशनों के लिये तीव्रता से रॉकेट भेजने में सक्षम है।

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन से हानि

- गैस की तुलना में हाइड्रोजन में गंध का अभाव होता है, जो किसी भी रिसाव का पता लगाना लगभग असंभव बना देता है।
- हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील और वाष्पशील पदार्थ है, इसके संभावित खतरे के रूप में ढुलाई तथा भंडारण की गंभीर चुनौती देखी जाती है।

संयुक्त अरब अमीरात का 'होप' मिशन

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का पहला इंटरप्लेनेटरी 'होप' मिशन हाल ही में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँच गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 'होप प्रोब' मिशन
  - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में 'होप' नामक 'मार्स मिशन' की घोषणा की थी।
  - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के वैज्ञानिकों द्वारा 'होप प्रोब' को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में विकसित किया गया था और इसे जुलाई 2020 में जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- विशेषता
  - लगभग 1.5 टन वज़न वाला यह 'होप प्रोब' तकरीबन 55 घंटे में मंगल ग्रह का एक चक्कर पूरा करेगा।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के मंगल मिशन का समग्र जीवनकाल एक 'मार्टियन वर्ष' के आस-पास है, जो कि पृथ्वी पर लगभग 687 दिन के बराबर है।
- वैज्ञानिक उपकरण: इस मिशन में मुख्यत: तीन वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया है:
  - एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेज़र (EXI): एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला कैमरा।
  - एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावॉयलेट स्पेक्ट्रोमीटर (EMUS): एक फॉर-यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ
  - एमिरेट्स मार्स इंफ्राड्रेड स्पेक्ट्रोमीटर (EMIRS): यह उपकरण मंगल ग्रह के वातावरण में तापमान, बर्फ, जल वाष्प और धूल आदि की जाँच करेगा।
- अपेक्षित लाभ
  - संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का मंगल ग्रह संबंधी यह मिशन वहाँ की जलवायु से संबंधित डेटा एकत्र करेगा जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मंगल के वातावरण का अंतरिक्ष में क्षरण क्यों हो रहा है?
  - मिशन में शामिल वैज्ञानिक उपकरण मंगल ग्रह पर मौसम और दैनिक परिवर्तनों को मापने के लिये वातावरण से संबंधित अलग-अलग प्रकार के डेटा एकत्र करेंगे।
  - इस प्रकार डेटा के माध्यम से वैज्ञानिक यह समझने में सक्षम हो सकेंगे कि ऊर्जा तथा कण जैसे- ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि मंगल ग्रह के वातावरण में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं।

महत्त्व

- मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुँचने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात ऐसा करने वाले चार इकाइयों (नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत) की सूची में पाँचवें स्थान पर शामिल हो गया है।
- इस मिशन की सफलता से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में निवेश में भी बढ़ोतरी होगी।
- वर्ष 2021 में ही UAE अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ मना रहा है।
- 'होप' मिशन न केवल संयुक्त अरब अमीरात के लिये, बल्कि पूरे अरब जगत के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह अरब जगत का भी पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है।

मंगल ग्रह संबंधी अन्य मिशन

- संयुक्त अरब अमीरात के 'होप' मिशन अलावा, अमेरिका और चीन के भी मानव रहित अंतरिक्ष यान आगामी दिनों में मंगल पर पहुँचने वाले हैं।
  - इन सभी मिशनों को पृथ्वी और मंगल ग्रह के करीबी सरेखण का लाभ उठाने के लिये बीते वर्ष जुलाई माह में लॉन्च किया गया था।
  - चीन के मिशन 'तियानवेन-1' में लैंडर और ऑर्बिटर दोनों शामिल हैं और इस मिशन का लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर प्राचीन जीवन के संकेतकों का पता पता लगाएगा।
  - 'पर्सीवरेंस' नाम से अमेरिका का एक रोवर भी जल्द ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने वाला है। यह एक दशक तक चलने वाली अमेरिका-यूरोपीय परियोजना का पहला चरण होगा, जिसमें मंगल ग्रह की चट्टानों को वापस पृथ्वी पर लाकर वहाँ पर जीवन के साक्ष्य की जाँच की जाएगी।

नोट :

मंगल ग्रह के अन्वेषण का उद्देश्य

- विश्व भर के वैज्ञानिक और शोधकर्त्ता मंगल ग्रह को लेकर काफी अधिक उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ग्रह को लेकर यह संभावना है कि एक समय यह इतना गर्म था कि यहाँ जीवन के मौजूद होने की संभावना है।
- कई मायनों में पृथ्वी से अलग होने के बावजूद दोनों ग्रहों (पृथ्वी और मंगल) में कई समानताएँ हैं- जैसे बादल, ध्रुवीय बर्फ, ज्वालामुखी और मौसम पैटर्न।
  - इसके बावजूद अभी तक कोई भी मानव मंगल ग्रह पर नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि मंगल पर वायुमंडल बहुत सूक्ष्म है, जिसमें अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिये वहाँ जीवित रहना काफी मुश्किल है।

भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन

- 'मंगलयान' के नाम से प्रसिद्ध भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन को नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- इस मिशन को मंगल ग्रह की सतह और खनिज संरचना के अध्ययन के साथ-साथ मीथेन (मंगल पर जीवन का एक संकेतक) का पता लगाने के उद्देश्य से एक PSLV C25 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था।

गगनयान मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई है कि मानव अंतरिक्षयान गगनयान को दूसरे मानव रहित मिशन जिसे वर्ष 2022-23 में लॉन्च किया जाना है, के बाद लॉन्च किया जाएगा।

- शुरुआत में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान मिशन के लक्ष्य के तहत वर्ष 2022 तक (इसी वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे) तीन सदस्यीय दल को पाँच से सात दिनों के लिये अंतरिक्ष में भेजने की परिकल्पना की गई थी।
  - उल्लेखनीय है कि पहले मानवरहित मिशन को दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई है।
- कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण इस मिशन में देरी हुई है।

प्रमुख बिंदु

- गगनयान मिशन के विषय में:
  - गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) का एक मिशन है।
  - इस मिशन के तहत:
    - तीन अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा।
    - इन तीन मिशनों में से 2 मानवरहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा।
  - मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
  - यह मिशन 5-7 दिनों के लिये पृथ्वी से 300-400 किमी. की ऊँचाई पर निम्न भू-कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
- पेलोड:
  - पेलोड में शामिल होंगे:
    - क्रू मॉड्यूल- मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान।
    - सर्विस मॉड्यूल- दो तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित।
  - यह आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबोर्ट व्यवस्था से लैस होगा।
- प्रमोचन:
  - गगनयान के प्रमोचन हेतु तीन चरणों वाले GSLV Mk III का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV Mk III को प्रमोचन वाहन मार्क-3 (Launch Vehicle Mark-3 or LVM 3) भी कहा जाता है।

नोट :

- रूस में प्रशिक्षण:
  - जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली Glavkosmos ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल हैं।
  - अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार सोयुज़ (Soyuz) मानव युक्त अंतरिक्षयान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही Il-76MDK विमान में अल्पकालिक भारहीनता मोड में प्रशिक्षित होंगे।
    - सोयुज़ एक रूसी अंतरिक्षयान है जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य करता है।
    - Il-76MDK एक सैन्य परिवहन विमान है जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की परवलयिक उड़ानों के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- महत्त्व:
  - यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने तथा युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा।
    - गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा।
  - यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा।
    - सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किये जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन IN-SPACe के गठन की घोषणा की है।
  - यह सामाजिक लाभों के लिये प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
    - कई देशों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, अत: गगनयान मिशन क्षेत्रीय ज़रूरतों- खाद्य, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- भारत की अन्य आगामी परियोजनाएँ:
  - चंद्रयान- 3 मिशन: भारत ने एक नए चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की योजना बनाई है जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किये जाने की संभावना है।
  - शुक्रयान मिशन (Shukrayaan Mission): इसरो शुक्र ग्रह हेतु भी एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान नाम दिया गया है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

नीलगिरि हाथी कॉरिडोर का मामला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने अक्तूबर 2020 में गठित एक तकनीकी समिति में संरक्षणवादी (Conservationist) की नियुक्ति की है। इस समिति का कार्य तमिलनाडु में अधिकारियों द्वारा नीलगिरि हाथी कॉरिडोर के क्षेत्रफल में मनमाना बदलाव करने और लोगों के घरों को ज़बरदस्ती सील करने के खिलाफ भूस्वामियों की शिकायतों की जाँच करना है।

प्रमुख बिंदु

अक्तूबर 2020 का मामला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के "हाथी कॉरिडोर" की अधिसूचना और नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व के मध्य से आने-जाने वाले जंगली जानवरों के प्रवासी मार्ग की सुरक्षा के अधिकार को बरकरार रखा था।
- शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि पर्यावरण के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण "कीस्टोन प्रजाति" जैसे- हाथियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने हाथी कॉरिडोर के संदर्भ में रिसॉर्ट मालिकों एवं निजी भूमि मालिकों की आपत्तियों पर सुनवाई के लिये एक समिति के गठन की अनुमति दी जिसमें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं दो अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला जुलाई 2011 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ रिसॉर्ट्स/प्राइवेट ज़मींदारों द्वारा दायर अपील पर आधारित था।

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला:

- मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011 में नीलगिरि ज़िले के सिगुर पठार में एलीफेंट कॉरिडोर के लिये तमिलनाडु सरकार की अधिसूचना (2010) की वैधता को बरकरार रखा।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने जुलाई 2011 में घोषणा की थी कि तमिलनाडु सरकार को केंद्र सरकार के 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' (Project Elephant) के साथ-साथ राज्य के नीलगिरि ज़िले में हाथी कॉरिडोर को अधिसूचित करने के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A (G) के तहत अधिकार प्राप्त है।
  - अनुच्छेद 51A(G) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार का कार्य करेगा एवं जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेगा।
- इस निर्णय द्वारा नीलगिरि हाथी गलियारे के भीतर आने वाली रिसॉर्ट मालिकों और अन्य निजी भूस्वामियों की भूमि को खाली कराने की अधिसूचना को बरकरार रखा गया।

नीलगिरि हाथी कॉरिडोर:

- यह हाथी गलियारा, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सिगुर पठार (Sigur Plateau) में स्थित है, यह पठार परस्पर पश्चिमी और पूर्वी घाटों से संबद्ध है और हाथियों की आबादी तथा उनकी आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह कॉरिडोर नीलगिरि जिले में मुदुमलाई नेशनल पार्क (Mudumalai National Park) के पास स्थित है।
- इस कॉरिडोर के दक्षिण-पश्चिम में नीलगिरि पहाड़ियाँ और उत्तर-पूर्वी भाग में मोयार (Moyar) नदी घाटी स्थित है। हाथी प्राय: भोजन और पानी की तलाश में पठार को पार करते हैं।
- भारत में लगभग 100 हाथी कॉरिडोर हैं, जिनमें से लगभग 70% का उपयोग नियमित रूप से किया जाता है।
  - 75% हाथी कॉरिडोर दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पूर्वी जंगलों में है।
  - ब्रह्मगिरि-नीलगिरि-पूर्वी घाट पर्वतमाला में लगभग 6,500 हाथी रहते हैं।

नोट :

हाथी कॉरिडोर के लिये चुनौतियाँ: अगस्त 2017 में जारी 800 पृष्ठ वाले एक अध्ययन 'राइट ऑफ पैसेज' (Right of Passage) में भारत में अवस्थित 101 हाथी गलियारों से संबंधित विवरणों की पहचान आदि के विषय में जानकारी प्रदान की गई थी।

- पैसेज की चौड़ाई में कमी: वर्ष 2005 में 41% कॉरिडोरों की चौड़ाई तीन किलोमीटर थी लेकिन वर्ष 2017 में यह केवल 22% बचा था। इससे यह पता चलता है कि कैसे पिछले 12 वर्षों में कॉरिडोरों की चौड़ाई संकुचित होती रही है।
- गलियारों पर मानव अतिक्रमण: वर्ष 2017 में 21.8% कॉरिडोर मानव बस्तियों से मुक्त थे, जबकि यह संख्या वर्ष 2005 में 22.8% थी।
- बाधित क्षेत्र: उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग 36.4% हाथी गलियारों में से मध्य भारत में 32%, उत्तरी पश्चिम बंगाल में 35.7% और पूर्वोत्तर में 13% हाथी गलियारों के पास से रेलवे लाइनें गुज़रती हैं।
  - लगभग दो-तिहाई गलियारों के पास से या तो राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग गुज़रता है। स्पष्ट रूप से इससे न केवल हाथियों का निवास स्थान प्रभावित होता है बल्कि उनकी गतिविधियाँ भी बाधित होती हैं।
  - रेलवे पटरियों और राजमार्गों के अलावा 11% गलियारों के पास से नहरें गुज़रती हैं, जबकि 12% हाथी गलियारे खनन एवं पत्थरों के उत्खनन से प्रभावित हैं।
- कॉरिडोर के साथ-साथ भूमि उपयोग: भूमि उपयोग के संदर्भ में वर्ष 2005 के 24% की तुलना में वर्ष 2017 में केवल 12.9% गलियारे पूरी तरह से वनावरण के अधीन हैं।
  - देश के हर तीन हाथी गलियारों में से दो अब कृषि गतिविधियों से प्रभावित हैं।

हाथियों के संरक्षण के लिये अन्य पहलें:

- गज यात्रा।
- हाथी परियोजना।
- हाथियों की अवैध हत्या (MIKE) की निगरानी।

नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व

- उत्पत्ति:
  - 'नीलगिरि' का शाब्दिक अर्थ 'नीले पहाड़ों' से है। इस नाम की उत्पत्ति नीलगिरि पठार के नीले फूलों वाले पहाड़ों से हुई है।
  - नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी।
- भौगोलिक अवस्थिति:
  - नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किमी. है।
  - यह बायोस्फीयर रिज़र्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को शामिल करता है।
- पारिस्थितिक विशेषताएँ:
  - बायोटिक ज़ोन का संधि-स्थल: यह उष्णकटिबंधीय वन बायोम का उदाहरण है जो विश्व के एफ्रो-ट्रॉपिकल (Afro-Tropical) और इंडो-मलायन (Indo-Malayan) बायोटिक ज़ोन के संधि-स्थल को चित्रित करता है।
  - जैव विविधता हॉटस्पॉट: पश्चिमी घाट बायोग्राफिकल रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और विख्यात जैव विविधता हॉटस्पॉट्स (बायोग्राफिकल क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों का घनत्व अत्यधिक होता है) क्षेत्रों में में से एक है।
- वनस्पति:
  - यह रिज़र्व पारिस्थितिकी तंत्र का एक विस्तृत क्षेत्र है। इसका कोर क्षेत्र केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, जिसमें सदाबहार, अर्द्ध सदाबहार, पर्वतीय शोला वन और घास के मैदान पाए जाते हैं।
  - कर्नाटक के कोर क्षेत्र में ज़्यादातर शुष्क पर्णपाती, नम पर्णपाती, अर्द्ध सदाबहार वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
- जीव-जंतु:
  - इस रिज़र्व में नीलगिरि ताहर, नीलगिरि लंगूर, ब्लैकबक, टाइगर, भारतीय हाथी आदि जानवर पाए जाते हैं।
  - इस क्षेत्र में नीलगिरि डानियो (Nilgiri danio), नीलगिरि बार्ब (Nilgiri barb), बोवनी बार्ब (Bowany barb) आदि स्थानिक मछलियाँ पाई जाती हैं।

नोट :

- जल संसाधन:
  - रिज़र्व क्षेत्र में कावेरी नदी की कई प्रमुख सहायक नदियों जैसे- भवानी, मोयार, काबिनी साथ ही चालियार, पुनमपुझा आदि का उद्गम स्रोत और जलग्रहण क्षेत्र है।
- जनजातीय जनसंख्या:
  - नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व में कई आदिवासी समूह जैसे- टोडा, इरुल्लास, कुरुम्बस, पनियास, आदियंस, अल्लार, मलायन आदि रहते हैं।
- NBR में संरक्षित क्षेत्र:
  - मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली इस आरक्षित क्षेत्र में मौजूद संरक्षित क्षेत्र हैं।

लिटिल अंडमान आईलैंड' के लिये नीति आयोग की योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद 'लिटिल अंडमान आईलैंड' के लिये 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आईलैंड- विज़न डॉक्यूमेंट' के नाम से एक सतत् विकास योजना जारी की है, जिसके कारण पर्यावरण संरक्षणवादियों के मध्य गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है।

- इससे पूर्व वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 'समुद्री एवं स्टार्टअप हब' के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

उद्देश्य

- इस नीति का उद्देश्य द्वीपों की रणनीतिक अवस्थिति और प्राकृतिक विशेषताओं का लाभ प्राप्त करना है।
  - ये द्वीप हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी रणनीतिक अवस्थिति के कारण भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं।
  - बेहतर अवसंरचना और कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत को इन द्वीपों में अपनी सैन्य और नौसैनिक ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

योजना

- योजना के तहत एक नए ग्रीनफील्ड तटीय शहर के निर्माण की नीति बनाई गई है, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यह सिंगापुर तथा हॉन्गकॉन्ग जैसे शहरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करेगा।

तीन ज़ोन: योजना के तहत विकास कार्यों को तीन ज़ोन्स में विभाजित किया गया है:

- ज़ोन 1
  - यह लिटिल अंडमान आईलैंड के पूर्वी तट के साथ 102 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
  - यह एक महानगर होने के साथ ही आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होगा जिसमें एयरोसिटी, पर्यटन तथा अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- ज़ोन 2
  - यह आदिम वन के 85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
  - यह एक लेज़र ज़ोन है, जिसमें एक मूवी मेट्रोपोलिज़, आवासीय क्षेत्र तथा पर्यटन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (SEZ) शामिल किये जा सकते हैं।
- ज़ोन 3
  - यह आदिम वन के 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

नोट :

- यह एक प्राकृतिक ज़ोन होगा जिसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों- अद्वितीय फॉरेस्ट रिसोर्ट, प्राकृतिक चिकित्सीय क्षेत्र/खंड तथा प्राकृतिक आश्रय में विभाजित किया जाएगा। ये सभी पश्चिमी तट पर स्थित होंगे।

परिवहन विकास

- विमान के सभी प्रकारों के लिये एक विश्वव्यापी हवाई अड्डा इस योजना के केंद्र में है, क्योंकि विकास के लिये वैश्विक हवाई अड्डा होना महत्त्वपूर्ण है।
- द्वीप पर मौजूद एकमात्र जेटी (Jetty) का विस्तार किया जा सकता है।
- पूर्व से पश्चिम तक तटरेखा के समानांतर 100 किमी. ग्रीनफील्ड रिंग हाइवे का निर्माण किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- भारत के अन्य हिस्सों और विश्व के कई प्रमुख शहरों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी का अभाव।
- संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र तथा सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अधिसूचनाएँ भी क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा हैं।
- एक अन्य प्रमुख मुद्दा स्वदेशी जनजातियों की उपस्थिति और उनके कल्याण की चिंता से संबंधित है।
- लिटिल अंडमान का 95% भाग वनाच्छादित है, इन वनों का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन सदाबहार प्रकार का है। द्वीप का लगभग 640 वर्ग किमी. का भाग भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत रिज़र्व फॉरेस्ट के रूप में है और लगभग 450 वर्ग किमी. का क्षेत्र ओंगे ट्राइबल रिज़र्व के रूप मंव संरक्षित है, इन वनों की सामाजिक-पारिस्थितिक-ऐतिहासिक स्थिति के कारण इनका अधिक महत्त्व है।

  योजना में प्रस्तावित समाधान:
- प्रस्ताव में इस भूमि के 240 वर्ग किमी. (35%) क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया है और मौजूदा विकल्प इस प्रकार हैं-
  - आरक्षित वन के 32% क्षेत्र को अनारक्षित करना और जनजातीय रिज़र्व के 31% या 138 वर्ग किमी. क्षेत्र को अनधिसूचित करना।
  - यदि जनजातीय समूह इस योजना में बाधक बनते हैं, तो प्रस्ताव के अनुसार उन्हें द्वीप के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

प्रस्ताव में निहित समस्याएँ:

- यह लिटिल अंडमान में एक राष्ट्रव्यापी पार्क/वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण की बात करता है, जबकि यहाँ वर्तमान में मानवीय अस्तित्व नहीं है तथा इस स्थान की भू-वैज्ञानिक भेद्यता की भी पूर्ण जानकारी नहीं है, यह क्षेत्र वर्ष 2004 में सुनामी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।
  - सुनामी से लिटिल अंडमान इस कदर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि वहाँ का सिर्फ जलीय ढाँचा ही नहीं बल्कि उसकी भौतिक स्थिति भी बदल गई।
  - इस प्रस्ताव में न तो कोई वित्तीय विवरण है और न ही वनों एवं अन्य पारिस्थितिक संपदाओं पर इसके प्रभावों का आकलन प्रदान किया गया है।
  - पश्चिमी तट पर पश्चिमी खाड़ी में प्रस्तावित 'नेचर रिसॉर्ट' में थीम रिसॉर्ट्स, फ्लोटिंग/अंडरवाटर रिसॉर्ट्स एवं समुद्र तटीय रिसॉर्ट्स आदि का निर्माण प्रस्तावित है।
  - वर्तमान में यह एक दुर्गम क्षेत्र विशाल 'लैदरबैक सी टर्टल' का प्रजनन स्थल है।

वन विभाग की चिंताएँ:

- एक नोट में लिटिल अंडमान के प्रभागीय वन अधिकारी ने पारिस्थितिक संवेदनशीलता, स्वदेशी अधिकारों और भूकंप एवं सुनामी के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का सुझाव दिया है।
- उन्होंने उल्लेख किया है कि वन भूमि के इतने बड़े विभाजन से पर्यावरणीय नुकसान होगा जिससे काफी अधिक क्षति होगी।
- साथ ही विभिन्न जंगली जानवरों की आवासीय विशेषताएँ प्रभावित होंगी।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट न होने के कारण प्रस्ताव का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता।

नोट :

लिटिल अंडमान आईलैंड:

- यह द्वीप लिटिल अंडमान समूह का हिस्सा है (लिटिल अंडमान ग्रेट अंडमान के समकक्ष है)। यह अंडमान का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
  - यह अपने मुख्य गाँव के नाम से प्रसिद्ध है जो कि इसकी सबसे बड़ी बस्ती-हुत खाड़ी (Hut Bay) है।
- जनजातियाँ
  - पोर्ट ब्लेयर से लगभग 120 किलोमीटर की सामुद्रिक दूरी पर स्थित यह द्वीप वर्ष 1957 में एक आदिवासी रिज़र्व बन गया है।
  - यह ओंगे जनजाति का निवास स्थान माना जाता है।
- अवस्थिति एवं यातायात:
  - द्वीपसमूह के दक्षिणी छोर पर स्थित 'हट बे जेट्टी' (Hut Bay Jetty) राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इस द्वीप में आने वाले जहाज़ों या नौकाओं के लिये एकमात्र बंदरगाह है।

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (World Wetland Day) के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत् तटीय प्रबंधन केन्द्र (National Centre for Sustainable Coastal Management- NCSCM) के एक भाग के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (Centre for Wetland Conservation and Management-CWCM) स्थापित करने की घोषणा की।

- प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
- 2 फरवरी, 1971 के दिन ही ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर अभिसमय/समझौते (Ramsar Convention) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसकी 50वीं वर्षगाँठ वर्ष 2021 में मनाई जा रही है।
- वर्ष 2021 के लिये विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'आर्द्रभूमि और जल' (Wetlands and Water) है।

प्रमुख बिंदु:

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र (CWCM) का महत्त्व:

- CWCM आर्द्रभूमि के विषय में विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं और इससे संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं की कमी आदि समस्याओं को संबोधित करेगा और आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेगा।
- यह केंद्र देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये नीति व नियामक ढाँचे, प्रबंधन योजना तथा लक्षित अनुसंधान को डिज़ाइन तथा कार्यान्वित करने में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करेगा।
- यह प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी करने एवं नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगा।
- यह केंद्र आर्द्रभूमि शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रबंधकों और उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक 'नॉलेज हब' के रूप में कार्य करेगा।

आर्द्रभूमि:

- आर्द्रभूमियाँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र (6 मीटर से कम ऊँचे ज्वार वाले स्थान) के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट-जल उपचार तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं।
- आर्द्रभूमियाँ कुल भू सतह के लगभग 6% हिस्से को कवर करती हैं। पौधों और जानवरों की सभी 40% प्रजातियाँ आर्द्रभूमि में रहती हैं।

आर्द्रभूमियों का महत्त्व:

- आर्द्रभूमियाँ हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं, साथ ही प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।

नोट :

- मानव विकास और ग्रह (पृथ्वी) पर जीवन के लिये वेटलैंड महत्त्वपूर्ण हैं। 1 बिलियन से अधिक लोग जीवित रहने के हेतु आर्द्रभूमियों पर निर्भर हैं।
- ये भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिये आनुवंशिक संसाधनों और जलविद्युत के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- भूमि आधारित कार्बन का 30% पीटलैंड (एक प्रकार की आर्द्रभूमि) में संग्रहीत है।
- ये परिवहन, पर्यटन और लोगों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- कई आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं और आदिवासी लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

खतरा:

- आर्द्रभूमियों पर गठित आईपीबीईएस (जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवा पर अंतर-सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म) के अनुसार, ये सबसे अधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल हैं।
- आर्द्रभूमि मानव गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जंगलों की तुलना में 3 गुना तेज़ी से समाप्त हो रही है।
- यूनेस्को के अनुसार, आर्द्रभूमि के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने से विश्व के उन 40% वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो इन आर्द्रभूमि में पाए जाते हैं या प्रजनन करते हैं।
- प्रमुख खतरे: कृषि, विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन।

भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति:

- भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्रभूमि के रूप में है जो 15.26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारत में 42 स्थल हैं जिन्हें आर्द्रभूमि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व (रामसर स्थल) का नामित किया गया है।
  - रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्रभूमियों को सम्मेलन के सख्त दिशा- निर्देशों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया हैं।
  - वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 2,300 से अधिक रामसर साइटस विद्यमान हैं।
  - हाल ही में लद्दाख स्थित त्सो कार आर्द्रभूमि क्षेत्र (Tso Kar Wetland Complex) को भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है।
- आर्द्रभूमियों का विनियमन आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत किया जाता है।
- केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण हेतु वर्ष 2010 में बनाए गए नियमों को राज्य-स्तरीय निकायों के साथ वर्ष 2017 में परिवर्तित किया गया तथा एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन किया गया जो सलाहकार की भूमिका में है।
- नए नियमों ने 'आर्द्रभूमि' की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया जिसमें बैकवाटर (Backwater) लैगून (Lagoon), क्रीक (Creek) और एस्टुअरीज़ (Estuaries) शामिल हैं।
  - वर्ष 2017 के नियमों के तहत आर्द्रभूमि की पहचान करने की ज़िम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है।

सतत् तटीय प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र

- अवस्थिति:
  - इसका केंद्र चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है।
- प्रभाग:
  - इसमें भू-स्थानिक विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली, तटीय पर्यावरण प्रभाव आकलन, तटीय एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण आदि विभिन्न अनुसंधान विभाग शामिल हैं।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य पारंपरिक तटीय और द्वीपीय समुदायों के लाभ एवं कल्याण के लिये भारत में तटीय व समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत एवं स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
  - इसका उद्देश्य जनभागीदारी, संरक्षण प्रथाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से स्थायी तटों को बढ़ावा देना और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी का कल्याण करना है।

नोट :

- भूमिका:
  - भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey Of India) और NCSCM ने बाढ़, कटाव तथा समुद्र-स्तर में वृद्धि की भेद्यता के मानचित्रण (Mapping) को शामिल करते हुए भारतीय तटीय सीमाओं के लिये खतरे की सीमा की मैपिंग की है।
  - यह केंद्र, राज्य सरकारों और नीति निर्माण से संबद्ध अन्य हितधारकों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal Zone Management- ICZM) से संबंधित वैज्ञानिक मामलों में भी सलाह देता है।

मिशन इनोवेशन 2.0

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (Union Minister of Science & Technology) ने मिशन इनोवेशन (Mission Innovation) के दूसरे चरण की शुरुआत की है।

- भारत ने मिशन इनोवेशन के संचालन समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाई। यह विश्लेषण और संयुक्त अनुसंधान व व्यवसाय तथा निवेशक उप-समूहों का सदस्य है।

प्रमुख बिंदु

मिशन इनोवेशन:

- गठन:
  - मिशन इनोवेशन की घोषणा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) से अलग (Sideline) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये की गई थी।
- सदस्यता:
  - यह 24 देशों और यूरोपीय संघ के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये एक वैश्विक पहल है।
- सिद्धांत:
  - सभी सदस्यों द्वारा चयनित प्राथमिक क्षेत्रों में पाँच वर्षों में अपने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार निवेश को दोगुना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त गई है।
  - प्रत्येक सदस्य अपनी प्राथमिकताओं, नीतियों, प्रक्रियाओं और कानूनों के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपनी निधि का सबसे उचित उपयोग निर्धारित करने और दोहरे लक्ष्य को प्राप्ति के लिये अपने स्वयं के अनुसंधान तथा विकास प्राथमिकताओं एवं उनके उचित मार्ग को परिभाषित करता है।
  - एमआई सदस्य कई मामलों में अपने संपूर्ण ऊर्जा नवाचार बजट के कुछ हिस्सों को अपनी सीमा रेखा के भीतर पूर्ण करने को प्राथमिकता देते हैं।
- उद्देश्य:
  - सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को संतोषजनक स्तर तक बढ़ाना।
  - निजी क्षेत्र की संलग्नता और निवेश में वृद्धि करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
  - नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- नवाचार में आने वाली चुनौतियाँ:
  - नवाचार की चुनौतियाँ मिशन नवाचार का एक प्रमुख हिस्सा है, जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का लाभ उठाना है जो अंतत: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने तथा स्वच्छ आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में मदद कर सकती हैं।

नोट :

- मिशन नवाचार की 8 चुनौतियाँ:
  - IC1 - स्मार्ट ग्रिड, IC2 - बिजली से ग्रिड तक पहुँच, IC3 - कार्बन कैप्चर, IC4 - सतत् जैव ईंधन, IC5 - कन्वर्टिंग सनलाइट, IC6 - स्वच्छ ऊर्जा सामग्री, IC7 - किफायती कूलिंग और हीटिंग वाले भवन, IC8 - अक्षय और स्वच्छ हाइड्रोजन।
- पहले चरण से पता चलता है कि नवाचार चुनौतियों के तहत किये गए कार्य अपेक्षाकृत कम समय में पूरे कर लिये गए जो आईसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये सदस्यों के नेतृत्व और स्वैच्छिक प्रयासों पर निर्भर थे।
- इन संसाधनों ने नाटकीय रूप से उन्नत प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता को तेज़ कर दिया है जो भविष्य की स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा को परिभाषित करेगा।

मिशन इनोवेशन 2.0:

- नवाचार में तेज़ी लाने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी सदस्य एक अन्य चरण (2.0) को विकसित करने हेतु सहमत हुए हैं, इस चरण में शामिल हैं:
  - वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने और सीखने में तेज़ी लाने के लिये वर्तमान गतिविधियों पर एक उन्नत नवाचार मंच का निर्माण करना।
  - नया सार्वजनिक-निजी नवाचार गठजोड़ - ये मिशन स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित महत्त्वाकांक्षी और प्रेरणादायक लक्ष्यों के आसपास निर्मित होते हैं जिन्हें स्वच्छ ऊर्जा समाधान लागत, पैमाने, उपलब्धता आदि द्वारा सुगम बनाया जा सकता है।

मिशन के साथ भारतीय पहल

- स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र:
  - जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्थापित स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र (Clean Energy International Incubation Centre) ने स्टार्ट-अप नवाचार पारिस्थितिकी का सहयोग करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सौर क्षमता में बढ़ोतरी:
  - भारत ने सौर संस्थापित क्षमता में 13 गुना की वृद्धि करके अपने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को 134 गीगावाट तक बढ़ा दिया है, यह कुल बिजली उत्पादन का लगभग 35% है।
    - भारत को राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा) से अपनी सौर क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है।
  - भारत का उद्देश्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना है।
- जैव ईंधन:
  - भारत, पेट्रोल और डीज़ल में जैव ईंधन (Biofuel) मिश्रण के अनुपात को बढ़ाने के लिये काम कर रहा है:
    - इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल को मिश्रित करके इसे जैव ईंधन की श्रेणी में लाना और जैव ईंधन के आयात में कटौती करके लाखों डॉलर की बचत करना है।
    - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% और डीज़ल में 5% तक इथेनॉल का सम्मिश्रण करना है।
  - भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जैव ईंधन में उत्कृष्टता के पाँच केंद्र जैव ईंधन, बायो हाइड्रोजन और बायो जेट जैसे उन्नत जैव ईंधन पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।
- उज्ज्वला योजना:
  - यह स्वच्छ ईंधन से खाना पकाने की दुनिया की सबसे बड़ा योजना है, जिसको वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे अपने तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से संचालित करता है।
  - उज्ज्वला योजना के माध्यम से शुरू में गरीबी रेखा (Below Poverty Line) से नीचे के 5 करोड़ परिवारों को 31 मार्च, 2019 तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

नोट :

- भारत ने अब तक लगभग 150 मिलियन कनेक्शन जारी किये हैं।

- एक स्थायी भविष्य के लिये उत्सर्जन फ्रेमवर्क से परहेज:
  - एक साझेदारी के तहत भारत और स्वीडन ने स्थायी भविष्य के लिये अवॉइडेड इमिशन फ्रेमवर्क (Avoided Emission Framework) ढाँचा विकसित किया है।
  - इस साझेदारी के तहत वर्ष 2030 तक CO_2 उत्सर्जन में लगभग 100 मिलियन टन की कमी लाने के लिये आठ कंपनियों का चयन किया गया है।

पोंग बाँध झील वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2020-21 की सर्दियों में हिमाचल प्रदेश के पोंग बाँध झील वन्यजीव अभयारण्य में एक लाख से अधिक प्रवासी जल पक्षी पहुँचे।

प्रमुख बिंदु:

- अवस्थिति: कांगड़ा ज़िला, हिमाचल प्रदेश।
- निर्माण:
  - पोंग बाँध को वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है।
  - वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था।
  - वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे "राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि" घोषित किया।
  - पोंग बाँध झील को नवंबर 2002 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।
- प्रवासी पक्षियों के लिये गंतव्य:
  - यह अभयारण्य 54 कुलों के पक्षियों की लगभग 220 प्रजातियों की मेज़बानी करता है। सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षी हिंदुकुश हिमालय से, यहाँ तक कि साइबेरिया से इस अभयारण्य में आते हैं।
- नदियाँ:
  - इस झील को ब्यास नदी और इसकी कई बारहमासी सहायक नदियों जैसे कि गज, नियोगल, बिनवा, उहल, बंगाणा और बानर से जल प्राप्त होता है।
  - यह झील मछलियों की लगभग 22 प्रजातियों को आश्रय देती है, जिसमें दुर्लभ मछलियाँ जैसे- सैल और गैड शामिल हैं। झील का पर्याप्त जल स्तर इसे वाटर स्पोर्ट्स के लिये एक आदर्श गंतव्य स्थल बनाता है।
- वनस्पति:
  - यह अभयारण्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से आच्छादित है, जो बड़ी संख्या में भारतीय वन्यजीवों को आश्रय देता है।
- वनस्पति जगत:
  - यूकेलिप्टस, कीकर, जामुन, शीशम, आम, शहतूत, गूलर, कचनार तथा आँवला आदि।
- प्राणी जगत:
  - काकड़ (बार्किंग डियर), सांभर, जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुआ तथा छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव आदि।
- पक्षी वर्ग:
  - ब्लैक हेडेड गुल, लाल गर्दन वाले ग्रीब, टिटिहरी (Plovers) टर्न, बत्तख, जल मुर्गी, बगुला इत्यादि।

नोट :

हिमाचल प्रदेश स्थित राष्ट्रीय उद्यान

- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (Great Himalayan National Park):
  - कुल्लू ज़िले के बंजार उप-प्रभाग में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को आधिकारिक रूप से वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
  - वर्ष 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जैव विविधता संरक्षण में अद्भुत योगदान के लिये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया।
  - यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में ग्रेटर ब्लू शीप, भारतीय पिका, रीसस बंदर, हिमालयन काले भालू, हिमालयन भूरे भालू, लाल लोमड़ी आदि शामिल हैं।
- पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Pin Valley National Park):
  - पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, लाहौल और स्पीति ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी।
  - यहाँ विभिन्न संकटग्रस्त प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक आवास में पाई जाती है जिसमें हिम तेंदुआ तथा साइबेरियाई आइबेक्स भी शामिल हैं।
- इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान (Inderkilla National Park):
  - इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में अवस्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी।
  - यहाँ तेंदुए और हिरण जैसे हिमालयी क्षेत्र के जंतु और विभिन्न पक्षी जिनमें ग्रीष्म ऋतु वाले दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं के साथ-साथ कीटों की विविध प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं।
- खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान (Khirganga National Park):
  - खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में अवस्थित है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी।
  - यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 5,500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है तथा 710 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
- सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान (Simbalbara National Park):
  - सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान सिरमौर ज़िले की पांवटा घाटी (Paonta Valley) में अवस्थित है।
  - इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में सिम्बलबारा वन्यजीव अभयारण्य (9.03 वर्ग किमी. क्षेत्रफल) के रूप में की गई थी।
  - वर्ष 2010 में 8.88 वर्ग किमी. अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करते हुए इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास इको-सेंसिटिव ज़ोन

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र यानि इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित करने से संबंधित मसौदा अधिसूचना के खिलाफ वायनाड (केरल) में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- मसौदा अधिसूचना:
  - मसौदा अधिसूचना के अनुसार, 118.5 वर्ग किमी क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसमें से 99.5 वर्ग किमी. क्षेत्र अभयारण्य के बाहर है और शेष 19 वर्ग किमी. में अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव भी शामिल हैं।
  - ESZ के तहत कई मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसमें सभी नए और मौजूदा खनन, पत्थर का उत्खनन करने और उन्हें तोड़ने वाली इकाइयों तथा प्रदूषण पैदा करने वाले नए उद्योगों पर प्रतिबंध शामिल है।
  - इसमें बड़ी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना और नए आरा मिलों, ईंट भट्टों की स्थापना तथा ESZ के भीतर काष्ठ ईंधन के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल है।

नोट :

- इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र की सीमा या ESZ की सीमा (जो भी पास हो) तक, 1 किमी. के दायरे में कोई भी नया वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह अधिसूचना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निजी भूमि में भी वृक्षों की कटाई पर रोक लगाता है।

◆ अधिसूचना का उद्देश्य:

- यह वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास निवास करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि वन्यजीवों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के कारण वनों की सीमाओं पर रह रहे किसानों को सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- पिछले 38 वर्षों के दौरान वन्यजीव हमलों के कारण ज़िले में 147 लोगों की मृत्यु हुई है।

◆ मुद्दे:

- वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित 57 गाँव इको सेंसिटिव ज़ोन के अंतर्गत आते हैं।
- आलोचकों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि मसौदा अधिसूचना ज़िले में कृषि और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, क्योंकि यह अधिसूचना वाहनों के आवागमन पर अंकुश लगाती है।
- यह अधिसूचना अभयारण्य सीमाओं पर निवास कर रहे हज़ारों किसानों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगी।
- अभयारण्य के किनारों पर स्थित 29,291 एकड़ निजी भूमि ESZ के अंतर्गत आ जाएगी, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का विकास हमेशा के लिये अवरुद्ध हो जाएगा।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary)

- अवस्थिति: केरल राज्य के वायनाड ज़िले में अवस्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली के साथ नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।
  - ◆ इसका क्षेत्रफल 344.44 वर्ग किमी. है जिसमें चार वन रेंज सुल्तान बथेरी (Sulthan Bathery), मुथांगा (Muthanga), कुरिचिअट (Kurichiat) और थोलपेट्टी (Tholpetty) शामिल हैं।
  - ◆ यह कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी भाग में बांदीपुर टाइगर रिज़र्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व को पारिस्थितिक और भौगोलिक निरंतरता (Ecological And Geographic Continuity) प्रदान करता है।
  - ◆ कबिनी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी) अभयारण्य से होकर बहती है।
- स्थापना: इसे वर्ष 1973 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
- जैव-विविधता:
  - ◆ यहाँ पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तटीय अर्द्ध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी तथा ग्रेवेलिया आदि शामिल हैं।
  - ◆ हाथी, गौर, बाघ, चीता/पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरण, कांकड़ (बार्किंग डियर), जंगली सूअर, सुस्त भालू या स्लॉथ बीयर, नीलगिरि लंगूर, बोनट मकाक, साधारण लंगूर, जंगली कुत्ता, उदबिलाव, मालाबार विशाल गिलहरी आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी हैं।
- पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones)
  - ◆ इको-सेंसिटिव ज़ोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।
  - ◆ इको-सेंसिटिव ज़ोन में होने वाली गतिविधियाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
  - ◆ सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव ज़ोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।

नोट :

- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

आगे की राह

- मौजूद परिदृश्य को देखते हुए पर्यावरण नीतियों के स्थानीय प्रभावों, नीतियों में स्थानीय भागीदारी के प्रकार एवं संभावनाओं तथा संर

हिंदू-कुश और काराकोरम शृंखला पर जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

'भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन' (Assessment of Climate Change over the Indian Region) रिपोर्ट के अनुसार, हाल के दशकों में हिंदू-कुश हिमालयी पर्वत शृंखलाओं की चोटियों पर बर्फबारी की घटनाएँ बढ़ी हैं, जिसने इस क्षेत्र के ग्लेशियरों को सिकुड़ने से बचा लिया है।

- हाल ही में अलकनंदा नदी में आई भारी बाढ़ का कारण संभवत: ग्लेशियर विस्फोट को माना गया, जिसने हाल के दशकों में ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) के कारण उच्च गति से पिघल रहे ग्लेशियर के मुद्दे को उजागर किया है। हालाँकि यह रिपोर्ट हिंदुकुश हिमालय की एक विपरीत तस्वीर को इंगित करती है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences- MoES) द्वारा भारतीय क्षेत्र रिपोर्ट (Indian Region Report) के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर आकलन प्रकाशित किया गया है। यह आने वाली शताब्दी में उपमहाद्वीप पर पड़ने वाले ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को लेकर भारत का पहला राष्ट्रीय पूर्वानुमान है।

हिंदू-कुश हिमालय (HKH) क्षेत्र

- HKH क्षेत्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, किर्गिज़स्तान, मंगोलिया, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान, ताज़िकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक फैला हुआ है।
- यह लगभग 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है जो एक बड़ी और सांस्कृतिक रूप से विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसे तीसरे ध्रुव की संज्ञा दी जाती है (उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बाद), जिसका जलवायु पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है।
- इस क्षेत्र में विशाल क्रायोस्फेरिक ज़ोन (जमा पानी का हिस्सा) अवस्थित है जो विश्व में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर बर्फ का सबसे विशाल भंडार है।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण पहलू:
  - हाल के दशकों में हिंदू-कुश और काराकोरम हिमालय के कई क्षेत्रों में बर्फबारी में गिरावट और ग्लेशियरों के पीछे हटने की प्रवृत्ति का अनुभव किया गया है।
    - इसके विपरीत उच्च-ऊँचाई वाले काराकोरम हिमालय क्षेत्र में सर्दियों के समय उच्च हिमपात देखा गया है जिसने इस क्षेत्र के ग्लेशियरों को सिकुड़ने से बचा लिया है।
    - काराकोरम एशिया के केंद्र में स्थित एक जटिल पर्वत शृंखला का हिस्सा है, जिसमें पश्चिम में हिंदू-कुश, उत्तर-पश्चिम में पामीर, उत्तर-पूर्व में कुनलुन पर्वत और दक्षिण-पूर्व में हिमालय अवस्थित है।
  - यहाँ तक कि जब अधिक ऊँचाई वाले काराकोरम हिमालय पर सर्दियों में बर्फबारी की घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो हिंदूकुश काराकोरम क्षेत्र की संपूर्ण जलवायु अन्य मौसमों की तुलना में सर्दियों के मौसम में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च दर देखी जा रही थी।
- कारण:
  - हिमालय का तीव्र गति से गर्म होना:
    - उष्णकटिबंधीय और बहिरुष्ण-कटिबंधीय मौसम प्रणाली (Tropical and Extratropical Weather Systems) के कारण हिमालयी क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन के बारे में जानना काफी जटिल है।

नोट :

- वर्ष 1951-2018 के मध्य हिमालय शेष भारतीय भू-भाग की तुलना में अधिक तीव्र गति से गर्म हुआ।
- इसके अलावा इस क्षेत्र के गर्म होने की दर (वार्मिंग) वैश्विक औसत तापमान से अधिक है।

◆ ग्लोबल वार्मिंग:

- वर्ष 1951 से 2014 के दौरान दशकीय तापन/वार्मिंग की दर 1.3 डिग्री सेल्सियस थी। वर्ष 1900 से 1950 के दौरान जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं था तब इसमें 0.16 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई।

- प्रभाव:
  - ◆ वार्षिक औसत सतह तापमान में वृद्धि:
    - रिपोर्ट में वर्ष 2040-2069 के दौरान 2.2 डिग्री सेल्सियस वार्षिक औसत तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और पुन: इसी दर के साथ वर्ष 2070-2099 के दौरान इसमें 3.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी।
  - ◆ अत्यधिक वर्षण:
    - वार्मिंग के कारण इस क्षेत्र में वर्षण की मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है। हिंदू-कुश और काराकोरम क्षेत्र में अधिकतम पाँच-दिवसीय वर्षण की घटनाओं के साथ उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है।
- महत्त्व:
  - ◆ मानसून चालक: हिंदू-कुश और काराकोरम पर्वत श्रृंखला, तिब्बत के पठार के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के मुख्य चालक हैं।
  - ◆ जीवन-यापन का साधन: ये पर्वत श्रृंखलाएँ एशिया की 10 प्रमुख नदी प्रणालियों के स्रोत हैं, जो महाद्वीप के 1.3 अरब लोगों को पीने के पानी, सिंचाई और बिजली आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराती है।
    - सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की प्रमुख नदियाँ है, बर्फ के पिघलने के कारण पुन: जल से भर जाती हैं ।
    - उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बाद हिंदू-कुश और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएँ तिब्बत पठार के साथ मीठे पानी की आपूर्ति के सबसे बड़े स्रोत हैं।

स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज' (The Lancet Countdown on Health and Climate Change) के नए शोध में ग्लोबल वार्मिंग को '2 डिग्री सेल्सियस' तक सीमित करने के पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु योजनाओं- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC) को अपनाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला गया है।

- 'द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज' का प्रकाशन वार्षिक तौर पर किया जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहु-विषयक सहयोग है, जो मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन की बढ़ती स्वास्थ्य प्रोफाइल की निगरानी करता है और साथ ही यह पेरिस समझौते के तहत विश्व भर में सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का स्वतंत्र मूल्यांकन भी प्रदान करता है।
- अध्ययन में बताया गया है कि विश्व की आबादी का 50% और उत्सर्जन का 70% का प्रतिनिधित्व ब्राज़ील, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूके और अमेरिका द्वारा किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

शोध के मुख्य बिंदु:

- शोध के तीन प्रमुख पहलू: इस शोध के तहत जिन तीन पहलुओं पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया है उनमें वर्तमान कार्यप्रणाली को जारी रखना, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासों में वृद्धि तथा स्वास्थ्य को जलवायु परिवर्तन शमन हेतु किये जा रहे प्रयासों के केंद्र में रखना शामिल हैं।
  - ◆ स्वास्थ्य को NDC के केंद्र में रखने से महत्त्वकांक्षाओं और स्वास्थ्य सह-लाभों को बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
- वर्ष 2040 तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

नोट :

- पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त कर और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को अपनाने से बेहतर आहार के कारण 6.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। स्वच्छ हवा के परिणामस्वरूप 1.6 मिलियन तथा नौ देशों में प्रतिवर्ष व्यायाम के चलते 2.1 मिलियन लोगों के जीवन में वृद्धि होती है।

- अध्ययन से प्राप्त संकेतों से पता चलता है कि यदि भारत पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में सफल रहता है तो यह स्वच्छ हवा के परिणामस्वरूप 4.3 लाख लोगों को और बेहतर आहार के चलते 17.41 लाख लोगों को बचाने में सक्षम होगा।

पेरिस समझौता:

- पेरिस समझौता के बारे में:
  - यह पहला वैश्विक रूप से बाध्यकारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता है।
  - जिसे दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन (Paris climate conference- COP21) में अपनाया गया था।
- उद्देश्य:
  - पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना तथा इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना।
- दीर्घकालीन लक्ष्य:
  - शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु एक दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्य। देशों ने वैश्विक उत्सर्जन को जल्द-से-जल्द चरम स्तर से नीचे लाने के प्रयास का वादा किया है।
  - महत्त्वपूर्ण रूप से वैश्विक देशों द्वारा इस सदी के उत्तरार्द्ध में ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत और मानवजनित उत्सर्जन के मध्य संतुलन स्थापित करने का संकल्प लिया गया।
- क्रिया विधि:
  - सम्मेलन शुरू होने से पहले 180 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती या अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (INDCs) के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता प्रस्तुत की ।
  - INDC को समझौते के तहत मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- अनुदान:
  - यह निर्धारित करता है कि विकसित देश शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों के संबंध में विकासशील देशों की सहायता हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। अन्य देशों को स्वेच्छा से इस प्रकार का समर्थन प्रदान करने या जारी रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्याएँ:

- कार्यान्वयन की धीमी गति:
  - वर्ष 2025-2030 तक उत्सर्जन को कम करने के लिये अपने राष्ट्रीय योगदान को अद्यतन करने हेतु अधिकांश देशों की गति धीमी रही है, हालांकि कई देशों द्वारा हाल के दिनों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा की गई है।
- साख:
  - राष्ट्रों की योजनाएँ और नीतियाँ दीर्घकालिक शून्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं हैं:
    - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ने इस बात का संकेत दिया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा इसे इस सीमा के भीतर रखने के लिये वैश्विक CO_2 उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 45% कम करके वर्ष 2010 के स्तर पर लाना होगा , लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय योगदान इस कमी को ट्रैक करने के लिये नहीं है।
    - वर्ष 2020 में पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वयं को अलग कर लेना इस समझौते की सार्वभौमिकता में कमी लाता है जो जलवायु सहयोग में राज्यों के विश्वास को कम करता है। हालाँकि अमेरिका ने हाल ही में समझौते को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

नोट :

- जवाबदेही:
  - दीर्घकालिक शुद्ध शून्य लक्ष्यों और अल्पकालिक राष्ट्रीय योगदान हेतु किसी भी प्रकार की कोई सीमित या जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई है।
  - पारदर्शिता ढाँचे में किसी भी प्रकार के ठोस समीक्षा कार्य (Robust Review Function) को शामिल नहीं किया गया है। अनुपालन समिति का कार्य बाध्यकारी प्रक्रियात्मक दायित्वों की एक छोटी सूची के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने तक सीमित है।
- निष्पक्षता:
  - निष्पक्षता और न्याय दोनों मुद्दे पीढ़ियों के मध्य अपरिहार्य हैं।
  - नेट शून्य लक्ष्य (Net Zero Targets) और नेट शून्य (Net Zero) को प्राप्त करने हेतु अपनाए गए विकल्पों की निष्पक्षता की जाँच करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्यों द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में कितना उत्सर्जन किया जा रहा है या उन्हें कितना उत्सर्जन करना चाहिये।

भारतीय परिदृश्य

भारत द्वारा वर्तमान उत्सर्जन:

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वास्तव में वैश्विक औसत से 60% कम है।
- वर्ष 2019 में देश में उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पिछले एक दशक में प्रतिवर्ष 3.3% के औसत से काफी कम है।

भारत द्वारा वर्ष 2030 तक INDC के लक्ष्यों को प्राप्त करना:

- उत्सर्जन तीव्रता को जीडीपी के लगभग एक-तिहाई तक कम करना।
- बिजली की कुल स्थापित क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना।
- 2030 तक भारत द्वारा वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक (वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का एक साधन) के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

उत्सर्जन को नियंत्रण करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए उपाय:

- भारत स्टेज (बीएस) VI मानक: ये वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु सरकार द्वारा जारी उत्सर्जन नियंत्रण मानक हैं।
- राष्ट्रीय सौर मिशन: भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक बड़ी पहल है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर संकर नीति 2018: इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और भूमि के इष्टतम और कुशल उपयोग के लिये बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) संकर प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करना है।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन (World Sustainable Development Summit) का आयोजन किया गया।

- वर्ष 2021 के शिखर सम्मेलन का विषय: अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना: सभी के लिये संरक्षित और सुरक्षित वातावरण' (Redefining our common future: Safe and Secure Environment for All) था।
- TERI वर्ष 1974 में स्थापित एक गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिये ऊर्जा, पर्यावरण तथा सतत् विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- सम्मेलन में भारत का रुख:
  - जलवायु न्याय पर ज़ोर:
    - "जलवायु न्याय" एक शब्द से अधिक एक आंदोलन है जो यह स्वीकार करता है कि वंचित वर्ग पर जलवायु परिवर्तन का सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
    - भारत के अनुसार, 'जलवायु न्याय' ट्रस्टीशिप के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसके तहत विकास से साथ-साथ वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति का उत्तरदायित्त्व भी बढ़ जाता है।
  - जलवायु शमन प्रयासों के लिये आश्वासन:
    - भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों के लिये की गई प्रतिबद्धताओं को दोहराया है, जिसके तहत भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33-35 प्रतिशत तक कम करने की बात कही गई है।
    - इस दौरान भूमि क्षरण तटस्थता के लिये भारत की प्रतिबद्धता और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिये भारत की निरंतर प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया।
    - इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के तहत भारत की पहल पर भी चर्चा की गई।
  - आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये प्रतिबद्धता:
    - आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के लिये भारत ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) हेतु प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया था।
    - CDRI: यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय बैंकों, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये बुनियादी ढाँचा प्रणालियों की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है।
- सतत् विकास की दिशा में भारत के प्रयास:
  - मार्च 2019 में भारत ने स्थायी प्रौद्योगिकियों और अभिनव मॉडलों के माध्यम से लगभग 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया।
  - उजाला कार्यक्रम के माध्यम से 367 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किये गए जिसने प्रतिवर्ष 38 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया है।
  - पीएम उज्जवला योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 80 मिलियन से अधिक परिवारों को भोजन पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया। भारत अपने ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने की दिशा में काम कर रहा है।
  - जल जीवन मिशन के तहत 18 महीनों में 34 मिलियन से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया है।
  - संरक्षण प्रयासों के परिणामस्वरूप शेर, बाघ, तेंदुए और गंगा नदी डॉल्फ़िन की आबादी में वृद्धि हुई है।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन

- परिचय:
  - विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन (World Sustainable Development Summit) ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।
  - इसे पहले दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता था।
- उद्देश्य:
  - इसकी अवधारणा सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये एकल मंच के रूप में की गई है।
  - इसका उद्देश्य सतत् विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है।

नोट :

- सतत् विकास:
  - "सतत् विकास का अर्थ है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बगैर वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना"। सतत् विकास की व्यापक रूप से स्वीकृत यह परिभाषा ब्रुन्डलैंड कमीशन (Brundtland Commission) ने अपनी रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' या 'अवर कॉमन फ्यूचर (Our Common Future), 1987 में दी थी।
- जलवायु परिवर्तन:
  - यह पृथ्वी के स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को परिभाषित करने वाले मौसम के औसत पैटर्न में एक दीर्घकालिक बदलाव है।
  - जलवायु डेटा रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतकों का प्रमाण प्रदान करते हैं, जैसे कि वैश्विक भू और समुद्र तापमान का बढ़ना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, पृथ्वी के ध्रुवों और पहाड़ी ग्लेशियरों में बर्फ का ह्रास, तूफान, लू, वनाग्नि, सूखा, बाढ़ और वर्षा जैसे चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि तथा बादल एवं वनस्पति आवरण में परिवर्तन आदि।

दृष्टि The Vision

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भारत के पुराने बाँध : पर्यावरण और लोगों के लिये खतरा

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) द्वारा जारी रिपोर्ट 'एजिंग वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर: एन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क' (Ageing Water Infrastructure: An Emerging Global Risk) के अनुसार, भारत में 1,000 से अधिक बड़े बाँध वर्ष 2025 में लगभग 50 वर्ष पुराने होंगे तथा विश्व में इस प्रकार के पुराने बाँध या तटबंध बढ़ते खतरे का कारण हैं।

- कनाडा स्थित इंस्टीट्यूट फॉर वॉटर, एन्वायरनमेंट एंड हेल्थ (Institute For Water, Environment and Health) द्वारा संकलित रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व बड़े बाँधों के निर्माण की क्रांति का पुन: गवाह (20वीं सदी के मध्य के समान) बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिन बाँधों का निर्माण हो चुका है वे अनिवार्य रूप से वर्ष 2025 तक अपनी उम्र से अधिक के हो चुके होंगे।।
- इस विश्लेषण में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस, कनाडा, भारत, जापान, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे में बाँधों का गिरना या बाँधों की बढ़ती उम्र के मामलों (Dam Decommissioning or Ageing Case Studies) के अध्ययन को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

वैश्विक परिदृश्य:

- वैश्विक स्तर पर 58,700 बड़े बाँधों में से अधिकांश का निर्माण वर्ष 1930 और वर्ष 1970 के मध्य 50 से 100 वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था।
- वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर अधिकांश लोग 20वीं सदी में निर्मित हज़ारों बड़े बाँधों के अनुप्रभाव/बहाव (Downstream) क्षेत्र में रह रहे होंगे, इनमें से कई बाँध अपने निर्धारित डिज़ाइन की समयावधि से अधिक समय तक कार्य कर रहे हैं।
  - कंक्रीट निर्मित एक बड़ा बाँध 50 वर्षों में संभवत: उम्र बढ़ने के संकेत व्यक्त करना शुरू कर देता है।
- बाँध की बढ़ती उम्र के संकेतों में शामिल हैं- बाँध की अक्षमता में वृद्धि, बाँध की मरम्मत और रखरखाव लागत का बढ़ना, जलाशय अवसादन में वृद्धि और बाँध की कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता का प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना जो कि दृढ़ता के साथ परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- 32,716 बड़े बाँध (विश्व के कुल बाँधों का 55%) सिर्फ चार एशियाई देशों (चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया) में हैं, जिनमें से अधिकांश शीघ्र ही 50 वर्ष की सीमा तक पहुँच जाएंगे।
  - यही स्थिति अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी यूरोप के कई बड़े बाँधों की है।

भारतीय परिदृश्य:

- बड़े बाँधों के निर्माण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- अब तक 5,200 से अधिक बड़े बाँधों में से लगभग 1,100 बाँध 50 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं और कुछ 120 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं।
  - वर्ष 2050 तक ऐसे बाँधों की संख्या बढ़कर 4,400 हो जाएगी।
- इसका अर्थ है कि देश के 80% बड़े बाँधों के लुप्त होने की संभावना है क्योंकि वे 50- 150 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएंगे।
- हज़ारों मध्यम और छोटे बाँधों की स्थिति और भी खतरनाक है क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ (Shelf Life) बड़े बाँधों की तुलना में कम है।
- उदाहरण: कृष्णराज सागर बाँध का निर्माण वर्ष 1931 में किया गया था जो अब 90 वर्ष पुराना हो चुका है। इसी प्रकार वर्ष 1934 में मेट्टूर बाँध का निर्माण किया गया था और यह भी अब 87 वर्ष पुराना है। ये दोनों ही जलाशय पानी की कमी वाले कावेरी नदी बेसिन में स्थित हैं।

नोट :

समस्या:

- भंडारण क्षमता में कमी:
  - जैसे-जैसे बाँधों की आयु बढ़ती है, जलाशयों में मिट्टी पानी का स्थान ले लेती है। इसलिये भंडारण क्षमता के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जैसा कि 1900 और 1950 के दशकों में देखा गया था।
  - भारतीय बाँधों में जल भंडारण स्थान में अप्रत्याशित रूप से अधिक तेज़ी के साथ कमी आ रही है।
- त्रुटिपूर्ण डिज़ाइन:
  - अध्ययन बताते हैं कि भारत के कई बाँधों का डिज़ाइन त्रुटिपूर्ण है।
  - भारतीय बाँधों के डिज़ाइन में अवसादन विज्ञान (Sedimentation Science) को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है अर्थात् डिज़ाइन में इसका अभाव देखने को मिलता है। जिस कारण बाँध की जल भंडारण क्षमता में कमी आती है।
  - अवसाद/गाद की उच्च दर: यह निलंबित अवसादों की वृद्धि एवं तलछटो पर महीन अवसादों का जमाव (अस्थायी या स्थायी) जहाँ कि वे अवांछनीय हैं, दोनों को संदर्भित करता है।

परिणाम:

- जल का अभाव:
  - जब मिट्टी बाँधों या जलाशयों में जल का स्थान लेती है, तो जल आपूर्ति बाधित हो जाती है और उन फसल क्षेत्रों जहाँ बाँधों से जलापूर्ति की जाती है, को कम पानी मिलने लगता है।
- भूजल पर प्रभाव:
  - इसकी वजह से 'शुद्ध (निवल) बोया गया क्षेत्र' जो कि सिंचाई पर निर्भर है, जल अभाव के कारण या तो आकार में सिकुड़ जाता है या वर्ष या भूजल पर निर्भर हो जाता है।
- किसानों की आय पर प्रभाव:
  - इससे किसान की आय कम हो सकती है क्योंकि फसल पैदावार के लिये क्रेडिट, फसल बीमा और निवेश के साथ पानी एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
  - इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर कोई भी योजना बाँधों में तलछट/गाद भर जाने के कारण सफल नहीं होगी।
- बाढ़ की बारंबारता:
  - नदी घाटियों में स्थापित नए डिज़ाइन एवं संरचना वाले बाँधों ने बाढ़ की विभीषिका को सीमित किया है।
  - इस प्रकार की नवीन संरचना वाले बाँधों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही वर्ष 2020 में भरूच, वर्ष 2018 में केरल और वर्ष 2015 में चेन्नई की बाढ़ को सीमित किया जा सका।
- उठाए गए कदम:
  - हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP) के चरण II और चरण III को मंज़ूरी प्रदान की है।
  - यह परियोजना देश में स्थित मौजूदा 736 बाँधों के व्यापक पुनर्वास की परिकल्पना प्रस्तुत करती है जो बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019 (Dam Safety Bill, 2019) के पूरक के रूप में कार्य करती है।

आगे की राह:

- वर्ष 2050 तक बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्र के पास अंतत: 21वीं सदी में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होगा। अत: प्रचुर मात्रा में फसल उत्पादन, स्थायी शहरों के निर्माण के साथ-साथ विकास सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है । इसके अलावा सभी हितधारकों को इस स्थिति निपटने हेतु एक साथ आने की आवश्यकता है।
- बाँधों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु एक निवारक तंत्र होना आवश्यक है क्योंकि बाँध के किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त या विफल साबित होने की स्थिति में जीवन के नुकसान की भरपाई मिलने वाली हर्ज़ाने की राशि नहीं की जा सकती है।

नोट :

- समग्र नियोजन प्रक्रिया में जल संग्रहण अवसंरचना के विकास हेतु बाँध के संचालन कार्य को बाँध निर्माण कार्य के समान ही महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिये।
- वास्तव में जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ जल से संबंधित मुद्दे पर भी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से विचार करना आवश्यक हो गया है।

उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली ज़िले के तपोवन-रैनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से धौली गंगा और अलकनंदा नदियों में बड़े पैमाने पर फ्लैश फ्लड (Flash Flood) की घटना देखी गई, जिससे ऋषिगंगा बिजली परियोजना को काफी नुकसान पहुँचा है।

- उत्तराखंड में जून 2013 में आई बाढ़ के कारण अत्यधिक जान-माल की हानि हुई थी।

प्रमुख बिंदु

उत्तराखंड में बाढ़ आने का कारण:

- यह घटना ऋषि गंगा (Rishi Ganga) नदी में नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से के गिरने से हुई, जिससे पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई।
  - ऋषि गंगा रैनी के पास धौली गंगा से मिलती है। इसी कारण से धौली गंगा में भी बाढ़ आ गई।

प्रमुख विद्युत परियोजनाएँ प्रभावित:

- ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट:
  - यह 130MW की एक निजी स्वामित्व वाली परियोजना है।
- धौलीगंगा पर तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना:
  - यह धौलीगंगा नदी पर निर्मित 520 मेगावॉट की पनबिजली परियोजना थी।
- उत्तर-पश्चिमी उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों की कई अन्य परियोजनाएँ भी बाढ़ के कारण प्रभावित हुई हैं।

फ्लैश फ्लड:

- फ्लैश फ्लड के विषय में:
  - यह घटना बारिश के दौरान या उसके बाद जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि को संदर्भित करती है।
  - यह बहुत ही उच्च स्थानों पर छोटी अवधि में घटित होने वाली घटना है, आमतौर पर वर्षा और फ्लैश फ्लड के बीच छह घंटे से कम का अंतर होता है।
  - फ्लैश फ्लड, खराब जल निकासी लाइनों या पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने वाले अतिक्रमण के कारण भयानक हो जाती है।
- कारण:
  - यह घटना भारी बारिश की वजह से तेज़ आँधी, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान, बर्फ का पिघलना आदि के कारण हो सकती है।
  - फ्लैश फ्लड की घटना बाँध टूटने और/या मलबा प्रवाह के कारण भी हो सकती।
  - फ्लैश फ्लड के लिये ज्वालामुखी उद्गार भी उत्तरदायी है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के बाद आस-पास के क्षेत्रों के तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है जिससे इन क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगते हैं।
  - फ्लैश फ्लड के स्वरूप को वर्षा की तीव्रता, वर्षा का वितरण, भूमि उपयोग का प्रकार तथा स्थलाकृति, वनस्पति प्रकार एवं विकास/घनत्व, मिट्टी का प्रकार आदि सभी बिंदु निर्धारित करते हैं।

नोट :

ग्लेशियर

- ग्लेशियर के विषय में:
  - ये विशाल आकार की गतिशील बर्फराशि होती है जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं।
  - ये आमतौर पर बर्फ के मैदानों के रूप में देखे जाते हैं।
  - ये मीठे पानी के सबसे बड़े बेसिन हैं जो पृथ्वी की लगभग 10% भूसतह को कवर करते हैं।
  - ग्लेशियर की स्थलाकृति और अवस्थिति के अनुसार इन्हें माउंटेन ग्लेशियर (अल्पाइन ग्लेशियर) या महाद्वीपीय ग्लेशियर (आइस शीट्स) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - महाद्वीपीय ग्लेशियर सभी दिशाओं में बाहर की ओर, जबकि माउंटेन ग्लेशियर उच्च ऊँचाई से कम ऊँचाई की ओर गति करते हैं।
- ग्लेशियर और बाढ़:
  - ग्लेशियर झील:
    - हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने से झील का निर्माण होता है, जिन्हें अग्रहिमनदीय झील (Proglacial Lake) कहा जाता है जो तलछट और बड़े पत्थरों से बँधी होती है।
  - बाढ़:
    - जब इन झीलों पर बने बाँध टूटते हैं तो इनका पानी प्रवाहित होकर अचानक बड़ी मात्रा में पास की नदियों में मिल जाता है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न में अनियमितता देखी जाती है, जिससे बर्फबारी, बारिश और बर्फ पिघलने की घटना में वृद्धि हुई है।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार, ग्लेशियरों के पीछे हटने और पर्माफ्रॉस्ट के गलने से पहाड़ी ढलानों की स्थिरता प्रभावित होने एवं ग्लेशियर क्षेत्र में झीलों की संख्या व क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है।

धौलीगंगा

उत्पत्ति:

- इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील वसुधारा ताल (Vasudhara Tal) से होती है।

धौलीगंगा:

- धौलीगंगा (Dhauliganga), अलकनंदा की महत्त्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी हैं।
  - धौलीगंगा, रैनी नदी में ऋषिगंगा के पास मिलती है।
- यह अलकनंदा के साथ विष्णुप्रयाग में विलीन हो जाती है।
  - यह यहाँ अपनी पहचान खो देती है और अलकनंदा चमोली, मैथन, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग से होकर दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हुई मंदाकिनी नदी से मिलती है।
  - यह श्रीनगर होती हुई देवनाग के पास गंगा में मिल जाती है।
- अलकनंदा, गंगा में मिलने के बाद गायब हो जाती है। गंगा यहाँ से दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर बहती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार होकर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है।

नोट :

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान

अवस्थिति:

- यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी के 7,817 मीटर ऊँचाई क्षेत्र पर विस्तृत है।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान:

- उद्यान में नंदादेवी अभयारण्य, एक हिमनद बेसिन स्थित है जो कई चोटियों से घिरा हुआ है तथा यह क्षेत्र ऋषि गंगा नदी द्वारा सिंचित है।

स्थापना:

- इस उद्यान को वर्ष 1982 में एक अधिसूचना द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया।
- इसे वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्ज किया गया।

इस पार्क की वनस्पतियाँ:

- यहाँ लगभग 312 फूलों की प्रजातियाँ (जिनमें 17 दुर्लभ प्रजातियाँ शामिल हैं) और देवदार, सनौबर, रोडोडेंड्रोन, जुनिपर आदि वृक्ष पाए जाते हैं।

जीव-जंतु:

- इस उद्यान में हिमालयन काला भालू, हिम तेंदुआ, हिमालयन मस्क हिरण आदि प्रमुख जीव-जंतु पाए जाते हैं।

पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूंकप की संभावना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य पाया है, जिसका उल्लेख इतिहास में सदिया भूकंप (Sadiya Earthquake) के रूप में किया गया है। यह खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूंकप की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसके अनुरुप यहाँ निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने में मददगार हो सकती है।

- यह साइट पूर्वी हिमालय के एक प्रमुख भाग टुटिंग-टिडिंग सिवनी ज़ोन (Tuting-Tidding Suture Zone) के पास है, जहाँ हिमालय दक्षिण की ओर झुका हुआ है और इंडो-बर्मा रेंज से जुड़ता है।

प्रमुख बिंदु

- वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (Wadia Institute of Himalayan Geology- WIHG) के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती गाँव के उस क्षेत्र में उत्खनन किया जहाँ वर्ष 1697 में सदिया भूकंप आने के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन में प्राप्त इन साक्ष्यों का आधुनिक भूवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण किया गया।
  - भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) के तहत WIHG एक स्वायत्त संस्थान है।
- वैज्ञानिकों को सुबनसिरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में गाद वाले स्थान पर बड़े-बड़े वृक्षों की टहनियाँ (सदिया सुबनसिरी नदी के दक्षिण-पूर्व में लगभग 145 किमी. दूर स्थित) दबी मिलीं, इससे पता चलता है कि भूकंप की इस घटना के बाद भी छह महीने तक भूकंप के हल्के झटकों की वज़ह से नदी में इतनी मिट्टी और मलबा जमा हो गया कि उसकी सतह ऊपर उठ गई।
  - भू-वृद्धि (Aggradation) वह शब्द है जिसका प्रयोग तलछट के जमाव के कारण भूमि के उन्नयन में वृद्धि के लिये भूविज्ञान में किया जाता है।
  - आफ्टरशॉक वह भूकंपीय स्थिति है जो भूकंप क्रम के सबसे बड़े झटके का अनुसरण करती है।

नोट :

महत्त्व:

- पूर्व में आए भूकंपों के अध्ययन से क्षेत्र की भूकंपीय क्षमता को निर्धारित करने में मदद मिलती है। यह क्षेत्र में भूकंप के खतरे के प्रतिचित्रण में मदद करता है और तद्नुसार विकास गतिविधियों के समन्वयन को सक्षम बनाता है।
- भारत-चीन सीमा के पास स्थित अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, यह कभी-कभी स्वामित्व को लेकर विवाद के केंद्र में रहता है।
  - यहाँ सड़क, पुल और पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण जैसी विकास की कई पहलें शुरू की जा रही हैं, इसलिये इस क्षेत्र में भूकंप के पैटर्न को समझने की तत्काल आवश्यकता है।

भारत का भूकंपीय जोखिम मानचित्रण:

- विवर्तनिक रूप से सक्रिय वलित पर्वत हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है।
- भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक व्यवस्था के आधार पर भारत को चार 'भूकंपीय ज़ोनों' (II, III, IV और V) में वर्गीकृत किया गया है।
  - पूर्व के भूकंप क्षेत्रों को उनकी गंभीरता के आधार पर पाँच ज़ोनों में विभाजित किया गया था, लेकिन 'भारतीय मानक ब्यूरो' (Bureau of Indian Standards- BIS) ने प्रथम 2 ज़ोनों का एकीकरण कर देश को चार भूकंपीय ज़ोनों में बाँटा है।
- BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे (Hazard Maps) और कोड प्रकाशित करने के लिये आधिकारिक एजेंसी है।
- भूकंपीय ज़ोन II:
  - मामूली क्षति वाले भूकंपीय ज़ोन की तीव्रता MM के पैमाने पर V से VI तक होती है (MM- संशोधित मरकली तीव्रता पैमाना)।
- भूकंपीय ज़ोन III:
  - MM पैमाने की तीव्रता VII के अनुरूप मध्यम क्षति।
- भूकंपीय ज़ोन IV:
  - MM पैमाने की तीव्रता VII के अनुरूप अधिक क्षति।
- भूकंपीय ज़ोन V:
  - भूकंपीय ज़ोन V भूकंप के लिये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से देश में भूकंप के कुछ सबसे तीव्र झटके देखे गए हैं।
  - इन क्षेत्रों में 7.0 से अधिक परिमाण वाले भूकंप देखे गए हैं और यह IX की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं।

भूकंपीय लहरें, रिक्टर पैमाना और मरकली पैमाना:

- भूकंपीय तरंगें भूकंप के कारण होने वाला कंपन है जो पृथ्वी के माध्यम से गति करते हैं और जिन्हें भूकंपमापी यंत्र (Seismographs) द्वारा दर्ज किया जाता है।
  - भूकंपमापी यंत्र तरंगों को एक टेढ़े-मेढ़े ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करता है जो भूमिगत तरंगों के दोलन से संबंधित विभिन्न आयामों को दर्शाता है।
- भूकंप की घटनाओं को झटके की तीव्रता के अनुसार जाना जाता है।
  - इसे परिमाण पैमाने (Magnitude scale) के रूप में भी जाना जाता है। यह भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के मापन से संबंधित है इसे 0-10 तक की संख्या में व्यक्त किया जाता है।
  - हालाँकि 2 से कम तथा 10 से अधिक रिक्टर तीव्रता के भूकंप का मापन करना सामान्यत: संभव नहीं है।

नोट :

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और संबंधित दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों द्वारा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में आई हालिया बाढ़ के लिये 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) को एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

- अक्तूबर 2020 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) के कारण होने वाली आपदाओं को कम करने और उनसे निपटने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये थे।
- NDMA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, संभावित रूप से खतरनाक झीलों की पहचान और मैपिंग करके, उनके अचानक फटने या तबाही मचाने को रोकने के लिये संरचनात्मक उपाय करने तथा ऐसी आपात स्थिति में जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को बचाने के लिये एक आवश्यक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

- 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF)
  - अर्थ
    - यह ऐसी बाढ़ को संदर्भित करता है जिसमें ग्लेशियर या मोराइन (ग्लेशियर की सतह पर गिरी धूल और मिट्टी का जमाव) से पानी अचानक गिरता है।
    - जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो यह जल, रेत, कंकड़ और बर्फ के अवशेषों से बने प्राकृतिक बाँध जैसी संरचना यानी 'मोराइन' में एकत्रित हो जाता है।
    - मिट्टी के बाँधों के विपरीत, 'मोराइन' बाँध की कमजोर संरचना के कारण ये प्राय: जल्दी टूट जाते हैं, जिससे निचले इलाकों में तेज़ी से बाढ़ आती है।
  - कारण
    - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के मुताबिक, हिंदू-कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नई ग्लेशियल झीलों का निर्माण हो रहा है, जो कि 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) का प्रमुख कारण हैं।
- ग्लेशियल झीलें
  - ग्लेशियल झीलें आमतौर पर एक ग्लेशियर के तल पर बनती हैं।
  - जिस प्रकार ग्लेशियर आगे बढ़ते हैं वे अपने चारों ओर की मिट्टी और तलछट का अपक्षरण करते चलते हैं, जिससे आस-पास की भूमि पर गड्ढे बन जाते हैं। इस दौरान ग्लेशियर का पिघला हुआ जल उन गड्ढों को भर देता है, जिससे एक झील का निर्माण होता है।
  - प्रकार
    - ग्लेशियल झीलों का निर्माण तब होता है जब ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी ग्लेशियर द्वारा बनाए गए गड्ढों के अंदर जाता है, और यह प्रक्रिया बर्फ की सतह (सुप्राग्लैशियल झील) पर, ग्लेशियर की सतह से अलग भूमि पर (प्रोग्लैशियल झीलें), या बर्फ की सतह के नीचे के नीचे भी (सबग्लैशियल झीलें) हो सकता है।
  - प्रभाव
    - ग्लेशियर झीलें बर्फ की सतह पर घर्षण को कम करके बर्फ के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे प्रारंभिक स्खलन/बेसल स्लाइडिंग को बढ़ावा मिलता है।
    - प्रोग्लैशियल झीलें खंडन (Calving) का कारण बनती हैं, जो कि ग्लेशियर के द्रव्यमान संतुलन को प्रभावित करता है।
    - ग्लेशियर झीलें आपदा की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील होती हैं और मोराइन जैसी बाँध संरचना के विफल होने पर गंभीर प्रलय आने की संभावना बढ़ जाती है।

नोट :

- ग्लेशियल झीलों की बढ़ती संख्या
  - हाल के अध्ययनों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप लगातार बढ़ रहे गर्म तापमान के कारण ग्लेशियरों के पिघलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर बाढ़ और विनाशकारी घटनाओं की संभावना में भी बढ़ोतरी हो रही है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी में एक बड़ी ग्लेशियल झील का फटना शामिल था।
  - वर्ष 2011-15 के दौरान केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन के अनुसार सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्रमश: 352, 283 तथा 1,393 ग्लेशियल झील एवं जल निकाय हैं।

- जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश
  - संभावित खतरनाक झीलों की पहचान
    - ज़मीनी दौरे, पूर्व की घटनाओं, झील/बाँध और आस-पास की भू-तकनीकी विशेषताओं तथा अन्य भौतिक स्थितियों के आधार पर संभावित खतरनाक झीलों की पहचान की जा सकती है।
  - तकनीक का उपयोग
    - मानसून के महीनों के दौरान नई झील संरचनाओं समेत जल निकायों में आने वाले स्वत: परिवर्तनों का पता लगाने के लिये सिंथेटिक-एपर्चर रडार इमेज़री (एक प्रकार का रडार जो द्वि-आयामी छवियों के निर्माण में सहायता करता है) के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
    - अंतरिक्ष से जल निकायों की निगरानी से संबंधित तंत्र और प्रोटोकॉल भी विकसित किया जा सकता है।
  - निर्माण गतिविधि के लिये समान संहिता
    - संवेदनशील क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास, निर्माण और उत्खनन के लिये एक व्यापक ढाँचा विकसित किया जाना चाहिये।
    - 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि उपयोग नियोजन के लिये प्रक्रियाओं को मान्यता दिये जाने की आवश्यकता है।
  - अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) में सुधार करना
    - भारत समेत विश्व के लगभग सभी देशों में 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) से संबंधित अर्ली वार्निंग सिस्टम (EWS) की संख्या बहुत कम है।
    - हिमालयी क्षेत्र में, 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) को लेकर पूर्व चेतावनी के लिये सेंसर और निगरानी आधारित तकनीकी प्रणालियों के तीन उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें से दो नेपाल में तथा एक चीन में है।
  - स्थानीय श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करना
    - आपतकालिक स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और थल सेना जैसे विशेष बलों का प्रयोग करने के साथ-साथ स्थानीय श्रम-शक्ति को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
    - यह देखा गया है कि 80 प्रतिशत से अधिक खोज और बचाव कार्य स्थानीय समुदाय द्वारा राज्य मशीनरी तथा विशेष खोज एवं बचाव टीमों के हस्तक्षेप से पूर्व किया जाता है।
    - इस प्रणाली के तहत स्थानीय टीमें आपातकालीन आश्रयों की योजना बनाने और स्थापित करने, राहत पैकेज वितरित करने, लापता लोगों की पहचान करने तथा भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, पानी की आपूर्ति आदि की ज़रूरतों को पूरा करने में भी सहायता कर सकती हैं।
  - अलार्म सिस्टम
    - पारंपरिक अलार्म सिस्टम के स्थान पर स्मार्टफोन का उपयोग करने वाली आधुनिक संचार तकनीक प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

नोट :

सामाजिक न्याय

जल जीवन मिशन (शहरी)

चर्चा में क्यों ?

वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत् विकास लक्ष्य-6 (SDG-6) के अनुसार, सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में पानी आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कराने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) योजना की घोषणा की गई है।

- यह जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का पूरक है जिसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख बिंदु:

जल जीवन मिशन (शहरी) का उद्देश्य:

- नल और सीवर कनेक्शन की पहुँच सुनिश्चित करना :
  - शहरी क्षेत्रों में अनुमानित 2.68 करोड़ घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्शनों के अंतर को समाप्त करना।
  - 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ घरों को सीवर कनेक्शन/सेप्टेज की सुविधा प्रदान करना।
- जल निकायों का पुनरुत्थान :
  - ताज़े पानी की स्थायी आपूर्ति बढ़ाना और शहरी जलभृत प्रबंधन योजना के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा बाढ़ की घटनाओं को काम करने के लिये ग्रीन स्पेस और स्पंज सिटी (Sponge city) का निर्माण करना।
    - स्पंज सिटी (Sponge city) एक ऐसे शहर को कहते हैं जो शहरी जल प्रबंधन को शहरी नियोजन नीतियों और डिज़ाइनों द्वारा मुख्यधारा में लाने की क्षमता रखती है।
- चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना:
  - उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक शहर के लिये जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

जल जीवन मिशन (शहरी) की विशेषताएँ:

- नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  - जल के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन को प्रस्तावित किया गया है।
- जन जागरूकता का प्रसार:
  - जल संरक्षण के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये 'सूचना, शिक्षा और संचार' (IEC) अभियान का प्रस्ताव किया गया है।
  - जल जीवन मिशन का प्रयास पानी के लिये एक जनांदोलन तैयार करना है, अर्थात् इसके तहत सभी लोगों को प्राथमिकता दी गई है।
- समान वितरण के लिये सर्वेक्षण:
  - शहरों में एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और जल निकायों का मानचित्रण तथा जल की मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाने के लिये पेयजल सर्वेक्षण (Peyjal Survekshan) का कार्य किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों की मज़बूती पर विशेष ज़ोर:
  - गैर-राजस्व जल (Non-Revenue Water) को 20% से भी कम करने का प्रयास।

नोट :

- गैर-राजस्व जल, किसी जल वितरण प्रणाली में उपलब्ध जल की कुल मात्रा और ग्राहकों को एक निर्धारित राजस्व पर उपलब्ध कराए जाने वाले जल की मात्रा के बीच का अंतर है। दूसरे शब्दों में कहें तो NRW वह जल है जिसकी उपलब्धता तो है परंतु वह ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाता या उसकी गणना नहीं हो पाती।

- शहरों में जल की कम-से-कम 20% मांग और राज्य स्तर पर औद्योगिक जल की कम-से-कम 40% मांग को पूरा करने के लिये जल का पुनर्चक्रण
- दोहरी पाइपिंग प्रणाली को बढ़ावा देना।
- नगरपालिका बॉण्ड जारी कर धन जुटाना।
- जल निकायों का पुनरुत्थान।

- पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देना:
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिये अपने कुल परियोजना निधि आवंटन की न्यूनतम 10% लागत के बराबर की परियोजनाओं को पीपीपी मॉडल के तहत पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
- वित्तपोषण:
  - केंद्रशासित प्रदेशों में 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
  - पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिये परियोजनाओं की कुल लागत में 90% का वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा।
  - 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिये केंद्रीय वित्तपोषण 50%, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिये एक-तिहाई केंद्रीय वित्तपोषण और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिये 25% केंद्रीय वित्तपोषण किया जाएगा।
  - परिणाम आधारित वित्तपोषण:
    - परियोजनाओं के लिये सरकार द्वारा वित्तपोषण तीन चरणों (20:40:40) में किया जाएगा।
    - योजना कार्यान्वयन के परिणामों के आधार पर ही तीसरी किस्त जारी की जाएगी।

शहरी विकास के लिये अन्य प्रयास:

- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- अमृत मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation -AMRUT)
- स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission)

विवाह के लिये समान न्यूनतम आयु

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों में विवाह के लिये "समान न्यूनतम उम्र" (Uniform Minimum Age) घोषित करने के लंबित मामलों को अपने यहाँ ट्रांसफर करने की एक याचिका की जाँच का फैसला किया है।

- केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिये एक समिति भी बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की अगुवाई वाली एक बेंच ने "सुरक्षित लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा" के लिये दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है।
  - इस याचिका में विवाह की न्यूनतम आयु में विसंगतियों को दूर करने और इसको लिंग और धर्म से परे सभी नागरिकों के लिये एक समान बनाने के लिये केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
    - शादी की न्यूनतम उम्र अभी तक महिलाओं के लिये 18 और पुरुषों के लिये 21 वर्ष निर्धारित है।

नोट :

- सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139A के तहत दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समान या काफी हद तक समान कानून से जुड़े मामले को अपने यहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति है।
  - यह तर्क दिया गया है कि विवाह के लिये अलग-अलग उम्र मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21) तथा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने हेतु अभिसमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women–CEDAW) पर भारत की प्रतिबद्धता के खिलाफ है।

भारत में विवाह से संबंधित वर्तमान कानून:

- हिंदुओं के लिये हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) लड़कियों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
  - हालाँकि बाल विवाह गैर-कानूनी नहीं है। नाबालिग के अनुरोध पर विवाह के समय अपराध को शून्य घोषित किया जा सकता है।
- इस्लाम में यौवन (Puberty) प्राप्त करने वाले नाबालिग का विवाह वैध माना जाता है।
- लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम सम्मति आयु (Age of Consent) को विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act, 1954), 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act), 2006 द्वारा भी क्रमश: 18 और 21 वर्ष निर्धारित किया गया है।

लड़की और लड़का दोनों को एक सामना विवाह योग्य आयु का अधिकार:

- सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण: लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है:
  - मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio) को कम करने में।
  - पोषण स्तर को सुधारने में।
  - इससे महिलाओं को आजीविका, उच्च शिक्षा और आर्थिक प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार एक अधिक समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है।
- शादी की उम्र बढ़ने से विवाह की उम्र अधिक हो जाएगी और इससे स्नातक करने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी जिससे महिला श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात में सुधार होगा।
  - स्नातक करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 9.8% के मौजूदा स्तर से कम-से- कम 5-7 प्रतिशत और बढ़ जाएगा।
- शादी की कानूनी उम्र अधिक होने पर लड़का और लड़की दोनों आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभान्वित होंगे। महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने हित में निर्णय ले सकेंगी।

लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने और इसे एक समान करने की तार्किकता:

- न्यूनतम उम्र अनिवार्य नहीं है: शादी की न्यूनतम उम्र का मतलब अनिवार्य उम्र नहीं है।
  - यह दर्शाता है कि न्यूनतम उम्र से नीचे बाल विवाह करने पर कानून के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
- लड़कियों के अधिकारों को खतरा: लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने से इस उम्र तक उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप रुकेगा।
  - संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर अभिसमय (Conventions of Rights of Child) के अनुसार, बचपन बच्चों का एक विशेष और संरक्षित समय होता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को समान रूप से बढ़ने, सीखने, खेलने और सर्वांगीण विकास का वातावरण मिलना चाहिये।
- माता-पिता द्वारा कानून का दुरुपयोग: माता-पिता द्वारा बाल विवाह कानून का उपयोग बेटियों के खिलाफ किया गया है। यह माता-पिता द्वारा उन लड़कों को सज़ा देने का एक उपकरण बन गया है जिन्हें लड़कियाँ अपनी पसंद से पति चुनती हैं।
  - अधिकांश स्व-व्यवस्थित (Self-Arranged) विवाह के मामलों को अदालत में ले जाया जाता है।
  - जिनमें से केवल एक-तिहाई मामले अरेंज मैरिज (Arranged Marriage) से संबंधित होते हैं, जिन्हें कभी-कभी माता-पिता या पति द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज जैसे मुद्दों के कारण विवाह विच्छेद कराने के लिये लाया जाता है।
- विवाहों की सामाजिक वैधता: भले ही कानून निर्दिष्ट आयु से पहले विवाह को शून्य घोषित कर दे, लेकिन अरेंज मैरिज की सामाजिक वैधता समुदाय की दृष्टि में बनी रहेगी।

नोट :

- इससे उन लड़कियों की स्थिति खराब हो जाती है जो शादी के लिये निर्धारित कानूनी उम्र तक पहुँचने से पहले विधवा हो जाती हैं।
- कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि: लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने से पुत्रों को अधिक वरीयता देने और उच्च गरीबी वाले देशों में कन्या भ्रूण हत्या तथा लिंग-चयनात्मक गर्भपात को बढ़ावा मिल सकता है।

आगे की राह

- सोच को बदलना:
  - इस कानून से लोगों के मानसिक परिवर्तन के बाद ही ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बदलाव लाया जा सकता है। जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस दिशा में कोई भी कानूनी पहल सफल नहीं हो सकती।
- रूढ़िबद्ध धारणा को बदलना:
  - शादी के लिये उम्र बढ़ाना कानूनी रूप से भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस विकृत मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि महिलाएँ समान उम्र के पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिये उन्हें जल्द शादी करने की अनुमति दी जा सकती है।

हंटर सिंड्रोम: एमपीएस II

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में म्युकोपॉलिसैक्रोडोसिस II या MPS II से पीड़ित दो भाइयों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करते हुए यह मांग की है कि उच्च न्यायालय उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार और एम्स को निर्देश जारी करे।

- MPS II एक दुर्लभ बीमारी है जो परिवार में एक से दूसरे में पहुँचती है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय: MPS II ज़्यादातर बालकों को प्रभावित करता है और इससे पीड़ित लोगों का शरीर एक प्रकार के शर्करा को अपघटित नहीं कर पाता है जो हड्डियों, त्वचा, पेशी और अन्य ऊतकों का निर्माण करती है।
- कारण: यह आईडीएस जीन के परिवर्तन (उत्परिवर्तन) के कारण होता है जो इंड्यूरोनेट 2-सल्फाटेज़ (I2S) एंज़ाइम के उत्पादन को नियंत्रित करता है।
  - इस एंज़ाइम की आवश्यकता शरीर में उत्पादित ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स (Glycosaminoglycans or GAGs) नामक जटिल शर्करा को अपघटित करने के लिये होती है।
- प्रभाव: I2S एंज़ाइम गतिविधि का अभाव कोशिकाओं के भीतर, विशेष रूप से लाइसोसोम के अंदर GAG के संचय का कारण बनता है।
  - लाइसोसोम कोशिका में ऐसे यौगिक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं के पाचन और उनके
  - पुन: चक्रण का कार्य करते हैं।
  - MPS II के साथ लाइसोसोम के अंदर अणुओं का निर्माण करने वाली स्थितियों को लाइसोसोमल भंडारण विकार (Lysosomal Storage Disorders) कहा जाता है।
  - GAGs के संचय से लाइसोसोम का आकार बढ़ जाता है, यही वजह है कि इस विकार के कारण कई ऊतक और अंगों की वृद्धि हो जाती है।
- लक्षण: इसकी पहचान चेहरे के विशिष्ट लक्षणों, सिर के आकार का बढ़ जाना, यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि [हेपेटोसप्लेनोमेगाली (Hepatosplenomegaly)], श्रवण ह्रास, आदि के आधार पर की जाती है।
- वंशानुगतता:
  - MPS II बीमारी, X- गुणसूत्र संबद्ध रिसेसिव पैटर्न के वंशानुगत क्रम का अनुसरण करती है जिसका तात्पर्य है कि यह बीमारी विशेष रूप से पुरुषों में ही पाई जाती है। सामान्यत: महिलाएँ इस बीमारी से प्रभावित नहीं होती हैं यद्यपि वे इस बीमारी की वाहक हो सकती हैं।

नोट :

- ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, में संभवत: इस रोग की वाहक माँ होती है। जब इस बीमारी की वाहक महिला बच्चे को जन्म देती है, तो इस बात की 25% (4 में से 1) संभावना होती है कि उसका पुत्र इस बीमारी से प्रभावित होगा।

दुर्लभ रोग:

- दुर्लभ बीमारी एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसका प्रचलन लोगों में प्राय: कम पाया जाता है या सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- दुर्लभ बीमारियों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है तथा अलग-अलग देशों में इसकी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं।
- हालाँकि दुर्लभ बीमारियाँ कम लोगों में पाई जाती हैं परंतु सामूहिक रूप से वे जनसंख्या के काफी बड़े अनुपात को प्रभावित करती हैं।
- 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं, इसलिये बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- भारत में 56-72 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा 450 'दुर्लभ रोगों' (Rare Diseases) के इलाज हेतु एक राष्ट्रीय नीति जारी की गई है।

मानसिक स्वास्थ्य और पुरुष

चर्चा में क्यों ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, सितंबर 2020 में लॉन्च किये गए 'किरण हेल्पलाइन' (Kiran Helpline) पर कॉल करने वालों में 70% कॉलर पुरुष थे। इनमे से ज़्यादातर कॉल युवा वयस्कों (Young Adults) से प्राप्त हुईहैं।

किरण 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से 'चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को काउंसलिंग सेवा प्रदान की जाती है।

प्रमुख बिंदु:

- डेटा विश्लेषण:
  - लैंगिक आधार पर मानसिक स्वास्थ्य: प्राप्त 13,550 नई कॉल्स में से, 70.5% कॉल पुरुषों द्वारा जबकि 29.5% कॉल महिलाओं द्वारा की गई थी।
  - कमज़ोर/सुभेद्य आयु समूह: कॉल करने वालों से 15 से 40 वर्ष आयु वर्ग का प्रतिशत सबसे अधिक रहा जिनसे कुल 75.5% कॉल्स प्राप्त हुई , जबकि 41 से 60 आयु वर्ग में 18.1% कॉल्स प्राप्त हुई।
  - प्रमुख मुद्दे: कॉल करने वालों की सबसे प्रमुख समस्या चिंता और अवसाद से संबंधित थीं जबकि कुछ अन्य मामलों में महामारी, आत्मघाती प्रवृत्ति, मादक द्रव्यों के सेवन जैसे अन्य मुद्दे शामिल थे।
- पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे:
  - पारंपरिक लैंगिक भूमिका: सामाजिक अपेक्षाएँ और समाज में अपनी महत्त्वपूर्ण पारंपरिक लैंगिक भूमिका के कारण पुरुष अपने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाते है।
  - चेतावनी के लक्षणों की अनदेखी: पुरुषों में मानसिक विकार के संकेतों या लक्षणों में चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, थकान या बेचैनी, सिर-दर्द, शराब या नशीली दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन करना शामिल है।लेकिन प्राय: इन लक्षणों की अनदेखी कर दी जाती है।
  - उचित ध्यान न देना: पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर अनुसंधान को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है। धन का अभाव और उचित ध्यान न देने के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है।
  - आत्महत्या के मामलों में वृद्धि: वर्ष 2018 में प्रतिदिन लगभग 250 भारतीय पुरुषों ने आत्महत्या की जो महिलाओं द्वारा की गई आत्महत्याओं के मामलों की कुल संख्या के दोगुने से भी अधिक थी।

नोट :

मानसिक स्वास्थ्य

- मानसिक स्वास्थ्य के बारे में:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन में सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक तरीके से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में अपना योगदान देने में सक्षम होता है।'
  - शारीरिक स्वास्थ्य की तरह, मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात् बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता के दौरान महत्त्वपूर्ण होता है।
- चुनौतियाँ:
  - उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य भार: भारत के नवीनतम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, पूरे देश में अनुमानत: 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है।
  - संसाधनों का अभाव: भारत में प्रति 100,000 जनसंख्या पर मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या का अनुपात काफी कम है जिनमें मनोचिकित्सक (0.3), नर्स (0.12), मनोवैज्ञानिक (0.07) और सामाजिक कार्यकर्ता (0.07) शामिल हैं।
  - स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 1 प्रतिशत से भी कम वित्तीय संसाधन पर आवंटित किया जाता है जिसके चलते सस्ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सार्वजनिक बाधा उत्पन्न हुई है।
  - अन्य चुनौतियाँ: मानसिक बीमारी के लक्षणों के प्रति जागरूकता का अभाव, इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखना और विशेष रूप से बूढ़े और निराश्रित लोगों में मानसिक बीमार के लक्षणों की अधिकता,रोगी के इलाज हेतु परिवार के सदस्यों में इच्छा शक्ति का अभाव इत्यादि के कारण एक सामाजिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - इसके परिणामस्वरूप उपचार में एक बड़ा अंतर देखा गया है। उपचार में आया यह अंतर किसी व्यक्ति की वर्तमान मानसिक बीमारी को और अधिक खराब स्थिति में पहुँचा देता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
  - सरकार द्वारा वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Program- NMHP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूर कर मानसिक विकारों के बोझ को कम करना है।
  - वर्ष 2003 में दो योजनाओं को शामिल करने हेतु इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा पुन: रणनीतिक रूप से तैयार किया गया, जिसमे राजकीय मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों की मानसिक विकारो से संबंधित इकाईयों का उन्नयन शामिल था।
- मानसिक स्वास्थ्यकर अधिनियम, 2017:
  - यह अधिनयम प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
  - अधिनयम ने आईपीसी की धारा 309 (Section 309 IPC) के उपयोग को काफी कम कर दिया है और केवल अपवाद की स्थिति में आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाया गया है।
  - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 115 (1) के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में सम्मिलित किसी भी प्रावधान के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसके संबंध में तब तक, यह माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव में जब तक कि यह अन्यथा साबित न हो, और साथ ही उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दंडित किया जाएगा।

आगे की राह:

- कई शोधों में राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों से जुड़ी सामाजिक कलंक की भावना को समाप्त करने पर ज़ोर दिया गया है।

नोट :

- यह सुनिश्चित करने के लिये सभी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जा रहा है तथा मानसिक स्वास्थ्य गंभीरतापूर्ण एवं सम्मानजनक तरीका से संबोधित किया जा रहा है, एक संवाद शुरु करके, उस संवाद को जारी रखकर पुरातन सामाजिक रिवाजों को चुनोती देने तथा बहिष्कार और भय के बिना लोगों को साथ देने की आवश्यकता है।
- आधुनिक तकनीक जैसे कि वेब-आधारित हस्तक्षेप और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य (ई-स्वास्थ्य) उपकरण विकसित किये जा सकते हैं ये उन लोगों तक पहुँचने में उपयोगी साबित हो सकते हैं जो अन्यथा मदद नहीं मांग सकते हैं।

श्रम पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा मनरेगा की प्रशंसा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय' संबंधी अपनी रिपोर्ट में श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने अंतर-राज्य प्रवासी मज़दूरों समेत सभी ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिये 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) की प्रशंसा की है।

प्रमुख बिंदु

स्थायी समिति का अवलोकन

- मनरेगा
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी प्रावधान किये गए हैं।
  - मनरेगा के अतिरिक्त अकुशल श्रमिकों को 'स्थायी आजीविका' प्रदान करने के लिये कोई 'बेहतर योजना' नहीं हो सकती है।
  - 7 करोड़ से अधिक परिवार (10.43 करोड़ व्यक्ति) पहले ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी 2021 तक कुल 330 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गए हैं।
- प्रवासी श्रमिक
  - महामारी के दौरान 1.08 करोड़ प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य वापस लौटे हैं।
  - प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर विश्वसनीय और प्रामाणिक डेटा की अनुपलब्धता के कारण महामारी के प्रकोप के बाद उनके गृह राज्यों में वापस जाने से उनके राहत और पुनर्वास उपायों पर प्रभाव पड़ा है।
  - सरकार द्वारा महामारी के दौरान कई सराहनीय पहलों (जैसे- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुँचाना है।
    - हालाँकि फँसे हुए प्रवासी मज़दूरों को राहत सामग्री के वितरण के लिये कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं जारी किये गए।
    - सोशल ऑडिट की कोई व्यवस्था नही की गई है।

स्थायी समिति के सुझाव

- तात्कालिक राहत
  - कोरोना वायरस महामारी, उसके कारण उत्पन्न चुनौतियों और स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूद खामियों को जल्द-से-जल्द दूर किया जाना चाहिये, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये तैयारियों को मज़बूती के साथ किया जा सके।
- तत्परता के लिये विश्वसनीय डेटाबेस की आवश्यकता
  - असंगठित श्रमिकों का विश्वसनीय डेटाबेस विशेष रूप से प्रवासी मज़दूरों से संबंधित डेटाबेस राहत संकट के समय राहत पैकेजों के वितरण की व्यवस्था को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
    - दिसंबर 2020 में सरकार ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से संबंधित श्रमिकों सहित प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया था।

नोट :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)

- यह विश्व में सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

लॉन्च

- इसे 2 फरवरी, 2006 को लॉन्च किया गया था।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम को 23 अगस्त, 2005 को पारित किया गया था।

उद्देश्य

- योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को सार्वजनिक अकुशल कार्य के लिये 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।

कार्य का कानूनी अधिकार

- पूर्व की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत इस अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढाँचे के माध्यम से गरीबी जैसे गंभीर विषयों को संबोधित करना है।
- इसमें कम-से-कम एक-तिहाई महिला लाभार्थी होना अनिवार्य है।
- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में खेतिहर मज़दूरों के लिये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी के अनुसार, मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये।

मांग-संचालित योजना

- मनरेगा के डिज़ाइन का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्रदान करना है, इसमें विफल रहने पर 'बेरोज़गारी भत्ता' दिये जाने का भी प्रावधान है।
- यह मांग-संचालित योजना श्रमिकों के आत्म-चयन को सक्षम बनाती है।

विकेंद्रित नियोजन

- कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थानों (PRI) को महत्त्वपूर्ण भूमिका देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया गया है।
- यह अधिनियम ग्राम सभाओं को उन कार्यों की सिफारिश करने के लिये बाध्य करता है जिन्हें किया जाना शेष है, साथ ही कम-से-कम 50% कार्यों को उनके द्वारा निष्पादित किया जाना अनिवार्य है।

आगे की राह

- महामारी ने विकेंद्रीकृत शासन के महत्त्व को प्रदर्शित किया है।
  - कार्यों को मंज़ूरी, मांग के अनुसार काम देने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायतों को पर्याप्त संसाधन, शक्ति व उत्तरदायित्व प्रदान किया जाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक ऑडिट प्रदर्शन की जवाबदेही तय करता है, विशेष तौर पर तात्कालिक हितधारकों के प्रति। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

पंडित भीमसेन जोशी जयंती

हाल ही में प्रधानमंत्री ने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी (Pandit Bhimsen Joshi) को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु

पंडित भीमसेन जोशी:

- पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी, 1922 को हुआ था।
- महत्त्वपूर्ण उपलब्धि: इन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था।
- कार्य: इनके द्वारा गाए जाने वाले कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया धनश्री और मुल्तान आदि प्रसिद्ध रागों के लिये इन्हें याद किया जाता है।
  - ये किराना घराने से संबंध रखते थे।
  - किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे शहर से पड़ा है। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीरा बाई बडोडकर और रोशनआरा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार इस घराने से संबंधित हैं।
  - ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से ताल्लुक रखते थे।

हिन्दुस्तानी संगीत:

- उद्भव:
  - हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो विशिष्ट शैलियों में से एक है। दूसरा भारतीय शास्त्रीय संगीत कर्नाटक संगीत है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है।
  - दोनों प्रकार के संगीत शैलियों की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं।
  - हिंदुस्तानी संगीत स्वर केंद्रित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख स्वर ख्याल, गज़ल, ध्रुपद, धमर, तराना और ठुमरी हैं।
    - अधिकांश हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन के वंश से संबंधित हैं।
- घराना:
  - घराना एक सामाजिक संगठन प्रणाली है जो संगीतकारों या नर्तकियों को वंश परंपरा से जोड़ती है और एक विशेष संगीत शैली का पालन करती है।
  - गुरु-शिष्य परंपरा का अर्थ शिष्यों को एक विशेष गुरु के अधीन सीखना तथा उनके संगीत ज्ञान और शैली को प्रसारित करना।

घराना	संबंधित स्थान	संस्थापक
ग्वालियर	ग्वालियर	नत्थन खाँ
आगरा	आगरा	हाजी सुजान खाँ
रंगीला	आगरा	फैय्याज़ खान
जयपुर	जयपुर	अल्लादिया खान
किराना	अवध	अब्दुल वाहिद खान
बनारस	वाराणसी	राम सहाई

नोट :

जगन्नाथ मंदिर पर विरासत उपविधि वापस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के लिये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority- NMA) द्वारा जारी की गई विरासत उपविधि को वापस ले लिया है।

- ओडिशा सरकार द्वारा भुवनेश्वर के 'एकमारा क्षेत्र' (Ekamra Kshetra) के मंदिरों के लिये भी उपनियमों को वापस लिये जाने की मांग की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- विरासत उपविधि का मसौदा:
  - पृष्ठभूमि:
    - केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में प्राचीन स्मारक, पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) का गठन किया गया था।
    - NMA की प्राथमिक भूमिका भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सूचीबद्ध संरचनाओं के लिये विरासत उपविधि तैयार करना था।
  - संरक्षण और उपविधि:
    - प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 2010 में यह प्रावधान किया गया है कि एएसआई-संरक्षित स्मारकों के समीप निर्माण गतिविधि को विनियमित करने के लिये स्मारक-विशिष्ट विरासत उपविधि तैयार की जानी चाहिये।
    - विरासत उपविधि के मसौदे को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- ओडिशा का मामला:
  - राज्य सरकार के मतानुसार, 'इस उपविधि से पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास योजनाबद्ध अवसंरचना विकास में बाधा उत्पन्न होगी।'
  - इसी तरह का विरासत उपविधि मसौदा भुवनेश्वर स्थित दो मंदिरों के लिये भी तैयार किया गया है-
    - पहला: 13वीं शताब्दी में बना अनंत बसुदेव का वैष्णव मंदिर और
    - दूसरा: ब्रह्मेश्वर का शिव मंदिर। ये दोनों मंदिर एकमारा क्षेत्र में स्थित हैं।
  - वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने 1,126 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के आसपास एक सौंदर्यीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के साथ इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी।
- जगन्नाथ मंदिर:
  - निर्माण:
    - ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश (Eastern Ganga Dynasty) के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था।
  - पौराणिक महत्त्व:
    - जगन्नाथ पुरी मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई है।
  - स्थापत्य कला:
    - इस मंदिर को "सफेद पैगोडा" कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थयात्रा (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है।
    - मंदिर के चार (पूर्व में 'सिंह द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघरा द्वार' और उत्तर में 'हस्ति द्वार') मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है।

नोट :

- इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था।

- महोत्सव: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा।

- ओडिशा स्थित अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:
  - कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व विरासत स्थल)।
  - तारा तारिणी मंदिर।
  - लिंगराज मंदिर।
  - उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ।

प्राचीन स्मारक, पुरातत्त्व स्थल और अवशेष (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010

- उद्देश्य:
  - राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित सभी प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों व अवशेषों और आसपास की सभी दिशाओं में 300 मीटर (या कुछ मामलों में इससे अधिक) तक के क्षेत्रों का बचाव, संरक्षण एवं सुरक्षा करना।
- प्रावधान:
  - निषिद्ध क्षेत्र (किसी भी राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित स्मारक या आस-पास के संरक्षित क्षेत्र से निकटतम संरक्षित सीमा से सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र) में किसी भी निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं है, परंतु मरम्मत या नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है।
  - विनियमित क्षेत्र (किसी भी राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र से सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र) में मरम्मत/नवीनीकरण/निर्माण/पुनर्निर्माण पर विचार किया जा सकता है।
  - निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी कार्यों के लिये सभी आवेदन सक्षम अधिकारियों (Competent Authorities-CA) और फिर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority- NMA) के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
  - राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

सीमाओं के लिये स्मार्ट वॉल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका-मैक्सिको (USA-Mexico Border) सीमा पर भौतिक और सशस्त्र गश्त के विकल्प के तौर पर उन्नत निगरानी तकनीक वाली एक वैकल्पिक स्मार्ट वॉल (alternative Smart Wall) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

- इससे पूर्व वर्ष 2019 में अमेरिका ने मैक्सिको से ड्रग्स और अपराधियों के "आक्रमण" का हवाला देते हुए अमेरिका-मैक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार (बॉर्डर वॉल) का निर्माण करने के लिये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

स्मार्ट वॉल के बारे में:

- स्मार्ट वॉल की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। यह अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का संग्रह है जो अवैध प्रवेश, तस्करी और एक भेद्य सीमा पर उत्पन्न सभी प्रकार के खतरों को रोकने के लिये कार्य करती है।
- स्मार्ट वॉल तकनीक में ड्रोन, स्कैनर और सेंसर आदि के उपयोग से ऐसा तकनीकी अवरोध उत्पन्न जाएगा जिसकी सुरक्षा को तोड़ना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल होगा।
  - इन-ग्राउंड सेंसर, सुरक्षा कैमरे और सॉफ्टवेयर जैसी इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (Internet-of-Things- IoT) तकनीकों का उपयोग करते हुए तैयार की गई स्मार्ट वॉल अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायक होगी जो स्थितिजन्य जागरूकता के साथ सीमा अधिकारियों को सशक्त बनाएगी।

स्मार्ट वॉल के लाभ:

- कम लागत :
  - एक स्मार्ट वॉल की लागत भौतिक रूप से निर्मित दीवार से काफी कम होती है।
- परिनियोजन के समय में कमी:
  - भौतिक सीमाओं (Physical Boundaries) को बनाने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन स्मार्ट बॉर्डर तकनीक को शीघ्रता से लागू किया जा सकता है।
- रख-रखाव की कम लागत:
  - भौतिक रूप से निर्मित दीवार के विपरीत स्मार्ट वॉल सीमा सुरक्षा अधिकारियों को बदलती परिस्थितियों हेतु रणनीति को लगातार समायोजित करने सक्षम बनाती है।
  - यह वॉल ग्राउंड सेंसर और IoT डिवाइस को स्थानांतरित एवं अद्यतन करने में त्वरित और आसान है।
  - स्मार्ट वॉल के निर्माण में आने वाली लागत भौतिक रूप से निर्मित दीवार का केवल एक हिस्सा होती है जिसे धीरे-धीरे और आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है।
- पर्यावरणीय चिंताओं में कमी:
  - एक स्मार्ट दीवार पर्यावरणीय चिंताओं को कम करती है, जिसे वन्यजीव और वर्षा जल क्षेत्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से निर्मित किया जा सकता है।
  - स्मार्ट वॉल में लगे अधिकांश डिवाइस लोगों और जानवरों के मध्य अंतर बता सकते हैं, ये अधिकारियों को उस समय सतर्क करते है जब मनुष्य वन्यजीवों के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने का प्रयास करता है।

नोट :

- विशाल भूभाग की निगरानी:
  - दीवार के कुछ हिस्सों के टूटने के कारण किसी भी इलाके में गश्त करना मुश्किल होता है।
  - हालाँकि डिजिटल तकनीक विशाल भू-भाग में निगरानी करने में सक्षम है।
    - कैमरे और इन-ग्राउंड सेंसर जैसे उपकरण एक साथ सैकड़ों मील की दूरी तक निगरानी करने में सक्षम होते हैं जिससे आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।
    - रियल टाइम अलर्ट (Real-Time Alerts) सीमा पर पहुँचने वाले प्रवासियों और मार्ग भटक जाने वाले यात्रियों की गतिविधियों की सूचना देने की प्रक्रिया को आसान कर सकता है।
- भूमि आवश्यकता को कम करना:
  - सीमा पार दीवार बनाने के लिये सरकार को स्थानीय भूस्वामियों से संपत्ति ज़ब्त करने की आवश्यकता होगी। वहीँ छोटे और अपेक्षाकृत गैर-आक्रामक, स्मार्ट वॉल प्रौद्योगिकियों के लिये बहुत कम भूमि ज़ब्ती की आवश्यकता होगी।

भारत में स्मार्ट वॉल की ज़रूरत:

- भारतीय सीमाओं का अधिकांश क्षेत्र बीहड़ है और स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं है। यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसे भारतीय सीमाओं के साथ इस तरह की प्रणाली के उपयोग करने पर विचार किया जाना चाहिये।
- यह प्रणाली भले ही भारत की लंबी सीमाओं के लिये संभव न हो, फिर भी इसे देश के उन महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों में तैनात किया जा सकता है जहाँ पहले से ही भौतिक बाड़ (Physical Fencing) और दीवार पूरक के रूप में मौजूद हैं।
- इस प्रणाली से भारतीय सशस्त्र बलों का अच्छी तरह से सुसज्जित किया जाना चाहिये ताकि इस नवीनतम तकनीकी का लाभ शत्रु देशों के खिलाफ लिया जा सके।
- सीमा पार घुसपैठ की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये विशेषज्ञों को स्मार्ट वॉल के विचार पर अन्वेषण करना चाहिये।

भारत में स्मार्ट फेंसिंग:

- भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) और भारत-बांग्लादेश सीमा (61 किलोमीटर) पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System- CIBMS) के तहत 71 किलोमीटर की दो पायलट परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
  - CIBMS के तहत सीमाओं पर अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की एक श्रृंखला को तैनात किया जाना शामिल है- थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रा-रेड और लेज़र-आधारित घुसपैठ अलार्म, हवाई निगरानी हेतु एयरोस्टेट, बिना सेंसर वाले ग्राउंड सेंसर जो रडार, सोनार सिस्टम का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, फाइबर-ऑप्टिक सेंसर और एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो वास्तविक समय (Real Time) में सभी निगरानी उपकरणों से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है।
  - बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्नीक (BOLD-QIT) CIBMS के तहत असम के धुबरी ज़िले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) के दूसरे CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज (CCTNS Hackathon & Cyber Challenge), 2020-21 का उद्घाटन समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- यह हैकथॉन मार्च 2020 में संपन्न हुए हैकथॉन एंड साइबर चैलेंज की निरंतरता में संपन्न हुआ।

नोट :

- सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज, 2020-21 का प्रमुख उद्देश्य पुलिसकर्मियों की विश्लेषणात्मक क्षमता तथा समझ को बढ़ाना है जिससे वे नए खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये स्मार्ट रणनीति बनाने में सक्षम हो सकें।

2 सीसीटीएनएस हैकथॉन और साइबर चैलेंज के विषय में:

- पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से अत्याधुनिक शिक्षाविद, उद्योग, छात्रों और अन्य को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है ताकि मौजूदा आईटी एप्लीकेशन्स में सुधार करने तथा सीसीटीएनएस पारितंत्र में सुधार के लिये नए आईटी एप्लीकेशन्स की पहचान करने में मदद मिल सके।
- इस समारोह के दौरान मोबाइल एप- "लॉकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन" (Locate Nearest Police Station) भी लॉन्च किया गया था।
  - यह विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति के दौरान महिला यात्रियों, अंतर्राज्यीय यात्रियों, घरेलू और विदेशी पर्यटकों आदि सहित विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं को मदद करेगा। इस एप में 112 नंबर डायल करने की सुविधा दी गई है। यह नागरिकों तक पुलिस की पहुँच में सुधार की दिशा में एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - यह एनसीआरबी द्वारा प्रदान की जा रही अन्य केंद्रीय नागरिक सेवाओं जैसे- "मिसिंग पर्सन सर्च", "जनरेटेड व्हीकल एनओसी", "घोषित अपराधियों की जानकारी" और राज्य नागरिक पुलिस पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न अन्य सेवाओं को एकीकृत करेगा।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली

पृष्ठभूमि:

- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS) की कल्पना कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (CIPA) के अनुभव से की गई है।

लॉन्च:

- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems- CCTNS) वर्ष 2009 मे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।
- इसे 6000 उच्च पुलिस कार्यालयों के अलावा पूरे देश में लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

उद्देश्य:

- पुलिस स्टेशनों और अन्य पुलिस कार्यालयों की कार्यवाहियों को नागरिक अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी बनाना।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना।
- अपराध और अपराधियों की सटीक एवं तीव्रता से जाँच के लिये जाँच अधिकारियों को आधुनिक उपकरण, तकनीक और जानकारियाँ प्रदान करना।

हाल की कुछ पहलें:

- सीसीटीएनएस डेटाबेस के उपयोग के लिये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।
- NCRB नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।
- NCRB 'भारत में अपराध', 'दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और आत्महत्या', 'जेल सांख्यिकी' तथा फिंगर प्रिंट पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है।

नोट :

- बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की अंडर-रिपोर्टिंग के चलते वर्ष 2017 से NCRB ने बाल यौन शोषण के आँकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है।
- NCRB को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।
- भारत में पुलिस बलों का कंप्यूटरीकरण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। NCRB ने CCIS (Crime and Criminals Information System) को वर्ष 1995 में, CIPA (Common Integrated Police Application) को वर्ष 2004 में और अंतिम रूप में CCTNS को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया।

तीन नए युद्धक विमान

चर्चा में क्यों ?

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2026 तक सेना के पास तीन नए युद्धक विमान (Fighter Jets) होंगे जिनमें से दो को वायु सेना में तथा एक को नौसेना में शामिल किया जाएगा।

- इसमें वायु सेना में नए LCA (Mk-2 संस्करण) तथा AMCA (उन्नत मध्यम युद्धक विमान) और नौसेना में TEDBF (ट्विन-इंजन डेक-बेस्ड फाइटर) युद्धक विमान को शामिल किया जाना है।
- इससे पहले सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Security-CCS) ने भारतीय वायु सेना के लिये 83 तेजस हल्के युद्धक विमानों (Mk-1A and Mk-1 संस्करणों) के अधिग्रहण हेतु 48,000 करोड़ रुपए के समझौते को सहमति प्रदान की थी।

प्रमुख बिंदु:

हल्के लड़ाकू विमान (LCA) Mk-2:

- (LCA) Mk-2 के बारे में:
  - इसमें एक बड़ा इंजन लगाया गया है जो 6.5 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है।
  - 1980 के दशक में 'हल्के युद्धक विमान' (LCA) कार्यक्रम को भारत में पुराने हो चुके मिग-21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिये शुरू किया गया था।
  - यह 4.5 पीढ़ी का विमान है जिसका उपयोग भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा।
  - यह युद्धक विमान की श्रेणी में शामिल मिराज 2000 (Mirage 2000) को प्रतिस्थापित करेगा।
  - इस हल्के युद्धक विमान (Light Combat Aircraft- LCA) में पहले से ही विकसित तकनीक का प्रयोग किया गया है।
- उत्पादन:
  - इस योजना को वर्ष 2022 तक लागू किया जाना है, जिसमें वर्ष 2023 में Mk-2 की पहली उड़ान और वर्ष 2026 तक Mk-2 संस्करण का उत्पादन करना शामिल है।

उन्नत मध्यम युद्धक विमान (AMCA):

- AMCA के बारे में:
  - यह पाँचवीं पीढ़ी का विमान है जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा।
  - यह एक स्टील्थ विमान है, जो हल्के युद्धक विमान के विपरीत स्टील्थ तकनीकी पर आधारित एक अधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला विमान है।
    - लो रडार क्रॉस-सेक्शन (Low Radar Cross-Section) प्राप्त करने के लिये इसका आकार अद्वितीय है, इस युद्धक विमान को आंतरिक हथियारों से सुसज्जित किया जा सकता है।
    - बाहरी हथियारों को हटाने के बाद भी इसमें लगे आंतरिक हथियारों में महत्त्वपूर्ण अभियानों को पूर्ण करने की क्षमता विद्यमान है।

नोट :

- रेंज:
  - विभिन्न माध्यमों में इसकी कुल रेंज 1,000 किमी. से लेकर 3,000 किमी. तक होगी।
- प्रकार और इंजन:
  - इसके दो प्रकार (Mk-1 और Mk-2) हैं। AMCA Mk-1 में LCA Mk-2 के समान एक आयातित इंजन लगा होगा, वहीँ AMCA Mk-2 में एक स्वदेशी इंजन होगा।
- उत्पादन:
  - इसकी पहली उड़ान वर्ष 2024-25 में संभावित है, बाद में इसके और परीक्षण किये जाएंगे तथा संपूर्ण उत्पादन कार्य वर्ष 2029 तक पूर्ण होगा।

ट्विन-इंजन डेक-आधारित युद्धक विमान (TEDBF):

- TEDBF के बारे में:
  - इस युद्धक विमान का निर्माण नौसेना के लिये किया जाएगा।
  - यह नौसेना के मिग-29 K का स्थान लेगा।
  - यह भारत में पहला ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट (Twin Engine Aircraft Project) होगा जो वाहक आधारित अभियानों (Carrier Based Operations) के लिये भी समर्पित होगा।
  - इसे आईएनएस विक्रमादित्य (INS Vikramaditya) और आगामी स्वदेशी विमान वाहक पोतों से संचालित करना संभव होगा।
- हथियार/अस्त्र:
  - विमान मुख्य रूप से घरेलू हथियारों से लैस होगा।
- आकार और क्षमता:
  - इसकी अधिकतम गति 1.6 मैक , 60,000 फीट तक की उड़ान क्षमता, 26 टन की अधिकतम भार वहन क्षमता, 11.2 मीटर की अनफोल्डेड विंग स्पैन, 7.2 फोल्डेड विंग स्पैन और 16.3 मीटर की लंबाई होगी।
- इंजन:
  - हालाँकि इंजन की संरचना और व्यास का खुलासा नहीं किया गया है, इसमें उसी इंजन का उपयोग किया जाना है जिसका प्रयोग LCA तेजस विमान में किया गया है।
- अधिष्ठापन:
  - इसे वर्ष 2030 तक नौसेना में शामिल किया जाएगा।

INS विक्रमादित्य:

- INS विक्रमादित्य देश का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत है।
- इसका निर्माण वर्ष 1987 में किया गया था।
- भारतीय नौसेना द्वारा इस तोप को वर्ष 2004 में खरीदा गया जिसे नवंबर 2013 में रूस के सेवरोडविन्स्क में कमीशन किया गया था ।
- इस पर रूस एवं इज़राइल द्वारा सयुक्त रूप से विकसित इज़राइल की बराक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया गया है।

नोट :

चर्चा में

स्टार्स परियोजना

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना (Strengthening Teaching-Learning and Results for States-STARS) के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- इसके पूर्व केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 14 अक्तूबर, 2020 को स्टार्स परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

प्रमुख बिंदु

- लागत: स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए है।
  - पाँच वर्ष की अवधि में विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना के लिये 50 करोड़ डॉलर (लगभग 3700 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - शेष राशि योजना में भागीदारी कर रहे राज्यों द्वारा उनके अंश के रूप में दी जाएगी।
- क्रियान्वयन: स्टार्स परियोजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत नई केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में किया जाएगा।
  - स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग इस परियोजना के लिये राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
  - राज्य स्तर पर परियोजना का क्रियान्वन समग्र शिक्षा की समेकित राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा।
  - स्टार्स परियोजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत मौजूदा संरचना में ही क्रियान्वित की जाएगी।
- परियोजना में शामिल राज्य: इस परियोजना में छह राज्य- हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं।
  - परियोजना में शामिल राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के कदमों के लिये सहायता दी जाएगी।
- स्टार्स के तहत विश्व बैंक की प्रस्तावित सहायता मूलत: परिणाम-आधारित वित्तीय उपकरण के रूप में है जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स (PRR) कहते हैं।
- परियोजना का लाभ: स्टार्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विभिन्न अनुशंसाओं जैसे- आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और आधारभूत शिक्षण, शिक्षण आकलन सुधार प्रणाली, शिक्षक विकास और व्यवसायपरक शिक्षा को लागू करने में सहायक बनेगी।

पेरियार टाइगर रिज़र्व

केरल में पेरियार टाइगर रिज़र्व (PTR) द्वारा भारत में पहली बार बाघ शावको को वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिये प्रशिक्षित किये जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

अवस्थिति:

- यह अभयारण्य/रिज़र्व केरल राज्य के इडुक्की और पठानमथिट्टा ज़िले (पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित) में स्थित है।

निर्माण:

- इसे वर्ष 1950 में अभयारण्य और वर्ष 1978 में एक बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम पेरियार नदी से प्रेरित है, जिसका उद्गम स्थल इस अभयारण्य के भीतर ही है।

नोट :

अपवाह (Drainage):

- मुलयार और पेरियार इस अभयारण्य से निकलने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं।

वनस्पति:

- इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्द्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती वन और घास के मैदान शामिल हैं।
- इस अभयारण्य में पुष्पीय पौधों की लगभग 1966 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - इसमें से लगभग 516 पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजातियाँ हैं।
- यह अभयारण्य लगभग 300 औषधीय पौधों का भंडार है।
  - Syzygium periyarensis (एक प्रकार का वृक्ष), Habenaria periyarensis (एक आर्किड) और Mucuna pruriense thekkadiensis (एक प्रकार की बेल या लता) आदि इस क्षेत्र की कुछ स्थानिक पादप प्रजातियाँ है।

प्राणिजगत:

- स्तनधारी: बाघ, हाथी, लॉयन टेल्ड मकाक (Lion-tailed macaque), नीलगिरि तहर आदि।
- पक्षी: डार्टर, जलकाग, किंगफिशर, ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल (Great Malabar Hornbill) और रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो (Racket-tailed Drongo)।
- सरीसृप: मॉनिटर लिज़र्ड, अजगर, किंग कोबरा आदि।

आदिवासी:

- इस अभयारण्य में छह आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं जैसे- मन्नान, पलियन, मलाइ अरायन, मलाइ पंडाराम, उरलिस और उलादन।

वाघई-बिलिमोरा हेरिटेज लाइन

हाल ही में पश्चिम रेलवे ने गुजरात में वाघई-बिलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित तीन ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित/रद्द करने का निर्णय लिया है।

- अन्य दो नैरो गेज ट्रेन मियागाम-चोरंडा-मालसर और चोरंडा जंक्शन- मोती कराल के बीच चलती हैं।
- रेल परिवहन में 'ट्रैक गेज' रेल पटरियों के बीच की दूरी को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा इससे पहले पश्चिम रेलवे को एक पत्र जारी करते हुए कुल 11 "गैर-लाभकारी शाखा लाइनों' और वेस्टर्न रेलवे के नैरो गेज सेक्शन (गुजरात की तीन नैरो गेज लाइनों सहित) को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया था।

वाघई-बिलिमोरा रेल के बारे में:

- इस ट्रेन की शुरुआत वर्ष 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ वंश की निशानी थी, जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आतंरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
- गायकवाड़ शासकों के आग्रह पर, अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में रेलवे ट्रैक बिछाए गए और इसका संचालन 'गायकवाड़ बड़ौदा राजकीय रेलवे' (GBSR) द्वारा किया जाता था, जिसका स्वामित्व सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के पास था।
  - गायकवाड़ वंश का शासन क्षेत्र सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी गुजरात के मेहसाणा और दक्षिण गुजरात के बिलिमोरा तक फैला हुआ था।
  - गायकवाड़ राजवंश के संस्थापक दामाजी प्रथम थे जो वर्ष 1740 में सत्ता में आए। अंतिम गायकवाड़ शासक सयाजीराव तृतीय थे जिनकी वर्ष 1939 में मृत्यु हो गई।
- शुरुआत में लगभग 24 वर्षों तक यह ट्रेन एक भाप इंजन द्वारा चलाई गई थी, जिसे वर्ष 1937 में डीज़ल इंजन द्वारा बदल दिया गया था।
  - वर्ष 1994 में मूल भाप इंजन को मुंबई के चर्च गेट हेरिटेज गैलरी में प्रदर्शन के लिये रखा गया था।

नोट :

- इस रेलवे सेवा की शुरुआत वर्ष 1951 में बॉम्बे, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे तथा सौराष्ट्र, राजपूताना एवं जयपुर राज्य रेलवे के विलय के पश्चात् पश्चिम रेलवे के अस्तित्व में आने से बहुत पहले की गई थी।
- 63 किलोमीटर लंबा वाघई-बिलिमोरा मार्ग और 19 किलोमीटर का चोरंडा-मोती कराल मार्ग उन पाँच मार्गों में शामिल है, जिन्हें वर्ष 2018 में भारतीय रेलवे द्वारा "औद्योगिक विरासत" के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव दिया था।

फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस

हाल ही में फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस (Fishing Cat Conservation Alliance) ने फिशिंग कैट के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु:

- फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस कुछ संरक्षणवादियों, शोधकर्त्ताओं और उत्साही लोगों का एक दल है जो सक्रिय बाढ़कृत और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिये कार्य करता है क्योंकि ये प्राकृतिक तंत्र फिशिंग कैट के अस्तित्व को बनाए रखने के लिये बहुत ही आवश्यक हैं।
- वैज्ञानिक नाम: प्रियनैलुरस विवरिनस (Prionailurus viverrinus)
- परिचय:
  - इसका आकार घरेलू बिल्ली का दोगुना होता है।
  - फिशिंग कैट निशाचर (रात में सक्रिय) जीव है और मछली के अलावा मेंढक, क्रस्टेशियन, साँप, पक्षी और बड़े जानवरों के शवों का मांस खाना पसंद करती है।
  - यह प्रजाति वर्ष भर प्रजनन करती है।
  - वे अपना अधिकांश जीवन घनी वनस्पतियों वाले क्षेत्रों में जल निकायों के करीब बिताती हैं और उत्कृष्ट तैराक होती हैं।
- आवास:
  - फिशिंग कैट का प्रवास क्षेत्र पूर्वी घाट में विस्तृत है। वे एस्टुरीन बाढ़कृत मैदानों, मैंग्रोव वन और अंतर्देशीय ताज़े पानी के आवासों में रहते हैं।
  - पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरवन के अलावा फिशिंग कैट ओडिशा की चिल्का झील तथा आसपास की आर्द्रभूमि एवं आंध्र प्रदेश के कोरिंगा व कृष्णा मैंग्रोव में निवास करती हैं।
- खतरे:
  - आर्द्रभूमि क्षरण और जलीय कृषि तथा अन्य वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण, नदी के किनारे रेत खनन, कृषि गहनता आदि के परिणामस्वरूप इनके प्राकृतिक आवास की क्षति होती है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में वन्यजीव-मानव संघर्ष के परिणामस्वरूप इनका शिकार और प्रतिशोधी हत्या के मामले भी देखने को मिले हैं।
- संरक्षण स्थिति:
  - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य। कई खतरों के बावजूद हाल ही में फिशिंग कैट को IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" से "सुभेद्य" श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया।
  - CITES: परिशिष्ट-II
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत फिशिंग कैट का शिकार किया जाना प्रतिबंधित है।
- संरक्षण के प्रयास:
  - हाल ही में फिशिंग कैट कंज़र्वेशन अलायंस द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्वोत्तर घाटों के असुरक्षित और मानव-प्रधान परिदृश्यों में फिशिंग कैट के जैव भौगोलिक वितरण पर एक अध्ययन शुरू किया है।
  - 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक रूप से फिशिंग कैट को राज्य पशु घोषित किया और कलकत्ता चिड़ियाघर में उनके लिये समर्पित दो बड़े बाड़े हैं।

नोट :

- ओडिशा में कई एनजीओ और वन्यजीव संरक्षण संस्थाएँ फिशिंग कैट पर शोध और उनके संरक्षण कार्य संलग्न हैं।
- वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया फिशिंग कैट प्रोजेक्ट ने फिशिंग कैट (Fishing Cat) के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है।

एयरो इंडिया 2021

हाल ही में एयरो इंडिया शो का 13वाँ संस्करण बंगलूरू के 'येलहंका एयरफोर्स स्टेशन' (कर्नाटक) में शुरू हुआ।

प्रमुख बिंदु:

एयरो इंडिया:

- एयरो इंडिया एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है।
- यह एक प्रमुख आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सैन्य तथा नागरिक विमान निर्माताओं, उनसे संबंधित उद्योगों, सरकारी गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापारिक आगंतुकों को आकर्षित करता है।
- सिटी सेंटर से लगभग 30 किमी. दूर बंगलूरू स्थित येलहंका एयर बेस फरवरी में एयर शो की मेज़बानी कर रहा है। इसे वर्ष 1996 में बंगलूरू में शुरू किया गया था।

एयरो इंडिया 2021:

- यह एक प्रकार का पहला 'हाइब्रिड' एयर शो है, जिसका अर्थ है कि लोग डिजिटल रूप से भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
- एयरो इंडिया 2021 का केंद्रीय क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) है।
- इसका आयोजन 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) द्वारा किया गया है।
- एयरो इंडिया 2021 में शीर्ष विमानन कंपनियाँ भागीदारी कर रही हैं, इस आयोजन में भारत अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है।
  - इस शो में ग्लोबल एविएशन दिग्गज जैसे- बोइंग (यूएसए), लॉकहीड मार्टिन (यूएसए), डसॉल्ट (फ्राँस) और एयरबस (यूरोप) के अलावा बील्स (फ्राँस) के साथ विमानन क्षेत्र में शामिल शीर्ष रक्षा फर्मों BAE सिस्टम्स (यूके) और मिसाइल निर्माता MBDA (यूरोप) की भागीदारी भी देखी जाएगी।
  - भारत इन प्रमुख विमानन दिग्गजों से उत्पाद खरीद रहा है, जैसे- बोइंग पी 8-आई, डसॉल्ट से राफेल जेट एवं अन्य विमान आदि।
- एयरो इंडिया शो के दौरान सरकार ने राज्य संचालित एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिये औपचारिक रूप से 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया।
  - तेजस: यह HAL द्वारा निर्मित छोटे-हल्के वज़न का एकल इंजन युक्त 'बहु-भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान' (Multirole Tactical Fighter Aircraft) है।

महत्त्व:

- भारत रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
  - आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े और जटिल रक्षा प्लेटफॉर्मों का घरेलू विनिर्माण देश की रक्षा नीति का केंद्र बन गया है।
- एयरो इंडिया 2021 निवेश को बढ़ावा देगा, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करेगा, उद्यमों का समर्थन करेगा, प्रौद्योगिकी स्तर में वृद्धि करेगा तथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

उपभोक्ता कल्याण कोष

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने संसद को उपभोक्ता कल्याण कोष (Consumer Welfare Fund- CWF) के बारे में सूचित किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- उपभोक्ता कल्याण कोष
  - इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया था। वर्ष 1992 के उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों को CGST नियम, 2017 के तहत शामिल कर लिया गया है।
  - यह कोष राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा स्थापित किया गया है और उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- उद्देश्य: उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसके कुछ उदाहरण हैं:
  - अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता कानून से संबंधित पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का गठन करना।
  - उपभोक्ता साक्षरता और जागरूकता फैलाने के लिये परियोजनाएँ।
- अन्य संबंधित पहलें:
  - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक अखिल भारतीय उपभोक्ता जागरूकता अभियान 'जागो ग्राहक जागो' चलाया जा रहा है ।
  - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस/राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन।
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया है।
    - नया अधिनियम ई-कॉमर्स लेन-देन को कवर करता है तथा प्रक्रियात्मक आसानी के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतें सुनने और/या जाँच संबंधी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अनुमति देता है तथा असुविधा को कम करता है।
  - सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण के लिये एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की स्थापना की है।
  - विनिर्माताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के बीच मानकीकरण, प्रमाणन और गुणवत्ता संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये देश भर में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

गोबर-धन का एकीकृत पोर्टल Unified Portal of Gobar-dhan

हाल ही में बायोगैस योजनाओं/पहलों के सुचारु कार्यान्वयन और रियल टाइम निगरानी के लिये गोबर-धन का एकीकृत पोर्टल (Unified Portal of Gobar-dhan) शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य बायोगैस योजनाओं/पहलों के सुचारु कार्यान्वयन और इनकी वास्तविक समय पर निगरानी के लिये विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करना है।

समन्वयन:

- नए एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार इस पोर्टल को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा समन्वित किया जाएगा।

लाभ:

- आर्थिक: यह पोर्टल विभिन्न बायोगैस परियोजनाओं/मॉडल और पहलों के लिये एक विस्तृत दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा।
- ओडीएफ प्लस लक्ष्य: SBMG के चरण 2 में उल्लिखित ओडीएफ प्लस लक्ष्य (गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह तथा परिवहन) काफी हद तक गोबर-धन योजना के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

नोट :

- अन्य योजनाओं के साथ समन्वय: यह पोर्टल भविष्य में संपीडित बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्रों की स्थापना और मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में जैव ईंधन के उपयोग के लिये बाज़ार लिंकेज की सुविधा सुनिश्चित कर सतत् (Sustainable Alternative towards Affordable Transportation- SATAT) पहल के उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करेगा।
- बेहतर पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य: ग्रामीण भारत में भारी मात्रा में जैव कचरा उत्पन्न होता है जिसका कुशलता से उपयोग कर बेहतर ढंग से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन किया जा सकता है।
- रोज़गार सृजन और बचत: जैव अपशिष्ट प्रसंस्करण के माध्यम से रोज़गार और घरेलू बचत के अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं।

गोबर-धन योजना

- गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN) योजना की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है।
- क्रियान्वयन:
  - इस योजना का क्रियान्वयन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
- घटक:
  - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में गाँवों को स्वच्छ बनाने के लिये दो मुख्य घटक शामिल हैं - खुले में शौच मुक्त (ODF) गाँव बनाना और गाँवों में ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन करना।
- उद्देश्य:
  - इस योजना का उद्देश्य गाँवों को स्वच्छ रखना, ग्रामीण घरों की आय बढ़ाना और मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करना है।
  - इसके अलावा ग्राम स्तर पर आजीविका के नए अवसरों का सृजन और किसानों तथा अन्य ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना है।

रथ सप्तमी

इस वर्ष रथ सप्तमी (Ratha Saptami) त्योहार 19 फरवरी, 2021 को मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- रथ सप्तमी एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है।
- इस दिन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है।
- रथ सप्तमी को सूर्य जयंती भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के जन्म का प्रतीक है और इसे माघ सप्तमी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू महीना माघ के सातवें दिन (सप्तमी) मनाया जाता है।
- रथ सप्तमी मौसम में परिवर्तन (वसंत) और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है।

अर्क शुभ: गेंदे की नई किस्म

हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Horticultural Research- IIHR) द्वारा 'अर्क शुभ' (Arka Shubha) नामक गेंदे या मैरीगोल्ड की एक नई किस्म का विकास किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - उच्च कैरोटीन मात्रा: अर्क शुभ में कैरोटीन की मात्रा लगभग 2.8% है (सभी मैरीगोल्ड्स के लिये कैरोटीन की मात्रा अधिकतम 1.4% तक है) जो सभी पादप स्रोतों में सबसे अधिक है।
  - खराब होने के बाद प्रयोग: अन्य किस्मों के विपरीत इस नई किस्म को पूर्ण रूप से खिलने के बाद खराब हो जाने पर भी कच्चे कैरोटीन के निष्कर्षण के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

नोट :

- महत्त्व:
  - सजावट और कैरोटीन निष्कर्षण: इस नई किस्म को न केवल सजावटी उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जा सकता है, बल्कि यह कच्चे कैरोटीन का भी अच्छा स्रोत है।
  - पोल्ट्री-खाद्य: इसकी पंखुड़ियों को गुणवत्ता वाली जर्दी प्राप्त करने के लिये कुक्कुट-आहार या पोल्ट्री फीड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
  - आयात निर्भरता कम करने में सहायक: भारत अपनी कुल ज़रूरत का अधिकांश कैरोटीन चीन सहित अन्य देशों से आयात करता है। यह किस्म आयात निर्भरता को काफी कम कर सकती है। अत: इसकी खेती के क्षेत्र और कैरोटीन निष्कर्षण पर निवेश दोनों को बढ़ाया जाना चाहिये।

कैरोटीन (Carotene):

- कैरोटीन कैरोटीनॉयड वर्णक हैं जो ऑक्सीजन रहित होते हैं। कैरोटीन ज़्यादातर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है।
- ये पीले, नारंगी या लाल आदि रंगों में हो सकता है। इसके रंग के लिये एकल और दोहरे बॉण्ड की वैकल्पिक श्रृंखला उत्तरदायी होती है।
  - कैरोटीन गाजर के नारंगी रंग के लिये उत्तरदायी होता है।
- α-कैरोटीन, β-कैरोटीन, और लाइकोपीन कैरोटीन के उदाहरण हैं।
- कैरोटीन का उपयोग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ हमेशा ही इसकी उच्च मांग बनी रहती है।

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Horticultural Research):

- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- IIHR का मुख्य अनुसंधान केंद्र बंगलुरू में स्थित है और भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा चेतल्ली (कर्नाटक) में इसके दो क्षेत्रीय प्रयोग केंद्र स्थित हैं।
- इस संस्थान का मुख्य शोध एजेंडा फलों, सब्जियों, सजावटी पौधों और औषधीय उत्पादों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करके बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाना था।

ट्रोपेक्स 21

वर्तमान में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी द्विवार्षिक 'थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज़ (TROPEX) हिंद महासागर क्षेत्र में जारी है।

यह सैन्य अभ्यास जनवरी में प्रारंभ हुआ था और इसका समापन फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा।

प्रमुख बिंदु:

- विषय/थीम:
  - 'युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और एकजुट बल' (Combat Ready, Credible and Cohesive force)।
- प्रतिभागी:
  - भारतीय नौसेना, तटरक्षक, 13 तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की समुद्री पुलिस के साथ समुद्री क्षेत्र के अन्य हितधारक।
- 'सी विजिल' (Sea Vigil):
  - पहले चरण में भारतीय नौसेना ने 12-13 जनवरी, 2021 को भारत के पूरे तटीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्रों में तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल' का आयोजन किया था।
  - सी विजिल अभ्यास के बाद बड़े पैमाने पर तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स-21 (AMPHEX-21) का आयोजन किया गया था।

नोट :

- अवस्थिति:
  - इस सैन्य अभ्यास को हिंद महासागर क्षेत्र के एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है।
- आयोजन और निगरानी:
  - TROPEX की देखरेख पोर्ट ब्लेयर में स्थित भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रि-सेवा थियेटर कमान और भारतीय नौसेना (पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी नौसेना कमान) की तीनों
  - कमानों की भागीदारी के साथ नौसेना मुख्यालय द्वारा की जा रही है।
- उद्देश्य:
  - शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना: थियेटर स्तर के अभ्यास का उद्देश्य नौसेना की आक्रामक-रक्षा क्षमताओं का परीक्षण करना, समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता तथा शांति को बढ़ावा देना है।
  - तटीय रक्षा सेटअप: इस अभ्यास का उद्देश्य देश के तटीय रक्षा सेटअप का परीक्षण करना और उसे मान्यता देना है, गौरतलब है कि मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमलों के बाद तटीय रक्षा सेटअप में व्यापक सुधार किया गया था।
  - युद्ध तत्परता: इसका उद्देश्य वर्तमान भू रणनीतिक वातावरण के संदर्भ में निर्धारित एक जटिल बहु-आयामी परिदृश्य में नौसेना की लड़ाकू क्षमता का परीक्षण करना है।

थोलपावाकुथु: केरल

हाल ही में एक रोबोट द्वारा केरल की प्रसिद्ध मंदिर कला थोलपावाकुथु में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- यह केरल की एक पारंपरिक मंदिर कला है जो पलक्कड़ और इसके पड़ोसी क्षेत्रों से संबंधित है।
  - यह कला काफी हद तक पलक्कड़ ज़िले के शोरानूर क्षेत्र के पुलवार परिवारों तक ही सीमित है।
- केरल की प्राचीन कलाकृतियों में थोलपावाकुथु या छाया कठपुतली नाटक का प्रमुख स्थान है। यह आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण है।
- यह पलक्कड़ ज़िले के काली मंदिरों में वार्षिक उत्सवों के दौरान निभाई जाने वाली एक रस्म है।
  - इसे निज़लकुथु (Nizhalkkoothu) और ओलाकुथू (Olakkoothu) के रूप में भी जाना जाता है।
- नाटक का विषय 'कंब रामायण' (महाकाव्य का तमिल संस्करण) पर आधारित है।

उदय:

- मलयालम में 'थोल' का अर्थ है चमड़ा, पावा का अर्थ है गुड़िया और कुथु का नाटक। हालाँकि इस पारंपरिक कला की उत्पत्ति की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे 1200 वर्ष पुराना मानते हैं।
- इसका प्रदर्शन पलक्कड़ के भद्रकाली मंदिरों में रामायण की कहानियों को सुनाते हुए किया जाता था।

प्रदर्शन:

- इस मनोरंजक कला को एक विशेष मंच पर प्रदर्शित किया जाता है जिसे मंदिर प्रांगण में 'कुथूमदम' (koothumadam) कहा जाता है।
- इस कला को लैंप के प्रकाश और अग्नि के साथ-साथ पौराणिक आकृतियों का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है।
- मुख्य कठपुतली को 'पुलावन' के रूप में जाना जाता है।

प्रयुक्त संगीत वाद्ययंत्र:

- एज़ुपारा, चेंदा और मैडलम आदि।

नोट :

भारत में छाया कठपुतली के क्षेत्रीय नाम

राज्य	नाम
आंध्र प्रदेश	थोलू बोम्मलता
कर्नाटक	तोगलु गोमेयाता
महाराष्ट्र	चर्मा बहुली नाट्य
ओडिशा	रावनछाया
केरल	थोलपावाकुथु
तमिलनाडु	थोल बोम्मलता
राज्य	नाम
आंध्र प्रदेश	थोलू बोम्मलता
कर्नाटक	तोगलु गोमेयाता
महाराष्ट्र	चर्मा बहुली नाट्य
ओडिशा	रावनछाया
केरल	थोलपावाकुथु
तमिलनाडु	थोल बोम्मलता

The Vision

नोट :

विविध

भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस

भारतीय तटरक्षक बल 01 फरवरी, 2021 को अपना 45वाँ स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1978 में केवल 7 ज़मीनी प्लेटफार्मों के साथ एक साधारण शुरुआत से लेकर वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में कुल 156 जहाज़ और 62 विमान शामिल हैं तथा अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2025 तक इसके बेड़े में 200 ज़मीनी प्लेटफॉर्म और 80 विमान शामिल होने की संभावना है। विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल के रूप में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तट की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका आदर्श वाक्य 'वयम रक्षाम' का अर्थ 'हम रक्षा करते हैं।' भारतीय तटरक्षक बल ने 1977 में स्थापना के बाद से 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाने के साथ ही लगभग 14,000 असामाजिक तत्त्वों को गिरफ्त में लिया है। संगठन का नेतृत्त्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल (DGICG) द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। विदित हो कि भारतीय तटरक्षक बल जहाज़ों पर परिचालन भूमिका में महिला अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला बल है। वर्तमान में के. नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं।

सेवामुक्त हुआ पोत 'T-81'

सुपर डीवोरा एमके-2 श्रेणी के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट (IN FAC) 'T-81' को 20 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 28 जनवरी, 2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवामुक्त कर दिया गया। इज़राइल के मैसर्स रामता के सहयोग से 60 टन विस्थापन क्षमता तथा 25 मीटर लंबा यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था। इसे गोवा के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जे.एफ.आर. जैकब (सेवानिवृत्त) द्वारा 05 जून, 1999 को नौसेना में शामिल किया गया था। यह 45 नॉट तक की गति के साथ-साथ दिन/रात निगरानी करने, खोज तथा बचाव, समुद्र तट तक पहुँचने, समुद्री कमांडो को सुरक्षित निकालने तथा घुसपैठ करने वाले जहाज़ों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम था। फास्ट अटैक क्राफ्ट (FAC) एक छोटा, तेज़, फुर्तीला और आक्रामक युद्धपोत है, जो एंटी-शिप मिसाइलों, बंदूकों और टॉरपीडो आदि से लैस होता है। इन्हें प्राय: भूमि के आस-पास ही संचालित किया जाता है।

कल्पना चावला

प्रतिवर्ष 01 फरवरी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ध्यातव्य है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में कल्पना चावला का इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च, 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1988 में एक शोधकर्त्ता के रूप में नासा (NASA) के साथ अपने कॅरियर की शुरुआत की। अप्रैल 1991 में अमेरिकी नागरिक बनने के पश्चात् उन्हें वर्ष 1994 में नासा (NASA) में बतौर अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) चुन लिया गया। नवंबर 1996 में उन्हें अंतरिक्ष शटल मिशन STS-87 में मिशन विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके साथ ही वे अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। वर्ष 2000 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 के चालक दल का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मिशन के दौरान दुर्घटना के कारण 01 फरवरी, 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई।

'टॉप 25' अभियान

मुंबई पुलिस ने हिस्ट्रीशीटरों अथवा ऐसे लोगों, जो भविष्य में कानून-व्यवस्था पर संकट उत्पन्न कर सकते हैं, को नियंत्रित करने के लिये 'टॉप 25' नाम से एक अभियान शुरू किया है। मुंबई पुलिस ने शहर के 95 पुलिस स्टेशनों को अपने क्षेत्राधिकार में शीर्ष 25 आपराधिक तत्त्वों की एक सूची बनाने का आदेश दिया है, इसके बाद इन लोगों से 'अच्छे व्यवहार' संबंधी एक बॉण्ड हस्ताक्षित कराने को कहा गया है, इस कार्य में विफल रहने पर उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर में आपराधिक तत्त्वों पर लगाम लगाना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है।

नोट :

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

हमारे गृह के लिये आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 02 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 'कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस' (रामसर कन्वेंशन) पर हस्ताक्षर किये गए थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन पहली बार 02 फरवरी, 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आम लोगों को प्रकृति के लिये आर्द्रभूमि के महत्त्व को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम है- 'आर्द्रभूमि और जल।' वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम थी- 2020- 'आर्द्रभूमि और जैव विविधता।' नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड (Wetland) कहा जाता है। दरअसल, आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है।

सतलुज जलविद्युत निगम

नेपाल सरकार ने भारत के सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड को 679 मेगावाट के अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय लिया है। भारतीय कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट BOOT मॉडल (बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) के तहत प्रदान किया गया है। प्रस्तावित परियोजना में 679 मेगावाट बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता है और यह नेपाल के प्रांत 1 के संखुवासभा और भोजपुर ज़िलों में शुरू होगी। इससे पूर्व, चीन की एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी, पावर चाइना ने जलविद्युत परियोजना के निर्माण में रुचि व्यक्त की थी। चीन की कंपनी ने परियोजना को विकसित करने के लिये 'नेपाल निवेश बोर्ड' (IBN) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये थे। यह एक निजी-सार्वजनिक भागीदारी (P3) परियोजना मॉडल है, जहाँ संगठन अथवा कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों जैसे- सरकारी एजेंसियों के अनुबंध के तहत बड़ी विकास परियोजनाओं का संचालन करती है।

स्टारडस्ट 1.0

अमेरिका आधारित रॉकेट स्टार्टअप कंपनी 'ब्लूशिफ्ट एयरोस्पेस' ने जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया है। 'स्टारडस्ट 1.0' नाम का यह बूस्टर (रॉकेट) तकरीबन 20 फीट लंबा है और इसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है। यह रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, इस रॉकेट के संचालन में प्रयोग किया गया जैव-ईंधन गैर-विषैला और पूरी तरह से कार्बन-तटस्थ है, जिससे यह प्रकृति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा। ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्यूबेट्स नामक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेंगे, जो कि पारंपरिक रॉकेट की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता है और पर्यावरण के प्रति कम विषाक्त है।

इंडो-फ्रेंच ईयर ऑफ एन्वायरनमेंट

हाल ही में भारत और फ्राँस ने सतत् विकास के क्षेत्र में मज़बूत सहयोग और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिये 'इंडो-फ्रेंच ईयर ऑफ एन्वायरनमेंट' नाम से एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। वर्ष 2021-2022 में आयोजित होने वाली यह 'इंडो-फ्रेंच ईयर ऑफ एन्वायरनमेंट' पहल मुख्य रूप से पाँच विषयों पर केंद्रित होगी: (1) पर्यावरण संरक्षण, (2) जलवायु परिवर्तन, (3) जैव विविधता संरक्षण, (4) सतत् शहरी विकास और (5) नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। यह पहल पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों में सहभागिता से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करने के एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा। ज्ञात हो कि भारत ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और उत्सर्जन तीव्रता में पहले ही 26 प्रतिशत कमी का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

भव्या लाल

भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, भव्या लाल के पास इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके योगदान के लिये उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी अकादमी का सदस्य भी चुना गया है। नासा ने एक बयान में कहा कि भव्या लाल वर्ष 2005 से वर्ष 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस (IDA) के 'साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (STPI) में अनुसंधान सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से परमाणु इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है, इसके अलावा उनके पास प्रौद्योगिकी और नीति विषय में भी एक मास्टर डिग्री है। नासा (NASA) संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा की एक स्वतंत्र

नोट :

एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये उत्तरदायी है। इसे वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन, डीसी (अमेरिका) में स्थित है। नासा ने वर्ष 1961 की शुरुआत में ही मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। आठ वर्ष बाद 20 जुलाई, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने।

भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल पोर्टल पर आठवें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया। पाँच दिन तक चलने वाले इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस मेले को 'भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद' (ISEPC) द्वारा वचुर्अल मंच पर आयोजित किया जा रहा है। 200 से अधिक विदेशी खरीदार पहले से ही इस मेले के लिये पंजीकृत हो गए हैं। यह मेला भारतीय रेशम की सुंदरता और जीवंतता का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। रेशम उत्पादन में भारत का लंबा इतिहास है और यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का एकमात्र देश है, जो रेशम की सभी चार प्रमुख किस्मों- शहतूत, एरी, टसर और मूगा का उत्पादन करता है। रेशम, रसायन विज्ञान की भाषा में रेशमकीट के रूप में विख्यात इल्ली (Caterpillar) द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशमकीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिये 'सुरक्षा कवच' के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। रेशमकीट का जीवन-चक्र 4 चरणों- अण्डा (Egg), इल्ली (Caterpillar), प्यूपा (Pupa) तथा शलभ (Moth) में निर्मित होता है। रेशम प्राप्त करने के लिये इसके जीवन-चक्र के कोकून चरण में अवरोध डाला जाता है और व्यावसायिक महत्त्व का तंतु (Silk) निकाला जाता है जिससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है।

आदि महोत्सव

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 01 फरवरी, 2021 को नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय पर्व 'आदि महोत्सव' का उद्घाटन किया। यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) द्वारा किया जाता है। आदि महोत्सव का आयोजन 1-5 फरवरी, 2021 तक किया जा रहा है। 'आदि महोत्सव' आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है, जिसे वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और तब से सफलतापूर्वक इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह महोत्सव देश भर के आदिवासियों की समृद्ध और विविध शिल्प एवं संस्कृति को एक स्थान पर प्रदर्शित करने और उसे आम लोगों को जानने का अवसर प्रदान करता है। इस महोत्सव के दौरान आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा व उपचार, भोजन एवं लोक कलाओं का प्रदर्शन तथा उनकी बिक्री की जाएगी। इसमें देश के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे और अपनी समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की झलक प्रस्तुत करेंगे। देश की आबादी में कुल 8 प्रतिशत से अधिक जनजातियाँ मौजूद हैं, इसके बावजूद वे समाज के वंचित वर्गों में शामिल हैं। प्राकृतिक सादगी से प्रेरित, उनकी रचनाओं में एक कालातीत अपील है।

हिंदी वर्ड ऑफ द इयर: 'आत्मनिर्भर'

'ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज़' ने 'आत्मनिर्भर' शब्द को वर्ष 2020 के लिये 'हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर' के रूप में चुना है। वर्ष 2019 के लिये 'संविधान' को 'हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर' के रूप में चुना गया था, क्योंकि यह शब्द वर्ष 2019 में सबरीमाला वाद, अनुच्छेद 370 और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदि के कारण काफी चर्चा में आ गया था। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज़ द्वारा घोषित 'वर्ड ऑफ द ईयर' एक ऐसा शब्द अथवा अभिव्यक्ति है, जिसने किसी एक विशिष्ट वर्ष में आम लोगों का काफी अधिक ध्यान आकर्षित किया हो। किसी भी वर्ष के लिये 'वर्ड ऑफ द ईयर' का चयन करने के लिये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज़ द्वारा अपने भाषा अनुसंधान कार्यक्रम के तहत शब्दों के उपयोग संबंधी आँकड़े एकत्र किये जाते हैं और फिर उपयोग के आधार पर शब्दों का चयन किया जाता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज़ ने वर्ष 2020 के लिये 'आत्मनिर्भर' शब्द को चुना है, क्योंकि वर्ष 2020 के दौरान इस शब्द का काफी प्रयोग किया गया है और वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में भी इस शब्द को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ज्ञात हो कि मई 2020 में प्रधानमंत्री ने COVID-19 रिकवरी पैकेज की घोषणा करते हुए 'आत्मनिर्भरता' की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।

हर घर पानी, हर घर सफाई'

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 में मार्च माह तक सभी ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत पाइप से पेयजल की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिये 'हर घर पानी, हर घर सफाई' मिशन की शुरुआत की है। सुरक्षित पेयजल को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में घोषित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक जलापूर्ति और स्वच्छता योजनाओं पर प्रतिवर्ष औसतन 920 करोड़ रुपए खर्च

नोट :

किये हैं। मार्च 2017 से अब तक ग्रामीण स्वच्छता और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पर 1450 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मोगा ज़िले के 85 गाँवों को कवर करते हुए 172 गाँवों, 121 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांटों के लिये 144 नई जलापूर्ति योजनाओं वाली एक 'मेगा सर्फेस वाटर सप्लाई योजना' का भी उद्घाटन किया है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर ज़िलों के 155 गाँवों के 1.6 लाख से अधिक निवासियों को पीने के पानी के लिये भू-जल की आपूर्ति में मदद मिलेगी, इसके अलावा आर्सेनिक की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। इस योजना का वित्तपोषण विश्व बैंक, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, नाबार्ड और राज्य सरकार के बजट द्वारा किया जा रहा है।

जेफ बेज़ोस

अमेज़न के संस्थापक जेफ बेज़ोस ने घोषणा की है कि वे इस वर्ष के अंत तक ऑनलाइन रिटेलर कंपनी 'अमेज़न' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद छोड़ देंगे, ज्ञात हो कि वे बीते 27 वर्षों से कंपनी में बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कार्य कर रहे हैं। जेफ बेज़ोस अब अमेज़न के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक भी बने रहेंगे। जेफ बेज़ोस के बाद अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद ऐंडी जेसी संभालेंगे, जो अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटिंग डिविज़न के प्रमुख हैं वे कंपनी के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब कंपनी अस्तित्व में आई थी। अमेज़न, विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर और एक प्रमुख क्लाउड सेवा प्रदाता है। कंपनी मूल रूप से एक पुस्तक विक्रेता के रूप में शुरू हुई थी, किंतु उपभोक्ता वस्तुओं और डिजिटल मीडिया के साथ-साथ अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे कि किंडल ई-बुक रीडर, किंडल फायर टैबलेट और फायर टीवी, स्ट्रीमिंग मीडिया एडॉप्टर जैसे क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रही है और कंपनी की इस प्रगति में जेफ बेज़ोस ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र

2 फरवरी, 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये चेन्नई में 'आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र' (CWCM) नाम से भारत का पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है। यह विशिष्ट संस्थान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) का हिस्सा है। यह समर्पित केंद्र (CWCM) आर्द्रभूमि के विषय में विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं और इससे संबंधित ज्ञान एवं सूचनाओं की कमी आदि समस्याओं को संबोधित करेगा और आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिये एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करेगा। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये नीति व नियामक ढाँचे, प्रबंधन योजना तथा लक्षित अनुसंधान को डिज़ाइन तथा कार्यान्वित करने में राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करेगा। यह आर्द्रभूमि शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रबंधकों और उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक 'नॉलेज हब' के रूप में कार्य करेगी। दरअसल, आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरा रहता है। देश में ऐसे 42 स्थान हैं, जिन्हें 'वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस' या रामसर साइटों के रूप में नामित किया गया है।

अशोक डिंडा

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अशोक डिंडा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 25 मार्च, 1984 को कलकत्ता में जन्मे अशोक डिंडा ने वर्ष 2009 में भारत की ओर से खेलते हुए श्रीलंका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से अपने कॅरियर की शुरुआत की थी। जून 2010 में उन्हें ज़िम्बाब्वे के विरुद्ध एकदिवसीय मैच के लिये राष्ट्रीय टीम में चुना गया, जिसके बाद वर्ष 2010 में उन्हें एशिया कप के लिये भी चुना गया। अशोक डिंडा ने अपने संपूर्ण कॅरियर में कुल 116 प्रथम श्रेणी मैच खेले और इस दौरान उन्होंने कुल 420 विकेट लिये। इसके अलावा डिंडा ने भारत के लिये 13 एकदिवसीय और 9 T20 मैच भी खेले, जिनमें उन्होंने क्रमश: 12 और 17 विकेट प्राप्त किये।

गज़नवी' मिसाइल

हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी का परीक्षण किया। गज़नवी बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर की सीमा तक परमाणु और पारंपरिक युद्धक हथियार पहुँचाने में सक्षम है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज़ कमांड के वार्षिक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास के बाद इसका परीक्षण किया गया। इससे पूर्व 20 जनवरी, 2021 को पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-III का परीक्षण किया, जो 2,750 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है।

नोट :

विश्व कैंसर दिवस

हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण के लिये संघ (Union for International Cancer Control- UICC) की एक पहल है। इस दिवस की शुरुआत 4 फरवरी, 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिये कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit Against Cancer for the New Millennium) में हुई थी। ध्यातव्य है कि पेरिस चार्टर का उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, कैंसर को रोकना, रोगी देखभाल सेवाओं में सुधार, जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक समुदाय को कैंसर की रोकथाम के लिये संगठित करना और विश्व कैंसर दिवस को अपनाना है। वर्ष 2021 में 21वाँ विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है तथा इस वर्ष इसका विषय ''मैं हूँ और मैं रहूँगा'' (I Am And I Will) है। इस थीम को वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2021 तक के लिये रखा गया है। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये जागरूक बनाकर कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है।

'स्विच दिल्ली' अभियान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिये 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरुआत की है, साथ ही मुख्यमंत्री ने राजधानी के लोगों से शहर में प्रदूषण से निपटने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अपील की है। 'स्विच दिल्ली' अभियान के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी और साथ ही इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से किस प्रकार दिल्ली को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष अगस्त माह में दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles-EV) नीति, 2020 जारी की गई थी। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा निजी चार पहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों, सार्वजनिक परिवहन तथा साझा वाहनों एवं माल-वाहको के प्रतिस्थापन पर ज़ोर दिया गया है। इस नीति के मुताबिक, सरकार वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के इच्छुक लोगों को कम-ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगी।

पंडित भीमसेन जोशी जयंती

04 फरवरी को महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की जयंती मनाई गई। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष समारोह आज से शुरू हो रहा है। भारत के तानसेन के रूप में सफल, पंडित भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आम आदमी के करीब लाए। उन्होंने वर्ष 2008 में भारत रत्न प्राप्त किया। पंडित भीमसेन जोशी (4 फरवरी, 1922 - 24 जनवरी, 2011) कर्नाटक से संबंधित थे। उनके पहले गुरु कुर्तकोट के चन्नप्पा थे; बाद में उन्होंने पंडित श्यामाचार्य जोशी से प्रशिक्षण लिया। वर्ष 1936 में उन्होंने सवाई गंधर्व से शिक्षा ग्रहण की। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। पंडित भीमसेन जोशी ने केवल 19 वर्ष की आयु में पहली बार प्रस्तुति दी। पंडित भीमसेन जोशी को उनके प्रसिद्ध रागों के लिये याद किया जाता है जिनमें शुद्धि कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया धनश्री, मुल्तानी, भीमपलासी, दरबारी, मालकौंस, यमन, असारी तोडी, मियाँ की मल्हार और अन्य शामिल हैं।

थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा ओडिशा के बालासोर में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड स्थापित किया जाएगा। इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड के गठन का प्राथमिक उद्देश्य बिजली गिरने के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। इस अनुसंधान केंद्र को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में आस-पास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वेधशालाएँ स्थापित की जाएंगी, साथ ही यहाँ थंडरस्टॉर्म पर अध्ययन भी किया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून माह के बीच बिजली गिरने के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों को जान-माल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से यह केंद्र काफी महत्त्वपूर्ण है।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन-2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन-2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है - सबके लिये सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण तथा हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट' द्वारा आयोजित यह 20वाँ शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत् विकास को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जाएगी। विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा अलग-अलग देशों के विद्वान, जलवायु वैज्ञानिक, युवा और सिविल सोसाइटी के लोग भी इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किये जा रहे इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप-महासचिव अमिना जे मोहम्मद भी हिस्सा लेंगे।

नोट :

डॉ. ज़ाकिर हुसैन

08 फरवरी, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉ.जाकिर हुसैन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक डॉ. ज़ाकिर हुसैन एक उत्साही शिक्षक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। 8 फरवरी, 1897 को हैदराबाद में जन्मे डॉ. जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। ज़ाकिर हुसैन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटावा के इस्लामिया हाईस्कूल से पूरी की, जिसके बाद वे आगे की पढाई के लिये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले गए। वर्ष 1918 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने मास्टर कोर्स में दाखिला लिया, हालाँकि इसे उन्होंने बीच में छोड़ दिया। उन्होंने प्लेटो की पुस्तक 'रिपब्लिक' और एडविन कैनन द्वारा रचित 'एलिमेंट्री पोलिटिकल इकॉनमी' का उर्दू में अनुवाद भी किया। वर्ष 1920 में 23 वर्ष की आयु में ज़ाकिर हुसैन ने अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, इस राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय को वर्ष 1925 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1935 में इसका नाम बदलकर जामिया मिलिया इस्लामिया कर दिया गया। उन्होंने तकरीबन 21 वर्ष तक जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रमुख के रूप में कार्य किया। वर्ष 1962 में उन्होंने भारत के दूसरे उप-राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वर्ष 1967 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। देश के लिये उनकी सेवाओं के मद्देनज़र उन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

भारत की पहली भू-तापीय बिजली परियोजना

पूर्वी लद्दाख के पूगा गाँव में भारत की पहली भू-तापीय बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भू-तापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में की है। इस परियोजना के पहले चरण में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) द्वारा एक मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र चलाने के लिये 500 मीटर तक की खुदाई की जाएगी। चीन की सीमा के करीब और लेह से पूर्व में 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस परियोजना के दूसरे चरण में भू-तापीय जलाशय की क्षमता का पता लगाने के लिये और अधिक गहरी खुदाई की जाएगी। वहीं इस परियोजना के तीसरे चरण में एक वाणिज्यिक पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक, इस क्षेत्र से तकरीबन 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। शुरुआती चरणों में इस प्लांट की मदद से पास के ही तिब्बती शरणार्थी बस्तियों में बिजली पहुँचाने की योजना बनाई गई है। लद्दाख के पूगा और चुमाथांग को भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण भू-तापीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन क्षेत्रों की पहचान सर्वप्रथम 1970 के दशक में की गई थी।

विश्व का पहला 'एनर्जी आइलैंड'

डेनमार्क में तकरीबन 3 मिलियन घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक विशाल ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंज़ूरी दी गई है। डेनमार्क का यह ऊर्जा द्वीप विश्व का पहला पहला ऊर्जा द्वीप होगा, जो कि तकरीबन 18 फुटबॉल मैदानों के बराबर होगा। इस परियोजना को तकरीबन 210 बिलियन डेनिश क्रोन की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा और इसे डेनमार्क के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना में से एक माना जा रहा है। यह आइलैंड 200 विशाल अपतटीय पवन टर्बाइनों के लिये एक केंद्र के रूप में काम करेगा। समुद्र से तकरीबन 80 किलोमीटर (50 मील) की दूरी पर स्थित इस कृत्रिम ऊर्जा द्वीप में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी डेनमार्क की सरकार की होगी। डेनमार्क के जलवायु अधिनियम के तहत, वर्ष 1990 के दशक से वर्ष 2030 के दशक तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन स्तर में तकरीबन 70 प्रतिशत की कमी लाने और वर्ष 2050 तक CO_2 तटस्थ बनने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गई है। दिसंबर 2020 में डेनमार्क ने घोषणा की थी कि वह उत्तरी सागर में सभी प्रकार के नए तेल और गैस अन्वेषण कार्यक्रमों को समाप्त कर देगा। यह 'एनर्जी आइलैंड' डेनमार्क के ऊर्जा उद्योग के लिये भी काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

विश्व दलहन दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में दलहन के महत्त्व को चिह्नित करने और आम लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस का आयोजन करने की घोषणा की थी। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य स्थायी खाद्य उत्पादन में दलहन के महत्त्व को रेखांकित करना है। वर्ष 2013 में दलहन के महत्त्व को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष (IYP) के रूप में अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष (IYP) की सफलता के बाद बुर्किना फासो (पश्चिम अफ्रीका का एक देश) ने विश्व दलहन दिवस का प्रस्ताव रखा। इसके पश्चात् वर्ष 2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया। ज्ञात हो कि बीते पाँच-छह वर्ष में, देश में दालों का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन तक पहुँच गया है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2050 तक देश में 320 लाख टन दालों की ज़रूरत होगी। दालों को पोषण और प्रोटीन के मामले में समृद्ध और स्वस्थ आहार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सतत् विकास 2030 एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी दलहन महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

नोट :

तुर्की का नया अंतरिक्ष कार्यक्रम

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने हाल ही में देश के लिये एक महत्त्वाकांक्षी 10-वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है, जिसमें चाँद पर एक मिशन भेजना, तुर्की के नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणाली विकसित करना शामिल है। अपने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत तुर्की ने वर्ष 2023 तक चाँद पर मिशन भेजने की योजना बनाई है, इसी वर्ष संयोगवश तुर्की की स्थापना के सौ वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। एर्दोगन ने तुर्की के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजने और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में स्वयं को एक 'वैश्विक ब्रांड' बनाने का भी ऐलान किया। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर वैश्विक स्तर पर चल रही प्रतिस्पर्द्धा में शामिल होने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी (TUA) की स्थापना की थी। इस एजेंसी का मुख्यालय तुर्की की राजधानी, अंकारा में स्थित है। ज्ञात हो कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल की है और उसका 'होप' मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँच गया है।

विश्व यूनानी दिवस

महान यूनानी शोधकर्त्ता हकीम अज़मल खान का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हकीम अज़मल खान एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। हकीम अज़मल खान ने वर्ष 1921 में कॉन्ग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। सर्वप्रथम वर्ष 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIUM), हैदराबाद में विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया गया था। यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्भव व विकास यूनान में हुआ। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति अरबों द्वारा पहुँची और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण एवं अनुकूल परिस्थितियों की वजह से इस पद्धति का बहुत विकास हुआ। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के महान चिकित्सक और समर्थक हकीम अज़मल खान (1868-1927) ने इस पद्धति के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस पद्धति के मूल सिद्धांतों के अनुसार, रोग शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। शरीर में रोग उत्पन्न होने पर रोग के लक्षण शरीर की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय

11 फरवरी, 2021 को उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को मथुरा ज़िले के नगला चंद्रभान गाँव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को 'एकात्म मानववाद' कहा जाता है जिसका उद्देश्य एक ऐसा 'स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल' प्रस्तुत करना था, जिसके विकास के केंद्र में मानव हो। वर्ष 1942 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता (संघ प्रचारक) के रूप में शामिल हुए। इसके पश्चात् उन्होंने वर्ष 1940 के दशक में लखनऊ से 'राष्ट्र धर्म' नामक एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार करना था। इसके बाद उन्होंने 'पांचजन्य' और 'स्वदेश' जैसी पत्रिकाओं की भी शुरुआत की। वर्ष 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष चुने जाने के एक वर्ष बाद 11 फरवरी, 1968 को पटना में एक ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

उद्यानोत्सव

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 12 फरवरी, 2021 को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक 'उद्यानोत्सव' का शुभारंभ करेंगे। वार्षिक उत्सव के तहत राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित 'मुगल गार्डन' को 13 फरवरी, 2021 से 21 मार्च, 2021 (प्रत्येक सोमवार को छोड़कर) तक आम जनता के लिये खोला जाएगा। 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले 'मुगल गार्डन' को प्राय: राष्ट्रपति भवन की सबसे नायाब चीज़ों में से एक माना जाता है। सर एडविन लुटियन ने वर्ष 1917 की शुरुआत में मुगल गार्डन के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया था, हालाँकि इस गार्डन में रोपण का कार्य वर्ष 1928-1929 में समाप्त हुआ था। 'मुगल गार्डन' के निर्माण के लिये सर लुटियन ने बागवानी की दो विशिष्ट शैलियों- मुगल शैली और अंग्रेज़ी फूल गार्डन शैली का मिश्रित प्रयोग किया। गुलाब, ट्यूलिप, एशियाई लिली, डैफोडिल्स, जलकुंभी और अन्य मौसमी फूल राष्ट्रपति भवन के उद्यानों को सुशोभित करते हैं। राष्ट्रपति भवन के इस उद्यान में फूलों की तकरीबन 70 किस्में मौजूद हैं। इस उद्यान की विशालता को इस बात से समझा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के उद्यानों के विकास और रखरखाव के लिये 300 से अधिक स्थायी और आकस्मिक कर्मचारी तैनात हैं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह-2021

राष्ट्रव्यापी अभियान के एक हिस्से के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिये 8-12 फरवरी, 2021 के मध्य वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह-2021 का विषय 'ऋण अनुशासन और औपचारिक

नोट :

संस्थाओं से ऋण' है। यह विषय वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025 के उद्देश्यों में से एक है। इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान मुख्य तौर पर (1) उत्तरदायी ऋण; (2) औपचारिक संस्थानों से ऋण और (3) समय पर भुगतान, जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वर्ष 2016 से ही देश भर में किसी विशिष्ट विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह (FLW) का आयोजन कर रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा आम जनता के लिये आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने हेतु फरवरी 2021 में एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान चलाया जाएगा।

'मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा' योजना

दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में 'मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा' को मंज़ूरी दी है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1,000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान संबंधी विषयों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र, जिन्होंने कक्षा 8 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किये हैं, वे इस परीक्षा के लिये पात्र हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों को 5 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

स्वामी दयानंद सरस्वती

12 फरवरी, 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दयानंद सरस्वती एक महान विचारक और एक सुविख्यात समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती न केवल भारत के जाने-माने धार्मिक नेता थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव भी डाला। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसने भारतीयों की धार्मिक धारणा में प्रमुखता से बदलाव किया। उन्होंने मूर्तिपूजा और कर्मकांड के विरुद्ध आवाज़ उठाई, साथ ही इसका पुरज़ोर विरोध भी किया। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। उनके द्वारा रचित 'सत्यार्थ प्रकाश' और स्थापित 'आर्य समाज' संदेश देते हैं कि वेदों की ओर लौटो तथा भारत की प्रभुता को समझो। उन्होंने व्यक्तिगत उत्थान के स्थान पर सामूहिक उत्थान को अधिक महत्त्व दिया। 7 अप्रैल, 1875 को दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज का गठन किया। आर्य समाज का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान के स्रोत के रूप में वेदों की स्थापना करना और हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि ज्ञान की कमी ही हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास का मूल कारण है। इसलिये उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षित करने के लिये कई गुरुकुलों की स्थापना की। उनके विरुद्ध रचे गए एक षड्यंत्र के कारण 30 अक्तूबर, 1883 को दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई।

कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन

हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन (KDEM) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है। कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के माध्यम से राज्य में 7,000 से अधिक छोटी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना है। इस मिशन के तहत कर्नाटक के तकनीकी उद्योग और राज्यों की ब्रांड इक्विटी बढ़ाने हेतु वैश्विक कनेक्शन के लिये 'इंवेस्टमेंट इंडिया' मॉडल का उपयोग किया जाएगा। ज्ञात हो कि राज्य में आगामी पाँच वर्षों में कुल 150 बिलियन डॉलर के आईटी निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को इस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अधिकांश हिस्सेदारी (49:51 शेयरधारिता के साथ) निजी क्षेत्र को दी गई है। यह मिशन सरकार और उद्योग के बीच एक महत्त्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा। इस मिशन के तहत शिक्षा और उद्योग जगत के बीच सहयोग पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मल्लिकार्जुन खड़गे

कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आज़ाद का स्थान लेंगे। ध्यातव्य है कि 15 फरवरी, 2021 को गुलाम नबी आज़ाद के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली हो गया था। कर्नाटक से आने वाले कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक लोकसभा में कॉन्ग्रेस के नेता रहे। भारत के सबसे पुराने दलों में से एक कॉन्ग्रेस को पिछली और वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं मिल सका था, क्योंकि निचले सदन में उसका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम था। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा में दूसरे विपक्ष के नेता होंगे, कर्नाटक से राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता एम.एस. गुरुपादस्वामी थे।

नोट :

विश्व रेडियो दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो को बढ़ावा देना और आम लोगों को इसका उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना है। यह दिवस जनसंपर्क में रेडियो के महत्त्व को रेखांकित करता है और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग एवं सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर देता है। 20 अक्तूबर, 2010 को स्पेनिश रेडियो अकादमी के अनुरोध पर स्पेन ने संयुक्त राष्ट्र में रेडियो को समर्पित विश्व दिवस मनाने के लिये सदस्य देशों से अपील की। इसके बाद UNESCO ने 3 नवंबर, 2011 को पेरिस में आयोजित 36वीं आमसभा में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का ऐलान किया। उल्लेखनीय है कि 13 फरवरी को ही संयुक्त राष्ट्र के 'रेडियो UNO' की वर्षगाँठ भी है, क्योंकि वर्ष 1946 में इसी दिन वहाँ रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था।

मांडू महोत्सव-2021

मध्य प्रदेश में धार ज़िले के ऐतिहासिक शहर मांडू में तीन दिवसीय मांडू महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव में 'वोकल फॉर लोकल' के विचार को साकार करने के लिये स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा संयुक्त तौर पर किया जा रहा है। मांडू उत्सव के दौरान योग सत्र, साइकिल यात्रा, हेरिटेज वॉक और ग्रामीण भ्रमण आदि शामिल हैं, जिसके पश्चात् स्थानीय कलाकारों द्वारा संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में मध्य प्रदेश की प्राचीन कला और शिल्प का प्रदर्शन होगा। मांडू, मध्य प्रदेश स्थित एक प्राचीन शहर है। मांडू, पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के धार ज़िले में स्थित है। इस ऐतिहासिक शहर को परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके बाद 1304 ईस्वी में दिल्ली के मुस्लिम शासकों द्वारा इस पर कब्ज़ा कर लिया गया।

स्थायी उत्पादन प्रणाली को लेकर समझौता

भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिये 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किये हैं, यह राज्य के दूरदराज़ के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को पूरे वर्ष विविध एवं पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करने की अनुमति देगा। इस समझौते के तहत 'छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास' परियोजना यानी 'चिराग' को राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल उस क्षेत्र में जल्द-से-जल्द लागू किया जाएगा, जहाँ एक बड़ी आबादी कुपोषण और गरीबी से प्रभावित है। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के आठ ज़िलों के लगभग एक लाख 80 हज़ार से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि कृषि भारत में आजीविका का एक प्रमुख साधन है और यह समझौता केंद्र सरकार के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। छत्तीसगढ़ की 'चिराग' परियोजना विविध और पौष्टिक भोजन तथा सतत् कृषि प्रणाली की नींव रखेगी। यह छोटे किसानों को किसान उत्पादक संगठनों से जोड़ेगा और लाभदायक बाज़ारों तक उनकी पहुँच में सुधार कर आमदनी बढ़ाएगा।

मध्य प्रदेश में डाकुओं पर आधारित संग्रहालय

जल्द ही मध्य प्रदेश के भिंड में स्थित पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इस संग्रहालय में कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें फूलन देवी और निर्भय गुज्जर आदि से संबंधित वस्तुएँ शामिल हैं। इस संग्रहालय का उद्देश्य डाकुओं का सम्मान करना अथवा उनकी प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य डाकुओं के अपराधों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और अपराधों को रोकने के लिये पुलिस द्वारा किये गए बलिदानों को उजागर करना है। इस संग्रहालय में कुख्यात डाकुओं द्वारा की गई हत्याओं, लूट और अपहरण के मामलों में पिछले पाँच दशकों में पुलिस द्वारा एकत्र किये गए कम-से-कम 2,000 डिजिटल रिकॉर्ड और सामग्री को संकलित किया जाएगा।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम

हाल ही में 'विज्ञान ज्योति कार्यक्रम' के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए इस कार्यक्रम का विस्तार देश के 50 और ज़िलों तक कर दिया गया है। लड़कियों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा 'विज्ञान ज्योति कार्यक्रम' की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2019 से यह कार्यक्रम 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और अब इसे वर्ष 2021-22 के लिये 50 और विद्यालयों में शुरु कर दिया गया है। यह कार्यक्रम स्टेम (STEM-Science, Technology, Engineering and Mathematics) क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस योजना का उद्देश्य स्टेम शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान शिविर का आयोजन किया जाएगा, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट, विश्वविद्यालयों तथा डीआरडीओ जैसे शीर्ष संस्थानों में कार्यरत सफल महिलाओं से शिविर के माध्यम से संपर्क स्थापित कराया जाएगा।

नोट :